अनुदेश पुस्तिका

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां 1 और 2

सातवां संस्करण

मार्च 2008

अनुदेश-पुस्तिका की प्रतियां निदेशक, समीक्षा एवं प्रकाशन प्रभाग (विक्रय अनुभाग), आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग (निचली मंजिल), पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400001 के पास उपलब्ध हैं।

चेक/ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई के पक्ष में आहरित किये जाएं।

मूल्य रु. 40/-
(डाक खर्च सहित)

बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग,
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,
सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, पोस्ट बॉक्स सं. 8128, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. द्वारा प्रकाशित
मेसर्स अल्को कार्पोरेशन 331, ए-2, शाह एंड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई 400 013 में मुद्रित

प्राक्कथन

दिसंबर 1972 में शुरू की गयी मूल सांख्यिकीय विवरणी (मू.सां.वि.) प्रणाली लगभग साढ़े तीन दशकों से लागू है। समय-समय पर प्रणाली में सुधार किये जाते हैं। मू.सां.वि.-1 और 2 विवरणियां भरने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 1972 में अनुदेशों की पहली पुस्तिका निकाली। मू.सां.वि. प्रणाली में सुधार और संशोधनों के बाद अनुदेश पुस्तिका जनवरी 1978, जनवरी 1984, जनवरी 1990, और मार्च 1996 और मार्च 2002में संशोधित की गयी। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण - 1998 (एनआइसी) के आधार पर (इंटरनेशनल स्टेंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफ़िकेशन (आइएसआइसी) संशो.3-1990 पर आधारित) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की तुलनीयता हेतु वर्गीकरण प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए मार्च 2002 के अंतिम संशोधन में एक नई व्यवसाय/कार्यकलाप कूटबद्धता प्रणाली मू.सां.वि. में लागू की गई। अर्थव्यवस्था के ढाँचे में पिछले कुछ वर्षों में आये परिवर्तनों के चलते कई नए कार्यकलाप उभर कर आए हैं या प्रमुख बन गए हैं तथा कुछ पुराने कार्य या तो अनुपयोगी हो गए हैं या महत्त्वहीन हो गए हैं। संबंधित प्रणालियों में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। आइएसआइसी संशो.3.1-2002के आधार पर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने एक अद्यतन एनआइसी-2004 जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (द युनाइटेड नेशन स्टैस्टिकल डिविज़न) ने आइएसआइसी संशो.4 (ड्राफ्ट)-2007 जारी किया है और इसकी स्वीकृति होते ही विभिन्न देश इसका कार्यान्वयन प्रारंभ कर देंगे।लघु उद्योगों (एसएसआइ) के स्थान पर विनिर्माण और सेवाएं का काम करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों वाले लघु उद्यम की परिभाषा और अवधारणा आई है। प्रणाली में किए गए इन संशोधनों को इस सातवें संस्करण में लिया गया है। बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़ो की गुणवत्ता में सुधार लाना भी संशोधन का लक्ष्य है। मू.सां.वि. के सर्वेक्षण की आवधिकता अब तक की तरह वार्षिक रहेगी और मू.सां.वि.-1 एवं मू.सां.वि.-2 की संदर्भ तारीख 31 मार्च ही रहेगी, जिससे कि यह बैंको के लेखा वर्ष के साथ चले। तथापि, अधिक व्यापक एवं उपयोगी जानकारी पाने के उद्देश्य से, मू.सां.वि.-1 के जरिये कुछ अतिरिक्त सूचनाएं एकत्र करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तुत संस्करण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

(ए) विद्यमान व्यक्तिगत क्रेडिट कार्डों के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड और सामान्य (जनरल) क्रेडिट कार्डों को खाते के प्रकार में शामिल किया गया है।

(बी) उधारकर्ताओं के संगठन कोडों की पुनर्संरचना की गई है। वित्तीय और गैर वित्तीय संगठन को सार्वजनिक, निजि और सहकारी क्षेत्रों में अलग-अलग परिभाषित किया गया है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आइ) के लिए अलग-अलग कूट रखे गए हैं।

(सी) व्यवसाय कार्यकलाप कोड पुनर्गठित किए गए हैं। 'व्यक्तिगत ऋणों' को दो अलग समूहों में बाँटा गया है;स्टाफ़ ऋण और स्टाफ़ ऋण के अलावा। मरम्मत और अनुरक्षण को अलग प्रभाग में रखा गया है।

(डी) नवीनतम परिपत्र नं आरपीसीडी.प्लान. बीसी.84/04.09.01/2006-07 दिनांक 30-04-2007 और आरपीसीडी.प्लान. बीसी.42/04.09.01 2007-08 दिनांक 12-12-2007 के अनुसार कृषि को अप्रत्यक्ष

वित्त को भी पुनर्संरचना किया गया है। आवास और लघु उद्यम क्षेत्रों को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त की जानकारी इकट्ठी करने के लिए नये कोड प्रारंभ किए गए हैं। एसएचजी/ एमएफ़आइ के विविध कार्यकलापों के लिए नये व्यवसाय जोड़े गए हैं।

(ई) कृषि व संबंधित कार्यकलापों व अन्य उद्देश्यों के लिए आगे दिए जाने वाले उधार (ऑन-लेंडिंग) के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाले ऋण अलग समूह में रखे गए हैं।

(एफ़) कृषि व संबंधित कार्यकलापों, लघु व सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शैक्षिक और अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए आगे दिए जाने वाले उधार (ऑन-लेंडिंग) केआधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को दिए जाने वाले ऋणों का वर्गीकरण किया गया है।

(जी) 'उधार खाते का स्वरूप' के स्थान पर 'ऋणकर्ता की श्रेणी' प्रारंभ की गई है जिसमें उधार लेने वाली इकाई के आकार को आधार बनाया गया है।

(एच) जमानती और गैर-जमानती ऋण की जानकारी इकट्ठी करने के लिए गिरवी रखी गई जमानत (ऋण की गारंटी) स्थिति नामक नया मानक प्रारंभ किया गया है।

(आइ) 'ऋण पर ब्याज की स्थिर/ अस्थिर दर' पर भी जानकारी के लिए भी एक फ्लैग प्रारंभ किया गया है।

3. मू.सां.वि. 1 भाग-ख विवरणी भी संशोधित की गयी है। मू.सा.वि. 1क, व्यवसाय/कार्यकलाप कूटबद्धता प्रणाली में बदलाव को देखते हुए मू.सां.वि.-1 ख में 2-अंकों के कूट के स्थान पर 3-अंकों के नए कूट प्रारंभ किए गए हैं जिनमें कुछ नए आइटम भी हैं। मू.सां.वि.-1ख विवरणी में दो अलग-अलग ऋण सीमा समूह बने रहेंगे अर्थात 'रु. 25,000 तक' और रु. '25,000 से अधिक एवं 2 लाख रुपये तक'।

4. मू.सां.वि.-2 विवरणी में कोई संशोधन नहीं है। फ़ॉर्म-ए, धारा-42(2) विवरणी के अनुसार ऋण और जमाराशियों से संबंधित आंकडे, जो क्रमश: मू.सां.वि.-1ख और मू.सां.वि.-2 में प्राप्त किये जाते हैं, वह 31 मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज किया जाना है न कि मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार। पिछले पुस्तिका (मार्च 2002 छठा संस्करण) की तुलना में इस पुस्तिका में आए परिवर्तनों की एक विस्तृत सूची परिशिष्ट में दी गई है।

5. 2002 और 2008 की कूटबद्धता प्रणाली के कूट में संबंध दर्शाते हुए सामंजस्य (कॉकॉर्डेंस) टेबल भी दिए गए हैं।

6. संशोधित पुस्तिका में मू.सां.वि.-1 और मू.सां.वि.-2 विवरणियों को भरने के विस्तृत अनुदेशों के साथ-साथ उधार खातों के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले संशोधित कूट भी है। मू.सां.वि.-1 क और मू.सां.वि.-1 ख व्यवसाय कूटों के बीच एक संपर्क सारणी भी दी गयी है जिससे संकलन में आसानी हो। संशोधित योजना मार्च 2008 सर्वेक्षण के दौरे से लागू होगी। मू.सां.वि.-1 में ऋण सीमा और बकाया ऋण के वर्गीकरण की पद्धति को स्पष्ट करने वाले कुछ उदाहरण भी इस पुस्तिका में दिए गए हैं जिससे बैंक कर्मचारी मू.सां.वि.-1 में सही आंकड़े दे सकें। मू.सां.वि.-1 एवं मू.सां.वि.-2 के अलावा इस पुस्तिका के

परिशिष्ट में अन्य मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों से संबंधित ब्यौरे भी हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने होते हैं।

7. नीति निरूपण एवं शोध की दृष्टि से मू.सां.वि. सर्वेक्षण के परिणाम महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए इन विवरणियों को समय से प्रस्तुत करना परम आवश्यक है ताकि निर्धारित समय के भीतर सर्वेक्षणों के परिणाम जारी कर दिए जाएं। यह देखा जा रहा है कि समय के साथ बैंकों ने मू.सां.वि. प्रणाली की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार किया है; तथापि इसमें और सुधार लाया जा सकता है यदि अपने बहुमूल्य मू.सां.वि. आंकड़ों का उपयोग बैंक अपनी प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आइ एस) व विश्लेषण के हिस्से के रूप में करें। आशा है कि सभी बैंक मू.सां.वि. प्रणाली को पूर्णत: मजबूत बनाएंगे।

सांख्यिकीय विश्लेषण
और कंप्यूटर सेवा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (**पूर्व**)
मुंबई-400 051

20 फ़रवरी, 2008

बलवंत सिंह
परामर्शदाता, सांख्यिकीय विश्लेषण
और कंप्यूटर सेवा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक और अध्यक्ष
बैंकिंग सांख्यिकी निदेश समिति

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

I	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (मू.सां.वि.) 1 : परिचय भाग क और भाग ख	1
II	मूसांवि -1 भरने हेतु मार्गदर्शन / अनुदेश	7
III	मू.सां.वि. -1- भाग क (मू.सां.वि-1 क)	8
IV	'ए' से 'आय' तक कूट सूचियां	21
V	मू.सां.वि-1-भाग ख (मू.सां.वि.-1ख)	81
VI	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1 क और मूसांवि-1ख) कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क सारणी	84
VII	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 2	89
VIII	मू.सां.वि-2 भरने के मार्गदर्शन/अनुदेश	91
IX	मू.सां.वि-1क और मू.सा.वि-1ख के लिए निदर्शी उदाहरण	95

परिशिष्ट : 149

1. **फार्म :**
   मू.सां.वि.-1क
   मू.सां.वि.-1ख
   मू.सां.वि.-2
2. **मू.सां.वि. 1 और 2 डेटा को सॉफ्ट फॉर्म में जमा करना - रेकार्ड लेआउट: 151**
   मू.सां.वि.-1क
   मू.सां.वि.-1ख
   मू.सां.वि.-2
3. **पिछले (छठे) संस्करण की तुलना में इस संस्करण में प्रमुख परिवर्तन: 156**
   परिवर्तनों की सूची
   सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) : मू.सां.वि.-1 क व्यवसाय कूट 2008 और 2002
   सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) : मू.सां.वि.-1ख आइटम कोड 2008 और 2002
4. **मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली सांख्यिकीय विवरणियों की सूची 165**

I. मूलभूत सांख्यिकी विवरणी (मू.सां.वि.) 1
भाग क और भाग ख

परिचय

यह विवरणी (मूसांवि-1) बैंक ऋण से संबंधित हैं। बैंक की प्रत्येक शाखा/कार्यालय के लिए यह आवश्यक है कि 31 मार्च तक की यह विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। यदि 31 मार्च छुट्टी का दिन हो तो आंकड़े उसके ठीक पिछले कार्य-दिवस से संबंधित होने चाहिए।

2. इस विवरणी में दिए जाने वाले बैंक ऋण में निम्नलिखित चीजें होती हैं:-

(क) ऋण, नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट,

(ख) खरीदे तथा भुनाए गए देशी बिल,

(ग) खरीदे तथा भुनाए गए विदेशी बिल

मूसांवि 1 में दिए जा रहे उक्त मदों में निम्नलिखित को शामिल किया जाय

(i) बैंकों से प्राप्य राशियां, जिसमें बैंकों को दिये गये ऋण और अग्रिम हैं (इसमें जोखिम उठाए बगैर की गयी सहभागिता शामिल है),

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुनर्भुनाई किये गये बिल,

(iii) क्रेडिट कार्डों के जरिये दिए गए अग्रिम,

(iv) अशोध्य ऋण (बट्टे खाते न डाले गये) और प्रतिवादित बिल,

(v) जोखिम में हिस्सेदार होते हुए अंतर-बैंक सहभागिता

- सहभागी बैंक : मूसांवि-1 विवरणी में सहभागिता की गयी राशि न दें
- जारीकर्ता बैंक: शाखाएं पूरी ऋण सीमा और बकाया राशि को सहभागिता की गयी राशि के समायोजन के बिना दिखाएं।

मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को न जोड़ा जाए।

3. मूसांवि-1 विवरणी में उल्लिखित ऋण में निम्नलिखित चीजें हों (i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत पाक्षिक विवरणी के तात्पर्य के अन्तर्गत 'बैंकों से प्राप्य' सहित बैंक ऋण और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुनर्भुनाई किये गये बिल। इसे सकल बैंक ऋण (ग्रॉस बैंक क्रेडिट) कहा जाता है।

4. मू.सां.वि.-1 के दो हिस्से हैं, विवरणी का भाग क रु. 2,00,000 से अधिक की व्यक्तिगत ऋण सीमा के खातों से संबंधित है। इनमें से प्रत्येक खाते से संबंधित विवरण अलग-अलग दिया जाय। मू.सां.वि.-1क में खाते से

संबंधित विवरण यथा, ऋण को काम में लाये जाने वाले स्थान का जिला और जनसंख्या समूह कूट, खाते का प्रकार, संगठन, व्यवसाय उधार लेने वाले की श्रेणी, उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण, जमानती/ गैर-जमानती ऋण की स्थिति (स्टेटस), ब्याज़ के स्थिर/ अस्थिर दर का सूचक दर, ब्याज़ का दर, ऋण सीमा, और बकाया राशि को रु. 2,00,000 से अधिक की ऋण सीमा वाले प्रत्येक खाते के लिए अलग दर्ज किया जाय। किसी पूछताछ में रिपोर्टिंग शाखा को खाते के संदर्भ में खाते की पहचान अर्थात् पार्टी का नाम और खाते के नंबर की आवश्यकतां पड़ती है जो न तो विवरणी में प्राप्त किए जाने वाले और न ही सॉफ्ट फ़ॉर्म में प्रस्तुत डेटा में दर्ज़ होते हैं।

मू.सां.वि.-1 विवरणी के भाग ख (मू.सां.वि.-1ख) में खाता वार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें रु. 2,00,000 व इससे कम की व्यक्तिगत ऋण सीमाओं वाले खातों के व्यवसाय-वार कुल योग पर समेकित सूचना की आवश्यकता होती है। रु. 25,000 या इससे कम एवं रु. 25,000 से अधिक से रु. 2,00,000 तक की व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले कर्ज के लिए सूचनाएं पृथक रूप से दी जानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्तिगत खाते के लिए रु. 2,00,000 की अधिकतम सीमा विवरणी की तारीख के समय लागू ऋण सीमा से संबंधित हो न कि खाते में बकाया राशि से। यदि कोई निर्दिष्ट ऋण सीमा मंजूर नहीं की गयी है तो बकाया राशि को ही ऋण सीमा मान लिया जाय। ऋण सीमा और बकाया राशि दोनों ही हजार रुपयों में दर्ज किए जाने चाहिए।

यह ध्यान दिया जाय कि मू.सां.वि.-1 (भाग क और ख) के तहत रिपोर्टिंग खाता-वार हो, पार्टी-वार नहीं। प्रत्येक खाते की ऋण सीमा इस बात के निर्धारण का कारक है कि उसे मू.सां.वि.-1 क में अलग से दर्ज किया जाय या उसे मू.सां.वि.-1ख में समान व्यावसायिक वर्ग के खातों के साथ समेकित किया जाए। इस प्रकार प्रत्येक खाता या तो मू.सां.वि.1 क या मू.सां.वि.-1 ख में दर्ज किया जाये तथा इसे मू.सां.वि.-1क या मू.सां.वि.-1ख दोनों में दर्ज न किया जाए।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पार्टी के रु. 2,00,000 से अधिक की ऋण सीमा वाले अलग-अलग खाते हों तो मू.सां.वि.-1क में प्रत्येक खाते की सूची अलग से दी जाय। यदि किसी पार्टी के रु. 2,00,000 एवं इससे कम की सीमा वाले अन्य खाते हों तो ऐसे खातों को व्यवसाय-वार समेकित कर मू.सां.वि.-1 ख में दर्ज किया जाय। किसी भी परिस्थिति में रु. 2,00,000 से अधिक की ऋण सीमा वाले खाते को भाग ख में नहीं रखा जाय।

5. बैंकों की शाखाओं / कार्यालयों द्वारा मू.सां.वि.-1 विवरणियों में दर्ज करने की सुविधा के लिए, सभी अलग-अलग खातों, जिन्हें मू.सां.वि. -1 क या ख में दर्ज करना है, तथा खाते के प्रकार का कूट, व्यवसाय कूट, उपयोग के जिले का कूट, संगठन कूट और उधार लेने वाले की श्रेणी आदि का समुचित कूट लेजर में ही दे दिया जाय। छोटे उधार खातों के लिए, जिनकी ऋण सीमा रु. 2,00,000 से कम हो और जिन्हें मू.सां.वि.-1 ख में दर्ज किया जाना है, तत्संबंधी मू.सां.वि.- 1 ख व्यवसाय कूट दिया जा सकता है जैसा कि इस पुस्तिका संपर्क सारणी में है। मू.सां.वि.-1 ख के तहत दर्ज करने के लिए, मू.सां.वि.-1 ख व्यवसाय कूटों के अनुसार गठित खातों का सार संक्षेप किया जा सकता है।

6. मू.सा.वि.-1 में प्रत्येक उधार खाते के विवरण दर्ज करने के लिए सही कूट का उपयोग किया जाए। ऋण के उपयोग में लाये जाने वाले जिले व जनसंख्या समूह, खाते का प्रकार, संगठन, व्यवसाय, उधार लेने वाले की श्रेणी

और उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण, जमानती/ गैर-जमानती ऋण की स्थिति, ब्याज़ के स्थिर/ अस्थिर दर का सूचक दर, ब्याज़ का दर, आदि से संबंधित बातें मू.सां.वि.-1 में दर्ज करनी होती है। उपयोग में आने वाले संशोधित कूटों की पूरी तालिका इस पुस्तिका में है। प्रत्येक खाते की एक-एक प्रविष्टि के लिए उचित कूट देने से पहले कूट तालिकाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाय।

7. विवरणी में सभी अंक सही-सही और साफ-साफ दर्ज हों, यह सुनिश्चित किया जाय। अंकों का उपरिलेखन या काटना-मिटाना आदि न हो। कुल स्तर पर अंकों को पिछले साल के अंकों से मिला कर देखने से, दर्ज करते समय किसी प्रकार की त्रुटि यदि हो गई हो तो पकड़ में आ सकती है। प्रत्येक खाते के खाने में सिर्फ एक कूट/अंक दर्ज किया जाय। विवरणी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार शाखा अधिकारी इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें एवं प्रधान/आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने से पहले विवरणी को ठीक से जांचे और बाद में शाखावार मू.सां.वि.-1 विवरणियों को रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्युटर सेवा विभाग को भेजें।

8. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलौर और लखनऊ में सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि) के छह क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। ये कार्यालय निदेशकों/ सहायक परमार्शदाताओं/ अनुसंधान अधिकारी के प्रभार में हैं। इन तीन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के पतों के साथ-साथ उनसे संबंधित क्षेत्रों में पड़ने वाले राज्य/संघ क्षेत्रों की सूची नीचे दी गयी है। ये कार्यालय उन बैंकों की मू.सां.वि.-विवरणियों की प्राप्ति एवं छानबीन को मॉनीटर करते हैं, जिनका प्रधान कार्यालय उनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है। तद्नुसार, बैंक अपनी सभी शाखाओं से संबंधित विवरणियां/टेप डम्प आदि सांविकंसेवि के उन क्षेत्रीय/ केंद्रीय कार्यालयों को भेजें जिनके क्षेत्राधिकार में उनका प्रधान कार्यालय स्थित है।

क्षेत्रीय कार्यालय/ केंद्रीय कार्यालय	**पता**	**राज्य/संघशासित क्षेत्र**
केंद्रीय कार्यालय	निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक सी 8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, पो.बा.सं. 8128, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. ईमेल:- bsr12@rbi.org.in	छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट तथा दादरा व नगर हवेली
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय	निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 ईमेल: desacsnewdelhi@rbi.org.in	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चण्डीगढ़ और दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय/ केंद्रीय कार्यालय	**पता**	**राज्य/संघशासित क्षेत्र**
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय	निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 ईमेल: desacskolkata@rbi.org.in	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय	निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, तृतीय तल, फोर्ट ग्लैसिस, राजाजी सालै, मद्रास - 600 001 ईमेल: desacschennai@rbi.org.in	आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और लक्षद्वीप
अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय	सहायक परामर्शदाता, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गांधी ब्रिज़, आश्रम रोड के पास अहमदाबाद 380 014. ईमेल: desacsahmedabad@rbi.org.in	गुजरात, तथा दमण व दीव
बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय	सहायक परामर्शदाता, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 10/3/8, नृपतुंगा रोड, बैंगलोर 560 001. ईमेल: desacsbangalore@rbi.org.in	कर्नाटक
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय	अनुसंधान अधिकारी सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर लखनऊ 226 010. ईमेल: desacslucknow@rbi.org.in	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

9. बैंकों की शाखाएं/कार्यालय, विवरणी फार्म में आंकड़े भेजते समय तीन प्रतियों में विवरणी तैयार करें। वे कार्यालय अभिलेख (रिकॉर्ड) के लिए एक प्रति अपने पास रखें और मू.सां.वि.-1 विवरणी भाग क और भाग ख दोनों की यथावत भरी हुई अन्य दो प्रतियां अपने क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रधान कार्यालय को भेजें। उसके बाद संबंधित क्षेत्रीय / आंचलिक / प्रधान कार्यालय प्रारंभिक जाँच करे, यदि कोई गलती हो तो उसे ठीक करे , डेटा सॉफ्ट फ़ॉर्म में दर्ज़ करे और डेटा, सर्वेक्षण के संदर्भ दिनांक से **चार महीने के भीतर**, केंद्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय, सांविकंसेवि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका प्रधान कार्यालय स्थित हो, को भेजें।

10. यह वांछनीय है कि बैंक सॉफ्ट फ़ॉर्म में आंकड़े भेजें। आंकड़ों को भेजते समय बैंक अपने अग्रेषण पत्र में निम्नलिखित विवरण दें:

i)	आंकड़े की अवधि	:
ii)	आंकड़ों का प्रकार (मू.सां.वि- 1 क/1ख/2)	:
iii)	लॉट नम्बर	:
iv)	बैंक की शाखाओं की कुल संख्या (प्रशासनिक कार्यालयों सहित)	:
v)	ऋण आंकड़ा देने वाले शाखाओं की कुल संख्या (मू.सां.वि.-1 क या 1 ख)	:
vi)	जमा आंकड़े देने वाले शाखाओं की कुल संख्या (मू.सां.वि.-2 भाग I से IV)	:
vii)	बैंक के कुल जमाकर्ता	:
viii)	बैंक का कुल ऋण	:
ix)	लॉट में आने वाले शाखाओं की कुल संख्या	:
x)	लॉट में आने वाली रिपोर्टिंग शाखाओं का कुल जमा/ऋण	:
xi)	बैंक के कुल कर्मचारी (मू.सां.वि.-2 विवरणी के मामले में)	:
xii)	लॉट में आने वाली रिपोर्टिंग शाखाओं के बैंक के कुल कर्मचारी (मू.सां.वि-2 विवरणी के मामले में)	:

11. 'शून्य' ऋण और 'शून्य' जमा वाली शाखाओं के 'भाग 1 कूट' और 'शाखा नाम' के साथ शाखाओंकी दो अलग-अलग सूचियां बैंक प्रस्तुत करें।

12. अंतिम लॉट प्रस्तुत करते समय बैंक यह उल्लेख करें कि उन्होंने 100 प्रतिशत आंकड़ा प्रस्तुत किया है।

चुंबकीय/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर आंकड़े प्रस्तुत करना

चुबंकीय माध्यम पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत करने वाले बैंक अपनी शाखाओं/कार्यालयों से सूचना इकट्ठी करने की अपनी प्रणाली बना सकते हैं। बैंक मू.सां.वि. 1क, मू.सां.वि. 1ख, मू.सां.वि. 2 विवरणियों के लिए निर्धारित ले आउट का ठीक से पालन करें। आंकड़े प्रस्तुत करने से पहले वे आंकड़ा खण्डों के नमूना प्रिंटआउट, सांविकंसेवि के क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापित करा लें। सॉफ्ट फ़ॉर्म में संपादित आंकड़े यथाशीघ्र और संदर्भ तारीख से **चार महीनों** के भीतर सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, के संबंधित क्षेत्रीय/ केंद्रीय

कार्यालय [बैंक के मुख्य कार्यालय के अवस्थान (लोकेशन) के अनुसार] को भेज दें। जहाँ तक संभव हो, सभी शाखाओं / कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए किसी अवधि का पूरा डेटा एक लॉट में प्रस्तुत किया जाय। यदि सभी कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त करने में कोई वास्तविक कठिनाई हो तो अधिक से अधिक दो लॉटों में भेजें; पहली लॉट में ऋण व जमा संबंधी बड़ी शाखाओं सहित 80 प्रतिशत शाखाओं के आंकड़ें हों और बैंक की शेष सारी शाखाओं को समेटते हुए एक महीने के भीतर दूसरी लॉट भेजें।

आंकड़े भेजते वक्त बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :-

1. आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) का प्रयोग करें या बेहतर हो यदि ऊपर बताए गए टेबल में संबंधित सांविकसेवि कार्यालय को ई मेल से भेजा जाए
2. आंकड़ों को ए एस सी आइ आइ मोड में कॉपी किया जाय
3. आंकड़े प्रस्तुत करने के पहले मूसांवि-1क, मूसांवि - 1ख और मूसांवि -2 विवरणियों के रिकॉर्ड खाके (ले आउट) की जाँच कर लें।
4. सीडी डॉस/ विंडोज़ फॉर्मेट में हो, यूनिक्स प्रारूप (फार्मेट) में नहीं। यदि आँकड़े कंप्रेस्ड फॉर्म में कॉपी किए जाएं, तो सॉफ्टवेयर के नाम का भी उल्लेख हो।
5. माध्यम जहाँ तक हो सके नया हो, ताकि आइ/ओ (इनपुट/आउटपुट) त्रुटि से बचा जा सके।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने से पहले एक/दो प्रणालियों (सिस्टम्स) पर कॉपी करके माध्यम की पठनीयता जाँच लें।
7. यदि कुछ शाखाओं के संशोधित आंकड़े फिर से प्रस्तुत किये जाने हों, तो उसे अलग फाइल में प्रस्तुत किया जाय तथा उसे अन्य शाखाओं के आंकड़ों में शामिल न किया जाय। आंकड़े भेजते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि ऊपर बताए गए ब्यौरों के अलावा प्रत्येक माध्यम (मिडिया) के भौतिक लेबल पर निम्नलिखित विवरण हों जो कि अग्रेषण पत्र (फॉरवार्डिंग लेटर) में दिये जाएं:

1. बैंक का नाम
2. माध्यम की भौतिक पहचान (क्रम सं.) :
3. रिकार्डिंग विधि (मोड) : ए एससी आइ आइ (आस्की)
4. आंकड़ों की अवधि :
5. आंकड़ों का प्रकार (मू.सां.वि.-1क/1ख/2) :
6. लॉट संख्या :
7. लॉट में सम्मिलित शाखाओं की संख्या :

बहुगुण (मल्टीपल) फाइलों के मामले में प्रत्येक फाइल में मद संख्या 5 से 7 अलग से दें।

कोई और स्पष्टीकरण निदेशक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 से प्राप्त किया जा सकता है।

II. मूसांवि -1 विवरणी भरने हेतु मार्गदर्शन / अनुदेश

विवरणी के दो भाग हैं भाग क (मू.सां.वि.-1) और भाग ख (मू.सां.वि.-1 ख) यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शाखा के लिए विवरणी के दोंनों भाग एक साथ भेजे जा रहे हैं। यदि भाग क अथवा भाग ख यह दोनों में कोई अंक दर्ज करने को न हो तो शाखा को 'शून्य (निल)' ऋण वाले शाखाओं की सूचि में शामिल किया जाए।

2. संदर्भ तारीख: सर्वेक्षण की संदर्भ तारीख हर साल की 31 मार्च है। विवरणी जिस वर्ष से संबंधित है, उसका उल्लेख सभी पृष्ठों पर उचित स्थान पर करें।

3. नाम और पता: बैंक का नाम तथा कार्यालय/शाखा का नाम व पता प्रत्येक पृष्ठ इसके लिए दिये गये स्थान पर साफ-साफ दर्ज करें। ई-मेल से आंकड़े भेजते समय मू.सां.वि. अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग और बैंक का नाम कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर के साथ स्पष्ट बता दिया जाए।

4. एक समान शाखा कूट संख्या (यूनिफ़ॉर्म ब्रांच कोड): विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ पर दिए गए स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविकंसेवि द्वारा दिया समान शाखा कूट संख्या लिखें। वर्तमान में शाखा कूट दो भागों का है, यथा भाग I और भाग II, जिसमें प्रत्येक भाग में सात अंक हैं। विवरणी के सारे पृष्ठों पर भाग I और भाग II कोड देना शाखा/ कार्यालय के लिए आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त एक समान कूट संख्या (भाग I और भाग II) वाले रबड़ स्टैंप का उपयोग शाखा / कार्यालय करें। कृपया नोट करें कि शाखा को दी गयी किसी अन्य कूट संख्या यहाँ दर्ज न कियां जाए। यह सुनिश्चित करें कि मू.सां.वि.-1क और मूं.सा.वि. 1ख की सभी पृष्ठों पर सही शाखा कूट दिया हो। डेटा जमा करने से पहले पार्ट 1 कोड की उचितपन जाँच ली जाए।

5. उपरिलेखन(ओवर राइटिंग): यदि कोई कूट/अंक अपठनीय हैं या उपरिलेखन हुआ हो तो उसे काट कर स्पष्ट रूप से फिर से लिखा जाय।

6. अंकों की पठनीयता: विवरणी की मूल प्रति प्रधान/आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय हेड/ जोनल/ रिजनल ऑफ़िस को भेजी जाय। यदि अनुलिपी भेजनी जरूरी हो जाय, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी अंक व शब्द स्पष्ट हैं और विवरणी का कोई भी हिस्सा छूटा या कटा-फटा नहीं है। मूल प्रति का उपयोग डेटा एंट्रि के लिए किया जाए।

7. विशेष चिह्न जैसे स्ट्रोक (/), कोलन (:), बराबर का चिह्न (=), दशमलव बिंदु (.), अल्पविराम (,) प्रतिशत चिह्न (%), रुपये का चिह्न (रु. या/-) आदि किसी भी कॉलम में दर्ज न किया जाय। शून्य (कुछ नहीं) को डैश (-) द्वारा दिखाएं। दशमलव बिंदु (.) केवल ब्याज दर (मू.सां.वि.-1क का खाना (स्तंभ)12) के मामले में आएगा।

8. दो अल्प विराम या खड़े स्ट्रोक द्वारा दर्शाया गया डिट्टो चिह्न कभी-कभी 11 अंक की तरह लगता है। इसलिए ऐसे मामलों में सावधानी बरतते हुए या अंक को दोबारा लिख दें या डिट्टो को ''-वही-'' शब्द द्वारा दर्शाएं।

9. एक स्तंभ में एक ही कोड दर्ज किया जाय। हरेक खाते के लिए सावधानीपूर्वक सबसे उचित कूट डाला जाय।

III. मू.सां.वि. -1- भाग क (मू.सां.वि -1 क)

1. प्रारूप: विवरणी को इस पुस्तिका में दिए गए संशोधित प्रारूप (फार्मेट) में ही तैयार किया जाय। यदि कोई विचलन हो जाय, तो प्रस्तुत करने से पहले आंकड़ों को निर्धारित फार्म में फिर से कॉपी करें।

2. पृष्ठ संख्या: विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या दी जाय। यदि विवरणी एक से अधिक पृष्ठों की हो तो लगातार क्रमिक संख्या दी जाय। अलग पृष्ठ दर्शाने के लिए अंकों में अक्षर जोड़ने जैसे 12 क, 12 ख आदि का सहारा न लें। प्रत्येक पृष्ठ पर उस पृष्ठ की संख्या के साथ-साथ विवरणी के पृष्ठों की कुल संख्या भी हो, उदाहरणार्थ, 15 पृष्ठों की विवरणी में इस प्रकार नम्बर डालें यथा 1/15, 2/15, 3/15...., 14/5, 15/15 पृष्ठ संख्या 1/15 और 2/15 से यह पता चलता है कि 15 पृष्ठों वाली विवरणी के ये प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठ हैं। इसी तरह, पृष्ठ संख्या 15/15 यह दर्शाता है कि यह 15 पृष्ठों की विवरणी का अंतिम पृष्ठ है। एक पृष्ठ की विवरणी को 1/1 के रूप में अंकित करें।

3. क्रम संख्या (स्तंभ एस): प्रत्येक पृष्ठ की हरेक प्रविष्टि को पृष्ठवार क्रमिक संख्या दी जाय।

4. पार्टी का नाम (स्तंभ 1): पार्टी के नाम के बारे में सूचना बैंक विवरणी में खाना (कॉलम) 1 में दे सकते हैं। यह स्तंभ रिपोर्टिंग शाखाओं के लिए है, रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए नहीं। विवरणी से या सॉफ्ट फॉर्म से प्राप्त आंकड़े में पार्टी का नाम नहीं रिकॉर्ड किया जाता। प्रत्येक खाते के सामने पार्टी का नाम डाल देने से, इसे दिये गए विभिन्न कूटों की जाँच हो जाती है। चूंकि चुंबकीय माध्यमों पर आंकड़ा भेजने वाले कई बैंक पिछले सर्वेक्षण से संबंधित मुद्रण पूर्व (प्री.-प्रिंटेड) कंप्यूटर आउटपुट अपनी शाखाओं / कार्यालयों को अद्यतन (अपडेटिंग) करने के लिए भेजते हैं, अपने आउटपुट में पार्टी का नाम रखना लाभप्रद होता है ताकि बैंक कार्यालयों द्वारा रिकॉर्ड्स से सूचनाओं की रिपोर्टिंग में सहूलियत हो।

5. खाता संख्या (स्तंभ 2): शाखा द्वारा दी जाने वाली खाता संख्या का उपयोग किसी पूछताछ (क्विअरी) के मामले में खाते के संदर्भ में किया जा सकता है। यह कॉलम रिपोर्टिंग शाकाओं के लिए है रिज़र्व बेंक के उपयोग के लिए नहीं। रिटर्न से या सॉफ्ट फॉर्म से प्राप्त डेटा में इस कॉलम को नहीं रिकॉर्ड किया जाता।

6. ऋण का उपयोग: ऋण की उपयोगिता के स्थान संबंधी सूचना दो शीर्षों में इकट्ठी की जाती है, जिला एवं जन-संख्या समूह

(क) **जिला (स्तंभ 3):** जिला कूट यह बताता है कि किस जिले में वास्तविक ऋण उधार लेने वाले द्वारा उपयोग में लाई गई है या लाई जाएगी। विभिन्न जिलों को दी गयी कूट संख्या सूची 'क' में है।

(ख) **जनसंख्या समूह (स्तंभ 4):** यह कूट ऋण की उपयोगिता के स्थान की जन संख्या समूह की स्थिति दर्शाता है। संबंधित कूट सूची 'ख' में दी गयी है।

इन स्तंभों में दी गयी जानकारी राज्य और जिला/जनसंख्या समूह-वार ऋण के वितरण का पता लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। किसी शाखा/कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया ऋण हमेशा उसी जिला/जनसंख्या समूह और राज्य में उपयोग में नहीं लाया जाता जिसमें वह शाखा कार्यालय स्थित है। कई प्रमुख शहरी एवं महानगरीय शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण कहीं और काम में लगाया जाता है। उस जिले एवं जनसंख्या समूह के कूट, जिसमें उधारकर्ता द्वारा कर्ज का इस्तेमाल होता है, क्रमश: स्तंभ 3 और 4 में दर्ज किये जाएं। उदाहरण के लिए मुंबई में स्थित किसी कंपनी के प्रधान कार्यालय को पेण (महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला स्थित इसकी फैक्टरी के लिए अग्रिम मंजूर किया जाता है तो रायगढ़ का उचित जिला कूट अर्थात 603 स्तंभ (कालम) 3 में दर्शाया जाए और चूँकि पेण की जनसंख्या 10,000 और लाख के बीच है, इसलिए अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए उचित जनसंख्या समूह कूट 2 को स्तंभ संख्या 4 में दिखाया जाय। यह सुनिश्चित किया जाए की एक खाते के लिए केवल एक जिला कूट एवं तत्संबंधी जनसंख्या समूह कूट दिया जा रहा हो।

जिस जिले व जनसंख्या समूह, जहाँ कोई अग्रिम उपयोग में लाया जा रहा है, उसे दिखाना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ, किसी सरकारी निगम (जैसे भारतीय खाद्य निगम) या सांविधिक निकाय (जैसे विद्युत बोर्ड) या निजी स्वामित्व वाली किसी कंपनी को दिया गया, अग्रिम जिनका कामकाज एक जिला, जनसंख्या समूह या राज्य में सीमित नहीं है। ऐसे मामलों में जहाँ उस अग्रिम का बड़ा हिस्सा उपयोग में लाया जा रहा है, उस जिला और जनसंख्या समूह के कूट दिये जाएं। यदि इन पहलुओं का पता लगाना मुश्किल हो तो उस जगह की सूचना दी जाय जहाँ शाखा स्थित है। तथापि, यथासंभव, ऋण के वास्तविक उपयोग के जिले व जनसंख्या समूह का पता लगाने की कोशिश की जाय।

7. खाते का प्रकार (स्तंभ 5): विभिन्न प्रकार के खातों को प्रदत्त कूट संख्याएं सूची 'ग' में हैं। किसी भी शाखा/कार्यालय की बहियों के सभी खातों को इनमें से किसी न किसी प्रकार में वर्गीकृत किया जाय। इन उधार खातों की प्रत्येक किस्म अर्थात नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण आदि से संबंधित कूट संख्या को स्तंभ संख्या 5 में दर्ज किया जाय। यदि किसी पार्टी को विभिन्न खातों के तहत उधार की सुविधाएं दी गयी हों तो प्रत्येक खाते की अलग सूची हो। ऐसे खातों को एक में न मिलाया जाय।

सीसी, ओडी, डीएल, टीएल जैसे संक्षेपाक्षरों का उपयोग न करें एवं विवरणी में उचित कूट ही लिखें। खातों की सूची बनाने में कोई भी क्रम अपनाया जा सकता है, जैसे खाता वार, लेजर वार या ख़ाते के प्रकार के अनुसार, जैसी बैंक को सुविधा हो। जहाँ खाते की किस्म के हिसाब से खाता बही रखे जाते हैं (अर्थात नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट के लिए अलग लेजर), वहाँ एक खाता-बही में सभी प्रकार के खातों की सूची पूरी कर लेने के बात दूसरे प्रकार के खाते से संबंधित दूसरा खाता-बही में प्रारंभ किया जाए जैसे ओवरड्राफ्ट खातों को प्रारंभ करने से पहले सभी ऋण खातों की सूची बनायी जा सकती है। जहाँ उधारकर्ताओं की प्रकृति के अनुसार लेजर रखे जाते हैं। (जैसे लघु उद्योग, कृषि आदि), वहाँ सूची बनाने में यह क्रम अपनाया जा सकता हैं। तथापि प्रत्येक खाते के लिए, सूची 'सी' से उचित कूट देने में सावधानी बरती जाए और सभी ख़ाते या तो मू.सां.वि.-1क में (अलग-अलग) या मू.सां.वि.-1ख (समेकित रूप में) प्रत्येक शाखा के लिए शामिल किए जाएं।

क्रेडिट कार्डों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है:

1. **व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड** : ये क्रडिट कार्ड निजी इस्तेमाल के लिए व्यक्तियों को दिए जाते हैं। व्यवसाय के रूप में निजी ऋण (95008 या 95018) का उपयोग किया जाए।

2. **सामान्य (जनरल) क्रेडिट कार्ड**: ये सामान्य उद्देश्य के व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड हैं जो सामान्य (जनरल) क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की स्कीम के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, जिसके लिए उधारकर्ता का व्यवसाय निजी ऋण दिया जाए।

3. **किसान क्रेडिट कार्ड :** इन कार्डों का व्यवसाय कृषि और संबंधित कार्यकलाप होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए कार्ड जारी/उपयोग किया गया हो उसके आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उत्पादन व निवेश में बाँटा गया है।

4. **अन्य क्रेडिट कार्ड :** अन्य क्रेडिट कार्डों में व्यक्तिगत, जीसीसी और केसीसी को छोड़कर दूसरे ख़ास उद्देश्यों के लिए दिए गए कार्ड शामिल हैं जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, स्मॉल बिज़नेस क्रेडिट कार्ड और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड इत्यादि। कॉर्पोरेट/ बिज़नेस/ व्यक्तिगत उधारकर्ता के वास्तविक व्यवसाय के आधार पर व्यवसाय का वर्गीकरण किया जाए और इसे व्यक्तिगत ऋण की श्रेणी में रखा जाए।

मीयादी ऋणों के अंतर्गत दर्शाये गये ऋणों और अग्रिमों का विभाजन इस प्रकार है:-

1. मध्यावधि ऋण अर्थात् 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किये ऋण और अग्रिम

2. दीर्घावधि ऋण अर्थात् 3 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर किये गये ऋण और अग्रिम।

इन ऋणों में (ए) वैसे ऋण हैं जिनकी चुकौती की एक निर्धारित अवधि हो और विवरणी की तारीख को पूर्णत: या अंशत: बकाया हो; (बी) औपचारिक मीयादी ऋण मंजूर होने तक अंतरिम नकदी ऋण, और (सी) किस्तवार ऋण जहाँ वर्गीकरण मानदण्ड के आधार पर चुकौती को एक वर्ष से अधिक की अवधि में बाँट दिया जाता है। तथापि कम समय के उद्देश्यों के लिए (जैसे गन्ने की खेती) मंजूर किए गए कुछ कृषि ऋण हो सकते हैं, जहाँ अवधि एक वर्ष से अधिक की हो, पर ऐसे ऋणों को मीयादी ऋण में शामिल न किया जाए। फिर भी, उदाहरणार्थ, यदि मांग वचन-पत्र को किसी मीयादी ऋण के लिए जमानत के रूप में लिया जाता है, जहाँ ऋण की चुकौती का समय एक वर्ष से अधिक हो जाय, तो खाता मीयादी ऋण के रूप में दिखाया जाय, मांग ऋण के रूप में नहीं।

किसी भी प्रकार की सुविधा के यथा नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग ऋणों के तहत लदाई के पहले की वित्तीय मदद (प्रि-शिपमेंट फ़ाइनैंस)को पैकिंग ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के देशी बिलों को (व्यापार या अन्य) एक ही प्रकार के खाता कूट दिये जाएं। दूसरी पार्टी के बिलों की पुनर्भुनाई के

जरिये दिये गये अग्रिम को सही व्यवसाय वर्ग के साथ 'भुनाये गये बिल' (बिल्स डिसकाउन्टेड) के रूप में दर्ज किया जाय।

8. संगठन का प्रकार (स्तंभ 6) : उधारकर्ता के संगठन की किस्म/प्रकार से संबंधित कूट संख्या इस खाने में दर्ज की जाय। विभिन्न प्रकार के संगठनों को आबंटित कूट संख्याएं सूची 'डी' में हैं। संगठन उदार लेने वाली इकाई के स्वामित्व पर आधारित है। *अनिवासी संगठन (कूट 81) को छोड़कर. अन्य सभी संगठन निवासी के वर्ग में ही हैं।* सूची स्वयं प्रत्येक वर्ग के संगठन संबंधी एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है। कुछ और स्पष्टीकरण नीचे दिये गये हैः-

देश में कार्य कलापों की संगठनात्मक बनावट को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

ए) सामान्य सरकार के अंतर्गत सरकारी विभाग, कार्यालय तथा केंद्र,राज्य/ संघ क्षेत्र व स्थानीय प्राधिकार के कार्यालय व अन्य ईकाइयां हैं जिनका कार्य आवश्यक रूप से बेचना न होकर समुदाय के लिए उन सभी सेवाओं की व्यवस्था करना है जो सामान्यत: आसानी से और कम ख़र्च पर उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह देश की आर्थिक व सामाजिक नीति की प्रशासकीय एजेंसी के रूप में कार्य करे। प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्य-कलाप निम्नलिखित से संबंधित हैं: कर की उगाही एवं ऋण चुकाने जैसे राजकोषीय कार्य; पुलिस, जेल, विदेशी मामले, आपूर्ति एवं निपटान जैसी सामान्य प्रशासकीय सेवाएं; सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा और आवास; कृषि, उद्योग, परिवहन एवं निर्माण जैसी आर्थिक सेवाएं।

बी) विभागीय उद्यम जिन्हें विभागीय वाणिज्यिक उद्यम (डीसीयू) भी कहा जाता है, वैसे अनिगमित उद्यम हैं जो लोक प्राधिकारियों के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या उनके द्वारा चलाए जाते हैं। अपने वर्किंग बैलेंस तथा बिजनेस अकाउंट्स पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स को छोड़कर सामान्यत: इन उद्यमों के पास कोई वित्तीय आस्तियां या देयताएं नहीं होती। जो वस्तु या सेवा ये मुहैया कराते हैं, उसके लिए ये (डीसीयू) वाणिज्यिक आधार पर कीमत लेते हैं। सरकार के निम्नलिखित कार्य विभागीय वाणिज्यिक उद्यम में आते हैं :

(i) रेलवे
(ii) संचार
(iii) सींचाई
(iv) सड़क व जल परिवहन
(v) जंगल
(vi) सिनकोना वृक्षारोपण
(vii) दुध की आपूर्ति
(viii) मुद्रण प्रेस
(ix) बिजली
(x) सिक्युरिटि प्रेस
(xi) छापाखाना (मिंट्स)
(xii) मुद्रा और सिक्के
(xiii) रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण
(xiv) आयुध कारखाने
(xv) नागरिक वैमानिकी
(xvi) विनिर्माण

सी) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनियों को उन कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत अकेले केंद्र या राज्य सरकार के पास अथवा संयुक्त रूप से हो।

डी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में होनेवाले सांविधिक निगम तथा साथ ही साथ ऐसी कंपनियां जो सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियों हैं, उन्हें भी सरकारी कंपनियां माना जायेगा।

ई) अविभागीय उद्यम जिन्हें अविभागीय वाणिज्यिक उद्यम (एनडीसीयू) भी कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित आते हें:(i) सरकारी कंपनियां और सरकारी कंपनियों की अनुषंगी कंपनियां और (ii) संसद या राज्य विधान सभा के विशेष अधिनियमन (इनेक्टमेंट) के तहत सेट अप किए गए सांविधिक निगम (जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी), डिविसि, एफ़सीआइ, आइएएआइ, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, बिजली बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम आदि) एनडीसीयू इस मायने में डीसीयू से अलग हैं कि वे अपने कारोबार में लगने वाली वित्तीय आस्तियां, देयताएं और मूर्त परिसंपत्ति (टैंजिबल एसेट्स) भी होल्ड करते और मैनेज करते हैं। इन उद्यमों के अलग निदेशक बोर्ड होते हैं और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ये प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शिट प्रस्तुत करते हैं। इन्हें दो वर्गों में बाँटा गया है: (i) वित्तीय उद्यम (ii) गैर-वित्तीय उद्यम। वित्तीय उद्यम में (i) राष्ट्रीयकृत बैंक (ii) फ़ाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (iii) एलआइसी, जीआइसी एवं इसकी सहायक कंपनियां (सबसिडियरीज़) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी)। केंद्र, राज्य, संघ क्षेत्र की सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों के अन्य सभी उपक्रम/ उद्यम जो कृषि, वानिकी और बोटा बनाना, मत्स्य, माइनिंग, विनिर्माण, बिजली और गैंस, सड़क, वायु और जल परिवहन जिसमें पोर्ट ट्रस्ट भी हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, व्यापार, होटल व रेस्टॉरेंट व अन्य सेवा उद्योंग समूहों में हैं वे गैर-वित्तीय उद्यम में आते हैं।

एफ़) सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को संगठन कूट 21 से 24 दिया जाए भले ही उस सहकारी संस्था को सरकारी निकाय ने स्पॉन्सर किया हो। सहकारी संस्थाओं को वित्तीय और गैर-वित्तीय समूहों में बाँटा गया है। पैक्स, एफ़एसएस और लैंप्स के लिए ऋण का अंतिम उपयोग, यदि उपलब्ध हो तो दिया जाए और रिकॉर्ड किया जाए उदाहरण के लिए कृषि आदि। अन्यथा, व्यवसाय कूट वित्तीय मध्यस्थता, 65901,65902 दिखलाया जाए। दूसरे वित्तीय सहकारी क्षेत्र का व्यवसाय वित्तीय मध्यस्थता से संबंधित समुचित कूट होगा। संगठन कूट 24, गैर-वित्तीय सहकारी क्षेत्र में सहकारी विपणन अन्य संघ, सहकारी गृहनिर्माण समितियां, सहकारी खुदरा भंडार आदि दर्ज किये जायेंगे। सहकारी (कृषि, अभिसंस्करण, विपणन, व्यापार, गृहनिर्माण, आदि) के कार्यकलापों से संबद्ध व्यवसाय कूट स्तंभ 7 में दर्ज किया जाए।

(जी) निगम एक विधिक (लीगल) इकाई है जो बाज़ार के लिए वस्तुएं या सेवाएं बनाने के लिए बनी है। एक निगम, उसके मालिक के लिए लाभ तथा अन्य वित्तीय लाभ का स्त्रोत हो सकता है। सार्वजनिक एवं

निजी कंपनियों को निजी कंपनी क्षेत्र, वित्तीय और गैर-वित्तीय निगम (कूट 31 व 32) में वर्गीकृत किया जाए।

(एच) संयुक्त क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के) को (1) स्वामित्व (2) प्रबंधन के आधार पर, यदि स्वामित्व 50:50 का हो तो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(आ्य) *घर/परिवार (हाउसहोल्ड) में एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं :-* पूरे घर/परिवार की ओर से कोई एक व्यक्ति आस्तियां धारण कर सकता है या देयताएं ग्रहण कर सकता है और घर के एक-एक सदस्य के हितार्थ सभी की कमाई इकट्ठी की जा सकती है। खर्च संबंधी कई निर्णय विशेषत: उपभोग एवं आवास संबंधी, भी पूरे घर के लिए सामूहिक तौर पर लिए जा सकते हैं।

(जे) हाउसहोल्ड (घर/परिवार) क्षेत्र में व्यक्ति एवं अन्य इकाइयां जैसे सांझेदारियाँ, स्वामित्व प्रतिष्ठान (प्रोप्राइटरी कन्सर्न), संयुक्त परिवार (एच यू एफ़ / हिंदू अविभक्त परिवार), संयुक्त देयता समूह, (जे एल जे), स्वयं, सहायता समूह (एस एच जी), एन जी ओ, संघ (एसोशियसन), क्लब, ट्रस्ट और दूसरे ग्रुप आदि आते हैं। व्यक्ति या तो अंतिम (फाइनल) उपभोग के लिए अथवा उत्पादन / निर्माण की आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर की अन्य इकाइयां उत्पादन के लिए आर्थिक कार्य से संबंधित होनी चाहिए।

(के) एक या अधिक व्यक्तियों को एकल या संयुक्त रूप में दिये गए ऋण को एकमात्र / प्रथम खाताधारक के स्त्री / पुरुष होने के आधार पर कूट नंबर 41 (व्यक्ति - पुरुष) या 42 (व्यक्ति - महिला) दिया जाए।

(एल) सूक्ष्म वित्तसंस्थाओं (एम एफ़ आइ) को उनके लिंकेज़ के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। ऋण के अंतिम उपयोग (स्वयंसहायता समूह (एस एच जी) का वास्तविक कार्य) का यदि वास्तविक व्यवसाय / कार्यकलाप (एक्टिविटि) कूट उपलब्ध हो, तो दिया ज़ाए और रिकार्ड किया जाए जैसे कृषि, विनिर्माण, व्यापार आदि। अन्यथा एस एच जी / एम एफ़ आइ के सामान्य / विविध / अनिर्दिष्ट कार्यकलाप के रुप में व्यवसाय कूट दिया जाए अर्थात् कूट 67201। एस एच जी को आगे महिला - एस एच जी और अन्य एस एच जी में बांटा गया है।

(एम) *गैर लाभार्जन संस्थाएं (नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस) (एन पी आइ) विधिक या सामाजिक इकाइयां हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए बनी हैं, जिनकी यथास्थिति उन्हें नियंत्रित या वित्त देने वाली इकाइयों के लिए आय, लाभ या अन्य वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं देती।*

(एन) निजी रूप से वित्तपोषित (फंडेड) अर्ध कंपनी संस्थाओं एवं व्यवसाय की सेवा करने वाली गैर लाभार्जन संस्थाओं को निजी कंपनी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाए। इनमें चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, कृषि / विनिर्माण / व्यापार संघ, कर्मचारियों के संगठन, अनुसंधान व परीक्षण प्रयोगशालाएं या अन्य संगठन या संस्थान जो ऐसे कार्य कर रही हैं, जिससे एक दूसरे का अथवा उन्हें नियंत्रित व वित्त देने वाले व्यवसाय समूह का

हित या लाभ होता हो। जिस एन पी आइ को सरकार नियंत्रित या वित्त देती है, उन्हें सामान्य सरकारी क्षेत्र में रखा गया है।

(ओ) हाउस होल्ड की सेवा करने वाली गैर-लाभार्जन संस्थाएं (गैरसरकारी) (एन पी आइ एस एच) क्षेत्र में गैर लाभार्जन संस्थाओं का एक उपसमूह आता है। एन पी आइ एस एच मुख्यत: परिवारों / घरों (हाउसहोल्ड) या पूरे समूदाय को नि:शुल्क अथवा आर्थिक रूप से नगण्य मूल्य पर वस्तुएं या सेवाएं देती है (अत: अ-बाजारीय उत्पादक में वर्गीकृत होते हैं), सिवाय उनके जो मुख्यत: सरकारी इकाइयों द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित होती हैं। इन्हें फ़ाइनैंस मुख्यता मेंबरों के योगदान, चंदा या उनकी संपदा या वित्तीय आस्तियों (वास्तविक/वित्तीय आस्तियां) से होने वाली कमाई से मिलता है। इसमें मुख्यत: संघ (एसोसिएशन) जैसे ट्रेड यूनियन; पेशेवर या विद्वान समितियां; ग्राहक संघ, राजनैतिक पार्टियां; धार्मिक समितियां; सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक व स्पोर्ट्स क्लब और संगठन जो अपने को नियंत्रित करने वाली इकाइयों के लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए वस्तुएं व सेवाओंका प्रबंध कराती हैं।

(पी) कोई संस्थागत इकाई एक निवासी इकाई तब कही जाएगी जब इसके आर्थिक हित का केंद्र संबंधित देश की आर्थिक सीमा में हो। किसी देश की आर्थिक सीमा सरकार द्वारा शासित वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति, वस्तु और पूंजी की परिचालन में कोई बाधा न हो। जरूरी नहीं कि देश की आर्थिक सीमाएं हमेशा भौतिक या राजनैतिक सीमाओं पर ही आधारित हो, वैसे इनमें काफ़ी हद तक साम्य होता है। किसी देश में संस्थागत इकाई का आर्थिक केंद्र तब होगा जब उस देश की आर्थिक सीमा के भीतर कोई अवस्थान (लोकेशन) - निवास, उत्पादन का स्थान या अन्य परिसर - हो जिससे वह एक महत्त्वपूर्ण सीमा तक आर्थिक कार्यकलाप करता है और कार्यकलाप जारी रखने वाला है। यदि आर्थिक क्षेत्र में है तो आवश्यक नहीं कि अवस्थान स्थिर हो।

संगठन कूट में 2 अंक होते है। संगठन कूटों की यथार्थता इकाई के गठन के संदर्भ में जाँची जानी चाहिए।

9. **कार्यकलाप / व्यवसाय (स्तंभ 7) :** इस स्तंभ में दी जानकारी से यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितना ऋण गया है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या कार्यकलापों का पांच (5) अंकीय कूट सूची 'ई' में है।

इस स्तंभ में प्रत्येक खाते के लिए उधार लेने वाले के व्यवसाय या कार्यकलाप के अनुसार, समुचित कूट संख्या दी जानी चाहिए। ऋणों के लिए, सिवाय निजी ऋण के, उधार लेनेवाले का व्यवसाय / कार्यकलाप महत्त्वपूर्ण है। व्यवसाय का निर्धारण इस बात से हो कि ऋण में क्या जुड़ा अर्थात वैल्यू एडिशन क्या हुआ। दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत ऋणों का वर्गीकरण इस पर निर्भर होगा कि ऋण किस उद्देश्य के लिए मंजूर किया गया, उधारकर्ता की गतिविधि चाहे जो हो। उदाहरण के लिए, यदि रेफ्रिजरेशन यूनिट डॉक्टर अपने क्लीनिक के लिए, दुकानदार अपनी दुकान के लिए किसान अपनी खराब हो सकनेवाले चीजों को रखने के लिए खरीदे तो व्यवसाय कूट क्रमश: 'मेडिकल

सर्विस', 'खुदरा व्यापार', 'कृषि' होगा। यदि वही लोग रेफ्रिजरेटर अपनी व्यक्तिगत हैसियत में निजी उपयोग के लिए खरीदें तो व्यवसाय कूट, 'व्यक्तिगत ऋण - उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं' होगा।

अधिकांश उदाहरणों में, उधारकर्ता के व्यवसाय / कार्यकलाप के आधार पर, व्यवसाय कूट निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत ऋण जैसे कि आवास ऋण, शैक्षिक ऋण के बारे अधिकांश उदाहरणों में, उधारकर्ता के व्यवसाय / कार्यकलाप के आधार पर व्यवसाय कूट निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत ऋण जैसे कि आवास ऋण, शैक्षिक ऋण के बारे में उधारकर्ता के कार्यकलाप अपने आप व्यवसाय कूट नहीं निर्धारित कर सकता। जैसे कि आवास ऋण (कूट 95001, 95011), वाहन ऋण (कूट 95002, 95012), उपभोक्ता ऋण (कूट 95003, 95013) शैक्षिक ऋण (कूट 95004, 95014) आदि ऋणों के बारे में उधारकर्ता के कार्यकलाप के आधार पर, व्यवसाय कूट निर्धारित करना उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत ऋणों के लिए, ऋण जिस उद्देश से दिया गया है (जैसे कि शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता), वह उचित व्यवसाय कूट के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी हो सकता है।

एक से अधिक व्यवसाय कूट, किसी एक खाते के सामने दर्ज नहीं कर सकते। अगर उधारकर्ता एक से अधिक कार्यकलाप में व्यस्त है और बैंकने अलग कार्यकलाप के लिए अलग अलग ऋण सीमा तथा उप सीमा मंजूर की होगी तो दर्ज किये गये हर कार्यकलाप के लिए ऋण सीमा तथा बकाया राशि अलग अलग दिया जाये। जैसे कि अगर सूती वस्त्र तथा रसायनों के विनिर्माण करनेवाली कंपनी को बैंकने ऋण सीमा निर्धारित की है तो दोनों इकाइयों को अलग अलग ऋण सीमा और बकाया राशि दर्ज करनी चाहिए अगर अलग अलग ऋण सीमा मंजूर की है। लेकिन अगर अलग अलग सीमा नहीं मंजूर की हो तो, उधारकर्ता का मुख्य कार्यकलापही वर्गीकरण का आधार होना चाहिए। ऐसे मामले में टिप्पणीयों के स्तंभ में योग्य स्पष्टीकरण देना जरूरी है।

पैक्स (पी एसी एस), एफ़ एस एस और लैंप्स (एल ए एम पी एस) के लिए, ऋण के अंतिम उपयोग के बारे में जानकारी यदि उपलब्ध हो तो उसका व्यवसाय कूट दिया जाए और रिकॉर्ड किया जाए, जैसे, कृषि, फ़ार्मिंग, खेती, संसाधन, विपणन, व्यापार आदि। अन्यथा व्यवसाय वित्तीय मध्यस्थता दिखलाया जाए, 65901, 65902 आदि।

ऋण के अंतिम उपयोग की जानकारी (स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) का निर्दिष्ट कार्यकलाप) यदि उपलब्ध हो तो दिया जाए और रिकॉर्ड किया जाए, जैसे, कृषि, विनिर्माण, व्यापार आदि। अन्यथा एस एच जी / एम एफ़ आइ के सामान्य / विविध / अनिर्दिष्ट कार्यकलाप के रुप में व्यवसाय दर्शाया जाए, कूट 67201।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए गए ऋण कृषि को आगे दिए जानेवाले ऋणों (ऑनलेंडिंग) और संबंधित कार्यकलापों व अन्य उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत किए जाने चाहिए।

गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ़ सी) को दिए गए ऋणों का वर्गीकरण कृषि व संबंधित कार्यकलाप, छोटे व सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शिक्षा के कार्यो तथा अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए आगे दिए-जाने वाले ऋण (ऑन - लेंडिंग) के आधार पर किया जाए।

कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त में निम्नलिखित शामिल है।

(ए) भंडारण और बाजार का अहाता- कृषिउपज/उत्पादों के भंडारण के लिए भंडारण सुविधाएं (वेयर हाउस, गोदाम, खन्ती, (सइलो), मार्केट यार्ड और शीत गृह) बनाने और चलाने के लिए ऋण (कूट 01181)

(ब) कृषि क्लिनिक व कृषि व्यवसाय केंद्र सेट अप करना, ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनों के डीलर, एकल किसानों/स्वयं सहायता समूहों (एस एचजी)/जेएलजी को कृषि व संबंधित कायों के लिए एनसीडीसी/एनजीओ/एमएफ़आई को लोन, किसानों के कृषि उत्पाद की विपणन के लिए अथवा इनपुट प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति / संगठन को वित्त (कूट 01182)

(सी) बायोटेक्नॉलजी, कृषि कस्टम सेवा इकाइयां, पंपसेटों को बिजली के लिए बिजली बोर्ड, उर्वरकों व कीटनाशकों का वितरण थोक व खुदरा बिक्री, बीजों का वितरण थोक व खुदरा बिक्री, कृषि मशीनरी और उपकरण थोक व खुदरा बिक्री पैक्स (पीएसीएस), एफएसएस, और लैंप्स (एलएएमपीएस), सहकारी विपणन समितियां और उत्पादकों की सहकारिताएं, कृषि व संबंधित कार्यो के लिए आगे ऋण देने (ऑन लेंडिंग) के लिए आरआरबी, कृषि व संबंधित कार्यो के लिए आगे ऋण देने (ऑन-लेंडिंग) के लिए एनबीएफ़सी, खादय और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयां (केवल एमएसएमई)

(सी) में दिए गए अलग-अलग आइटमों को अलग-अलग व्यवसाय कूट दिए जाएं जो सूचि ई में दिए गए हैं, परंतु (बी) वाले आइटमों को व्यवसाय कूट 01182 दिया जाए। कृषि व संबंधित कार्य-कलापों के लिए अप्रत्यक्ष वित्त का हिसाब लगाने के लिए (ए), (बी) और (सी) में दिए गए सभी (व्यवसाय) कूट जोड़े जाएंगे।

छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को अप्रत्यक्ष वित्त में निम्नलिखित शामिल हैं: सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को आगे ऋण देने (ऑन लेंडिंग) के लिए एसएफ़सी, एसआइडीसी आदि को ऋण, कारीगरों, ग्राम व कुटीर उद्योगों, हथकरघों और लघु उद्योग क्षेत्र आदि को इनपुट या इनके आउटपुट (वस्तुओं) की विपणन के लिए किसी व्यक्ति को वित्त तथा जिसे 65934 के रूप में वर्गीकृत किया जाए। छोटे व सूक्ष्म उद्यम कूट 65922 को आगे ऋण देने (ऑन लेडिंग) के लिए एनबीएफ़सी को दिया गया ऋण भी लघु उद्यम क्षेत्र को दिए गए कुल अप्रत्यक्ष वित्त में शामिल होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को ऋण, घर बनाने या खरीदने के लिए ऋण देनेवाली अन्य विशेष संस्था, राज्य आवास समिती (एसएचबी) वगैरह (कूट 65935) 'आवास क्षेत्र के अप्रत्यक्ष वित्त' के तहत आते हैं। गैर बैंकिंग वित्तिय निगम (एनबीएफसी) को दिये जानेवाले आवास क्षेत्र के ऋण जैसे 'आवास वित्त कंपनी' (कूट 65923) भी 'आवास क्षेत्र के अप्रत्यक्ष वित्त' के तहत आते हैं।

निजी उपयोग के लिए घर बनाने के लिए उधारकर्ताओं को दिया ऋण निजी आवास ऋण में दिखाया जाएगा। वैसे उधार लेने वाले जिनका मुख्य कार्य निर्माण और रखरखाव है उनको दिया गया ऋण प्रभाग (डिविज़न) 45 में दर्शाया जाए। दुकान, फैक्टरियां, स्टाफ़ क्वार्टर्स, ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण उधार लेने वाले के मुख्य कार्यकलाप के आधार पर वर्गीकृत किया जाए।

निर्माता या विक्रेता को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी द्वारा की गई मरम्मत व अनुरक्षण सेवाओं को डिविज़न 93 में वर्गीकृत किया जाए। इसमें वो मरम्मत व अनुरक्षण सेवाएं हैं जो किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा फ़ीस/कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) / कृषि उपस्कर / मशीनरी आदि का अनुरक्षण यदि वही करें जिन्होंने इसे बनाया /बेचा हो तो इसे उसी वर्ग में रखा जाएगा।

10. **उधारकर्ताखाता की श्रेणी (स्तंभ 8):** उधारकर्ता खाता की श्रेणी प्रत्येक एकल खाते के सामने स्तंभ 8 में दर्शाई जाए। उधारकर्ता खाता की श्रेणी से संबंधित कूट सूची एफ में दिए गए है। यह श्रेणी उधार लेने वाली इकाई के आकार पर आधारित है। यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता कूट की सही-सही श्रेणी प्रत्येक खाते में रिपोर्ट की जाए। उधारकर्ता की श्रेणी का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों पर आधारित होना चाहिए।

11. **उधारखाते का आस्ति वर्गीकरण (स्तंभ 9):** 2,00,000 रु. से अधिक की ऋण सीमा वाले प्रत्येक खाते की आस्ति वर्गीकरण संबंधी सूचना भारतीय रिर्ज़व बैंक के बैंपविवि/बैंपवि (डीबीओडी/डीबीएस) को रिपोर्ट किए जाने हेतु उधार खाते को दिये गये आस्ति वर्गीकरण कूट के अनुसार कॉलम 9 में दी जाए। संबंधित कूट सूची जी में दिए गए हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उधार खाते के सामने सही आस्ति वर्गीकरण कूट दर्ज किया जाए। आस्ति वर्गीकरण पर चालू दिशा निर्देशों के आधार पर सभी खातों को निम्नलिखित में बांटा जाए:

मानक आस्तियां

अवमानक आस्तियां

संदिग्ध आस्तियां

घाटे की आस्तियां

इस कॉलम में रिपोर्ट करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों में किए गये परिवर्तनों का ध्यान रखा जाए।

सभी ऋण, वे भी जो अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बन चुके हैं, मूसांवि 1 विवरणी में शामिल किए जाएं। जिन आस्तियों को पूरी तरह बट्टे खाते में डाल दिया गया (राइट ऑफ कर दिया गया) हों उन्हें मूसांवि-1 विवरणी में दर्ज नही किया जाए। आंशिक रुप से बट्टे खाते में डाली गयी आस्तियों के मामले में यदि टेक्निकल राइट ऑफ़ की कोई राशि हो तो उसे बकाया कुल अग्रिम (आउट स्टैंडिंग ग्रॉस एडवांसेस) में से घटाया जाए।

12. **उधार खाते के लिए जमानती/गैर-जमानती सूचक (स्तंभ 10):** 2,00,000 रु. से अधिक की ऋण सीमा वाले प्रत्येक खाते के लिए जमानती / गैर-जमानती सूचक कॉलम 10 में दिया जाए। अंशतः जमानती ऋण के उचित वर्गीकरण लिए बड़े मानक का उपयोग किया जाए। संबंधित कूट सूची एच में दिए गए हैं।

13. **ऋण पर ब्याज दर का प्रकार (स्तंभ 11) :** 2,00,000 रु. से अधिक की ऋण सीमा के प्रत्येक खाते के लिए स्थिर / अस्थिर ब्याज दर सूचक स्तंभ 11 में दिए जाएं। संबंधित कूट सूची आइ में है।

14. **ब्याज दर (स्तंभ 12):**

(i) खाते पर लगायी गयी ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष) दशमलव में दर्ज होनी चाहिए (दो अंकों तक) न कि अंशों में और इसमें ब्याज-कर शामिल नहीं चाहिए।

(ii) यदि ब्याज मुक्त अग्रिम दिया हो, तो संबंधित खाते के सामने डैश चिह्न (-) लगाया जाए और स्तंभ (कॉलम)13 में यथोचित टिप्पणी लिखी जाए।

(iii) जहाँ अग्रिमों पर ब्याज की खंड दर लगायी जाती है वहाँ अग्रिम के सबसे बड़े भाग से संबंधित दर दर्ज की जाए। यदि दो दरें लागू की गयी हों तो बकाया राशि के बड़े भाग को लागू ब्याज दर रिपोर्ट की जाए।

(iv) बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिपोर्ट की गयी ब्याज-दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हो।

(v) देशी और विदेशी, खरीदे/भुनाये गये बिलों के मामले में, ब्याज-दर का स्तंभ भरने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस)वाले खाते के मामले में भी ब्याज-दर दर्शायी जाए।

(vii) अवमानक, संदिग्ध और घाटे की आस्तियों (सब-स्टैंडर्ड, डाउटफ़ुल एंड लॉस एसेट्स) के मामले में अंत में लागू की गई ब्याज दर दर्ज की जाए।

15. **ऋण-सीमा (स्तंभ 13) :** इस स्तंभ (खाने/कॉलम) में विवरणी की तारीख को जो ऋण सीमा लागू है उसे ऋण-सीमा माना जाये। एजेंटों/प्रबंधकों अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके अपने विवेक से अस्थायी आधार पर अल्प अवधि के लिए मंजूर की गयी कोई अतिरिक्त सीमा यदि रिपोर्ट करते समय प्रचलित हो तो उसे भी शामिल कर दिया जाए। 'आहरण सीमाएं' जो दृष्टिबंधक अथवा गिरवी रखे गये स्टाक के मूल्य तथा निर्धारित मार्जिन से जुड़ी हुई हो, तो उन्हें ऋण-सीमा के रूप में न माना जाए।

मीयादी ऋणों के संबंध में ऋण-सीमा दर्ज करते समय केवल प्रवर्तनशील सीमा दर्शाने की सावधानी बरतनी चाहिए अर्थात मंजूर सीमा से चुकायी गयी मूल धन की राशि घटाइये । उदाहरण के लिए , किसी कंपनी को कोई संयंत्र लगाने के लिए 25 लाख रुपये का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है जो दस समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान कंपनी ने 5 लाख रुपये (अर्थात 2.5 लाख रु. की 2 अर्धवार्षिक किस्तें) चुकाये। अतः अगले सर्वेक्षण में इस स्तंभ के अधीन केवल प्रवर्तनशील ऋण-सीमा अर्थात 20 लाख रुपये दर्शाये जाएं न कि 25 लाख रुपये यदि प्रवर्तनशील ऋण-सीमा 2,00,000 रुपये या उससे कम हो तो खाते को समेकित रूप में मूसांवि -1 ख में दर्ज किया जाये।

यदि ऋण पूर्ण रूप से आहरित न किया गया हो तो मंजूर सीमा दर्शायी जाए। अदा न की गयी या अतिदेय किस्तों के लिए ऋण-सीमा को समायोजित न किया जाए। यदि किसी उधारकर्ता को एक से अधिक खातों पर संमिश्र ऋण-सीमा मंजूर की जाती है तो बकाया राशि के अनुपात में उक्त सीमा को विभाजित किया जाए और संबंधित खातों के सामने दर्शाया जाए।

इस बात का ध्यान रहे कि ऋण घटक और नकदी ऋण किस्तों की ऋण सीमा को अलग अलग दिया जाय।

जहाँ कोई निर्दिष्ट ऋण सीमा मंजूर नहीं की गयी हो, वहाँ बकाया ऋण को ऋण सीमा मानना चाहिए।

ऋण सीमा का अर्थ है मंजूर की गई ऋण सीमा और इसे बकाया राशि से मेल खाना चाहिए। ऋण सीमा को खाली नहीं छोड़ा जाए।

एनपीए घोषित किए जा चुके ख़ातों को भी रिपोर्ट किया जाए। ऋण सीमा को तदर्थ (एड-हॉक) सीमा मंजूरी, यदि हो तो, या आउट ऑफ़ ऑर्डर मामलों में उसे बकाया राशि समझा जाए। एनपीए ख़ातों की ऋण सीमा कभी भी शून्य (0) न ली जाए।

सहायता संघ के उधार (कॉन्जोर्टियम लेंडिंग) के मामले में, शाखाएं केवल अपने को आबंटित निवल ऋण (नेट क्रेडिट) की सूचना दें।

16. **बकाया राशि (स्तंभ 14)**

(i) दर्ज करने की तारीख को कारोबार की समाप्ति के समय प्रत्येक खाते में वास्तविक बकाया राशि (नामे) को निकटतम हजार रुपयों में पूर्णांकित किया जाना चाहिये।

(ii) यदि 2 या अधिक खातों के सामने 2 से 13 तक के स्तंभों में अलग-अलग विवरण सहित एकही समेकित राशि दर्शायी जाती है तो ऐसे प्रत्येक खाते के सामने, संबंधित खातों के सामने दर्शायी गयी ऋण-सीमा के अनुपात के अनुसार राशि का विभाजन किया जाना चाहिए।

(iii) बकाया राशि सामान्यतः ऋण-सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी मामले में बकाया राशि ऋण-सीमा के दुगुने से अधिक हो जाती है तो प्रत्येक आधिक्य के संबंध में 'टिप्पणी' स्तंभ में उसके कारणों को स्पष्ट करना चाहिए।

(iv) यदि स्तंभ 14 में कोई आंकड़ा भरने को न हो तो डैश (-) दर्शाया जाए।

(v) यदि खाते में जमा शेष (क्रेडिट बैंलेंस) तो स्तंभ 15 में तत्संबंधी टिप्पणी सी आर (CR) (जमा) से दर्शायी जाये और स्तंभ 14 में (-)चिह्न लगाया जाये। वास्तविक जमा शेष न लिखें।

(vi) बंद किये गये खातों को रिपोर्ट न किया जाए।

17. **टिप्पणी (स्तंभ 15) :** किसी प्रविष्टि के संबंध में जब कोई स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो तो वह इस स्तंभ में दिया जाए। उदाहरण के लिए, एक या अधिक राज्य अथवा जिला या जनसंख्या समूह में उपयोग में लाये गये बड़े ऋणों के मामले में यहाँ यथोचित निर्देश किया जाए। संमिश्र सीमा के मामले में कॉलम 13 के लिए बनायी गयी क्रियाविधि अपनायी जाएं। जमा शेष के खातों को इस स्तंभ में 'सी आर (CR)' (जमा)से दर्शाया जाएं।

18. **अन्य अनुदेश :**

(i) स्तंभ 'एस' (ख़ातों की संख्या), स्तंभ 13 (ऋण-सीमा) और स्तंभ 14 (बकाया राशि) के लिए प्रत्येक पृष्ठ के अंत में रखे गये रिक्त स्थान पर पृष्ठ-वार कुल योग दिया जाए। उक्त आंकड़ों को अगले पृष्ठ पर आगे नहीं ले जाना चाहिए।

(ii) यदि कोई प्रविष्टि मूसांवि- 1 क विवरणी में दर्ज होने के बाद रद्द कर दी जाती है तो संबंधित पृष्ठ के स्तंभ 'एस', 13 और 14 के नीचे दिये गये कुल योग में तदनुसार संशोधन किया जाए।

(iii) मूसांवि-1 क का सारांश, जो पृष्ठ-वार कुल योग और खातों की कुल संख्या, ऋण-सीमा और बकाया राशि (अर्थात् स्तंभ 'एस', 13 और 14 के कुल योग) दर्शाता है, मूसांवि-1 क विवरणी के साथ जोड़ा जाए।

IV. कूट सूचियां (कोड लिस्ट)

सूची (लिस्ट) 'ए'

जिले - 2008

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
I अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (19)		
1	अंडमान	194
2	निकोबार	195
II आंध्र प्रदेश (80)		
1	अदिलाबाद	805
2	अनंतपुर	829
3	चित्तूर	826
4	कडपा	828
5	पूर्व गोदावरी	810
6	गुंटूर	822
7	हैदराबाद	800
8	करीमनगर	807
9	खम्मम	809
10	कृष्णा	820
11	कर्नूल	830
12	महबूबनगर	834
13	मेडक	802
14	नालगोंडा	832
15	नेल्लूर	824
16	निजामाबाद	803
17	प्रकाशम	825
18	रंगा रेड्डी	838
19	श्रीकाकुलम	815
20	विशाखापट्टनम्	812
21	विझियानगरम्	836
22	वरंगल	808
23	पश्चिम गोदावरी	818

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
III अरुणाचल प्रदेश (09)		
1	अंजाव	119
2	चुंग लांग	400
3	दिबंग घाटी	097
4	पूर्व कामेंग	091
5	पूर्व सियांग	094
6	कुरुंग कुमे	114
7	लोहित	092
8	लोअर दिबांग घाटी	113
9	लोअर सुबनसिरी	095
10	पापुम्परि	401
11	तवांग	099
12	तिरप	098
13	अपर सियांग	402
14	अपर सुबनसिरी	096
15	पश्चिम कामेंग	090
16	पश्चिम सियांग	093
IV असम (01)		
1	बक्सा	129
2	बारपेटा	021
3	बोंगाईगांव	002
4	कछार	022
5	चिरांग	127
6	दर्रांग	007
7	धेमाजी	410
8	ढुब्री	019
9	दिब्रूगढ़	009

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
10	गोलपाड़ा	003
11	गोलाघाट	013
12	हेलाकांडी	004
13	जोरहाट	011
14	कामरूप	001
15	कामरूप महानगर (मेट्रो)	116
16	कर्बि अंगलौंग	016
17	करीमगंज	017
18	कोकड़ाझार	020
19	लखीमपुर	010
20	मोरिगांव	005
21	नागांव	014
22	नलबारी	008
23	उत्तर कछर पहाडियाँ	018
24	शिवसागर	012
25	सोणितपुर	006
26	तिनसुकिया	015
27	उदलगुड़ि	133
V बिहार (06)		
1	अररिया	083
2	अरवल	109
3	औरंगाबाद	058
4	बांका	046
5	बेगुसराई	077
6	भागलपुर	080
7	भोजपुर	052
8	बक्सर	045
9	दरभंगा	074
10	गया	070
11	गोपालगंज	063
12	जमुई	047

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
13	जेहानाबाद	081
14	कैमल	037
15	कटिहार	071
16	खगड़िया	085
17	किशन गंज	049
18	लखीसराय	075
19	मधेपुरा	068
20	मधुबनी	054
21	मुंगेर	072
22	मुजफ्फरपुर	062
23	नालंदा	051
24	नवादा	059
25	पश्चिमी चंपारण	064
26	पटना	060
27	पूर्वी चंपारण	053
28	पूर्णिया	078
29	रोहतास	067
30	सहरसा	076
31	समस्तीपुर	055
32	सारण	066
33	शेखपुरा	079
34	शिवहर	065
35	सीतामढ़ी	050
36	सीवान	057
37	सुपौल	048
38	वैशाली	089
VI चंडीगढ़ (39)		
1	चंडीगढ़	390
VII छत्तीसगढ (71)		
1	बस्तर	762
2	बिलासपुर	754

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
3	दन्तेवाड़ा	763
4	धमतरी	704
5	दुर्ग	750
6	जाँसगीर - चंपा	753
7	जशपुर	707
8	कांकेर	761
9	कवरधा	765
10	कोरबा	755
11	कोरिया	757
12	महासमुंद	759
13	रायगढ़	758
14	रायपुर	760
15	राजनंदगांव	766
16	सरगुजा	756
VIII दादरा और नगर हवेली (69)		
1	दादरा और नगर हवेली	698
IX दमण और दीव (67)		
1	दमण	694
2	दीव	696
X दिल्ली (29)		
1	दिल्ली	290
XI गोवा (68)		
1	उत्तर गोवा	690
2	दक्षिण गोवा	692
XII गुजरात (54)		
1	अहमदाबाद	570
2	अमरेली	574
3	आणन्द	567
4	बनासकाठा	544
5	भड़ोच	553
6	भावनगर	572

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
7	दाहोद	549
8	डांग	563
9	गांधीनगर	540
10	जामनगर	582
11	जूनागढ़	576
12	कच्छ	586
13	खेडा	566
14	मेहसाणा	542
15	नर्मदा	551
16	नवसारी	557
17	पंच महल	548
18	पाटण	543
19	पोरबंदर	573
20	राजकोट	580
21	साबर कांठा	546
22	सुरत	560
23	सुरेंद्रनगर	584
24	वडोदरा	550
25	वलसाड	556
XIII हरियाणा (34)		
1	अंबाला	340
2	भिवानी	359
3	फरीदाबाद	361
4	फतेहाबाद	351
5	गुड़गांव	348
6	हिसार	350
7	झाज्जर	349
8	जिंद	353
9	कैथल	354
10	करनाल	342
11	कुरूक्षेत्र	355

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
12	महेन्द्रगढ	346
13	मेवात	102
14	पंचकुला	345
15	पानीपत	343
16	रेवाड़ी	347
17	रोहतक	344
18	सिरसा	352
19	सोनीपत	357
20	यमुनानगर	341
XIV हिमाचल प्रदेश (46)		
1	बिलासपुर	462
2	चंबा	472
3	हमीरपुर	482
4	कांगड़ा	470
5	किन्नौर	476
6	कुल्लू	468
7	लाहुल और स्पीती	474
8	मंडी	464
9	शिमला	460
10	सिरमौर	480
11	सोलन	486
12	उना	484
XV जम्मू और कश्मीर (44)		
1	अनंतनाग	444
2	बड़गाम	432
3	बंदिपुरा	209
4	बारामुल्ला	442
5	दोड़ा	456
6	गंदेरबल	159
7	जम्मू	450
8	कारगिल	438

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
9	कथुआ	452
10	किस्तवाड़	135
11	कुलगाम	138
12	कुपवाड़ा	436
13	लेहलद्दाख	458
14	पूँछ	446
15	पुलवामा	434
16	राजौरी	448
17	रामबन	137
18	रीयासी	239
19	शोपियान	433
20	श्रीनगर	440
21	उधमपुर	454
XVI झारखंड (07)		
1	बोकारो	035
2	छतरा	061
3	देवधर	040
4	धनबाद	082
5	दुमका	041
6	गढ़वा	038
7	गिरिडीह	056
8	गोड्डा	042
9	गुमला	043
10	हजारीबाग	084
11	जामताड़ा	105
12	कोडरमा	073
13	लेतहर	104
14	लोहरडग्गा	044
15	पाकुड़	069
16	पलामू	086
17	पश्चिमी सिंहभूम	088

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
18	पूर्वी सिंहभूम	036
19	रांची	087
20	साहेबगंज	039
21	सरायकिला-खरसावां	106
22	सिमडेगा	108
XVII कर्नाटक (84)		
1	बागलकोट	869
2	बंगलूर ग्रामीण	842
3	बंगलूर शहर	840
4	बेलगांव	870
5	बेल्लारी	858
6	बीदर	866
7	बीजापुर	868
8	चामराजनगर	851
9	चिक्कबल्लपुरा	251
10	चिकमगलूर	877
11	चित्रदुर्ग	856
12	दक्षिण कन्नड	880
13	दावनगिरी	857
14	धारवाड	860
15	गदग	859
16	गुलबर्गा	864
17	हसन	846
18	हवेरी	861
19	कोडागू	882
20	कोलार	852
21	कोप्पल	863
22	मंड्या	843
23	मैसूर	850
24	रायचूर	862
25	रामनगर	248

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
26	शिमोगा	874
27	तुमकुर	854
28	उडिपी	881
29	उत्तर कन्नड़	872
XVIII केरल (96)		
1	अलपुझा	966
2	एर्नाकुलम	970
3	इदुक्की	976
4	कन्नुर	985
5	कासरगोड	989
6	कोल्लम	963
7	कोट्टायम	968
8	कोझीकोड	980
9	मलप्पुरम	983
10	पालक्काड	974
11	पथनमथिट्टा	978
12	तिरूवनंतपुरम	960
13	त्रिसूर	972
14	वयनाड	988
XIX लक्षद्वीप (89)		
1	लक्षद्वीप	890
XX मध्यप्रदेश (70)		
1	अनुप्पुर	721
2	अशोकनगर	731
3	बालाघाट	752
4	बरवानी	723
5	बेतूल	717
6	भिंड	739
7	भोपाल	764
8	बु-हाणपुर	725
9	छतरपुर	744

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
10	छिंदवाडा	715
11	दमोह	708
12	दतिया	742
13	देवास	719
14	धार	724
15	डिंडोरी	711
16	पूर्व निमाड़	718
17	गुना	736
18	ग्वालियर	740
19	हरदा	706
20	होशंगाबाद	716
21	इंदौर	720
22	जबलपुर	710
23	झाबुआ	726
24	कटनी	709
25	मंडला	712
26	मंदसौर	728
27	मुरैना	738
28	नरसिंहपुर	714
29	नीमच	729
30	पन्ना	745
31	रायसेन	702
32	राजगढ़	734
33	रतलाम	727
34	रीवा	747
35	सागर	705
36	सतना	746
37	सीहोर	700
38	सिवनी	713
39	शहडोल	749
40	शाजापुर	732

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
41	श्योपुर	701
42	शिवपुरी	737
43	सिधी	748
44	टीकमगढ़	743
45	उज्जैन	730
46	उमरिया	703
47	विदिशा	735
48	पश्चिम निमाड़	722
XXI महाराष्ट्र (60)		
1	अहमदनगर	622
2	अकोला	646
3	अमरावती	644
4	औरंगाबाद	624
5	भंडारा	638
6	बीड	628
7	बृहन् मुंबई	600
8	बुलढाणा	648
9	चंद्रपुर	636
10	धुले	654
11	गढ़चिरौली	660
12	गोंदिया	639
13	हिंगोली	627
14	जलगांव	656
15	जालना	625
16	कोल्हापुर	608
17	लातुर	662
18	नागपुर	640
19	नांदेड	632
20	नंदुरबार	655
21	नासिक	650
22	उस्मानाबाद	630

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
23	परभणी	626
24	पुणे	620
25	रायगड	603
26	रत्नागिरी	605
27	सांगली	612
28	सातारा	615
29	सिंधुदुर्ग	607
30	सोलापुर	610
31	ठाणे	601
32	वर्धा	642
33	वाशीम	647
34	यवतमाळ	634
XXII मणिपुर (15)		
1	बिशनपुर	155
2	चंडेल	157
3	चुराचंदपुर	152
4	इम्फाल पूर्व	151
5	इम्फाल पश्चिम	158
6	सेनापति	150
7	तामेंगलोंग	156
8	थोउबल	153
9	उखरूल	154
XXIII मेघालय (02)		
1	पूर्व गारो पहाड़ियाँ	023
2	पूर्व खासी पहड़ियाँ	026
3	जयंतिया पहाड़ियाँ	025
4	रिभोई	028
5	दक्षिण गारो पहाड़ियाँ	029
6	पश्चिम गारो पहाड़ियाँ	024
7	पश्चिम खासी पहाड़ियाँ	027

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
XXIV मिजोरम (03)		
1	ऐजावल	030
2	चम्फाइ	031
3	कोलासिब	896
4	लवंगतलाई	898
5	लुंगलेई	032
6	मामित	033
7	सैहा	034
8	सर्चिप	897
XXV नागालैंड (14)		
1	दीमापुर	141
2	किफ़िरे	145
3	कोहिमा	140
4	लोंगलेंग	139
5	मोकोकचुंग	142
6	मोन	146
7	पेरेन	143
8	फेक	148
9	त्वेनसांग	144
10	वोखा	147
11	जुन्हेबोटो	149
XXVI उड़ीसा (16)		
1	आंगुल	169
2	बोलनगीर	184
3	बालेश्वर	172
4	बरगढ़	173
5	भद्रक	171
6	बौध	187
7	कटक	170
8	देवगढ़	188
9	धेनकनाल	178

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
10	गजपति	161
11	गंजम	162
12	जगतसिंधपुर	175
13	जाजपुर	177
14	झारसुगुड़ा	189
15	कालाहंडी	168
16	कंधमल	164
17	केंद्रपाड़ा	179
18	क्योंझर	176
19	खुरदा	181
20	कोरापुट	166
21	मलकानगिरी	163
22	मयूरभंज	174
23	नवापाड़ा	185
24	नवरंगपुर	165
25	नयागढ़	183
26	पुरी	160
27	रायगढ़	167
28	संबलपुर	182
29	सोनपुर	186
30	सुंदरगढ़	180
XXVII पुडुचेरी (99)		
1	करैकल	992
2	माहे	994
3	पुडुचेरी	990
4	यानम	996
XXVIII पंजाब (30)		
1	अमृतसर	310
2	बरनाला	125
3	भटिंडा	304
4	फरीदकोट	336

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
5	फतेहगढ़ साहिब	318
6	फीरोजपुर	306
7	गुरूदासपुर	312
8	होशियारपुर	332
9	जालंधर	320
10	कपूरथला	314
11	लुधियाना	330
12	मानस	316
13	मोगा	322
14	मुक्तसर	324
15	नवांशहर	326
16	पटियाला	300
17	रूपनगर	334
18	साहिबज़दा अजित सिंह नगर	121
19	संगरुर	302
20	तरणतारण	123
XXIX राजस्थान (50)		
1	अजमेर	510
2	अल्वर	502
3	बांसवाड़ा	534
4	बरन	512
5	बाड़मेर	523
6	भरतपुर	504
7	भीलवड़ा	508
8	बीकानेर	520
9	बूंदी	536
10	चितौरगढ़	535
11	चुरू	516
12	दौसा	509
13	ढोलपुर	505
14	डुंगरपुर	533

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
15	गंगानगर	518
16	हनुमानगढ़	517
17	जयपुर	500
18	जैसलमेर	522
19	जालौर	525
20	झलवर	539
21	झुंझुनू	515
22	जोधपुर	530
23	कारौली	519
24	कोटा	537
25	नागौर	511
26	पाली	528
27	राजसमंद	514
28	सवाई माधोपुर	506
29	सीकर	513
30	सिरोही	526
31	टोंक	507
32	उदयपुर	531
XXX सिक्किम (17)		
1	पूर्व सिक्किम	196
2	उत्तर सिक्किम	198
3	दक्षिण सिक्किम	199
4	पश्चिम सिक्किम	197
XXXI तमिलनाडु (90)		
1	चेन्नई	900
2	कोयम्बतूर	920
3	कुड्डालौर	906
4	धरमपुरी	916
5	दिंडिगल	939
6	एरोडे	924
7	कांचीपुरम	903

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
8	कन्याकुमारी	936
9	करुर	912
10	कृष्णगिरी	118
11	मदुराई	930
12	नागपट्टिनम	909
13	नमक्कल	915
14	नीलगिरि	918
15	पेरंबलुर	914
16	पडुक्कौट्टै	938
17	रामनाथपुरम	932
18	सेलम	913
19	शिवगंगा	922
20	तंजावुर	908
21	थिनैई	942
22	थिरुवल्लुर	902
23	थिरूवरूर	907
24	तिरुचिरापल्ली	910
25	तिरुनेलवेली	934
26	तिरवन्नमलाई	919
27	तुथुकुडी	933
28	वेल्लोर	904
29	विलुपुरम	940
30	विरूधुनगर	926
XXXII त्रिपुरा (18)		
1	धलाई	193
2	उत्तर त्रिपुरा	190
3	दक्षिण त्रिपुरा	192
4	पश्चिमी त्रिपुरा	191
XXXIII उत्तर प्रदेश (20)		
1	आगरा	260
2	अलीगढ़	264

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
3	इलाहाबाद	220
4	आंबेडकर नगर	215
5	औरैया	259
6	आजमगढ़	226
7	बाघपत	275
8	बहराइच	244
9	बलिया	235
10	बलरामपुर	241
11	बांदा	218
12	बाराबंकी	202
13	बरेली	250
14	बस्ती	242
15	बिजनौर	276
16	बदायूँ	267
17	बुलंदशहर	268
18	चन्दोली	229
19	चित्रकूट	207
20	देवरिया	236
21	इटा	266
22	इटावा	256
23	फैजाबाद	224
24	फर्रुखाबाद	254
25	फतेहपुर	208
26	फिरोजाबाद	203
27	गौतमबुद्ध नगर	271
28	गाजियाबाद	269
29	गाजीपुर	234
30	गोंडा	243
31	गोरखपुर	240
32	हमीरपुर	216
33	हरदोई	206

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
34	हाथरस	263
35	जालौन	212
36	जौनपुर	228
37	झांसी	214
38	ज्योतिबा फुले नगर	279
39	कनौज	255
40	कानपुर शहर	210
41	कानपुर देहात	211
42	कौशाम्बी	221
43	खेरी	247
44	कुशी नगर	237
45	ललितपुर	213
46	लखनऊ	200
47	महाराजगंज	225
48	महोबा	217
49	मैनपुरी	258
50	मथुरा	262
51	मऊ	253
52	मेरठ	270
53	मिर्जापुर	232
54	मुरादाबाद	278
55	मुजफ्फरनगर	272
56	पीलीभीत	249
57	प्रतापगढ़	222
58	राय बरेली	204
59	रामपुर	280
60	सहारनपुर	274
61	संत कबीर नगर	227
62	संत रबीदास नगर	231
63	शाहजहांपुर	252
64	श्रावस्ती	246

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
65	सिद्धार्थ नगर	257
66	सीतापुर	245
67	सोनभद्र	288
68	सुल्तानपुर	223
69	उन्नाव	205
70	वाराणसी	230
XXXIV उत्तराखंड (21)		
1	अलमोड़ा	282
2	बागेश्वर	238
3	चमोली	284
4	चम्पावत	233
5	देहरादून	287
6	गढ़वाल	285
7	हरिद्वार	277
8	नैनीताल	281
9	पिथौरागढ़	283
10	रुद्रप्रयाग	201
11	टेहरी गढ़वाल	286
12	उधम सिहंनगर	219
13	उत्तर काशी	289

क्रम संख्या	राज्य / जिला	जिला कूट
XXXV पश्चिम बंगाल (10)		
1	बाँकुड़ा	115
2	बर्द्धमान	120
3	बीरभूम	122
4	दक्षिण दिनाजपुर	131
5	दार्जीलिंग	132
6	हावड़ा	110
7	हुगली	107
8	जलपाइगुड़ी	134
9	कूच बिहार	136
10	कोलकाता	100
11	मालदा	128
12	मुर्शिदाबाद	126
13	नदिया	124
14	उत्तर 24 परगना	101
15	पश्चिम मेदिनीपुर	112
16	पूर्व मेदिनीपुर	111
17	पुरुलिया	117
18	दक्षिण 24 परगना	103
19	उत्तर दिनाजपुर	130

टिप्पणी : i) नवगठित जिलों को यदि जिला कोड दिये गये हों तो, हर वर्ष के जनवरी माह में, प्रत्येक बैंक के प्रधान कार्यालय को सूचित कर दिये जाएंगे।

ii) राज्य के नाम के पास कोष्ठक में दिये गये अंक उस राज्य के कूट (कोड) हैं।

सूची 'बी'

जनसंख्या समूह - 2008

क्रम सं.	केन्द्र का जनसंख्या समूह *	केन्द्र की जनसंख्या	कूट
I.	ग्रामीण	10,000 से कम	1
II.	अर्ध शहरी	10,000 एवं इससे अधिक तथा 1 लाख से कम	2
III.	शहरी	1 लाख एवं इससे अधिक तथा 10 लाख से कम	3
IV.	महानगरी	10 लाख और इससे अधिक	4

* ऋण की उपयोगिता वाले स्थान के बारे में सूचित करने के लिए

सूची 'सी'

खाते का प्रकार - 2008

क्रम सं.	खाते का प्रकार	कूट (कोड)
I.	नकद ऋण	10
II.	ओवर ड्राफ्ट	20
III.	मांग ऋण	30
IV.	व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	31
V.	सामान्य क्रेडिट कार्ड	32
VI.	किसान क्रेडिट कार्ड - उत्पादन	33
VII.	किसान क्रेडिट कार्ड - निवेश	34
VIII.	अन्य क्रेडिट कार्ड	35
IX.	मीयादी ऋण *(मीयादी ऋणों तथा किस्ती ऋणों की मंजूरी तक प्रदान किये गये अंतरिम नकद ऋणों सहित)* (1) मध्यावधि मीयादी ऋण *(अर्थात एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक तथा 3 वर्ष-सहित की कालावधि के ऋण और अग्रिम)*	41
	(2) दीर्घावधि मीयादी ऋण *(अर्थात 3 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण और अग्रिम)*	42
X.	पैकिंग ऋण *(किसी भी प्रकार की सुविधा के अंतर्गत प्रदत्त समस्त निर्यात लदान पूर्व वित्त को पैकिंग ऋण की कूट संख्या दी जाए)*	50
XI.	खरीदे गये निर्यात व्यापार बिल	61
XII.	भुनाये गये निर्यात व्यापार बिल	62
XIII.	ऐसे निर्यात व्यापार बिल जिन पर अग्रिम प्रदान किया गया	63
XIV.	निर्यात संबंधी नकदी प्रोत्साहनों और शुल्क वापसी के दावों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिम	64
XV.	खरीदे गये देशी (बिल)	71
XVI.	भुनाये गये देशी (बिल)	72
XVII.	आयात बिलों पर दिये जानेवाले अग्रिम	80
XVIII.	खरीदे गये विदेशी मुद्रा चेक टी.सी./डीडी/टीटी/एमटी	90

सूची 'डी'

संगठन का प्रकार - 2008

क्रम सं.	संगठन	कूट
I.	**पब्लिक सेक्टर (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र)**	
	1.1 केंद्र सरकार विभाग जिनमें विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम भी हैं। (रेल्वे, डाक व तार, संचार आदि)	11
	1.2 सामान्य राज्य सरकार	12
	1.3 राज्य सरकार विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (सिंचाई, सड़क व जल परिवहन, खाद्य व नागरिक आपूर्ति आदि)	13
	1.4 स्थानीय और अर्ध-सरकारी (स्थानीय प्राधिकरण, नगरपालिकाएं, जिला परिषद, ग्राम पंचायतें, विश्व विद्यालय, आइ सी एम आर, आइ सी ए आर, सी एस आइ आर, आदि)	14
	1.5 सार्वजनिक वित्तिय निगम (गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम वित्तीय उद्यम - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूटीआइ, एन एच बी, एल आइ सी, जी आइ सी, एक्ज़िम बैंक, सार्वजनिक वित्तिय कंपनीयां पब्लिक म्यूचुअल फंड आदि)	15
	1.6 सार्वजनिक गैर-वित्तिय निगम (गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम गैर-वित्तीय उद्यम - पी एस यू / कंपनियां, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बिजली बोर्ड, हाऊसिंग बोर्ड, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, पोर्ट ट्रस्ट आदि)	16
II.	**सहकारी क्षेत्र (को-ऑपरेटिव सेक्टर)**	
	II (ए) वित्तीय सहकारी क्षेत्र	
	2.1 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)	21
	2.2 कृषक सेवा समितियां (एफ एस एस) / बड़े आकार की आदिवासी बहु-उद्देशीय समितियां (लैंप्स)	22
	2.3 अन्य वित्तीय सहकारी संस्थाएं *(प्राथमिक एवं राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पी सी ए आर डी बी / एस सी ए आर डी बी), राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डी सी सी बी), शहरी सहकारी बैंक (यू सी बी), आदि*	23
	II (बी) गैर-वित्तीय सहकारी क्षेत्र	
	2.4 गैर-वित्तिय सहकारी क्षेत्र *(आवास सहकारी समितियां, वेतन भोगियों की समितियां, कृषि सहकारी समितियां, विपणन और व्यापार सहकारी समितियां आदि)*	24

क्रम सं.	संगठन	कूट
III.	**निजी कंपनी क्षेत्र**	
	3.1 निजी वित्तीय निगम (निजी बैंक, विदेशी बैंक जिनकी भारत में शाखाएं हैं, प्राइवेट म्यूचुअल फ़ंड, निजी बिमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियां आदि)	31
	3.2 निजी गैर-वित्तीय निगम (निजी कंपनियां, जिनमें सरकारी और निजी लिमिटेड कंपनियां आदि) *[गैर लाभार्थ संस्थाएं (एन पी आइ) जो बिजनेस की सेवा कर रही हैं, जैसे फिक्की, एसोचम, सी आइ ए आइ आदि और प्राइवेटली फंडेड अर्ध-निगम (क्वैसी कॉर्पोरेट) संस्थाएं जैसे बड़े शिक्षा संस्थान जो प्राइवेटलि फ़ंडेड हैं, विशेष रुप से प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की सेवा के लिए, भी यहां शामिल की जाएं]*	32
IV.	**घर/परिवार क्षेत्र**	
	IV(ए) व्यक्ति (अकेले या संयुक्त)	
	4.1 पुरुष	41
	4.2 महिला *(इसमें सभी व्यक्ति शामिल हों, किसान, व्यवसायी-व्यक्ति, व्यापारी पेशेवर व स्वरोजगारी, मजदूरी व वेतन पानेवाले, पेंशन पानेवाले, बेरोजगार, गृहिणी, साहूकार, (मनी लेंडर्स), सर्राफ, शेयर-दलाल (स्टॉक ब्रोकर) डीलर आदि)*	42
	IV(बी) घर / परिवार क्षेत्र - अन्य	
	5.1 स्वामित्व प्रतिष्ठान	51
	5.2 संयुक्त परिवार (हिंदू अविभक्त परिवार / एच यू एफ़)	52
	5.3 साझेदारियां (पार्टनरशिप फर्म)	53
	5.4 संयुक्त देयता समूह (ज्वाइंट लायबिलिटि ग्रुप / जे एल जी)	54
	5.5 एन ज़ी ओ, ट्रस्ट और ग्रुप (सिवाय जे एल जी, एम एफ़ आइ के) (लाभ / बाजार उत्पादन हेतु आर्थिक कार्य करने वाले)	55
V.	**सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एम एफ़ आइ)**	
	6.1 स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) - प्रत्यक्ष - महिलांए	61
	6.2 स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) - प्रत्यक्ष - अन्य	62
	6.3 स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) - एनजीओ के माध्यम से - महिलांए	63
	6.4 स्वयं सहायता समूह (एस एस जी) - एनजीओ के माध्यम से - अन्य	64
	6.5 स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) - एन एफ़ आइ के माध्यम से - महिलाएं	65
	6.6 स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) - एम एफ़ आइ के माध्यम से - अन्य	66
	6.7 दूसरे एम एफ़ आइ जो एस एच जी के संवर्धक का काम नहीं कर रही हैं	69

क्रम सं.	संगठन	कूट
VI.	**एन पी आइ एस एच** परिवारों / घरों को सेवा देनेवाली गैर-लाभार्थ संस्थाएं (गैर-सरकारी) (परोपकारी संगठन - धार्मिक संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, अनु-संधान व विकास संस्थाएं, संघ (एसोशिएशन) - पेशेवर, ग्राहक कर्मचारी संघ, राजनैतिक पार्टियां, सामाजिक / सांस्कृतिक / मनोरंजन क्लब आदि)	**71**
VII.	**अनिवासी** विदेशी सरकारें, विदेशी वाणिज्य राजदूतावास, व्यापार मिशन, अनिवासी कंपनियां / संस्थाएं / फ़र्म / समितियां / व्यक्ति (क्रेता ऋण व्यवस्था (बायर्स लम्इन ऑफ़ क्रेडिट) के तहत तैयार (टर्न की) प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी सरकारें और एजेंसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत विदेशी बैंक)	**81**

सारांश

कार्यकलाप/व्यवसाय का वर्गीकरण - 2008

प्रभाग (डिविज़न)	विवरण	कूट-सीमा
ए कृषि और वानिकी		
01	**कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप**	
	खाद्यान्न और नकदी फसलों का उत्पादन (बागान फसलों को छोड़कर)	01101 से 01119
	विकास वित्त सहित बागान फसलें	01121 से 01129
	अन्य प्रकार से कृषि के लिए प्रदान किया गया प्रत्यक्ष वित्त -कृषकों को सीधे प्रदान की गई निधियों सहित	01151 से 01159
	कृषि के लिए प्रदान किया अप्रत्यक्ष वित्त	01181 से 01182
	पशु, मुर्गी, रेशम कीट इत्यादि पालन	01201 से 01209
	कृषि और पशुपालन सेवाएं	01401 से 01409
02	**वानिकी, पत्थर उद्योग और संबंधित सेवा कार्यकलाप**	
	वानिकी, पत्थर उद्योग और संबंधित सेवा कार्यकलाप	02001
बी मत्स्य उद्योग		
05	**मत्स्य पकड़ना, मत्स्य के अंडे पालना और मत्स्य पालन तथा मत्स्य उद्योग से संबंधित सेवा कार्यकलाप**	05001
सी खनन और उत्खनन उद्योग		
10	**कोयले और लिग्नाइट का खनन और ईंधन निकालना**	10001
11	**अपरिष्कृत पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकालना तथा सर्वेक्षण सहित संबंधित सेवा कार्यकलाप**	11101 से 11201
12	**यूरेनियम और थोरियम का खनन**	12001
13	**अपरिष्कृत धातु का खनन**	13101 से 13201
14	**अन्य खनन और उत्खनन उद्योग**	14101
डी विनिर्माण		
15	**खाद्य एवं पेय पदार्थों का विनिर्माण**	
	खाद्य पदार्थों का विनिर्माण	15101 से 15409
	पेय पदार्थों का विनिर्माण	15501 से 15502
16	**तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण**	16001 से 16003

प्रभाग (डिविज़न)	विवरण	कूट-सीमा
17	वस्त्रों का विनिर्माण	17101 से 17209
18	परिधानों का विनिर्माण और पशुलोम बिठाना तथा रंगाई करना	18101 से 18201
19	चमड़े पकाना और सजाना, चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं का विनिर्माण	19101 से 19102
	जूतों / चपल्लों का विनिर्माण	19201 से 19202
20	फर्नीचर के अतिरिक्त लकड़ी और लकड़ी की वस्तुओं तथा कार्क का विनिर्माण	20101
21	कागज और कागज की वस्तुओं का विनिर्माण	21001 से 21003
22	प्रकाशन, मुद्रण और अभिलिखित मीडिया का पुनःप्रस्तुतीकरण	22101
23	कोयला उत्पादों (कोक), परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों और न्यूक्लियर ईंधनों का विनिर्माण	23101 से 23301
24	रसायन और रासायनिक वस्तुओं का विनिर्माण	24101 से 24301
25	रबड़ और प्लास्टिक की वस्तुओं का विनिर्माण	25101 से 25202
26	अधातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण	26101 से 26905
27	मूल धातुओं का विनिर्माण	27101 से 27302
28	मशीनों और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	28101 से 28901
29	मशीनों और उपकरणों आदि का विनिर्माण (अन्यत्र वर्गिकृत नहीं है)	29101 से 29301
30	कार्यालयीन लेखा और संगणक मशीनों का विनिर्माण	30001 से 30002
31	बिजली की मशीनों और उपकरणों आदि का विनिर्माण (अन्यत्र वर्गिकृत नहीं है)	31101 से 31901
32	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपकरणों/पुर्जों आदि का विनिर्माण	32101
33	डाक्टरी, सूक्ष्मता मापी और नेत्रसंबंधी उपकरणों, कलाई वाली घड़ियों और दीवारों पर लगायी जानेवाली घड़ियों का विनिर्माण	33101 से 33301
34	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी ट्रेलरों का विनिर्माण	34101 से 34301
35	अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	35101 से 35909
36	फर्नीचर का उत्पादन; विनिर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	36101 से 36909
37	रिसाइक्लिंग	37001
ई बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति		
40	बिजली, गैस, स्टीम और गर्म पानी की आपूर्ति	40101से 40301
41	पानी का संचयन, शुद्धिकरण और वितरण	41001

प्रभाग (डिविज़न)	विवरण	कूट-सीमा
एफ़ निर्माण		
45	**निर्माण**	
	बुनियाद (इन्फ़ास्ट्रक्चर) से भिन्न निर्माण	45001 से 45005
	बुनियादी (इन्फ़ास्ट्रक्चर) निर्माण	45011 से 45019
ज़ी थोक और खुदरा व्यापार मोटर वाहनों, मोटर साइकिलों और वैयक्तिक/घरेलू वस्तुओं की मरम्मत		
50	**मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों की बिक्री, अनुरक्षण तथा मरम्मत, आटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री**	50001से 50005
51	**थोक व्यापार और कमीशन व्यापार (मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों को छोड़कर)**	51101 से 51909
52	**खुदरा व्यापार (मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों को छोड़कर); वैयक्तिक/घरेलू वस्तुओं की मरम्मत**	52101 से 52501
एच होटल और रेस्टारेंट		
55	**होटल और रेस्टारेंट**	55101 से 55301
आइ परिवहन, भंडारण तथा संप्रेषण		
60	**भू-परिवहन, पाइपलाइनों द्वारा परिवहन**	60101 से 60301
61	**जल परिवहन**	61101 से 61202
62	**हवाई परिवहन**	62001 से 62101
63	**सहायक और अनुषंगी परिवहन गतिविधियां, यात्रा एजेंसियों के क्रिया-कलाप**	63001 से 63019
64	**डाक और दूरसंचार**	64101 से 64202
ज़े वित्तीय मध्यस्थता		
65	**बीमा और पेंशन फंडिंग को छोड़कर वित्तीय मध्यस्थता**	
	बैंक	65101 से 65109
	सहकारी संस्थाएं और भूमि विकास बैंक	65901 से 65910
	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं/कंपनियां	65911 से 65929
	अन्य वित्तीय मध्यस्थता	65931 से 65939
66	**अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा और पेंशन फंडिंग**	66001 से 66003
67	**वित्तीय मध्यस्थता में सहायक क्रिया-कलाप**	67101 से 67301

प्रभाग (डिविज़न)	विवरण	कूट-सीमा
के भू-संपदा, किराए पर और व्यवसाय संबंधी क्रिया-कलाप		
70	**भू-संपदा संबंधी क्रिया-कलाप**	70001
71	**मशीनरी और उपकरणों को किराए पर देना**	71101 से 71301
72	**कंप्यूटर और संबद्ध क्रिया-कलाप**	72101 से 72909
73	**अनुसंधान एवं विकास**	73001
74	**अन्य व्यावसायिक क्रिया-कलाप**	74101 से 74901
एल सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएं; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा		
75	**सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएं; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा**	75001
एम शिक्षा		
80	**शिक्षा**	80001 से 80003
एन स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य		
85	**चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य**	85101 से 85301
ओ अन्य सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा संबंधी क्रिया-कलाप		
90	**मल एवं कूड़ा-कचरा निकासी, सेनिटरी एवं उसी प्रकार के कार्य-कलाप**	90001
91	**सदस्यता संगठनों के कार्यकलाप**	91101 से 91901
92	**मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलाप**	92101 से 92401
93	**अन्य सेवा कार्यकलाप**	93001 से 93003
	मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं	93101 से 93109
95	**वैयक्तिक ऋण और उपभोक्ता ऋण**	
	स्टाफ़ सदस्यों का ऋण	95001 से 95009
	व्यक्तिगत ऋण स्टाफ सदस्यों को छोडकर	95011 से 95019
99	**विविध**	99999

लिस्ट 'ई'

कार्यकलाप/व्यवसाय का वर्गीकरण - 2008

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
ए : कृषि और वानिकी			
प्रभाग (डिविज़न) 01 : कृषि एवं उससे संबंधित कार्य-कलाप			
खाद्यान्न और नकदी फसलों का उत्पादन (बागान फसलों को छोड़कर)			
011	01	**01101**	अनाजों का उत्पादन
011	02	**01102**	दालों का उत्पादन
011	03	**01103**	मूंगफली अथवा सोयाबीन-सहित तिलहनों का उत्पादन
011	04	**01104**	गन्ना अथवा चुकंदर
011	05	**01105**	रूई का उत्पादन
011	06	**01106**	जूट, मेस्ता, सन हेम्प अथवा अन्य प्रकार/अन्य सब्ज़ीगत टेक्सटाइल फाइबर प्लांट्स (इसमें चुन्नट डालने, भराई अथवा गूंथना अथवा ब्रश या झाडू संबंधी परियोजना सामग्री का उत्पादन शामिल है)
011	07	**01107**	तम्बाकू का उत्पादन और खेत में उसकी प्रारंभिक प्रोसेसिंग
011	08	**01108**	सिंघाड़ा, मखाना, मिर्च और कुकुरमुत्ता उगाने से लेकर सब्ज़ियों का उत्पादन (ओलेरिकल्चर)
011	09	**01109**	पुष्प उत्पादन (पुष्पकृषि), बागबानी विशेषतांए एवं पौद लगाना
011	11	**01111**	ऐसे पौधे उगाना जो मुख्यतया औषधि (औषधीय पौधे) या कीटनाशक, फफूंदी अथवा इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए उगाए जाते हैं (इसमें अफीम और गांजे का उत्पादन भी शामिल हैं)
011	19	**01119**	अन्य खाद्यान्न और नकदी फसलों का उत्पादन, (अ.व.न.) जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है। (इसमें आलू, जाम, मीठे आलू या कसावा, हॉप-कोन, कासनी की जड़ें अथवा ऐसी जड़ें एवं कंद जिनमें अत्यधिक माड़ या इंसुलिन हो, ऐसे बीजों का उत्पादन जो बुआई के काम आते हों, चारा वाले पौधे उगाना जिसमें घास एवं अन्य फसलों (जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है) के चारे शामिल हैं)
विकास वित्त-सहित बागान फसलें			
011	21	**01121**	ऐसे चाय के एस्टेटों/बागानों द्वारा चाय अथवा मेट पत्तियों का उत्पादन (जिनके पास अपनी प्रोसेसिंग यूनिट हो या न हो) (स्वतंत्र इकाइयों द्वारा प्रोसेसिंग 15406 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है)
011	23	**01123**	कॉफी अथवा कोको-बीन्स का उत्पादन
011	24	**01124**	रबड़ वृक्ष उगाना, वनस्पति-दूध (लैटेक्स) की उपज और परिवहन अथवा परिरक्षण के प्रयोजन से बागानों में तरल लैटेक्स को सुरक्षित रखना

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
011	25	**01125**	फलों की फसलें उगाना, साथ ही फलों का उद्यान बनाना एवं उनका अनुरक्षण; फलों की फसलें उगाने से संबंधित क्रिया-कलाप
011	26	**01126**	नारियल-सहित खाद्य मूंगफली का उत्पादन
011	27	**01127**	गरम मसाले की फसलें उगाना जिनमें शामिल हैं : मसाला पत्तियां (जैसे-तेजपत्ता, अजवायन, तुलसी); मसाला बीज (जैसे-सौंफ, धनिया, जीरा); मसाला-फूल (जैसे- दालचीनी); मसाला फल (जैसे-लौंग); या अन्य मसाले (जैसे-जायफल, अदरक) और पान के पत्ते का उत्पादन भी।
011	29	**01129**	अन्य बागान फसलें उगाना जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
कृषि हेतु अन्य प्रत्यक्ष वित्त - इनमें वे निधियां शामिल हैं जो कृषकों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सीधे दी गई हैं			
011	51	**01151**	फार्म मशीनरी और औज़ार : ट्रैक्टर, कटाई-मशीन, प्रतिरोपक, पावरटिलर आदि। कृषि उपकरण एवं औज़ार, सहायक सामग्री
011	52	**01152**	फार्म परिवहन वाहन / सहायक सामग्री : कृषि इनपुट और फार्म उत्पाद को लाने-लेजाने को आसान बनाने के लिए ट्रक, छोटे ट्रक, जीप, पिकअप वैन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर्स और अन्य परिवहन उपकरणों आदि की खरीद।
011	53	**01153**	मिट्टी/भूमि/फार्म विकास क्रियाकलाप जैसे - समतलीकरण, मेंड़ बांधना एवं भूमि-सुधार, मृत्तिका संरक्षण, जल संगर (वाटरशेड) विकसित करना, जल प्रबंधन, जैविक कृषि आदि
011	54	**01154**	फार्म सिंचाई : डगवेल, बोरवेल, पंप सेट, कुएं व तालाब खोदना, मरम्मत व साफ़ करना लिफ्ट सिंचाई, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, नलकूप सिंचाई, सिंचाई संभाव्यताओं का विकास, पम्प हाउसों का विकास आदि
011	57	**01157**	फ़सल कटाई और फ़सल की कटाई से जुड़े हुए कार्य जैसे सफ़ाई, घंटाई, ग्रेडिंग, सुखाने, शिलने (निकालने/भूसा अलग करने), गलानें, ठंडा करने या भारी (बल्क) पैकेजिंग द्वारा फ़सल को तैयार करना। कपास (रुई) चुनना (कॉटन पिकिंग) भी इसमें आता है (कृषि आधारित सेवा केंद्र जैसे कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग इत्यादि)
011	59	**01159**	कृषि को कोई अन्य प्रत्यक्ष वित्त (डायरेक्ट फ़ाइनैंस) इसमें बैल या अन्य पशु खरीदने के लिए, बैलगाड़ी खरीदने, कृषि उपज के परिवहन व विपणन, जमीन खरीद, अनौपाचारिक क्षेत्र / गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से लिए गए ऋण को चुकाने, खेती के लिए बायो गैस प्लांट के लिए ऋण, कोई दूसरा प्रत्यक्ष वित्त (अ.व.न.) शामिल हैं। (किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किए गए वित्त को ऋण के उद्देश्य के अनुसार कूट संख्या दी जाए

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त			
011	81	**01181**	भंडारण और बाजार का अहाता (मार्केट यार्ड्स) कृषि पैदावार/उत्पादों के भंडारण के लिए, भंडारण सुविधाएं बनाने और चलाने के लिए ऋण (वेयरहाउस, गोदाम, बखार (साइलो), मार्केट यार्ड और दूसरे शीत गृह)
011	82	**01182**	**कृषि को अन्य अप्रत्यक्ष वित्त (संस्थागत एजेंसियों द्वारा)** कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र स्थापित करना ड्रिप सिंचाई /स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी एनसीडीसी/एनसी ओ/एमएफ़आर कृषि व इससे जुड़े कार्य कलापों के लिए आगे देने (ऑन-लेंडिंग) के लिए ऋण - एकल (इंडिविजुअल) किसान / एसएचसी/ जेएलजी, कृषि को इनपुट देनेवाले किसी व्यक्ति/संगठन को या किसानों की उपज के विपणन के लिए वित्त इसमें आते हैं। **निम्नलिखित श्रेणियों छोडकर** (निम्नलिखित श्रेणियों/एजेंसियों को दिए गए ऋणों को कूट 01182 में नहीं शामिल किए जाएं और उन्हें उनके सामने दिए गए कोष्ठकों में उनकी कूट संख्या दर्शाते हुए दिखाया जाए)
			(1) कृषि से संबंधित बायोटेक्न्लॉजी (कूट 01402)
			(2) कृषि व्यवसाय सेवा इकाइयां (कूट 01409)
			(3) पंपसेटों/कूपों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत बोर्ड को ऋण (कूट 40102) (till 2010)
			(4) उर्वरक और कीटनाशक का वितरण (थोक बिक्री) (कूट 51403)
			(5) उर्वरक और कीटनाशक का वितरण (खुदरा बिक्री) (कूट 52301)
			(6) बीजों का वितरण - थोक (व्यापार) (कूट 51205)
			(7) बीजों का वितरण - खुदरा (व्यापार) (कूट 52302)
			(8) कृषि मशीनरी और उपकरण - थोक बिक्री (कूट 51501)
			(9) कृषि मशीनरी और उपकरण - खुदरा (कूट 52303)
			(10) पीएसीएस (कूट 65901)
			(11) एफ़एसएस एंड एलएएमपीएस आदि (कूट 65902)
			(12) सहकारी विपणन समितियां और उत्पादकों की समितियां (कूट 65909)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			(13) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्राबैं) कृषि व संबंधित कार्यों के लिए आगे देने (ऑन लेंडिंग) के लिए (कूट 65103)
			(14) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - कृषि व संबंधित कार्यों के लिए आगे ऋण देने के लिए (ऑन लेंडिंग) (कूट 65921)
			(15) खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट (कोड 15101 से 15409 तक) (केवल-मंझोले, छोटे व अत्यंत लघु उत्पादन उद्यम-उधारकर्ता श्रेणी के लिए)
			[यहां केवल ऋण संबंधी कार्यों को वर्गीकृत किया जाए। आरइसी, नाबार्ड आदि द्वारा जारी बाण्डों के अभिदान और नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित आरआइडीएफ में बैंकों द्वारा धारित जमाराशियों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ऋणेतर कार्य हैं। कृषि को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त का कुल प्राप्त करने के लिए ऊपर बताई गई श्रेणियों को भी कृषि को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त के साथ समूहीकृत किया जाएगा (01181 और 01182)]
पशु, मुर्गी, रेशम के कीड़ों आदि का पालन			
012	01	**01201**	दुग्धव्यवसाय : इसमें पशु (याक भी) प्रजनन, पशु-पालन एवं संवर्धन व्यावसायिक दुग्धशाला आदि शामिल है, कच्चे दूध एवं गोजातीय शुक्राणु का उत्पादन, पशु-शाला का निर्माण
012	02	**01202**	बकरी-पालन, दुग्ध-उत्पादन, भेड़, शार्न ऊन का उत्पादन; घोड़े, ऊंट, खच्चर और बोझ ढोने वाले जानवर
012	03	**01203**	मुर्गी (ब्राइलर सहित) और अन्य घरेलू पक्षियों का पोषण; अंडों का उत्पादन और मुर्गियों के सेने का कार्य, (पोल्ट्रीशेड) मुर्गीखाना बनाना
012	04	**01204**	रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम कीड़े कोकून का उत्पादन, रेशम उत्पादन (सेरिकल्चर)
012	09	**01209**	अन्य पशु फ़ार्मिंग जिन्हें अन्य वर्गीकृत नहीं किया गया है जैसे सूअर-पालन, खरगोश की फ़ार्मिंग जिसमें अंगोरा खरगोश भी हैं; मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन; अर्ध घरेलू अथवा जंगली बड़े पशुओं को घेराबंदी करके पालना और पक्षियों एवं सरीसृप, कीड़ों के फ़ार्म चलाना, भूमि मोलस्क फ़ार्म, मेंढक फ़ार्म आदि
कृषि और पशुपालन सेवाएं			
014	01	**01401**	कपास ओटाई, सफाई और बेलिंग
014	02	**01402**	कृषि से संबंधित टिश्यू कल्चर सेवाएं और बायोटेक्नालॉजी

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
014	09	**01409**	कृषि ग्राहक सेवा इकाइयां जो कृषि और कृषि संबधित कार्यों के लिए सेवाएं देती हैं।
			जैसे मिट्टी के सुधार के लिए सेवाएं भूमि सुधार मशीनरी/उपकरण सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं (जैसे जुताई हेंगाई आदि के लिए ट्रेक्टर की सेवाएं, कूप बोरिंग उपकरण, थ्रेशर, कंबाईन आदि और कृषकों को संविदा आधार पर अन्य कृषि संबंधी उपकरण मुहैया करवाना)
			सिंचाई व्यवस्था का संचालन । भूमि संरक्षण सेवाएं, मिट्टी की जांच और भू-विलवणीकरण सेवाएं।
			किसी फसल को उगाने से संबंधित कार्यकलाप, उसको बढ़ावा देना अथवा रोग एवं कीडों से बचाव (स्प्रे कार्य आदि)। धान के खतों में धान की रोपाई। बागबानी और नर्सरी सेवाएं। फसल की कटाई और उससे संबंधित सेवा कार्य
			पशुपालन सेवा : पशुओं के प्रजनन विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के कार्य तथा पशु-उत्पाद प्राप्त करना : कृत्रिम शुक्रसेचन, पशुदल जांच, मुर्गीपालन खस्सी करना, दड़बा सफाई, गोबर एकत्र करना आदि। भेड़ें नाथना और ऊन कटाई, अंडों की सफाई और ग्रेडिंग, जानवरों का चर्म उतारना और संबंधित क्रिया-कलाप (पशुरोग संबंधी सेवाओं को कूट 85201 के अंतर्गत कूटांकित किया जाए)
			अन्य कृषि और पशुपालन सेवाएं
प्रभाग (डिविज़न) 02 : वानिकी, बोटा बनाना और संबंधित सेवा के कार्य-कलाप			
020	01	**02001**	वानिकी, बोटा बनाना और संबंधित सेवा के कार्यकलाप : खड़ी इमारती लकड़ियों (टिम्बर) का उत्पादन : रोपण, पुनःरोपण, प्रत्यारोपण, पतला बनाना और वनों तथा टिम्बर जोत का संरक्षण; सामाजिक वानिकी;वृक्ष नर्सरी के कार्य; बोटा बनानाः बोटा बनाने वाले कैम्प तथा ऐसे बोटा बनाने वाले जो प्रथमतया टिम्बर गिराने एवं खुरदुरी लकड़ी के उत्पादन कार्य में लगे हैं। तेंदूपत्ते एकत्र करना और अन्य वन सामग्री जिनसे जंगल बढ़ाया जाता है। वानिकी सेवा के कार्यकलाप : टिम्बर क्रूसिंग, टिम्बर मूल्यांकन, पहले और बाद में अग्नि रोधक उपाय एवं वन-प्रबंधन; बोटा बनाने के कार्य : बोटों की ढुलाई तथा बोटे बनाने का कार्य जो मुख्यतया जंगल के भीतर किया जाता है।
बी : मत्स्य उद्योग			
प्रभाग (डिविज़न) 05 : मछली पकड़ना, मछली सेने एवं मछली फार्म के कार्य तथा मछली पकड़ने से जुड़े सेवा कार्य			
050	01	**05001**	एक्वाकल्चर, मछली पकड़ना (समुद्री सामग्री एकत्र करना भी शामिल है); मछली सेने एवं मत्स्यपालन के कार्य; मछली पकड़ने से जुड़े सेवा कार्य

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
सीः खनन और उत्खनन			
प्रभाग (डिविज़न) 10 : कोयला और लिग्नाइट का खनन; पीट निकालना			
100	01	**10001**	कठोर कोयले का खनन (माइनिंग) और संपीडन (एग्लोमरेशन)
			कठोर लिग्नाइट का खनन और एग्लोमरेशन
			पीट निकालना और एग्लोमरेशन
प्रभाग (डिविज़न) 11 : कच्चा पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकालना तथा सर्वेक्षण कार्य को छोड़कर संबद्ध सेवा कार्यकलाप			
111	01	**11101**	कच्चा पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकालना
112	01	**11201**	तेल एवं गैस निकालने से जुड़े सेवा कार्य जिसमें सर्वेक्षण शामिल नहीं है।
प्रभाग (डिविज़न) 12 : यूरेनियम और थोरियम का खनन			
120	01	**12001**	कच्चे यूरेनियम और थोरियम का खनन (जैसे - पिचब्लेंड), इन कच्ची धातुओं का सांद्रण
प्रभाग (डिविज़न) 13 : कच्ची धातु का खनन			
131	01	**13101**	कच्चे लोहे का खनन (इसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट या टैकोनाइट आदि का खनन शामिल हैं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है । कच्चे निसाद लोहे का उत्पादन भी इसमें शामिल है)
132	01	**13201**	कच्ची गैर-फेरस धातु का खनन जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है - इसमें कच्ची मैग्नीज़, कच्ची क्रोमियम; कच्ची एल्युमिनियम (बॉक्साइट); कच्चे सोने व चांदी, कच्चा तांबा, कच्चा सीसा और जस्ता; कच्चा टाइटेनियम (इल्मेनाइट तथा रियूटाइल), नाइओबियम, टैंटालम, वैनेडियम या ज़िरकोनियम, टिन वाली कच्ची धातु; निकेल, कोबाल्ट, टंग्स्टन, मोलिब्डेनम, ऐंटिमोनी और अन्य गैर-फेरस कच्ची धातुएं
प्रभाग (डिविज़न) 14 : अन्य खनन एवं उत्खनन (माइनिंग एंड क्वारिंग)			
141	01	**14101**	अन्य खनन (माइनिंग) और उत्खनन (क्वारिंग)
			पत्थर (चट्टानों के चट्टे), रेत, चिकनी मिट्टी और निर्माण की अन्य सामग्री (संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट एवं अन्य भवन तथा स्मारक पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम और सेलेनाइट का उत्खनन; रेत और गिट्टियों का कार्य, बेसाल्ट/प्राफरी, चिकनी मिट्टी (साधारण)); चूना या सीमेंट बनाने या भवन निर्माण सामग्री के रूप में फ्लक्स या कच्चे माल की तरह उपयोग करने के लिए पत्थरों को पीसना व तोड़ना, सड़क हेतु धातु या बैलस्ट और निर्माण हेतु अन्य सामग्री;
			लाइमस्टोन, लाइमशेल, कंकड़ और अन्य कैल्सेरियस खनिज का खनन/उत्खनन जिसमें कैलसाइट, चाक और शेल शामिल हैं; चिकनी मिट्टी (कायोलीन, बाल क्ले, बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, फायर क्ले आदि) का खनन; अपवर्तनीय गैर-क्ले

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			खनिज (एन्डालुसाइट, केनाइट, सिलिमेनाइट, ड्यूनाइट, डायसपोर, मैग्नेसाइट आदि) का खनन ।
			रासायनिकों एवं उर्वरकों [प्राकृतिक गंधक अथवा पाइराइट तथा गंधक के लिए मुख्य रूप से मूल्यांकित पाइरोटाइट्स सहित; एपेटाइट खनिजों सहित प्राकृतिक फॉस्फेट, मिट्टी के रंग (लाल ऑक्साइड सहित गेरु); फ्लूरोस्पार, बैराइट्स; नमक/खनिजों वाले पोटाश; बोरेट खनिज तथा अन्य उर्वरक एवं रासायनिक खनिजों] का खनन
			नमक की निकासी [नमक के खनन, पिसाई तथा छानना एवं सामुद्रिक जल के सूर्य द्वारा बाष्पीकरण से नमक का उत्पादन, लेक ब्राइन तथा अन्य प्राकृतिक ब्राइनों-सहित]
			अन्य खनन एवं खुदाई, अ.व.न. (एन.ई.सी.) [मूल्यवान पत्थरों (एगेट, हीरा, पन्ना, तामड़ी (रत्न), सूर्यकान्त मणि, माणिक्य/नीलम आदि); घिसनेवाले पदार्थ (प्यूमिस स्टोन, एमेरि, कोरण्डम, फारनेट आदि) अबरक; प्राकृतिक ग्रेफाइट; एस्बेस्टस; कृमकता, पर्लाइट तथा क्लोराइट्स; फेल्सपर तथा क्वार्ट्ज सहित सिलिका खनिज, क्वार्ट्जाइट तथा फ्यूक क्वार्ट्जाइट; टॉल्क/स्टीएटाइट, लैटेराइट, डायाटोमाइट तथा सिलिका-युक्त फॉसिल धातु, तथा अन्य प्राकृतिक स्राव, प्राकृतिक एस्फॉल्ट अथवा बिटुमेन एवं अन्य खनन अ.व.न.-सहित]
डी. विनिर्माण (मैन्युफ़ैक्चरिंग)			
प्रभाग 15: खाद्य उत्पादनों तथा पेय पदार्थों का उत्पादन			
151	01	**15101**	मॉसः पशुओं को काटना (स्लाटरिंग), माँस की तैयारी तथा संरक्षण [जिसमें भेड़ का माँस, गो-माँस, सूअर का माँस, कुक्कुट-पालन तथा अन्य पशु-वध; माँस का प्रसंस्करण तथा डिब्बे में बन्द करना, सूअर की चर्बी तथा खाने योग्य अन्य जानवरों की चर्बी का प्रस्तुतीकरण तथा परिष्कार, आटे तथा माँस के भोजन एवं माँस के छिछड़े का उत्पादन शामिल है।]
151	02	**15102**	मछली : मछली को प्रसंस्कृत, डिब्बे में बन्द किया जाना, जमाया जाना, संरक्षित किया जाना क्रस्टंशियन तथा इसी की तरह के खाद्य [जिसमें धूप में सुखाना, कृत्रिम निर्जलीकरण, मछली का विकिरण से संरक्षण, समुद्री भोजन तथा इसी प्रकार के खाद्य, मछली के भोजन का उत्पादन, मेढ़क की टाँग का प्रसंस्करण तथा डिब्बा बन्द करना आदि शामिल है।]
151	03	**15103**	फल एवं सब्जियाँ : फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, डिब्बे में बन्द करना तथा संरक्षण [धूप में सुखाना, कृत्रिम निर्जलीकरण, विकिरण संरक्षण, फल एवं सब्जियों के रस का निर्माण, सान्द्रण, लुगदी बनाना तथा चूर्ण तैयार करना, चटनी, जैम, जेली, मुरब्बे तैयार करना, चोखा, चटनी, मुरब्बे आदि, सहित आलू का आटा तथा भोजन एवं सब्जियों के तैयार किए गए भोजन।]

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
151	04	**15104**	तेल तथा वसाः सब्जी एवं जानवरों के तेल एवं चर्बी का उत्पादन [हाइड्रोजन युक्त तेलों, वनस्पति घी तथा अन्य खाद्य तेल एवं चर्बियां जैसे कि सरसों, कपास के बीज का तेल, सीसम तथा सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल तथा मूँगफली का तेल, मछली का तेल, जानवरों के तेल तथा चर्बियां आदि; अवशिष्ट उत्पादनों, उदाहरणार्थः ओलियोस्टीयरिन पामस्टीयरिन सहित केक एवं भोजन का उत्पादन, गैर-अपस्फीत आटे अथवा तैलीय बीजों, ऑयलनट अथवा गरी का उत्पादन सहित] {अखाद्य तेल कूट 24212 के अन्तर्गत दर्शाए जाएं।}
152	01	**15201**	दुग्ध उत्पादन : दुग्ध उत्पादनों को तैयार किया जाना (जिसमें दूध का पाउडर, आइसक्रीम पाउडर, संघनित दुग्ध, बच्चों के लिए खाद्य दूध, मक्खन, घी, क्रीम, पनीर, खोया आदि; पास्चराइज्ड दूध का उत्पादन (सादा अथवा स्वादयुक्त); आइसक्रीम, कुल्फी, तथा अन्य दुग्ध उत्पादन शामिल हैं) दुग्ध को ठंडा करने सहित
153	01	**15301**	अनाज की मिलों के उत्पादनः अनाज के मिलों के उत्पादन का निर्माण (जिसमें आटा, चावल तथा दाल का पिसना, धान की कुटाई, आटे की चक्कियाँ; अनाज को प्रसंस्कृत किया जाना तथा पिसाई; सब्जियों की पिसाई जड़ों, कन्दों अथवा खाद्य तरों की सूखी छीमीदार सब्जियों के आटे अथवा भोजन, अनाज के भूने हुए अथवा फुलाने से प्राप्त नाश्ते के खाद्य का निर्माण; तैयार किए गए मिश्रित आटे तथा ब्रेड, केक के लिए गूँथा हुआ आटे का उत्पादन आदि शामिल है।)
153	02	**15302**	स्टार्च तथा स्टार्च उत्पादः स्टार्च तथा स्टार्च उत्पादों का उत्पादन (साबूदाना तथा साबूदाना के उत्पादों, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज सीरप, माल्टोज़, ग्लूटीन, स्टार्च, अनाज के तेल से तैयार किए गए टैपीओका अनुकल्प आदि के सहित)
153	03	**15303**	जानवरों का चाराः जानवरों हेतु तैयार किए गए चारे का उत्पादन (पशुओं के लिए चारे, कुक्कुटों का भोजन तथा अन्य जानवरों एवं पक्षियों के चारे सहित)
154	01	**15401**	मिष्टान्न उत्पादों का निर्माण, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज, मिष्टान्न उत्पाद तथा अन्य बेकरी उत्पाद।
154	02	**15402**	चीनी तथा चीनी उत्पादों के आशोधन एवं उत्पादन (वैक्यूम पैन चीनी के कारखाने) तथा सह-उत्पादों सहित छोला (मोलासेज़) का उत्पादन
154	03	**15403**	देशी चीनी का उत्पादन, ईख से अथवा ईख के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से 'बूरा', गुड़ एवं 'खांडसारी' मिश्री, तथा देशी ईख/चुकन्दर/ताड़ी उत्पादों आदि।
154	04	**15404**	कोको, चॉकलेट तथा चीनी का उत्पादन: मिठाइयों के उत्पादन सहित मिष्टान्न, चिविंग गम तथा फलों, नट, फलों के छिलके एवं पौधों के अन्य हिस्सों का चीनी में संरक्षण

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
154	05	**15405**	मैकेरोनी, नूडल्स, कॉर्न-फ्लेक्स तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पादों जैसी अर्द्ध-संसाधित एवं खाने के लिए तैयार वस्तुओं का उत्पादन
154	06	**15406**	चाय प्रसंस्करण तथा मिश्रण बनाने वाली इकाइयाँ (तुरंत चाय के उत्पादन सहित) जिन्हें स्वयं का चाय बागान/संपदा नहीं है।
154	07	**15407**	कॉफी की क्यूरिंग, भूनना, पिसना एवं मिश्रण तैयार करना आदि जिसमें तुरंत कॉफी, चिकोरी तथा कॉफी के अन्य स्थानापन्नों, कॉफी के सान्द्रण के अन्य सत्वों का उत्पादन शामिल है।
154	08	**15408**	खानेवाली मूंगफली का प्रसंस्करण
154	09	**15409**	अन्य सभी खाद्य उत्पादों जो अ.व.न. हैं जैसे मसाले की पिसाई एवं प्रसंस्करण; पापड़, अपालम तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद; विटामिनयुक्त अधिक प्रोटीनवाला आटा, दाल एवं अन्य अनाजों को तलना जिसमें नटों को भूनना, अंडे का पाउडर, सांभर का पाउडर आदि शामिल है, माल्टा युक्त खाद्यों, साधारण नमक टेबुल / आयोडीनीकृत नमक आदि का उत्पादन।
पेय पदार्थों का उत्पादन			
155	01	**15501**	स्पिरिट का आसवन, आशोधन तथा सम्मिश्रण; किण्वित पदार्थों से ईथाइल अल्कोहल का उत्पादन, देशी शराब का उत्पादन।
			फेनी सहित शराबों का उत्पादन
			माल्टायुक्त पेय पदार्थ (बीयर आदि) का उत्पादन; माल्ट का उत्पादन
155	02	**15502**	शीत पेयों (सॉफ्ट ड्रिंक) (वातित पेय पदार्थों, सिंथेटिक स्वादयुक्त सान्द्रों तथा सीरप आदि); खनिज जल, बोतलबंद जल तथा अन्य पेय पदार्थों का उत्पादन, जो अ.व.न. हैं।
प्रभाग (डिविज़न) 16: तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण			
160	01	**16001**	तम्बाकू प्रसंस्करण (तम्बाकू की पत्तियों के वृत्त तैयार करने (स्टेमिंग), पुन: सुखाए जाने आदि सहित)
			तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन (बिड़ी के उत्पादन, सिगरेट तथा सिगरेटवाले तम्बाकू, सिगार तथा चुरुट, सूंघनी, 'जर्दा', चबानेवाला तम्बाकू, 'गुटखा' तथा तम्बाकू के अन्य उत्पादों के उत्पादन सहित)
160	03	**16003**	चबानेवाली वस्तुएँ जैसे-पान मसाला, सुगंधित सुपारी, कत्था, चबानेवाला चूना तथा इससे संबंधित उत्पादों (तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद जिसमें शामिल नहीं) के उत्पादन।
प्रभाग (डिविज़न) 17 : वस्त्रों का उत्पादन विनिर्माण			
171	01	**17101**	सूती वस्त्र मिश्रित सूत सहित कपड़े के धागों की तैयारी एवं कताई, बुनाई, सूती तथा सूत मिश्रित कपड़ो का उत्पादन (मिश्रित सूत / कपड़े के साधन, 50% से

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			अधिक एक सूत का तागा या कपडा); कपड़े तथा मिश्रित कपड़े का परिष्कार इस परिष्करण में ब्लीचिंग, रंगाई, वर्गीकरण, झटकना, सिकोड़ना तथा छपाई आदि कार्य शामिल हैं)
171	02	**17102**	जूट तथा अन्य प्राकृतिक धागों के वस्त्र : अन्य मिश्रित प्राकृतिक धागों-सहित जूट, मेस्टा, सन तथा अन्य प्राकृतिक धागों की तैयारी, इश्तरी करना, गट्ठर बनाना, कताई एवं बुनाई [जूट, मेस्टा, सन तथा अन्य वानस्पतिक वस्त्रों की ब्लीचिंग, रँगाई तथा छपाई]
171	03	**17103**	रेशमी तथा सिंथेटिक वस्त्र: मिश्रित रेशम अथवा सिथेंटिक धागे सहित रेशमी तथा सिंथेटिक (मानव-निर्मित) धागों (रेयॉन, नाइलॉन, टेरीन कृत्रिम रेशम आदि) की तैयारी एवं कताई, रेशमी अथवा सिंथेटिक धागे अथवा रेशमी और सिंथेटिक मिश्रित कपड़े की बुनाई एवं उत्पादन, रेशमी अथवा सिंथेटिक एवं मिश्रित रेशमी अथवा सिंथेटिक वस्त्रों का परिष्करण।
171	04	**17104**	ऊनी वस्त्र: अन्य जानवरों के बाल एवं जानवरों के बाल सहित मिश्रित ऊन को शामिल करते हुए ऊन की तैयारी (सफाई, गट्ठर बनाना तथा प्रसंस्करण) एवं कताई; बुनाई, ऊन तथा ऊन मिश्रित वस्त्रों का उत्पादन; मिश्रित ऊन के वस्त्रों तथा ऊन का परिष्करण।
171	05	**17105**	हैंडलूम तथा खादी के वस्त्र (कताई, बुनाई, रँगाई, छपाई आदि)
172	01	**17201**	परिधान, जैसे कि पर्दे, बिछावन, कमरे का साज-सामान (कालीन आदि) बिस्तर, रजाइयाँ, तकिया, गद्दे तथा स्लीपिंग बैग, मशहरी आदि के अतिरिक्त तैयार वस्त्रों की वस्तुओं का उत्पादन; तारपोलीन का उत्पादन
172	02	**17202**	जूट, मेस्टा सन तथा अन्य वानस्पतिक धागों के उत्पादों जैसे कि-रस्सियां, रस्से, सुतली आदि (जिसमें जटा शामिल नहीं है) का उत्पादन
172	03	**17203**	नारियल-जटा तथा नारियल-जटा से बने धागों एवं सूत की चटाइयों आदि सहित नारियल जटा के उत्पाद।
172	04	**17204**	शॉल, कम्बल, गलीचे, दरियाँ,मोटी दरियाँ और कालीन का उत्पादन।
172	09	**17209**	अन्य कपड़े और कपड़े के सामान का उत्पादन धागे के गोले बनाने सहित धागों का उत्पादन जालों का उत्पादन (जिसमें मशहरी शामिल नहीं हैं); फीते, नेवार तथा वर्तिका का उत्पादन; जूट/मेस्टा/सन तथा नारियल-जटा के अलावा रस्सियों एवं रस्सों का उत्पादन।
			कसीदाकारी के कार्य, डोरियों एवं झब्बों का निर्माण; जरी तथा जरी के कार्य; आभूषणों की ट्रिमिंग का निर्माण किया जाना गैस मेंटलों का निर्माण, कपड़े की वस्तुओं की भराई तथा भराई की वस्तुएं जैसे कि सफाई के तौलिया तथा फाहे

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			का उत्पादन; तैयार किये गये कॅनवास सामानों जैसे कि तम्बू एवं पालों आदि का उत्पादन; धातु के धागों अथवा जिम्पड धागे का उत्पादन; जलसह वस्त्रों (जिसमें तारपोलीन शामिल नहीं है) का उत्पादन; अन्य वस्त्र-उत्पाद जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किए गए हैं।
			बुने हुए तथा काँटे से बुने हुए वस्त्र एवं वस्तुओं का उत्पादन-सूती, ऊनी, सिंथेटिक आदि; वस्त्र उत्पाद
प्रभाग (डिविज़न) 18 : पहनने योग्य परिधानों का उत्पादन; रोएँ की ड्रेसिंग एवं रंगाई			
181	01	**18101**	पहनने योग्य परिधानों, तैयार की गई पोशाकों (खादी के अतिरिक्त का उत्पादन)
181	02	**18102**	खादी की पोशाकों का उत्पादन
182	01	**18201**	लोम (रोएँ) की ड्रेसिंग (जिसमें रगड़ा जाना, संसाधन, कमाई, ब्लीचिंग शामिल है) तथा रँगाई, लोम तथा खाल के उत्पादनों की वस्तुओं का उत्पादन; चमड़े की वस्तुओं की कढ़ाई तथा उत्कीर्णन
प्रभाग (डिविज़न) 19 : चमड़े की कसाई तथा ड्रेसिंग, चमड़े तथा चर्म उत्पादों का निर्माण			
191	01	**19101**	चमड़े की कसाई, तराई, परिष्कार, उत्कीर्णन, रोगन लगाना तथा चमड़े को सँवारना; इसमें कच्चे खाल तथा चमड़े को उतारना एवं तराई सोल तथा औद्योगिक चमड़े की कसाई तथा परिष्करण, चमड़े की वानस्पतिक क्रोम की कमाई शामिल है।
191	02	**19102**	सूटकेस, हैण्डबैग, जीनसाजी, साज़ चढ़ाने आदि चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों (फूटवीयर को छोड़कर) का निर्माण
फुटवीयर का निर्माण			
192	01	**19201**	चमड़े के फुटवीयर का निर्माणः इसमें चमड़े के जूते, चमड़े की सैंडलें एवं चप्पलें हाथ से अथवा अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित चमड़ा-सह-रबर/प्लास्टिक कपड़े की सैण्डल एवं चप्पलें शामिल हैं।
192	02	**19202**	सभी प्रकार के अन्य फुटवीयरों का निर्माण : इसमें मुख्य रूप से गल्मेनाइज्ड अथवा साँचे में ढाले गए रबर एवं प्लास्टिक से निर्मित फुटवीयर का उत्पादन, रबर फुटवीयर, प्लास्टिक एवं पीवीसी, कैनवास-सह-रबर/प्लास्टिक फुटवीयर आदि सहित स्पोर्ट्स फुटवीयर शामिल है।
प्रभाग (डिविज़न) 20: लकड़ी का निर्माण तथा फर्निचर के सिवाय लकड़ी एवं कार्क के वस्तुओं का उत्पादन			
201	01	**20101**	चिराई-मिल तथा लकड़ी के तख्ते लगाना (प्लाईवुड के अलावा) असंकलित लकड़ी का तल तैयार करने का उत्पादन जिसमें काष्ठचित्रकला का तल तैयार करना शामिल है; रेलवे स्लीपर का निर्माण

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			मुलम्मे (विनीअर) के शीट्स का उत्पादन; प्लाईवुड, पटलीकृत बोर्ड, पार्टीकिल बोर्ड तथा अन्य पैनल एवं बोर्डों का निर्माण
			भवन-निर्माताओं की बढ़ईगिरी तथा बढ़ईखाना का निर्माण; इमारती लकड़ी के सामानों (ट्रिटेड टिम्बर सहित) जैसे कि : शहतीरें, खम्भे, दरवाजे तथा खिड़कियों (खम्भों, सिटकनी तथा लकड़ी की अन्य वस्तुएँ (जिन्हें लॉगिंग के अन्दर वर्गीकृत किया गया है) की चिराई तथा मोटे तौर पर आकार दिए जाने को छोड़कर) आदि का निर्माण; मुख्यतः पहले के बने हुए लकड़ी से भवनों का निर्माण
			लकड़ी के डिब्बों का निर्माण-लकड़ी के बक्से, पीपे आदि (प्लाईवुड को छोड़कर), प्लाइवुड की तिजोरियाँ, बाज़ार के लिए टोकरियाँ, अनाज संग्रह हेतु बिन्स, राशन की टोकरियाँ तथा इसी प्रकार बाँस तथा नरकट आदि से बने उत्पाद, पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः बेंत, रैटन, बाँस, मिसा, रेभे, पत्रियों तथा घास के उत्पादों से बने लकड़ी के अन्य डिब्बे।
			लकड़ी के अन्य उत्पादों का निर्माण, कॉर्क की वस्तुओं का निर्माण, तिनके तथा चुनट पदार्थों का उत्पादन
प्रभाग (डिविज़न) 21: कागज तथा कागज के उत्पादों का निर्माण			
210	01	**21001**	लुगदी, कागज तथा कागज के बोर्डों (जिसमें छपाई एवं लिखाई के कागज, पैकिंग पेपर, पेपर बोर्ड, स्ट्रॉ बोर्ड, हार्ड बोर्ड, कंप्यूटरों के लिए विशेष प्रयोजन हेतु कागज/कागज के उत्पाद शामिल हैं) का उत्पादन।
210	02	**21002**	अखबारी कागज का उत्पादन
210	03	**21003**	लहरदार कागज तथा पेपर बोर्ड का उत्पादन तथा कागज के डिब्बे तथा पेपर बोर्ड (जिसमें बोरे तथा कागज के बैगों का उत्पादन, कार्ड बोर्ड के बक्से आदि शामिल हैं) का उत्पादन; क्राफ्ट पेपर का उत्पादन।
			कागज की अन्य वस्तुएँ तथा पेपरबोर्ड, जैसे- पेपर के छल्ले तथा शंकु, पेपर के प्याले, कटोरियाँ, प्लेट तथा उसी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन; लुगदी से गुड़ियों, कागज से बनी वस्तुएँ वॉल पेपर, फाइल कवर/फाइल बोर्ड, उसी प्रकार की वस्तुएँ, कार्बन पेपर तथा लेखन सामग्रियों आदि का उत्पादन।
प्रभाग (डिविज़न) 22: रिकॉर्ड किए गए मीडिया का प्रकाशन, मुद्रण तथा पुनरुत्पादन			
221	01	**22101**	पुस्तकें, विवरणिका, संगीत की पुस्तकें और अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन
			समाचार पत्र, आवधिक पत्रिकाएं तथा जर्नलों का प्रकाशन
			रिकार्ड किए गए मीडिया का प्रकाशन (इसमें रिकार्ड तथा रिकार्ड किए गए श्रव्य मीडिया के अन्य प्रकाशन भी शामिल है)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाएं, जर्नल, अन्य सामग्री तथा संबद्ध कार्य (जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया) का मुद्रण
			मुद्रण से संबंधित सेवाएं, जैसे एनग्रेविंग, इचिंग, बुक-बाइंडिंग, ब्लॉक मेकिंग इत्यादि
			रिकार्ड किए गए मीडिया का पुनरुत्पादन (रिप्रोडक्शन)
प्रभाग (डिविज़न) 23: कोयला उत्पाद/कोक, रिफाइन किए गए पेट्रोलियम उत्पाद और नाभिकीय (न्यूक्लियर) ईंधन का निर्माण			
231	01	**23101**	कोक या कोक ओवन उत्पादों (इसमें कोक ओवन का परिचालन जो मुख्यत: सख्त कोयले और भूरे कोयले (लिगनाइट), रिटोर्ट कार्बन, तथा कोलतार या पिच, कोल गैस, नेप्थालीन इत्यादि जैसे बचे उत्पादों से कोक या सेमी-कोक के निर्माण के लिए किया गया हो) का निर्माण, कोक का ढेर लगाना।
232	01	**23201**	रिफाइन किए गए पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन।
233	01	**23301**	नाभिकीय ईंधन (न्यूक्लियर फ्यूएल) का संसाधन
प्रभाग (डिविज़न) 24: रसायनों और रासायनिक उत्पादों का उत्पादन			
241	01	**24101**	मूल रसायनों, खाद और नाइट्रोजन कंपाउंड (भारी उद्योग के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रसायन तथा गैस) को छोड़ कर मूल रसायनों का उत्पादन
241	02	**24102**	टर्पेन्टाइन और वनस्पति मूल के रेजिन का उत्पादन
241	03	**24103**	खाद और नाइट्रोजन कंपाउंड का उत्पादन
241	04	**24104**	प्लास्टिक के प्राथमिक स्वरूप तथा सिन्थेटिक रबर का उत्पादन: इसमें सिन्थेटिक रबर, एमिनो-रेजिन, फेनोलिक रेजिन, पॉलियुरेथीन्स, सेल्यूलोज और उसके रासायनिक व्युत्पन्न, नैचुरल पॉलिमर्स और संशोधित नैचुरल पॉलिमर्स, प्राथमिक अवस्था के अन्य प्लास्टिक (इसमें सिंथेटिक रबर तथा प्राकृतिक रबर या रबर जैसे गोंद, उदा: बलाटा का मिश्रण भी शामिल है) का उत्पादन शामिल है।
242	01	**24201**	कीटनाशक तथा अन्य/कृषि संबंधी रासायनिक उत्पादों का निर्माण
242	02	**24202**	पेंट, वार्निश तथा इस तरह के अन्य कोटिंग, छपाई की स्याही, तथा मैस्टिक का उत्पादन
242	03	**24203**	औषधीय, चिकित्सा संबंधी रसायनों तथा वनस्पति संबंधी उत्पादों का निर्माण (इसमें आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक तथा यूनानी औषधियां, पशु-चिकित्सा संबंधी उत्पाद, सर्जिकल ड्रेसिंग शामिल है)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
242	04	**24204**	सभी प्रकार के साबुन, वैक्स और पॉलिश ऑर्गेनिक सरफेस-एक्टिव एजेन्ट्स (सर्फेक्टेंट्स) और उस आधार पर बने अन्य उत्पाद, डिटर्जेन्ट, धोने और सफाई के सह-उत्पाद, परफ्यूम, कोलोन, दांतों की सफाई हेतु उत्पाद (टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर इत्यादि) सौंदर्य प्रसाधन आदि (शेविंग से पहले और शेविंग के बाद लगाने का सामान, एंटी-रेस्पिरंट आदि), केशतेल, शैम्पू, हेयर-डाय, तथा अन्य प्रसाधन सामग्रियाँ, अगरबत्ती तथा अन्य सुगंधित सामग्रियाँ, (जिसे जलाया जाता है), का उत्पादन
242	11	**24211**	माचिस तथा पटाखों, विस्फोटकों, युद्ध सामग्री का उत्पादन
242	12	**24212**	अखाद्य तेल, आवश्यक तेलों का उत्पादन, तेल और वसा (फैट्स) का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रूपांतरण (उदा. ऑक्सिडेशन, पोलिमराइजेशन आदि द्वारा)
242	13	**24213**	फोटोकेमिकल, संवेदनशील फिल्म और कागज का उत्पादन
242	14	**24214**	जिलेटिन और जिलेटिन उत्पाद, पशुजन्य गोंद/सरेस, बनाया गया गोंद और रबर या प्लास्टिक आधारित चिपकाने के पदार्थों सहित अन्य चिपकाने वाले उत्पादन
242	19	**24219**	फाईन केमिकल तथा अन्य केमिकल जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया (इसमें एन्टी - नॉक उत्पाद, एन्टी फ्रीज उत्पाद, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए तरल पदार्थ, कंपोजिट डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी री-एजंट, लिखने वाली और चित्र निकालने हेतु स्याही, संसाधित नमक (टेबल-साल्ट छोड़कर) तथा अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण शामिल है।)
243	01	**24301**	हस्त निर्मित फाइबर (इस श्रेणी में कृत्रीम या सिन्थेटिक फिलामेंट और नॉन - फिलामेंट फाइबर भी शामिल है)
प्रभाग (डिविज़न) 25: रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण			
251	01	**25101**	रबर टायरों, ट्यूब का उत्पादन, टायरों की रि-ट्रीडिंग, न्यूमैटिक टायर और ठोस या कुशन टायर बदलना, टायरों के भाग जैसे बदलने योग्य टायर ट्रीड या टायर फ्लैप, टायरों को नया-सा करने के लिए 'कैमल बैक' स्ट्रिप तथा टायर और ट्युब आदि.
251	02	**25102**	अन्य रबर उत्पादों का निर्माण जैसे रबर प्लेट, शीट, स्ट्रिप, रॉड, ट्यूब, पाइप, होसेस तथा प्रोफाइल-शेप इत्यादि, रबर कन्वेयर या ट्रांसमिशन बेल्ट या बेल्टिंग का निर्माण, रबर गर्भनिरोधकों, गुब्बारे (बैलून), गर्म पानी की थैलियों इत्यादि का उत्पादन, औद्योगिक प्रयोग हेतु रबर के उत्पाद एवं पुर्जे (ऑयल क्लॉथ और रबरयुक्त कपड़ों को छोड़कर)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
252	01	**25201**	प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण - इसमें अर्द्ध-परिष्कृत उत्पाद, पैकिंग उत्पाद, नहाने के टब, वॉश बेसिन, शौचालय के पैन और कवर, फ्लशिंग सिस्टर्न और इसी प्रकार के प्रसाधन के सामान, यात्रा का सामान (सूट केस, प्रसाधन बैग, होल्डाल तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुएं), चश्मे की फ्रेम, साँचे में ढला औद्योगिक सहायक सामान (इसमें प्लास्टिक की विद्युत इन्सूलेटिंग फिटिंग शामिल है), टेबलवेयर, रसोईघर का सामान, तथा अन्य घरेलू और प्रसाधन के सामान, वैक्युम फ्लास्क और अन्य वैक्युम बर्तन, प्लास्टिक हेड-गियर्स आदि शामिल है।
252	02	**25202**	फाइबर ग्लास और उत्पादों का निर्माण
प्रभाग (डिविज़न) 26 : अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण			
261	01	**26101**	ग्लास तथा ग्लास फाइबर, फ्लोट ग्लास आदि ग्लास उत्पादों का निर्माण
269	01	**26901**	नॉन-स्ट्रक्चरल नॉन-रिफ्रेक्टरी सिरेमिक वेयर का निर्माण-इसमें पोर्सीलीन या चीनी मिट्टी की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, इमिटेशन पोर्सिलेन या सामान्य मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और आभूषण तथा पत्थर की अन्य वस्तुएं, सिरेमिक टेबल वेयर और घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं जैसे सिरेमिक की छोटी मूर्तियां तथा अन्य आभूषण की अन्य वस्तुएं सिरेमिक की प्रसाधन सामग्री, सिरेमिक इन्सुलेटर और विद्युत के लिए लगने वाले इन्सूलेटिंग फिटिंग आदि इसमें शामिल हैं।
			रिफ्रेक्टरी सिरेमिक उत्पाद जैसे रिफ्रेक्टरी ब्रिक (ईंट), ब्लॉक टाईल्स और इसी प्रकार के रिफ्रेक्टरी सिरेमिक निर्माण सामान का उत्पादन, रिफ्रेक्टरी सीमेंट का उत्पादन; सिरेमिक उत्पाद जो धातुकर्मीय कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं; टोंटीदार बर्तन (रिटोर्ट), क्रूसिबल्स, मफल्स, टोंटी (नोजल) ट्यूब, पाइप इत्यादि का निर्माण
			स्ट्रक्चरल नॉन-रिफ्रेक्टरी मिट्टी और सिरेमिक उत्पादों का निर्माण जैसे ईंट, नॉन-रिफ्रेक्टरी सिरेमिक पाइप, आवरण नली (कॉन्डूइट) गटरिंग और पाइप फिटिंग, ईंट को छोड़कर सिरेमिक की भवन-निर्माण सामग्री, फ्लोरिंग ब्लॉक्स, छत की टाइल्स, दीवारों की टाइल्स, फ्लैग और पेविंग, मोजेइक क्यूब का निर्माण
269	02	**26902**	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का निर्माण
269	03	**26903**	कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर के सामान का उत्पादन जिसमें (एसबेस्टॉस) सीमेंट, उसके उत्पाद, ह्यूम पाइप आदि शामिल है.
269	04	**26904**	पत्थर काटना, उसे आकार देना फिनिशिंग करना (इसमें निर्माण कार्य, सीमेटरी, रोड, छत तथा अन्य कार्य हेतु प्रयोग में लाए गए पत्थर को काटना, आकार देना तथा उसकी फिनिशिंग करना शामिल है।)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
269	05	**26905**	अभ्रक (माइका) और अभ्रक उत्पादों को निर्माण, जिप्सम बोर्ड, मिलस्टोन, पत्थरों को धारदार बनाना या पॉलिश करना, तथा प्राकृतिक और अप्राकृतिक घर्षणकारी उत्पाद, विद्युत सामान के अलावा ग्रॅफाइट उत्पाद, ॲस्बेस्टॉस्, सूत और कपडे, धात्विक इनसुलेटिंग सामान (स्लॅग और रॉक वुल, एक्सफोलिअेटेड वर्मील्युलाइट, फूली हुई चिकनी मट्टी आदी) उष्मा-पृथक्करण के लिये ग्लास वूल के बनाये गये उत्पाद तथा डामर का सामान आदि का उत्पादन
प्रभाग (डिविज़न) 27 : मूल धातु का निर्माण			
271	01	**27101**	मूल लोहा तथा स्टील (स्मेल्टिंग रोलिंग, री-रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, वायर ड्राइंग इत्यादि) का उत्पादन इसमें लौह मिश्र धातु (फेरो अलॉय) डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI)/स्पॉन्ज आयरन, पिग आयरन (हॉट मेटल), नान अलॉय स्टील, प्राथमिक/अपूर्ण/पूर्ण/लंबे/चपटे - उत्पाद शामिल हैं, स्टील मिश्र धातु का उत्पादन, स्टेन-लेस स्टील का उत्पादन (प्राथमिक, अपूर्ण, पूर्ण स्टेन-लेस स्टील उत्पाद)।
272	01	**27201**	मूलतः बहुमूल्य तथा गैर-लौह धातुएँ जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, पीतल आदि का उत्पादन (स्मेल्टिंग, रोलिंग, री-रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, वायर ड्राइंग इत्यादि)
273	01	**27301**	लोहा तथा स्टील की कास्टिंग
273	02	**27302**	लौहहीन धातुओं की कास्टिंग
प्रभाग (डिविज़न) 28: फैब्रीकेटेड धातु उत्पादों का निर्माण, (यंत्र और उपकरण को छोड़कर)			
281	01	**28101**	संरचनात्मक (स्ट्रकचरल) धातु उत्पादों का निर्माण
			टैंक, हौज तथा मेटल कंटेनर का निर्माण (कंप्रेस्ड या लिक्विफाइड गैस हेतु मेटल कंटेनर का निर्माण, सेन्ट्रल हीटिंग ब्वॉयलर तथा रेडिएटर का निर्माण, हौज, टैंक और इसी प्रकार के कंटेनर जो भंडारण हेतु या धातुओं के निर्माणगत उपयोग, संवरण (क्लोजर) या आयरन स्टील एल्यूमिनियम को छोड़कर अन्य सामान के साथ उपयोग हेतु)
			स्टीम जनरेटर का उत्पादन (सेंट्रल हॉट वाटर बॉयलर छोड़कर) यंत्र सामग्री तथा उपकरण जिन्हे अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया
289	01	**28901**	धातु की फोर्जिंग, स्टैम्पिंग और रोल फार्मिंग पाउडर धातुकर्म
			धातुओं की ट्रीटमेंट और कोटिंग, शुल्क या ठेके के आधारपर सामान्य यांत्रिक इंजीनियरिंग
			छुरी-काँटा, हाथ के औजार, छोटे औजार, सामान्य और घरेलू हार्डवेयर का निर्माण

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			दुसरे गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं (मशीनरी और परिवहन को छोड़कर)
प्रभाग (डिविज़न) 29: यंत्र सामग्री तथा उपकरणों का उत्पादन जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है			
291	01	**29101**	इंजन और टरबाइन (एअर क्राफ्ट, वेहिकल तथा सायकल इंजन को छोड़कर), उसके पुर्जे तथा उपसाधनों का उत्पादन
			पंप, कंप्रेसर, इंडस्ट्रियल टैप और वाल्व का उत्पादन
			बियरिंग, गियर, तथा गियरिंग और ड्रायविंग के अवयवों का उत्पादन
			ओवन, फर्नेस, फर्नेस बर्नर, मैकेनिकल स्टोकर, मैकेनिकल ग्रेट, मैकेनिकल ऍश डिस्चार्जर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का उत्पादन
			लिफ्टिंग एवं हैण्डलिंग उपकरण, लिफ्ट, एलेवेटर, लिक्विड एलेवेटर, कन्वेयर, टेलिफेरिक्स आदि का उत्पादन
291	09	**29109**	रेफ्रिजरेटर या फ्रीजिंग उपकरण तथा उसके लिए बनाए गए फर्नीचर का उत्पादन, अग्निशामकों, तरल पदार्थों या पाउडर प्रक्षेपित करने, बिखराने या छिड़कने हेतु उपकरणों, तरल पदार्थों और गैसों (क्रीम सेपरेटर या क्लॉथ ड्रायर छोड़कर) के अपकेन्द्रण यंत्र (सेन्ट्रीफ्यूग मशीनरी), पैकिंग तथा वेष्ठन हेतु प्रयुक्त यंत्र सामग्री, वजन नापने की मशीन, तरल पदार्थों एवं गैस हेतु छानने तथा शुद्धिकरण के यंत्र या उपकरण
			डिस्टिलिंग और रेक्टिफाइंग प्लांट का उत्पादन, हीट एक्सचेंजर, हवा या गैस को तरल बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र सामग्री, प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस तथा ऐसेटलीन गैस जनरेटर; अन्य सामान्य यंत्र सामग्री, पुर्जों और उप-साधनों के साथ, जिन्हें कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है
292	01	**29201**	कृषि एवं वानिकी हेतु प्रयुक्त ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीन तथा अन्य भारी मशीनों का उत्पादन
292	02	**29202**	मशीन-टूल्स का उत्पादन
292	03	**29203**	सुरंग बनाने, उत्खनन तथा निर्माण कार्य हेतु लगने वाली यंत्र सामग्री (तथा पुर्जे) का उत्पादन
292	04	**29204**	खाद्य पदार्थ (चावल, चीनी, आटा इत्यादि भी), पेय (चाय, कॉफी की मशीनरी इत्यादि) तथा तंबाकू-संसाधन हेतु लगने वाली यंत्र सामग्री का उत्पादन
292	05	**29205**	वस्त्र, तैयार कपड़े तथा चमड़े के उत्पादों हेतु यंत्र सामग्री का उत्पादन
292	06	**29206**	कृषि तथा वानिकी हेतु हल्की मशीनें तथा उपकरणों (चारे की मशीन भी) का उत्पादन, हल, हैरो, निराई यंत्र (वीडर), कुदाल, बीज बोने का यंत्र, खाद फैलाने

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			का यंत्र, थिनर इत्यादि कृषि एवं वानिकी यंत्र सामग्री और उपकरणों हेतु पुर्जों और उप-साधनों का उत्पादन, कृषि, बागवानी या वानिकी, मधु-मक्खी-पालन और चारा बनाने हेतु प्रयुक्त अन्य यंत्र सामग्री और उपकरणों का उत्पादन (कृषि, बागवानी तथा वानिकी हेतु प्रयुक्त हाथ के औजारों का उत्पादन कोड - 28901 में वर्गीकृत किया गया है).
292	07	**29207**	धातुकर्म (मेटलर्जी) हेतु यंत्र सामग्री का उत्पादनः कनवर्टर, इनगॉट मोल्ड लैडल्स तथा कास्टिंग मशीन मेटल रोलिंग मिल तथा इन मिलों के लिए रोल
292	08	**29208**	हथियार और युद्ध सामग्री का उत्पादन
292	09	**29209**	विशेष नियोजनार्थ अन्य यंत्र सामग्री तथा उसके पुर्जे और उप-सामान जिन्हें अन्यत्र कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है
293	01	**29301**	घरेलू उपकरणों का उत्पादन जिन्हें अन्यत्र कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है जैसे तेल के स्टोव, हरिकेन लैनटर्न, और ऑयल प्रेशर लैम्प, गैस स्टोव, खाना पकाने तथा इस प्रकार के अन्य उपकरण, विद्युत पंखे, वॅक्यूम क्लीनर तथा अन्य इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घरेलू उपकरण जिसमें विद्युत मोटर लगे हों जैसे फूड प्रोसेसर और जूस बनाने के यंत्र इत्यादि, घरेलू रेफ्रिजरेटर/फ्रीजर और एअर-कंडीशनर, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, जैसे सोलर कुकर, हवा/पानी गरम करने का उपकरण (सेल को छोड़कर) इत्यादि का उत्पादन;
			इलेक्ट्रो - थर्मिक घरेलू उपकरण जैसे इमर्शन वाटर हीटर, हॉट-प्लेट, गीज़र, बाल बनाने हेतु इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण, विद्युत इस्तरी और विद्युत/इलेक्ट्रानिक खाना पकाने के उपकरण (ओवन, माइक्रोवेव ओवन, कुकर, हॉट प्लेट, टोस्टर, कॉफी या चाय बनाने के उपकरण इत्यादि), इलेक्ट्रिक डिश-वाशर, कपड़े धुलाई के घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक रेजर और घरेलू विद्युत उपकरणों के पुर्जे और उप-सामान, विद्युत या गैर विद्युत घरेलू उपकरणों के पुर्जे और उप-सामान.
प्रभाग (डिविज़न) 30: कार्यालय, लेखा कार्य, कंप्यूटिंग मशीनरी का उत्पादन			
300	01	**30001**	कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर को लगने वाला अन्य सामान, आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन तथा अन्य कंप्यूटिंग मशीनरी इत्यादि तथा उसके पुर्जों और उप-सामान का उत्पादन
300	02	**30002**	कार्यालय, लेखा-कार्य तथा कंप्यूटिंग मशीनरी (मैनुअल, अथवा विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, हेक्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लिकेटिंग मशीनें, छपाई मशीनें, गणनायंत्र, परिकलन मशीनें, लेखा मशीनें, रोकड़ा रजिस्टर डाक फ्रेंकिंग

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			मशीनें, टिकट वितरण मशीनें, और ऐसी ही मिलती-जुलती गणना मशीनें, फोटो कॉपी मशीनें इत्यादि
प्रभाग (डिविज़न) 31: विद्युत मशीनरी और उपकरणों का निर्माण जो अ.व.न. हैं			
311	01	**31101**	विद्युत मोटरों, विद्युत प्रजनकों और ट्रांसफार्मरों का निर्माण
312	01	**31201**	विद्युत उत्पादन और नियंत्रण उपकरणों का निर्माण [स्विचिंग या सुरक्षात्मक विद्युत परिपथ (जैसे स्विच, फ्यूज़ इत्यादि), हेतु विद्युतीय उपकरणों, बोर्ड, पैनल, कंसोलो, कैबिनेट और अन्य आधार (बेस) जिन पर पावर केपेसीटर्स सहित उपर्युक्त दो या ज्यादा विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण उपकरण लगे हों]
313	01	**31301**	आवरणयुक्त तार और केबल का उत्पादन [आवरणयुक्त (एनेमिल्ड या एनोडाइज़्ड सहित) तार, केबल (कोक्सियल केबल सहित) और अन्य आवरणयुक्त संवाहक, आवरणयुक्त पट्टियां जैसी उच्च क्षमता मशीनों या नियंत्रण उपस्करों में लगी होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल]
314	01	**31401**	संचयन यंत्र, प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैट्रियों का निर्माण
315	01	**31501**	विद्युत लैम्प और प्रकाशीय उपस्कर बनाना
319	01	**31901**	अन्यत्र न वर्गीकृत किए गए अन्य विद्युत उपकरन बनाना
प्रभाग (डिविज़न) 32: रेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्कर और उपकरणों का निर्माण			
321	01	**32101**	इलेक्ट्रॉनिक वाल्वस और ट्यूब्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का उत्पादन; समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान और जिन्हें अन्यत्र नहीं वर्गीकृत किया गया है वे पुर्जे
			टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमीटर और लाइन टेलीफोनी और लाइन टेलीग्राफी उपकरणों का उत्पादन; संबंधित विशेष पुर्जों और उनके सहायक वस्तुओं का निर्माण
			टेलीविजन और रेडियो रिसीवर, ध्वनि या वीडियो रिकार्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण, और संबद्ध सामानों का उत्पादन; संबंधित विशेष पुर्जों और सहायक वस्तुओं का उत्पादन
प्रभाग (डिविज़न) 33: चिकित्सा, परिशुद्धता और प्रकाश - विज्ञान संबंधी उपकरण, कलाई घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण			
331	01	**33101**	चिकित्सा, और शल्य चिकित्सीय उपस्कर और अस्थि-विज्ञान संबंधी उपकरणों का निर्माण

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			औद्योगिक क्रिया पद्धति नियंत्रण उपस्करों को छोड़कर मापन, जांच, परीक्षण, संतरण (नेवीगेशन)और अन्य उद्देश्यों वाले उपस्कर और उपकरणों का निर्माण
			औद्योगिक क्रिया पद्धति नियंत्रण उपस्करों का उत्पादन [तापमान, दाब, चिपचिपाहट, और इसी तरह का सामान या उत्पाद, क्योंकि इनका उत्पादन या संसाधन होता है, जैसे स्वचालित सतत मापन और नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण]
332	01	**33201**	प्रकाश विज्ञान संबंधी और फोटोग्राफिक उपकरणों का निर्माण
333	01	**33301**	कलाई घड़ियों और दीवार घड़ियों का उत्पादन
प्रभाग (डिविज़न) 34: मोटर वाहन, अनुयान (ट्रेलर) और अर्ध-अनुयान का उत्पादन			
341	01	**34101**	मोटर वाहन का उत्पादन-यात्री और व्यावसायिक वाहनों सहित जैसे मोटर कार, जीप, स्टेशन वैगन, सामान्य और बहुद्देशीय और विशेष उद्देशीय लारी, ट्रक और सामान वैन, स्वनिस्सारण उपकरण युक्त लारी, टैंकर्स, ड्राप फ्रेम लारी, कूड़ा-करकट संग्राहक इत्यादि के साथ अर्ध - अनुयान हेतु ओवर - द - रोड ट्रेक्टर्स
342	01	**34201**	मोटर वाहन के ढाँचे (कोच वर्क) का उत्पादन; अनुयानों और अर्ध-अनुयानों का उत्पादन; परिवहन द्वारा सामान ढोने वाले कंटेनरों का निर्माण
343	01	**34301**	मोटर वाहन और उसके इंजन के पुर्जे और सहायक वस्तुओं का उत्पादन [ब्रेक, गेयर बाक्स, धुरा, रोड पहिए, सस्पेंशन शॉक एब्ज़ोर्बर, विकिरणक (रेडिएटर), साइलेंसर, एक्जहास्ट पाइप, क्लच, स्टेयरिंग व्हील्स, स्टेयरिंग कालम्स और स्टेयरिंग बाक्स और अन्य पुर्जे और अन्यत्र न वर्गीकृत की गई सहायक वस्तुएं]
प्रभाग (डिविज़न) 35: अन्य परिवहन उपकरणों का उत्पादन			
351	01	**35101**	पानी वाले जहाज और मछली पकड़ने के जाल वाली नौका का निर्माण और मरम्मत [इस श्रेणी में पानी वाले जहाज का निर्माण और मरम्मत) (इसमें केलिपोत और मनोरंजन या क्रीड़ा वाली अन्य नौकाएं शामिल हैं) और तैरने वाली संरचनाएं, चाहे मालवाहक/यात्रीवाहक में प्रयोग होते हों या नहीं, जलयान ब्रेकिंग इत्यादि शामिल हैं।]
352	01	**35201**	रेलवे, रेल इंजन वाले ट्रामवे और रोलिंग स्टॉक का उत्पादन; पुर्जों और सहायक वस्तुओं का निर्माण भी इसमें शामिल है
353	01	**35301**	वायुयानों और अंतरिक्षयानों का उत्पादन - उड़न गुब्बारा, ग्लाइडर्स, हैंग ग्लाइडर्स और अन्य बिना विद्युत शक्ति वायुयान; इसमें पुर्जों और अन्य सहायक वस्तुओं का निर्माण भी शामिल है।

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
359	01	**35901**	मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर, स्कूटरेट, आटो-रिक्शा, टैम्पो (तिपहिया) और सहायक इंजन समेत साइकिल, साइड कार सहित या रहित मोटर साइकिल, स्कूटर और तिपहिया के इंजन, साइड कार तथा अन्य विशेष पुर्जों और गौण वस्तुओं का निर्माण
359	09	**35909**	साइकिल (रेस साइकिल और बच्चों वाली साइकिल समेत) साइकिल रिक्शा और अविधिमान्य वाहक का उत्पादन चाहे मोटरीकृत हो या न हो या अन्य प्रकार से यांत्रिक रूप से चालित; साइकिल, साइकिल रिक्शा और अविधिमान्य वाहक के पुर्जे और सहायक वस्तुओं का निर्माण
			बैलगाड़ी, ठेलागाडी, हाथगाडी इत्यादि का निर्माण; विभिन्न प्रकार की ट्रालियों के साथ किसी उद्योग विशेष हेतु विशिष्ट ट्राली सहित, अन्य (अन्यत्र न वर्गीकृत किए गए) उपस्करों का उत्पादन
प्रभाग (डिविज़न) 36:फर्नीचर का उत्पादन; विनिर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है			
361	01	**36101**	लकड़ी, बांस, सरकंडा, धातु, प्लास्टिक इत्यादि के फ़िक्सचर और फर्नीचरों का निर्माण
369	01	**36901**	आभूषण और संबंधित वस्तुओं (हीरे को छोड़कर अन्य कीमती धातुओं और रत्न) का उत्पादन और मुद्रा सिक्कों का ढालना
369	02	**36902**	हीरा काटना और पॉलिश करना
369	03	**36903**	संगीत उपकरणों का निर्माण
369	04	**36904**	खेलकूद और एथलेटिक्स सामानों का निर्माण
369	05	**36905**	खेल और खिलौनों का निर्माण
369	06	**36906**	लेखन सामग्री जैसे कलम, पेंसिल, पेंसिल लीड, कलम रिफिल, तारीख मुहर या नम्बर स्टांप, टंकक फीता, स्याही पेड इत्यादि का उत्पादन
369	07	**36907**	नकली आभूषण, झाडू और ब्रश, फर्श सफाई के उपकरण, फर्श पोंछने का उपकरण, पंखे वाले झाड़न, रंग-रोगन पैड और रोलर इत्यादि, छाते, धूप वाले छाते, टहलने वाली छड़ियां, बैठने की छड़ियां, चाबुक, कोड़े की मूठ, बटन, दबाव जोड़क, त्वरित जोड़क (स्नैप फासनर्स), दबाव स्टड और स्लाइड फासनर्स, व्यक्तिगत उपयोगार्थ वस्तुएं, धुम्रपान पाइप, कंघे, हेयर स्लाइड और ऐसी ही वस्तुएं, सिगरेट लाइटर, निर्वात (वैक्यूम) फ्लास्क, और घर में प्रयुक्त अन्य निर्वात पात्र; मानवीय केश साज-सज्जा के उपकरण और अन्य (अन्यत्र न वर्गीकृत किए गए) व्यक्तिगत प्रयोगार्थ उपकरण
369	09	**36909**	लिनोलियम और कठोर सतह वाले फर्शावरण का उत्पादन अन्य सजावटी उपकरणों का उत्पादन; हाथी दांत, हड्डियों और सींगों से बने सामान; बनावटी

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			फूल; अन्य आकर्षक और उपहार योग्य (अन्यत्र न वर्गीकृत की गईं वस्तुएं); मोमबत्तियों, उनकी बाती और अन्य मिलते-जुलते मोम उत्पादों का निर्माण; अन्य उत्पाद जो अ.व.न. हैं
प्रभाग 37: परिसंस्करण (रिसाइकलिंग)			
370	01	**37001**	धातुई कूड़ा-करकट (वेस्ट) और स्क्रैप का परिसंस्करण (रिसाइकलिंग) अधातुई कूड़ा-करकट (वेस्ट) और स्क्रैप का परिसंस्करण (रिसाइकलिंग)
ई. विद्युत, गैस और जल आपूर्ति			
प्रभाग (डिविज़न) 40: विद्युत, भाप और गर्म जल की आपूर्ति			
401	01	**40101**	विद्युत उत्पादनः जल-विद्युत ऊर्जा संयंत्र, कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र, तेल आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र, परमाणु रिएक्टर ऊर्जा संयंत्र और पारंपरिक ईंधन से चालित अन्य ऊर्जा संयंत्र (जैसे गैस आधारित)
			पारंपरिक स्रोतों से उत्पादित विद्युत का प्रेषण [जल-विद्युत ऊर्जा संयंत्र, कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र, तेल आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र, परमाणु रिएक्टर ऊर्जा संयंत्र और पारंपरिक ईंधन से चालित अन्य ऊर्जा संयंत्र (जैसे गैस आधारित)]
401	02	**40102**	पंपसेट/कुंओं का ऊर्जीयकरण (राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पंपसेटों/कुंओं के ऊर्जीयकरण हेतु दिए गए अग्रिम को यहाँ दर्शाया जाए)
401	03	**40103**	घरों, उद्योगों, व्यावसायिक और अन्य उपभोक्ताओं को देय विद्युत ऊर्जा का संग्रह एवं वितरण
401	04	**40104**	बायो-गैस ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण
401	05	**40105**	सौर-ऊर्जा और गैर-पारंपरिक स्रोतों (जैसे पवनचक्की आदि) से प्राप्त ऊर्जा का उत्पादन और वितरण
402	01	**40201**	गैस का उत्पादन, मुख्य केन्द्र द्वारा गैसीय ईंधन का वितरण
403	01	**40301**	भाप और गर्म जल की आपूर्ति
प्रभाग (डिविज़न) 41: जल का संचयन, शुद्धीकरण और वितरण			
410	01	**41001**	जल का संचयन, शुद्धीकरण और वितरण
एफ़ : निर्माण (कन्स्ट्रक्शन)			
प्रभाग 45 : निर्माण (कन्स्ट्रक्शन)			
			जिन कर्ज़ लेने वालों का मुख्य व्यवसाय निर्माण और नीचे दिए कार्यों का अनुरक्षण है

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			[अपने रहने हेतू के लिए व घर बनाने के लिए उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण व्यक्तिगत आवास ऋण के तहत दिखाया जाए। दुकानें, फ़ैक्टरियां, स्टाफ़ क्वार्टर्स, कार्यालय भवन आदि बनाने के लिए दिये गये ऋण को उधार लेनेवाले के प्रमुख कार्य-कलाप के अनुसार वर्गीकृत किया जाए]
आधार-भूत व्यवस्था (इंफ्रास्ट्रक्चर) के अलावा निर्माण कार्य			
450	01	**45001**	स्व-खाता, आधार पर या फीस पर या ठेका आधार पर रिहायशी भवनों का सामान्य निर्माण (परिवर्तन, अतिरिक्त निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सहित)
450	02	**45002**	सामान्य अनिवासी निर्माण (परिवर्तन, अतिरिक्त निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जो स्व-खाता आधार पर या किसी फीस या ठेके के आधार पर किया जाता है।
450	03	**45003**	विशिष्ट निर्माण (इसमें खेलकूद स्टेडियम और अन्य निर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं और अन्य विशिष्ट व्यापार निर्माण जैसे नींव कार्य, पनकुएं हेतु ड्रिलिंग ढाँचे इत्यादि का निर्माण शामिल है); ऊर्जा संयंत्रों के अलावा औद्यागिक संयंत्रों का निर्माण और अनुरक्षण
450	04	**45004**	औद्योगिक संपदा (एस्टेट) की स्थापना हेतु कर्ज
450	05	**45005**	भवन प्रतिष्ठापन और भवन पूर्णीकरण (निर्माण ठेकेदार)
			भवन प्रतिष्ठापन (यह कार्य सामान्यतः निर्माण स्थल पर है, मगर कार्य का कुछ हिस्सा विशेष दुकानों में भी किया जाता है। प्रतिष्ठापन की मरम्मत भी इसमें शामिल है।) जैसे प्लंबिंग और जल-निकास, उष्मीय व प्रशीतलन संयंत्रों को लगाना, एंटेना, लिफ्ट और चलसोपान, (एस्केलेटर) आवरण चढ़ाने का कार्य (जल, उष्मा, ध्वनि), और ध्वनिरोधक व्यवस्था, निर्माण इत्यादि हेतु विद्युत स्थापना कार्य
			भवन पूर्णीकरण [इसमें भवन पूर्णीकरण या परिसज्जा से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इसी तरह की मरम्मत भी शामिल है।]
आधार तंत्र निर्माण			
450	11	**45011**	ऊर्जा-ऊर्जा और प्रेषण लाइनों को खड़ा करना निर्माण तथा अनुरक्षण; जल-विद्युत परियोजना, ऊर्जा संयंत्र, जल-विद्युत के अलावा ऊर्जा संयंत्र
450	12	**45012**	दूरसंचार प्रणाली-दूरसंचार प्रणाली और प्रेषण लाइनों को खड़ा करना/निर्माण तथा अनुरक्षण, दूरसंचार परियोजना
450	13	**45013**	सड़क और बंदरगाह-सड़कों, रेल-पथों, पुलों, सुरंगों, पाइपलाइनों, रस्सी-मार्गों (रोप वे), बंदरगाहों, हार्बरों और हवाई पट्टियों आदि का निर्माण और अनुरक्षण शामिल है; जल मार्गों का निर्माण और अनुरक्षण

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
450	19	**45019**	अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए अन्य प्रतिष्ठापन निर्माण जैसे जलाशय, सिंचाई नहरों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण
जी. थोक और खुदरा व्यापार			
प्रभाग (डिविज़न) 50: मोटर वाहन और मोटर साइकिल की बिक्री और अनुरक्षण			
ऑटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री			
500	01	**50001**	समस्त प्रकार के मोटर वाहनों की बिक्री [इसमें नए और पुराने मोटर वाहन और लारी, अनुयान और अर्ध अनुयान; दुपहिया वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि) और तिपहिया वाहन (ऑटो रिक्शा इत्यादि) की थोक और खुदरा बिक्री शामिल है।]
500	02	**50002**	मोटर वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहनों के समस्त प्रकार के पुर्जों और सहायक वस्तुओं की बिक्री [इसमें मोटर वाहन दुपहिया और तिपहिया वाहनों के समस्त प्रकार के भाग, पुर्जों और सहायक वस्तुओं की थोक और खुदरा बिक्री शामिल है बशर्ते ये वाहन के साथ ही बिक्री में न दिए गए हों।]
500	03	**50003**	वाहन के विक्रेता और डीलर द्वारा मोटर वाहन, दुपहियां और तिपहिया वाहनों का अनुरक्षण और मरम्मत (इसमें धोना और पॉलिश करना इत्यादि) भी को इसमें शामिल किया जाए। (गैरेज द्वारा वाहनों की सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण को प्रभाग 93 में रखा जाए।)
500	05	**50005**	ऑटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री [इसमें पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की गतिविधियां शामिल हैं। इस गतिविधि को अक्सर स्नेहक (लुब्रीकेटिंग) उत्पाद, सफाई और मोटर वाहन में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों की बिक्री के साथ शामिल कर लिया जाता है। तथापि मुख्य उद्देश्य या कार्य लुब्रिकेन्ट या ईंधन की बिक्री हो तो है ये यहाँ वर्गीकृत होंगे।]
प्रभाग (डिविज़न) 51: थोक व्यापार और दलाली (कमीशन) व्यापार (मोटर वाहन और मोटर साइकिल को छोड़कर)			
511	01	**51101**	फीस या ठेका आधार पर थोक व्यापार [इसमें दलाल, माल के दलाल, और नीलामीकर्ता और वे सभी थोक व्यापारी शामिल हैं जो किसी भी ओर से और किसी के भी नाम से व्यापार करते हैं]
512	01	**51201**	खाद्य की खरीद
512	02	**51202**	खाद्य अनाज (अनाज और दालें)
512	03	**51203**	तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
512	04	**51204**	खाद्य और पेय [इसमें फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद, अंडे और खाद्य तेल और वसा, माँस, मछली व उसके उत्पाद, चीनी, मिष्टान्न और बेकरी उत्पाद, पेय, कॉफी, चाय, कोको और मसाला इत्यादि का थोक व्यापार शामिल हैं।]
512	05	**51205**	बीज (कपास और तेल बीज सहित) कच्चे कृषि पदार्थ और जीवित पशु
513	01	**51301**	हीरे, रत्न और आभूषण
513	02	**51302**	फार्मास्यूटिकल और चिकित्सीय सामान
513	03	**51303**	वस्त्र पहनावा और जूते-चप्पल और अन्य घरेलू सामान जैसे साबुन, इत्र, श्रृंगार सामग्री, धातु, चीनी मिट्टी और ग्लास के बर्तन; क्रॉकरी और चीनी मिट्टी के बर्तन और रबड़ और प्लास्टिक के बने घरेलू सामान; फर्नीचर और फिक्सचर; कलाई घड़ी /दीवाल घड़ी और चश्मा संबंधी सामान; रेडियो, टेलीविजन ओर अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं; कागज और अन्य लेखन सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार; फोटोग्राफी के उपकरण, खेल, खिलौने और खेलकूद के सामान; चमड़े का सामान और यात्रा संबंधी सहायक वस्तुएं; सफाई सामग्री इत्यादि
514	01	**51401**	कपास
514	02	**51402**	जूट और मेस्टा
514	03	**51403**	उर्वरक (कारखानों को उर्वरक वितरण हेतु दिए जाने वाले अग्रिम सहित) और कीटनाशक
514	04	**51404**	ठोस, तरल और गैसीय ईंधन तथा संबंधित उत्पादों का थोक व्यापार
514	05	**51405**	धातु और कच्चे धातु का थोक व्यापार
514	06	**51406**	निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, प्लंबिंग और गर्मी पैदा करने वाले उपकरण और आपूर्ति का थोक व्यापार
514	09	**51409**	अन्य मध्यवर्ती उत्पादों, कूडा-करकट (वेस्ट) और स्क्रेप का थोक व्यापार [मूल औद्योगिक रसायन, प्राथमिक रूप में प्लास्टिक का सामान, कपड़े के रेशे, कूडा-करकट (वेस्ट) और स्क्रेप तथा परिसंस्करण इत्यादि हेतु सामान]
515	01	**51501**	कृषि संबंधी मशीनरी और उपस्कर
515	02	**51502**	मशीनरी, उपस्कर और आपूर्ति (कृषि संबंधी मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर)
519	01	**51901**	हस्तशिल्प
519	02	**51902**	कालीन

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
519	09	**51909**	अन्यत्र वर्गीकृत न किया गया अन्य थोक व्यापार [किसी भी पिछली श्रेणियों में शामिल न किया गया विशिष्ट थोक व्यापार और विशिष्ट श्रेणी रहित विभिन्न सामान का थोक व्यापार इसमें शामिल है।]
प्रभाग (डिविज़न) 52 : खुदरा व्यापार (मोटर वाहन और मोटर साइकिल को छोड़कर)			
521	01	**52101**	उपभोक्ता सहकारिता भंडार सहित भंडारों में विशिष्ट श्रेणी रहित खुदरा व्यापार (सामान्य बिक्री की वस्तुएं)
521	02	**52102**	उपभोक्ता सहकारिता भंडार और निजी खुदरा विक्रेताओं द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं का संचालन (जैसे कि गेहूँ, चावल, चीनी, नियंत्रित मूल्य के कपड़े, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल और शीतल कोक सरीखी आवश्यक वस्तुओं का लेन-देन करने वाली उचित मूल्य वाली दुकानों /अधिकृत राशन की दुकानों को मंजूर किया गया अग्रिम)
			(यह लोक वितरण व्यवस्था के ये खुदरा बिक्री केंद्र राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्रशासित वैधानिक राशनिंग/संशोधित राशनिंग/ अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था के तहत आते हैं और उन्हें अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व (सीमांकित परिधि में) बनाए रखना और राशनिंग नियंत्रक/सिविल आपूर्ति निदेशालय द्वारा जारी परिवार/राशन कार्ड-धारकों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री, खरीद और भंडार के लिए अलग से बही खाते एवं अभिलेख रखना आवश्यक होता है।
522	01	**52201**	खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू के विशिष्ट भंडार की खुदरा बिक्री
523	01	**52301**	उर्वरकों और कीटनाशकों की खुदरा बिक्री
523	02	**52302**	बीजों की बिक्री
523	03	**52303**	कृषि उपकरणों और मशीनों की खुदरा बिक्री
523	11	**52311**	हीरे, रत्न और आभूषण की खुदरा बिक्री
523	12	**52312**	निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, पेंट और कांच की खुदरा बिक्री
523	13	**52313**	फार्मास्यूटिकल ओर चिकित्सीय सामान, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री के विशिष्ट भंडार की खुदरा बिक्री;
			वस्त्र संबंधी, कपडा, जूता-चप्पल और चमडे का सामान (यात्रा संबंधी गौण वस्तुएं)
			घरेलू उपकरण, वस्तुएं और उपस्कर; विशिष्ट श्रेणी में अन्य खुदरा बिक्री के सामान जैसे कलाई घड़ियाँ और दीवाल घड़ियाँ, कंप्यूटर और नॉन-कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फोटोग्राफी संबंधी, प्रकाशिक और अन्य भंडार और आपूर्ति इत्यादि, जलाने योग्य लकड़ी, कोयला

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			और मिट्टी का तेल और खाना पकाने की गैस, समाचार पत्र वितरण सहित किताबें, पत्रिकाएं और लेखन सामग्री, खेलकूद का सामान, खेल और खिलौने, फूल और पौधे, पालतू जानवर, वाल पेपर और फर्शावरण, और वे खाद्येतर उत्पाद जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है
523	19	**52319**	अन्यत्र वर्गीकृत न हुए अन्य फुटकर व्यापार
524	01	**52401**	भंडार में पुराने सामानों की फुटकर बिक्री (गिरवी रखने वाली दुकानों समेत)
525	01	**52501**	भंडार में अनुपलब्ध खुदरा व्यापार जैसे डाक द्वारा प्राप्त आदेश [इसमें टेलीशॉपिंग से फुटकर बिक्री का कार्य शामिल है]; स्टॉक्स और बाजार द्वारा इंटरनेट द्वारा (नेटवर्क विपणन) इत्यादि; उन विक्रेताओं द्वारा जो घर-घर जाते हों या उस मशीन द्वारा जिसमें पैसा डालने से वांछित सामान बाहर आ जाता है (वेंडिंग मशीन) या शुल्क से या ठेका आधार पर इत्यादि
एच. पर्यटन होटल और रेस्टॉरेंट			
प्रभाग (डिविज़न) : 55 पर्यटन होटल और रेस्टॉरेंट			
551	01	**55101**	होटल , ढाबा और सैरगाह (रिसॉर्ट); कैंप स्थल और लघु अवधि आवास व्यवस्था [जिस रेस्टॉरेंट में रहने की व्यवस्था हो उसे इसी समूह में रहने दिया जाए। जब शयनयानों (स्लीपिंग कार्स) का परिचालन अलग इकाइयों द्वारा हो रहा हो, तो उसे इसी में शामिल किया जाएगा।
552	01	**55201**	रेस्टॉरेंट, बार, कैन्टीन; भोज-प्रबंधक (केटरर) - इसमें घर-घर पर सेवा देना इवेंट कैटरिंग और दूसरी भोजन सेवा कार्य-कलाप शामिल है; [वेडिंग मशीनों द्वारा बिक्री 52501 में वर्गीकृत है]
553	01	**55301**	यात्रा एजेंसियों और पर्यटन परिचालकों के कार्य, पर्यटन सहायता कार्य (पर्यटन सेवाएं)
आइ. परिवहन, भंडारण और संचार			
प्रभाग (डिविज़न) 60: भूतल परिवहन; पाइपलाइनों द्वारा परिवहन			
601	01	**60101**	रेलवे द्वारा सामान की ढुलाई [इसमें अंतर - नगर रेलवे द्वारा यात्री और माल परिवहन शामिल है। इसमें शंटिंग और स्विचिंग जैसे संबंधित कार्य भी शामिल हैं)
602	01	**60201**	अनुसूचित यात्री और भूतल परिवहन [इसमें अनुसूचित मार्गों पर यात्री परिवहन हेतु नियमित नगरीय, उपनगरीय या अंतर-नगरीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का कार्य शामिल है, मगर इसमें अंतर नगरीय रेलवे परिवहन शामिल नहीं है। यह कार्य मोटर बस, ट्रामवे, ठेलागाड़ी, भूमिगत और ऊपर उठी

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			रेलवे द्वारा किया जा सकता है । इसमें स्कूल बस, शहर से हवाई अड्डा/स्टेशन लाइन, दर्शनीय स्थल दिखाने वाली बस, एरियल केबल-वेज़ इत्यादि शामिल हैं]
602	02	**60202**	मनुष्य या पशु द्वारा यात्री ढोने हेतु खीचें जानेवाले गैर-अनुसूचित वाहन जैसे साइकिल-रिक्शा, पशु जैसे घोड़ा, हाथी, खच्चर, उँट इत्यादि; इक्का, तांगा इत्यादि मनुष्य या पशु द्वारा सामान ढोने हेतु खींचे जाने वाले वाहन जैसे साइकिल - रिक्शा, हाथगाड़ी, पोर्टर, कुली इत्यादि; जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, खच्चर, उँट इत्यादि द्वारा परिवहन; इक्का, तांगा इत्यादि
602	03	**60203**	गैर-अनुसूचित भूतल यात्री परिवहन जैसे टैक्सी संचालन ऑटो-रिक्शा, स्कूटर, परिचालक सहित निजी कारों को किराए पर लेना और अन्य अवसरीय कोच सेवाएं
602	04	**60204**	रेफ्रीजरेटेड वैन सहित मोटर वाहनों (ट्रक, बस, टैंपो इत्यादि) द्वारा माल ढुलाई
603	01	**60301**	पाइपलाइनों द्वारा परिवहन (इसमें पंप स्टेशनों का ऑपरेशन और पाइप-लाइनों के रखरखाव जैसे आनुषंगिक कार्यकलाप शामिल हैं।)
प्रभाग (डिविज़न) 61: जल-परिवहन			
611	01	**61101**	सामुद्रिक और तटीय जल-परिवहन
612	01	**61201**	अंतरद्वीपीय जल-परिवहन
प्रभाग (डिविज़न) 62: हवाई परिवहन			
620	01	**62001**	अनुसूचित हवाई परिवहन
621	01	**62101**	गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन
प्रभाग (डिविज़न) 63: सहायक और पूरक परिवहन गतिविधियाँ यातायात			
630	01	**63001**	वेयर हाउसिंग/भंडारण (परिवहन के कार्यों के लिए)
			[शीत भंडारण यदि उधारकर्ता सेवा प्रबंधक है तो कृषि उत्पादों के लिए भंडारण/गोदाम के लिए लिया गया ऋण 01181 में वर्गीकृत होगा और यदि किसी किसान को ऋण उसकी अपनी कृषि पैदावार के लिए दी जाती है तो 01159 में]
630	11	**63011**	भूतल परिवहन की सहायक सेवाएं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हाइवे पुल, चुंगी रोड, वाहन हेतु सुरंगें; रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर पार्किंग स्थल और सामान रखने की व्यवस्था, और यातायात नियंत्रण व्यवस्थाएं
630	12	**63012**	जल-परिवहन की सहायक पूरक सेवाएं जैसे पोतघाट, बंदरगाह विमानचालन और जहाज पर लदाई और सामान उतार करना।

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
630	13	**63013**	हवाई यातायात की सहायक सेवाएं जैसे टर्मिनल का रखरखाव और ऑपरेशन, उड़ान सुविधाएं, रेडियो मार्गदर्शक, उड़ान नियंत्रण केंद्र और रडार स्टेशन इत्यादि
630	19	**63019**	परिवहन एजेंसियों के कार्य और परिवहन परिचालक व संबंधित सहायता कार्य (परिवहन सेवाएं) जो अन्य वर्गीकृत नहीं हैं
			अन्य यातायात एजेंसियों की गतिविधियां (इसमें कार्गो रखरखाव, माल का अग्रेषण, व्यवस्था या जहाज या माल भेजने वाले की ओर से व्यवस्था करना, परिवहन प्रलेखों की तैयारी, समेकित और अलग-अलग माल का ढ़ेर, माल-भाड़े की दलाली, सीमा-शुल्क गृह की दलाली, बिल लेखा-परीक्षण और माल-भाड़ा दर सूचना, जहाज और वायुयान में स्थान हेतु दलाली, पैकिंग और पेटीकरण और पैकिंग खोलना और पेटी खोलना, माल इत्यादि का वजन तौलना और नमूने इकट्ठे करना)
प्रभाग (डिविज़न) 64: डाक और दूरसंचार			
641	01	**64101**	डाक और कुरियर गतिविधियां
642	01	**64201**	दूरसंचार सेवाएं: इसमें एस टी डी/आइ एस डी बूथ, मूल्य नियोजित दूरसंचार सेवाओं, जैसे पेजिंग, ई-मेल, वीडियो कॉन्फरन्सिंग, इंटरनेट (इसमें साइबर कैफे भी शामिल है) इत्यादि हेतु प्रावधान। केबल परिचालक के कार्य
642	02	**64202**	सेल्यूलर फोन सहित प्राथमिक दूर-संचार सेवाओं हेतु प्रावधान; दूरसंचार नेटवर्क का रखरखाव: (दूरसंचार लाइनों को खड़ा करना/निर्माण करना 45001 के तहत शामिल किया गया है)
जे : वित्तीय मध्यस्थता			
प्रभाग 65: बीमा और पेंशन फंडिंग बैंकों को छोडकर वित्तीय मध्यस्थता			
651	01	**65101**	देशी वाणिज्यिक बैंक
651	02	**65102**	विदेशी बैंक
651	03	**65103**	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - कृषि एवं संबंधित कार्य-कलापों हेतु आगे ऋण देने ऑन लेंडिंग के लिए
651	04	**65104**	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-अन्य कार्यों के लिए
651	09	**65109**	स्थानीय क्षेत्र बैंक
सहकारी संस्था			
659	01	**65901**	प्राथमिक कृषि ऋण समिती (पीएसीएस)
659	02	**65902**	कृषक सेवा समितियां (एफएसएस) और बहुद्देशीय दीर्घाकार आदिवासी समितियां (एलएएमपीएस)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
659	03	**65903**	राज्य सहकारी बैंक
659	04	**65904**	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबीएस)
659	05	**65905**	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबीएस)
659	06	**65906**	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबीएस)
659	07	**65907**	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
659	08	**65908**	शिखर सहकारी आवास वित्त समितियां
659	09	**65909**	सहकारी विपणन समितियां (सहकारी विपणन समितियों को पुन: देने हेतु सहकारी बैंकों को दिया गया ऋण इसमें शामिल है) और उत्पादकों की सहकारी समितियां (उदाहरणार्थ, आरे दुग्ध कॉलोनी सहकारी समिती जिसमें लाइसेंसधारी पशु मालिक शामिल हैं)
659	10	**65910**	अन्य सहकारी ऋण संस्थाएं
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान/कंपनियां			
659	11	**65911**	विकास वित्तीय संस्थान (जैसे-नाबार्ड, आइ एफ सी आइ, एक्ज़िम बैंक, एस एफ सी इत्यादि)
659	21	**65921**	कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए (अलग-अलग किसानों/ स्वयं सहायता समूहों/जेएलजी को) आगे देने (ऑन-लेंडिंग) के लिए एनबीएफ़सी
659	22	**65922**	लघु एवं अत्यंत लघु उद्यमों (विनिर्माण और सेवा उद्यम भी) को आगे देने के लिए एनबीएफ़सी
659	23	**65923**	आवास क्षेत्र में एनबीएफ़सी (हाउसिंग फ़ाइनैंस कंपनियां)
659	24	**65924**	शिक्षा कार्य के लिए (व्यक्तियों को) ऑन लेंडिग के लिए एनबीएफ़सी
659	29	**65929**	एनबीएफ़सी - सामान्य कार्यों हेतु ऋण
अन्य वित्तीय मध्यस्थता			
659	31	**65931**	कृषि वित्त निगम
659	32	**65932**	भारतीय यूनिट ट्रस्ट समेत म्यूचुअल फंड्स
659	33	**65933**	सर्राफ या अन्य स्वदेशी बैंक (गिरवी रखने वाले, वैयक्तिक कर्ज देने वाले समेत)
659	34	**65934**	लघु एवं अत्यंत लघु (विनिर्माण और सेवा दोनों) उद्यमों को अप्रत्यक्ष वित्त छोटे एवं अत्यंत लघु उद्यमों को ऑन लेंडिग के लिए एसएफ़सी, एसआइडीसी आदि को कर्ज, कारीगरों, ग्राम व कुटीर उद्योगों और लघु उद्यम (एसई) क्षेत्र आदि की उत्पादक सहकारिताओं को इनपुट देनेवाले या इनके सामानों की विपणन करने वाले व्यक्तिको वित्त

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			लघु उद्यम (एसई) क्षेत्र को ऑन लेंडिंग के लिए एनबी एफ़सी को दिया गया ऋण कूट 65922 के रुप में वर्गीकृत किया जाए।
659	35	**65935**	आवास क्षेत्र (एनएचबी, घर बनाने/खरीदने के लिए ऋण देनेवाली अन्य विशेष संस्थाओं राज्य आवास समितियों को ऋण)
			आवास क्षेत्र में एनबीएफ़सी को ऋण-आवास वित्त कंपनियों को कूट 65923 में वर्गीकृत किया जाए
659	39	**65939**	अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए अन्य वित्तीय मध्यस्थ
प्रभाग (डिविज़न) 66: अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा और निवृत्ति वेतन निधीकरण			
660	01	**66001**	जीवन बीमा [इस श्रेणी में पर्याप्त घटक सहित या रहित जीवन बीमा (पुनर्बीमा समेत) और दीर्घावधि जीवन बीमा है जिसमें निधी का संग्रह और निवेश शामिल है।]
660	02	**66002**	गैर-जीवन बीमा
660	03	**66003**	निवृत्ति वेतन निधीकरण (इसमें सेवानिवृत्ति आय प्रावधानों के साथ-साथ निधी का संग्रह और निवेश शामिल है)
प्रभाग (डिविज़न) 67: वित्तीय मध्यस्थता के सहायक क्रियाकलाप			
671	01	**67101**	कृषि-उद्योग निगम
671	02	**67102**	प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाली कंपनियां/आढ़तिया फर्म/प्राथमिक विक्रेता
671	03	**67103**	औद्योगिक विकास समिती/निगम/फेडरेशनों के साथ-साथ सभी राज्य विकास समिती और अन्य विकास संस्थान (जैसे-चाय समिती, कॉफी समिती, खादी विकास समिती इत्यादि)
671	04	**67104**	व्यापार बैंकिग / वित्तीय सेवा कंपनियां
671	05	**67105**	बीमा और निवृत्ति वेतन निधीकरण को छोड़कर वित्तीय मध्यस्थता की सहायक गतिविधियों के लिए ऋण (जैसे - वित्तीय बाज़ार का प्रशासन, स्टॉक/शेयर दलालों द्वारा प्रतिभूति लेनदेन कार्य; वित्तीय परामर्शदाताओं, बंधक परामर्शदाताओं एवं दलालों सेटलमेंट सेवाओं, ब्यूरो दि चेंज आदि के लिए ऋण)
672	01	**67201**	एसजी/एमएफ़आइ का सामान्य/विविध/अनिर्दिष्ट कार्य
673	01	**67301**	बीमा और निवृत्ति वेतन निधीयन की सहायक गतिविधियों को ऋण (जैसे बीमा एजेंट, औसत और हानि समायोजक, जीवनांकक (एक्चुअरिज़) और सेल्वेज एडमिनिस्ट्रेटर्स)

समूह	उप-समूह	कूट संख्या	विवरण
के. भूसंपदा (रियल इस्टेट), किराया और कारोबारी कार्यकलाप			
प्रभाग (डिविज़न) 70 : भूसंपदा (रियल इस्टेट) के कार्यकलाप			
700	01	**70001**	अपनी या लीज़ की संपत्ति पर रियल इस्टेट के काम, फ़ीस या कॉन्ट्रैक्ट पर भी (अपार्टमेंट बिल्डिंगों और घरों, निवासी/अनिवासी बिल्डिंगों जैसी अपनी या लीज़ की रियल इस्टेट की खरीद बिक्री, लीज़िग, रेंटिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग, रियल इस्टेट को भूखंडों को (लॉट्स) में विकसित करना और बांटना
			(निर्माण को प्रभाग 45 में रखा गया है।)
भाग (डिविज़न) 71 : मशीनरी और उपकरण किराए पर देना			
711	01	**71101**	भूमि, जल और वायु परिवहन उपकरण किराए पर देना
712	01	**71201**	भवन निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग मशीनरी तथा उपकरण किराए पर देना कार्यालय मशीनरी और उपकरण किराए पर देना (कंप्युटर सहित); अन्य सभी प्रकार की किराएदारी और अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी एवं उपकरण की गैर-वित्तीय पट्टेदारी.
713	01	**71301**	निजी और घरेलू सामानों को किराए पर देना जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है (इसमें वे सभी प्रकार के निजी एवं घरेलू सामान शामिल हैं वे ग्राहक चाहे गृहस्थ हों, अथवा उद्योग हों)
प्रभाग (डिविज़न) 72 : कंप्यूटर और उससे संबंधित कार्यकलाप			
721	01	**72101**	हार्डवेयर कंसल्टैंसी (इस श्रेणी में हार्डवेयर के वे प्रकार एवं कंफिगुरेशन आते हैं जो साफ्टवेयर अनुप्रयोग सहित होते हैं या उसके बिना होते हैं। (कंप्यूटर बेचने वाली इकाइयों द्वारा इसी प्रकार का कार्य करने पर उसे श्रेणी 30002 में वर्गीकृत किया गया है)
722	01	**72201**	सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग
			तैयार (नॉन-कस्टमाईज्ड) सॉफ्टवेअर का निर्माण आपूर्ती प्रलेखन जिसमें ऑपरेटिंग प्रणाली शामिल है। व्यवसाय तथा अन्य ऐप्लिकेशन जैसे कंम्पूटर खेल आदि के लिये सामान्य सॉफ्टवेअर
722	09	**72209**	साफ्टवेयर कंसल्टेंसी और आपूर्ति (इसमें प्रयोग के लिए तैयार प्रणाली का विश्लेषण, डिजाइन और प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसमें आमतौर से उपयोक्ता की आवश्यकता और समस्या का विश्लेषण, आर्थिक मसलों के हल तलाशने के लिए कंसल्टेंसी तथा हल निकालने के लिए आवश्यक साफ्टवेयर बनाना शामिल है। इसमें सामान्य प्रोग्राम लिखना भी शामिल है जिसमें उपयोक्ता के लिए निदेश होते हैं। विशेषतया इन कार्यों में आदेश-जनित साफ्टवेयर का विकास, निर्माण, आपूर्ति और प्रलेखन शामिल है।)

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
723	01	**72301**	डेटा प्रोसेसिंग और डेटाबेस कार्य
			डेटा प्रोसेसिंग (इसमें सभी प्रकार के डेटा की प्रोसेसिंग या सारणीकरण (टेब्युलेशन) होता है। ऐसी सेवाओं का प्रावधान (i) घंटे या समयावधि (टाइम-शेयर) आधार पर। और (ii) टाइम-शेयरिंग आधार पर दूसरों के लिए डेटा प्रोसेसिंग सुविधा का प्रबंधन या संचालन; शुल्क लेकर या ठेके पर)।
			डेटाबेस कार्य (इसमें डेटाबेस विकसित करना, डेटा संग्रहण और डेटाबेस की उपलब्धता शामिल है। डेटा का प्रावधान एक निश्चित क्रम/श्रृंखला में करना ताकि वह सभी के लिए या कुछ उपयोक्ताओं के लिए प्रयोग में आ सके और जरूरत होने पर उनको अलग अलग किया जा सके)।
729	01	**72901**	सूचना प्रौद्योगिकी नियोजन सेवाएं (आइ टी प्लेसमेंट सर्विसेज़)
729	09	**72909**	अन्य कंप्यूटर संबंधी गतिविधियां (जैसे-दूसरों के लिए मल्टीमीडिया प्रजेंटेशन विकसित करने के कार्य, दूसरों के लिए वेबसाइट का अनुरक्षण आदि) (साइबर कैफे, ई-मेल के ज़रिए संप्रेषण, इंटरनेट एवं डाटा ट्रांसमिशन को कूट 64201 के अंतर्गत कूटांकित किया जाए)।
प्रभाग (डिविज़न) 73: अनुसंधान और विकास			
730	01	**73001**	प्रकृति विज्ञान और इंजीनियरिंग पर अनुसंधान एवं प्रायोगिक विकास।
			सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर अनुसंधान एवं प्रायोगिक विकास। (बाजार अनुसंधान (मार्केट रिसर्च) को श्रेणी 74101 में वर्गीकृत किया गया है)।
प्रभाग (डिविज़न) 74: अन्य व्यावसायिक कार्य			
741	01	**74101**	व्यवसायिक सेवाएं (चिकित्सा को छोड़कर) (चिकित्सा सेवाओं को 85102 पर कूटांकित किया जाए और अभियांत्रिकी तकनिकी सेवाओं को 74201 पर कूटांकित किया जाए)
			विधिक कार्य (विधिक सेवाएं जैसे वकील, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, प्लीडर, मुख्तियार आदि की सर्विसेज)।
			लेखांकन (एकाउटिंग), बही-खाता रखना और लेखा-परीक्षा (ऑडिटिंग) कार्य, टैक्स-कंसल्टेंसी (कर परामर्श कार्य)
			बाज़ार अनुसंधान और जनमत प्राप्त करना (पब्लिक ओपिनियन पोलिंग)
			व्यवसाय और प्रबंधन कंसल्टेंसी संबंधी कार्य (इसमें सलाह देना, व्यवसायों को मार्गदर्शन अथवा परिचालनगत सहायता देना शामिल है। इन कार्यों में भुगतान किया हुआ विज्ञापन, वेल्फेयर और धर्मार्थ कार्य, राजनीति, लॉबिंग के अलावा जन संपर्क का कार्य भी शामिल है। परियोजना प्रबंधन, योजना, संगठन, प्रबंध सूचना आदि से संबंधित कार्य। प्रबंधन और श्रमिक के बीच मध्यस्थता और समझौता संबंधी कार्य। इनमे प्रबंधन धारक (मैनेजमेंट होल्डिंग) कंपनियों के कार्य कलाप भी शामिल हैं

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
742	01	**74201**	वास्तुशिल्पीय (आर्कीटेक्चरल) इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी गतिविधियां
743	01	**74301**	विज्ञापन और प्रचार वाली संस्थाएं
744	01	**74401**	कंपनियों का विलय, अधिग्रहण और पुनर्संरचना
749	01	**74901**	अन्य पेशेवर वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं श्रमिक भर्ती और प्रावधान जांच और सुरक्षा संबंधी कार्य
			भवन सफ़ाई के कार्य, फ़ोटोग्राफिक कार्य, पैकेजिंग कार्य जैसी सर्विसेंज (सेवाएं) जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया
			अन्य पेशेवर कार्य और सेवाएं जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है जैसे फ़ोटोग्राफ़ी, स्पेशलाइज्ड डिजाइनिंग नीलामी कार्य, व्यवसाय-दलाली कार्य, फोटोस्टैट, ब्लू-प्रिंटिंग, झेरॉक्स, दस्तावेजों की कापी करना, अमोनिया प्रिंटिंग और साइक्लोस्टाइलिंग सेवाएं, फैशन डिजाइन, संपर्क कार्यालयों आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ।
एल: लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा			
प्रभाग (डिविज़न) 75: लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा			
750	01	**75001**	एजेंसियों की गतिविधियां जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक सेवाएं और अन्य सामाजिक सेवाएं (सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर) प्रदान करती हैं, इसमें महानगर निगम, महानगरपालिका, आवास समिती, जल-निवासी और मल-निकासी समित्ती तथा इसी प्रकार के जनोपयोगी कार्य।
एम: शिक्षा			
प्रभाग (डिविज़न) 80: शिक्षा			
स्कूलों /महाविद्यालयों/वाणिज्यिक संस्थाओं / विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही शैक्षिक सेवाएं :			
800	01	**80001**	प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षा
800	02	**80002**	उच्च शिक्षा
800	03	**80003**	तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा
एन: स्वास्थ और सामाजिक कार्य			
प्रभाग (डिविज़न) 85 : चिकित्सा, स्वास्थ और सामाजिक कार्य			
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं			
851	01	**85101**	अस्पताल के कार्य (इसमें जनरल और विशेषीकृत अस्पताल, सैनेटोरिया, पागलखाना, पुनर्वास केंद्र, दंतचिकित्सा केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थाएं जिनमें रिहाइशी सुविधाएं हैं, साथ ही मिलिटरी-बेस एवं जेल के अस्पताल शामिल हैं)।

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
851	02	**85102**	चिकित्सा और दंत चिकित्सा के कार्य। (इसमें जनरल फिजिशियन और दंतचिकित्सक सहित चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श और इलाज शामिल हैं)
			मानव स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्य (इसमें अस्पताल और मेडिकल डॉक्टर एवं दंतचिकित्सक के कार्यों के अलावा मानव-स्वास्थ्स के लिए सभी कार्य शामिल हैं)- आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, यूनानी प्रैक्टिशनर, होमियोपैथ, नर्सेस, फिजियोथेरापिस्ट, या अन्य अर्ध-चिकित्सीय पैक्टिशनर्स, स्वास्थ्य सुधार केंद्र, स्वतंत्र डायग्नास्टिका/पैथालाजिकल लेबोरेटरीज, स्वतंत्र रक्त बैंक, स्वतंत्र एम्बुलेंस आदि।
852	01	**85201**	पशुचिकित्सा संबंधी कार्य (पशु एवं पक्षियों से संबंधित क्लिनिकों-पैथालाजिकल और दूसरे डायग्नास्टिक कार्य)
853	01	**85301**	सामाजिक कार्य-व्यक्तियों या संगठनों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं तथा क्लबों द्वारा आयोजित कम्यूनिटी एवं वेलफेयर सेवाएं
ओ.अन्य कम्यूनिटी, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा संबंधी कार्य			
प्रभाग (डिविज़न) 90: मल-निकासी एवं कूड़ा-करकट निकासी, सफाई और इसी प्रकार के कार्य			
900	01	**90001**	मल-निकासी एवं कूड़ा-करकट निकासी, सफाई और इसी प्रकार के कार्य
प्रभाग (डिविज़न) 91: सदस्यता संगठनों के कार्य			
911	01	**91101**	कारोबार, नियोक्ता और प्रोफेशनल संगठनों के कार्य (उद्योग एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसी प्रकार के फेडरेशन, लेखकों, चित्रकारों वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों एवं अन्य इसी प्रकार के संगठनों के एसोसिएशन ट्रेड यूनियनें आदि)
919	01	**91901**	धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य सदस्यता संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
प्रभाग (डिविज़न) 92: मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के कार्यकलाप			
921	01	**92101**	चलचित्र और वीडियो प्रोडक्शन एवं वितरण
921	09	**92109**	अन्य मनोरंजन वाली गतिविधियां
			रेडियो और टेलीविजन संबंधी कार्य, चलचित्र प्रोजेक्शन
			ड्रामैटिक कला, संगीत और अन्य कला एवं संबंधित क्रियाकलाप
			अन्य मनोरंजन संबंधी कार्य जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है (इसमें बालरूम, वीडियो पार्लर, डिस्कोथीक्स, एम्यूजमेंट पार्क एवं इसी प्रकार के आकर्षण, सर्कस, कठपुतली शो और मनोरंजन के अन्य साधनों का निर्माण जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है, शामिल हैं)।

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
922	01	**92201**	समाचारपत्र एजेंसी के कार्यकलाप
923	01	**92301**	पुस्तकालय, अभिलेखागार, म्यूज़ियम और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां।
			पुस्तकालय और सूचना केंद्र; अभिलेखागार संबंधी कार्य; आडियो/वीडियो और सीडी रोम पुस्तकालय
			म्यूजियम संबंधी कार्य और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों (साइट) एवं भवनों का परिरक्षण।
			वनस्पति एवं जैविक उद्यान तथा प्राकृतिक संपदा।
924	01	**92401**	खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक कार्यकलाप
प्रभाग (डिविज़न) 93: अन्य सेवा संबंधी कार्य			
930	01	**93001**	कृषक और दस्तकार (बढ़ई, थवई, ईंट बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, दर्जी, स्वर्णकार, केश बनानेवाले, लोहार, मोची, धोबी, नलसाज, इलेक्ट्रिशियन, बुनकर आदि द्वारा स्वरोजगार का कार्य करने के लिए अग्रिम)
930	02	**93002**	व्यक्तिगत सेवाएं जैसे घरेलू, लांड्री, सैलून, ब्यूटीपार्लर, पोर्ट्रेट और व्यवसायिक छायाचित्रकारी स्टूडियो तथा अन्य स्वरोजगारी व्यक्ति)
930	03	**93003**	बीपीओ (बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग) कॉलसेंटर, आइटी आधारित सेवाएं
मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं			
931	01	**93101**	मोटर वाहनों, दुपहिये और तीन पहिये का मरम्मत और अनुरक्षण (धुलाई और पॉलिश करना भी)
931	02	**93102**	व्यक्तिगत और घर के सामानों की मरम्मत चप्पल और चमड़े के सामान, घर के इलेक्ट्रिकल यन्त्र, टीवी, वीसीआर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर और इसी प्रकार के दूसरे सामान, फर्नीचर, घड़ियां, दीवाल घड़ियां, साइकिल और साइकल रिक्शा आदि की मरम्मत
931	03	**93103**	कार्यालय लेखांकन और कम्प्यूटिंग मशीनरी (सिवाय कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार उपकरणों के) का मरम्मत और अनुरक्षण
931	04	**93104**	कम्प्यूटर हार्डवेयर और बाह्य (पेरिफ़ेरल) उपकरण
931	05	**93105**	कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का अनुरक्षण
931	06	**93106**	संचार (कम्युनिकेशन) उपकरणों का अनुरक्षण
931	09	**93109**	दूसरे आइटम जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
			[निर्माता/विक्रेता के अलावा किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएँ यहाँपर वर्गीकृत की जाएं। पूंजीगत माल/कृषि उपकरण/मशीनरी की

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
			मरम्मत उसी श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है जिसमें इन्हें बनाने/बेचने वाले को वर्गीकृत किया है, यदि वही अनुरक्षण करते हों। इस प्रभाग में वो मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं आती हैं जो किसी स्वतंत्र इकाई (इंडपेंडेंट यूनिट) फ़ीस/कॉन्ट्रेक्ट आधार पर की जाती हैं]
प्रभाग (डिविज़न) 95: वैयक्तिक ऋण			
स्टाफ ऋण			
950	01	**95001**	स्टाफ आवास ऋण (साथ ही स्टाफ के सहकारी आवास समितियों को ऋण)
950	02	**95002**	स्टाफ वाहन ऋणः स्टाफ सदस्यों को निधी उपयोग के लिए मोटर वाहन और दुपहिया खरीदने के लिए दिए गए ऋण
950	03	**95003**	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए स्टाफ सदस्यों को दिए गए ऋण
950	04	**95004**	स्टाफ शिक्षा ऋण-स्टाफ सदस्यों या उनके बेटे-बेटियों के लिए दिया गया ऋण
950	08	**95008**	स्टाफ क्रेडिट कार्ड-स्टाफ सदस्यों को क्रेडिट कार्ड के जरिये दिए गए ऋण
950	09	**95009**	स्टाफ-सदस्यों को अन्य व्यक्तिगत ऋण (इसमें घरेलू उपभोग, चिकित्सा व्यय, यात्रा विवाह, मृत्यु और अन्य सामाजिक अनुष्ठान, कर्ज की चुकौती आदि के लिए ऋण शामिल हैं।)
व्यक्तिगत ऋण, स्टाफ-सदस्यों को छोड़कर			
950	11	**95011**	स्टाफ आवास ऋण (साथ ही सहकारी आवास समितियों को ऋण) स्टाफ को छोड़कर
950	12	**95012**	मोटर वाहन और दुपहिया खरीदने के लिए व्यक्तियों को ऋण-स्टाफ को छोड़कर
			डॉक्टर यदि अपने निजी उपयोग के लिए मोटर वाहन खरीदने के लिए ऋण लेता है तो इसे 95012 में कुटांकित किया जाए, परंतु यदि वाहन का उपयोग उसके क्लिनिक या नर्सिंग होम के लिये हो रहा है तो इसका कूट 85102 होगा
950	13	**95013**	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कन्ज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स) की खरीद के लिए ऋण-स्टाफ को छोड़कर
			डॉक्टर यदि अपने निजी उपयोग के लिए रेफिजरेटर खरीदने के लिए ऋण लेता है तो इसे 95013 में कुटांकित किया जाए, परंतु यदि रेफ्रिजरेटर का उपयोग उसके क्लिनिक या नर्सिंग होम के लिये हो रहा है तो इसका कूट 85102 होगा
950	14	**95014**	शिक्षा-अध्ययन पूरा करने के लिए व्यक्तियों को ऋण-स्टाफ को छोड़कर
			(शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋणों को यहां न दिखाकर प्रभाग 80 में दिखाया जाए)।

समूह	उप-समूह	**कूट संख्या**	**विवरण**
950	15	**95015**	शेयरों (आइपीओ/कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) में भी), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और म्युचुअल फ़ंडों के इक्विटि ओरियेंटेड यूनिटों आदि में निवेश।
950	18	**95018**	क्रेडिट कार्ड के जरिये दिए जाने वाले ऋण-स्टाफ को छोड़कर
950	19	**95019**	अन्य व्यक्तिगत ऋण-स्टाफ को छोडकर (इसमें घरेलू उपभोग, चिकित्सा व्यय, यात्रा, विवाह, मृत्यु और अन्य सामाजिक अनुष्ठान, कर्ज की चुकौती आदि के लिए ऋण शामिल हैं।
प्रभाग (डिविज़न) 99: विविध			
999	99	**99999**	सभी प्रकार के अन्य ऋण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं या उन कार्यों के लिए ऋण जिनका पर्याप्त उल्लेख यहां नहीं किया गया है (**इस कूट का सीमित प्रयोग किया जाए**)

सूची 'एफ़'

उधारकर्ता की श्रेणी - 2008

क्रम संख्या	उधारकर्ता की श्रेणी (आकार के अनुसार)	कूट
विनिर्माण उद्यम (उद्योग)*		
I.	*सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यम*	
	बुनकर- हैंडलूम	01
	बुनकर- पावरलूम	02
	ग्रामीण कारीगर/ शिल्पी	03
	ग्राम/ कुटीर उद्योग (सिवाय उनके जो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी)/ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआइबी)द्वारा प्रमोट किए गए हों	04
	अत्यंत लघु उद्योग (टाइनी इंडस्ट्रीज़)	05
II.	लघु (विनिर्माण)उद्यम	11
III.	मझोले (विनिर्माण) उद्यम	12
IV.	बड़े (विनिर्माण) उद्यम	19
V.	खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र	29
व्यवसाय/व्यापार एवं सेवा उद्यम &		
VI.	सूक्ष्म (सेवा) उद्यम	31
VII.	लघु (सेवा)उद्यम	32
VIII.	मझोले (सेवा) उद्यम	33
IX.	बड़े (सेवा) उद्यम	39
किसान (कृषि एवं सबंधित कार्य) $		
X.	छोटे किसान	41
XI.	मार्जिनल किसान	42
XII.	कृषि से संबंधित मजदूर	43
XIII.	काश्तकार, बंटाईदार/ अलिखित पट्टेदार (टिनैंट फ़ार्मर्स/ शेयर क्रॉपर्स/ ओरल लेसीज़)	44
XIV.	अन्य किसान (मझोले और बड़े)	45
XV.	कृषि एवं संबंधित कार्य करने वाले दूसरे उधारकर्ता	49
XVI.	***अन्य सभी***	99

* प्लांट और मशीनरी (जमीन एवं भवन को छोड़कर मूल लागत) में निवेश के आधार पर वस्तुओं के विनिर्माण उत्पादन, संसाधन या परिरक्षण का कार्य करने वाले उद्यमों को सूक्ष्म, छोटे, मझोले और बड़े विनिर्माण उद्यम में बाँटा (आइटम I से IV)गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र की सभी इकाइयों को आइटम V में वर्गीकृत किया जाए, उनके कार्य का आकार और प्लांट और मशीनरी आदि में किया गया निवेश चाहे जितना हो।

& चुने हुए क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले और व्यापार/ सेवा क्षेत्र में शामिल उद्यमों को उपकरण (जमीन एवं भवन को छोड़कर मूल लागत) में उनके निवेश के आधार पर सूक्ष्म, छोटे, मझोले और बड़े (सेवा) उद्यम में बाँटा (आइटम VI से IX) गया है। इनमें रोड और जल परिवहन परिचालक व्यवसाय, पेशावर और स्व रोजगारी तथा अन्य सेवा उद्यम शामिल होंगे।

$ सभी इकाइयों और कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप करने वाले व्यक्तियों को भी आइटम X से XV में वर्गीकृत किया जाए. एकल किसानों को X से XIV कूट दिए जाएं। दूसरे उधारकर्ता जैसे कंपनी, सरकारी इकाइयों व फ़र्मों आदि को XV में वर्गीकृत किया जाए।

परिभाषाएं और वर्गीकरण की सीमाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों (सर्कुलरों) पर आधारित हैं।

सूची 'जी'

उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण - 2008

क्रम. संख्या	उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण	कूट
I.	मानक आस्तियां	1
II.	अवमानक आस्तियां	2
III.	संदिग्ध आस्तियां	3
IV.	हानि वाली आस्तियां	4

सूची 'एच'

जमानती/ गैर-जमानती ऋण -2008

क्रम. संख्या	जमानत का स्वरूप	कूट
I.	जमानती (सिक्युर्ड)	1
II.	गैर-जमानती (अनसिक्युर्ड)	2

सूची 'आइ'

कर्ज़ पर ब्याज दर की किस्म -2008

क्रम. संख्या	ब्याज दर की किस्म	कूट
I.	ब्याज की स्थिर दर	1
II.	ब्याज की अस्थिर दर	2

V. मू.सां.वि-1-भाग ख (मू.सां.वि.-1ख)

मू.सां.वि.-1ख विवरणी में रु. 2,00,000 और उससे कम राशि की ऋण सीमाओं से युक्त खातों के संदर्भ में समेकित रूप से जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इन खातों को पुन: दो ऋण-सीमा आकार समूहों में बांटा गया है यथा 'रु. 25,000 और इससे कम' और 'रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक'

2. फार्मेट में निर्धारित व्यावसायिक संवर्गों के अनुसार खातों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक व्यावसायिक संवर्ग के लिए खातों की संख्या, ऋण सीमाएं और बकाया राशियों को अलग-अलग जोड़ा जाए और संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाए।

3. प्रस्तुत विवरणी विशेषत: हाथ से तैयार करने में सहायता पहुंचाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक शाखा / कार्यालय के पास एक कार्य-बही हो जिसमें प्रत्येक व्यावसायिक संवर्ग के लिए पर्याप्त संख्या में पृष्ठ हों। प्रत्येक पृष्ठ पर उधार खाते की ऋण-सीमा, बकाया राशि और आस्ति वर्गीकरण तथा उधारकर्ता का लिंग वर्गीकरण लिखने के लिए स्तंभ रखे जाएं। दो ऋण सीमा आकार-समूहों के लिए अलग पृष्ठ या स्तंभ दिये जा सकते हैं।

4. रु. 2,00,000 और उससे कम राशि की ऋण-सीमा वाले खातों को खाता बही / रजिस्टरों से निकाल कर लिए जाएं। मीयादी ऋणों के मामलों में ऋण-सीमा को कार्यकारी सीमा (अर्थात् स्वीकृत ऋण-सीमा में से चुकाया जा चुका मूलधन घटाने के बाद बचा शेष) माना जाय। जहां कोई निर्दिष्ट ऋण-सीमा मंजूर नहीं की गयी है, वहां बकाया राशि को ऋण-सीमा के रूप में माना जाएं। प्रत्येक खाते की ऋण-सीमा और बकाया राशि के आंकड़े संबंधित स्तंभ के अंतर्गत व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित पृष्ठ में दर्ज किये जाएं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए दर्ज किये गये खाते की संख्या, ऋण-सीमा और बकाया राशि के जोड़ बाद में किये जा सकते हैं।

5. मू.सां.वि.-1ख में रिपोर्ट किये गये उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण सभी व्यवसाय संवर्गों के साथ समेकित किया जाय और 901 से 904 तक के मद कूटों के सामने प्रत्येक आकार समूह के लिए अलग दर्ज किया जाय यथा 'रु. 25,000 और इससे कम' और 'रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक'

6. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किये गये व्यक्तिगत उधार खातों से संबंधित लिंग वर्गीकरण पर सूचना को, प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग मद कूट 911 और 912 के सामने समेकित किया जाय।

7. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए खातों के जमानती / गैर-जमानती वर्गीकरण को प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग क्रमश: कूट संख्या 921 और 922 के सामने, समेकित किया जाए।

8. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए उधार खातों के संबंध में ब्याज दर समूह वार समेकित आँकड़ा कूट संख्या 931 और 939 के लिए प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग दिया जाए।

9. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए खातों की स्थिर और अस्थिर ब्याज़ दर संबंधी समेकित सूचना कूट संख्या 941 और 942 के लिए प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग दिया जाए।

मू.सां.वि.-1ख भरने हेतु अनुदेश

1. भाग 'ख' में रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट सीमा:

रु. 2, 00,000 और इससे कम की ऋण-सीमा वाले खातों को ही समेकित रूप में भाग '**ख**' में सूचित करें।

2. मद कूट (स्तंभ 1):

विभिन्न व्यवसायगत संवर्गों कों वर्गीकृत करने के लिए मू.सां.वि.-1**ख** के प्रारुप में मद कूट संख्याओं को 3-अंक के कूट दिये गये हैं। मू.सां.वि-1 (क या **ख**) के तहत रिपोर्ट किये जाने वाले समस्त व्यक्तिगत खातों के लिए लेजर में ही समुचित कूट दे दिया जाए जैसे खाते का प्रकार कूट, व्यवसाय कूट, ऋण के उपयोग का जिला कूट, उधारकर्ता की श्रेणी कूट इत्यादि। छोटे उधार खातों के मामलों में, जिनकी ऋण-सीमा रु. 2,00,000 से कम की हो, जिन्हें मू.सां.वि-1 **ख** में रिपोर्ट किया जाना है, इस पुस्तिका में दिये गये संपर्क सारणी के आधार पर भी 1-ख कूट दिये जा सकते हैं और उसके बाद मू.सां.वि.-1**ख** में रिपोर्ट करने हेतु 1ख व्यवसाय कूटों को संक्षेपण किया जा सकता है।

3. व्यवसाय (स्तंभ 2)

समूह / उप समूह शीर्षों के सामने आंकड़े न दिये जाएं। इसे सुनिश्चित करने के लिए फार्म में संबंधित स्थानों पर क्रास (x) चिह्न मुद्रित किया गया है।

4. खातों की संख्या (स्तंभ 3):

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक व्यवसाय समूह और ऋण सीमा समूह में खातों की कुल संख्या (वास्तविक) सही-सही दर्शायी जाती है। इस स्तंभ को रिक्त न छोड़ा जाए।

5. ऋण-सीमा (स्तंभ 4):

प्रत्येक व्यवसाय के लिए कुल ऋण सीमा हजार रुपये में दी जाएं। ऋण-सीमा दर्ज करते समय दशमलव बिंदु को टाला जाए। एनपीए ख़ातों को शामिल किया जाए। समेकन (कंपाइलेशन)के पहले, एनपीए ख़ातों के ऋण सीमा को यदि हो तो, मंजूर की गई तदर्थ सीमा मानी जाए, या अव्यवस्थित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) मामलों में, बकाया राशि के बराबर माना जाए। एनपीए खातों को मू.सां.वि.-1क या मू.सां.वि.-1ख में मंजूर की गई तदर्थ सीमा के आधार पर शामिल किया जाए (आहरण सीमा (ड्राइंग लिमिट) का उपयोग न किया जाए)।

6. बकाया राशि (स्तंभ 5):

प्रत्येक व्यवसाय समूह की कुल बकाया राशि हजार रुपयो में सूचित की जाए। मू.सां.वि.-1ख में समेकन (कंपाइलेशन)के पहले, जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस)वाले खातों अर्थात् नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट में बकाया राशि शून्य, न कि ऋणात्मक (निगेटिव) दर्शायी जाये।

7. मू.सां. वि-1ख जोड़ (कूट 900) :

यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कॉलम का कुल जोड़ कूट 900 के सामने दर्ज किया जाय। कूट संख्या नंबर 190,191,192; और 390, 391, 392, 393, 394 और 751, 752, 753 और 810, 820, 830 के अंकों को हटाकर

कुल जोड़ निकाला जाय क्योंकि इनसे संबंद्ध एकल (इंडिविजुअल) कूट संख्या में ये पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

8. मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण

इस खण्ड (कोड 901 से 910) के तहत मू.सां.वि-1**ख** में रिपोर्ट किये गये खातों का आस्ति वर्गीकरण दिया जाना है। सभी आस्तियों का जोड अर्थात् आइटम कोड 910 का कोड संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

9. मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत लिंग (स्त्री/पुरु ष) वर्गीकरण

इस खण्ड (कूट 911 से 920) के तहत रु. 2,00,000 या उससे कम ऋण-सीमा के प्रत्येक खाते 'पुरुष' और 'स्त्री' (कोड 911 और 912) के अनुसार वर्गीकृत किये जाने हैं। कुल दूसरे खाते (एकल को छोड़कर) आइटम कोड 913 के तहत दिए जाएं।संयुक्त खाते के मामले में प्रथम खातेदार का लिंग खातों के वर्गीकरण का आधार होगा। मू.सां.वि.-1ख उधार खातों अर्थात कूट संख्या 920 का कुल योग कूट संख्या 900 के सामने दिये गये कुल योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

10. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का जमानती / बेजमानती वर्गीकरण

इस खंड (कोड 921 से 930) में मू.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का वर्गीकरण उनके जमानती / बेजमानती स्टेटस के अनुसार होगा। सभी मू.सां.वि.-1ख ख़ातों का कुल अर्थात् कूट संख्या 930 का कूट संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

11. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का ब्याज़ दर समूह के अनुसार वर्गीकरण

इस खंड (कूट 931 से 940) में मू.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का ब्याज़ दर समूह के अनुसार वर्गीकरण देना होगा। सभी मूं.सां.वि.-1ख ख़ातों का कुल अर्थात् कूट संख्या 940 का कूट संख्या 900 के कुल के साथ मेल होना आवश्यक है।

12. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का ब्याज़ दर के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

इस खंड (कूट 941 से 950) में मूं.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का वर्गीकरण उनके स्थिर/अस्थिर ब्याज दर प्रकार के अनुसार होगा। सभी मू.सां.वि.-1ख ख़ातों का जोड़ अर्थात् कूट संख्या 950 का कूट संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

13. मू.सां.वि-1 का सारांश

इस खण्ड (कोड 990, 991 और 992) के तहत, मू.सां.वि-1क और मू.सां.वि-1-**ख** में रिपोर्ट किये गये खातों का सारांश दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मद कूट 90 के सामने दर्ज कुल बकाया शाखा के कुल बकाया से मेल खाये। सर्वेक्षण वर्ष के मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार को, धारा 42(2) के फार्म क विवरणी के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर भारत में बैंक ऋण की कुल बकाया राशि दी जानी चाहिए। (कूट सख्या 999)

VI. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क

मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट	मू.सां.वि.-1ख कार्यकलाप / व्यवसाय	मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क			
		मू.सां.वि.-1क व्यवसाय कूट	ख़ाते का प्रकार	संगठन	उधारकर्ता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप				
	ए) बाागान फसलों को छोडकर खाद्य व नकदी फसलों की खेती				
101	अनाज	01101	-	-	41 – 49
102	दाल	01102	-	-	41 – 49
103	गन्ना	01104	-	-	41 – 49
104	कपास / रुई	01105	-	-	41 – 49
109	अन्य सभी खाद्यन्न व नकदी फसलें	01103, 01106 – 09, 01111, 01119	-	-	41 – 49
110	बी) बागान फसलों की खेती	01121 – 01129	-	-	41 – 49
120	सी) कृषि के लिए अन्य प्रकार के-प्रत्यक्ष वित्त	01151 – 01159	-	-	41 – 49
	डी) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप				
131	दुग्ध व्यवसाय	01201	-	-	41 – 49
132	मुर्गी पालन	01203	-	-	41 – 49
133	मत्स्य पालन	05001	-	-	41 – 49
139	कृषि से संबद्ध अन्य कार्यकलाप	01202, 01204, 01209, 02001, 40104	-	-	41 – 49
190	**कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप के प्रत्यक्ष वित्त का जोड़** (कूट संख्या 101 से 139)	कृषि को प्रत्यक्ष वित्त का कुल	-	-	41 – 49
191	*जिसमें कूट संख्या 190) से:* किसान क्रेडिट कार्ड-उत्पादन ऋण	आइटम 190 (कुल) का अंश	33	41, 42	41 – 49
192	*जिसमें (कूट संख्या 190) से:* किसान क्रेडिट कार्ड-निवेश ऋण	आइटम 190 (कुल) का अंश	34	41, 42	41 – 49
199	ई) कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त	01181, 01182, 01402, 01409, 40102 (तक 2010), 51403, 52301, 51205, 52302, 51501, 52303, 65103, 65901, 65902, 65909, 65921	-	-	41 – 49, 99

VI. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क *(जारी)*

मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट	मू.सां.वि.-1ख कार्यकलाप / व्यवसाय	मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क			
		मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क	ख़ाते का प्रकार	संगठन	उधारकर्ता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
	उद्योग				
	खाद्य निर्माण और संसाधन				
201	चावल मिलें, आटा और दाल मिलें	15301	-	-	04 – 29, 99
202	खाद्य तेल और वनस्पति	15104	-	-	04 – 29, 99
203	चाय	15406	-	-	04 – 29, 99
209	अन्य खाद्य निर्माण व संसाधन	डिविज़न 15 सिवाय कूट 15104, 15301, 15406, 15501, 15502 और कूट के साथ 16003	-	-	04 – 29, 99
	वस्त्र				
211	सूती वस्त्र	17101	-	-	01 – 29, 99
212	जूट व प्राकृतिक धागों के वस्त्र	17102, 17202	-	-	01 – 29, 99
213	हथकरधा वस्त्र और खादी	17105, 18102	-	-	01 – 29, 99
219	अन्य वस्त्र	डिविज़न 17 सिवाय कूट 17101, 17102, 17105, 17202 और कूट के साथ 18101	-	-	01 – 29, 99
220	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	18201, 19101 – 02, 19201	-	-	04 – 29, 99
230	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद	20101, 36101	-	-	04 – 29, 99
240	रबड़, प्लास्टिक व इनके उत्पाद	19202, 25101 – 02, 25201	-	-	04 – 29, 99
250	कांच और कांच का सामान	25202, 26101	-	-	04 – 29, 99
260	रत्न और आभूषण	36901 – 02	-	-	04 – 29, 99
270	कागज और कागज़ के उत्पाद	डिविज़न 21	-	-	04 – 29, 99
280	छपाई, प्रकाशन और संबद्ध कार्य कलाप	डिविज़न 22	-	-	04 – 29, 99
	रसायन व रासायनिक उत्पाद				
291	उर्वरक	24103	-	-	04 – 29, 99
292	दवाइयां और औषधियां	24203	-	-	04 – 29, 99
299	अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	डिविज़न 24 सिवाय कूट 24103, 24203	-	-	04 – 29, 99

VI. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क *(जारी)*

मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट	मू.सां.वि.-1ख कार्यकलाप / व्यवसाय	मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क			
		मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क	ख़ाते का प्रकार	संगठन	उधारकर्ता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
300	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	26902 – 03	-	-	04 – 29, 99
310	धातु और धातु उत्पाद	डिविज़न 27, 28	-	-	04 – 29, 99
	अभियांत्रिकी				
321	सामान्य अभियांत्रिकी मशीनरी और वस्तुएं	डिविज़न 29, 33	-	-	04 – 29, 99
322	बिजली की मशीनरी और वस्तुएं	डिविज़न 31 और कूट 30002	-	-	04 – 29, 99
323	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और वस्तुएं	डिविज़न 32 और कूट 30001	-	-	04 – 29, 99
330	वाहन, वाहनों के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	डिविज़न 34, 35	-	-	04 – 29, 99
340	अन्य उद्योग *(अन्यत्र जो शामिल नहीं)*	डिविज़न 10 से 41: सभी व्यवसाय सिवाय उन कूटों के जो आइटम 201 से 330 में शामिल हैं और कूट 01401, 45004, 93001को लेकर	-	-	03 – 29, 99
390	**उद्योगों का जोड़** (आइटम कोड 201से 340 के अंतर्गत)	डिविज़न 10 से 41: सभी व्यवसाय कूट और कूट 01401, 45004, 93001	-	-	01 – 29, 99
391	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यम को प्रत्यक्ष वित्त	आइटम 390 (कुल) का अंश	-	-	01 – 05
392	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* लघु उद्यम को प्रत्यक्ष वित्त	आइटम 390 (कुल) का अंश	-	-	11
393	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* मझोले उद्यम को प्रत्यक्ष वित्त	आइटम 390 (कुल) का अंश	-	-	12
394	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* खादी और ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त	आइटम 390 (कुल) का अंश	-	-	29
400	**निर्माण**	डिविज़न 45 सिवाय कूट 45004	-	-	99

VI. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क *(जारी)*

मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट	मू.सां.वि.-1ख कार्यकलाप / व्यवसाय	मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क			
		मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क	ख़ाते का प्रकार	संगठन	उधारकर्ता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
	व्यापार				
510	थोक व्यापार	डिविज़न 51 सिवाय कूट 51205, 51403, 51501	-	-	31 – 39, 99
520	खुदरा व्यापार	डिविज़न 50, 52 सिवाय कूट 52301, 52302, 52303	-	-	31 – 39, 99
600	**परिवहन और अन्य सहायक सेवाएं**	डिविज़न 60, 61, 62, 63	-	-	31 – 39, 99
	व्यावसायिक और अन्य सेवाएं				
711	व्यावसायिक सेवाएं	72101, 72201, 72209, 74101, 74201, 85102	-	-	31 – 39, 99
712	पर्यटन, होटल और रेस्तरां	डिविज़न 55	-	-	31 – 39, 99
713	मनोरंजन सेवाएं	डिविज़न 92	-	-	31 – 39, 99
714	मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं (पूंजीगत वस्तुओं को छोड़कर)	93101 – 09	-	-	31 – 39, 99
719	अन्य सेवाएं	डिविज़न 64, 70, 71, 73, 75, 80, 90, 91 और कूटों के साथ 72301, 72901, 72909, 74301, 74901, 85101, 85201, 85301, 93002, 93003	-	-	31 – 39, 99
750	**व्यापार और सेवाओं का कुल ऋण** (कूट संख्या 510 से 819 के अंतर्गत)	व्यापार और सेवाओं को कूल ऋण	-	-	31 – 39, 99
751	*जिसमें कूट संख्या 750) से:* सूक्ष्म (सेवा) उद्यम	आइटम 850 (कुल) का अंश	-	-	31
752	*जिसमें (कूट संख्या 750) से:* लघु (सेवा)उद्यम	आइटम 850 (कुल) का अंश	-	-	32
753	*जिसमें (कूट संख्या 750) से:* मझोले (सेवा) उद्यम	आइटम 850 (कुल) का अंश	-	-	33
800	**वित्तीय मध्यस्थता**	डिविज़न 65, 66, 67 सिवाय कूट 65901, 65902, 65909	-	-	31 – 39, 99
810	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* सूक्ष्म वित्तिय संस्थाएं/ स्वयं सहायता समूह	67201	-	61 – 68	99
820	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को अप्रत्यक्ष वित्त	65922, 65934	-	-	99

VI. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क *(समाप्त)*

मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट	मू.सां.वि.-1ख कार्यकलाप / व्यवसाय	मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क			
		मू.सां.वि.-1क कूट के साथ संपर्क	ख़ाते का प्रकार	संगठन	उधारकर्ता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
830	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* आवास क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त	65923, 65935	-	-	99
	व्यक्तिगत ऋण और उपभोग ऋण : स्टाफ़				
861	स्टाफ़ आवास ऋण: व्यक्तिगत ऋण/आवास समिति के माध्यम से ऋण	95001	-	24, 41, 42	99
862	स्टाफ़ वाहन ऋण: दुपहिया और अन्य वाहनों की खरिद (स्टाफ़ को दिए जाने वाले ऋण)	95002	-	41, 42	99
863	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद (स्टाफ को दिये गए।)	95003	-	41, 42	99
864	स्टाफ़ शिक्षा ऋण (स्टाफ़ को या उनकी संतानों को दिए गए।)	95004	-	41, 42	99
868	स्टाफ़ क्रेडिट कार्ड (स्टाफ़ को दिए गए)	95008	-	41, 42	99
869	अन्य स्टाफ़ ऋण (स्टाफ़ को दिए गए)	95009	-	41, 42	99
	व्यक्तिगत ऋण और उपभोग ऋण : स्टाफ़ के अलावा				
871	आवास ऋण: (स्टाफ़ को छोड़कर) व्यक्तिगत ऋण/आवास समिति के माध्यम से ऋण	95011	-	24, 41, 42	99
872	स्टाफ़ वाहन ऋण: दुपहिया और अन्य वाहनों की खरिद (स्टाफ़को छोड़कर)	95012	-	41, 42	99
873	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद (स्टाफ़को छोड़कर)	95013	-	41, 42	99
874	शिक्षा ऋण (स्टाफ़ को छोड़कर)	95014	-	41, 42	99
875	निवेश ऋण	95015	-	41, 42	99
877	सामान्य क्रेडिट कार्ड	95019	32	41, 42	99
878	व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	95018	30	41, 42	99
879	अन्य व्यक्तिगत ऋण (स्टाफ़को छोड़कर)	95019	-	41, 42	99
890	**अवर्गीकृत समेत अन्य सभी**	कूट 74401, 99999	-	-	99

VII. मूलभूत सांख्यिकी विवरणी 2 (मू.सां.वि.-2)

परिचय

प्रस्तुत विवरणी (मूसांवि-2) जमाराशियों से संबंधित है। भारत के सभी अनूसूचित वाणिज्य बैकों की शाखाओं/कार्यालयों को चाहिए कि वे हर साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार जमाराशियों के प्रकार के अनुसार कर्मचारी संख्या, खातों की संख्या और बकाया राशि, परिपक्वता और स्थूल ब्याज दर के अनुसार मीयादी जमाराशियों के वर्गीकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।

सभी प्रशासनिक कार्यालयों, क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों और बिना जमाराशियों की शाखाओं, जैसे प्रशिक्षण महाविद्यालय, अग्रणी बैंक कार्यालय, सेवा शाखाएं आदि को चाहिए कि वे इस विवरणी में स्टाफ नियोजन संबंधी विवरण प्रस्तुत करें।

रोजगार संबंधी ब्योरा:

स्टाफ संबंधी स्थिति रोजगार के ब्लाक में दर्शायी जाये। महिला कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या भी इस ब्लाक में दर्शायी जाये।

भाग-I : प्रकार के अनुसार जमाराशियों का वर्गीकरण

विवरणी के इस भाग का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक कार्यालय से वर्गीकृत जमाराशियों के प्रकार के अनुसार जानकारी संकलित करना है। महिलाओं के खातों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अब विवरणी के इस हिस्से में संकलित की जायेगी। इसके अलावा, इस विवरणी के भाग I से IV को समनुरूप बनाने के लिये विभिन्न प्रकार की जमाराशियों के संबंध में जानकारी तीन स्थूल स्वामित्व श्रेणियों यथा व्यक्तियों, बैंकों और अन्यों के अंतर्गत प्राप्त की जा रही है। अंतर-बैंक जमाराशि को भाग 1 में अलग बॉक्स में ही दर्शाया जाय।

भाग-II : परिपक्वता की मूल अवधि के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण

विवरणी के इस भाग का उद्देश्य जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में रखी गयीं जमाराशियों की *परिपक्वता की मूल अवधि* के अनुसार वर्गीकृत संदर्भ दिनांक को मीयादी जमाराशियों की बकाया राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है।

भाग - III : ब्याज दर सीमाओं के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण

विवरणी के इस भाग का उद्देश्य ब्यापक-ब्याज दर सीमाओं के अनुसार मीयादी जमाराशियों के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है।

भाग - IV : आकार के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण

विवरणी के इस भाग का उद्देश्य विवरणी के संदर्भ दिनांक को जमाराशियों के आकार के अनुसार वर्गीकृत मीयादी जमाराशियों की बकाया राशि पर सूचना प्राप्त करना है।

भाग V : उर्वरित परिपक्वता के अनुसार मियादी जमाराशियों का वर्गीकरण

विवरणी के इस भाग का प्रमुख उद्देश्य उर्वरित परिपक्वता (रेज़िड्युअल मेंच्युरिटि) के अनुसार वर्गीकृत विवरणी के संदर्भ दिनांक को मीयादी जमाराशियों की बकाया राशि पर सूचना प्राप्त करना है। इस भाग पर सूचना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कंप्यूटराइज़्ड शाखा द्वारा दी जानी है।

2. प्रत्येक कार्यालय को चाहे वह शाखा, प्रशासनिक दृष्टि से स्वंतत्र उप कार्यालय या वेतन कार्यालय कुछ भी क्यों न हो, अलग विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिये। उप कार्यालयों और वेतन कार्यालयों के मामलों में यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतनी चाहिए कि उनकी संख्या उनके मूल कार्यालय की विवरणियों में शामिल नहीं की गयी है। ऐसे जिनमें प्रधान और क्षेत्रीय कार्यालयों का भी समावेश है, प्रशासनिक कार्यालय, जो जनता के साथ बैंकिंग कारोबार का लेनदेन नहीं करते, विवरणी के भाग I में अपनी स्टाफ स्थिति तथा यदि उनके पास किसी विशेष प्रकार की जमाराशि हो तो उसकी जानकारी दें।

3. प्रत्येक कार्यालय को चाहिए कि वह रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग द्वारा दी गयी एक समान शाखा कूट संख्या की मुहर विवरणी पर लगा दें। बैंकों की शाखाएं / कार्यालय विवरणियों को भरने के बाद उन्हें अपने क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालयों को भेजें। विवरणी तीन प्रतियों में तैयार की जाये। प्रत्येक शाखा/ कार्यालय अपने रिकार्ड के लिए विवरणी की तीसरी प्रति अपने पास रखकर शेष दोनों प्रतियां अपने क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय को भेजें। उसके बाद बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय प्राथमिक छानबीन तथा उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने के बाद डेटा को सॉफ्ट फ़ॉर्म में लाएंगे एवं संबंधित क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिनके तहत उनका प्रधान कार्यालय स्थित हो, को भेंजे। मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी- 1 को भरने के लिए दिये गये अनुदेशों के साथ प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले राज्यों की सूची दी है। अतः, बैंक को यह सत्यापित करना होगा कि कौन से क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उनके बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है और क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं के बीच इस प्रकार समुचित व्यवस्था की जाए कि विवरणी के संदर्भ दिनांक से **चार महीने के भीतर** रिज़र्व बैंक के पास डेटा पहुंच जाये।

आंकड़ों के मैग्नेटिक / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भेजने वाले बैंक अपनी शाखाओं / कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रणाली स्वयं बना सकते हैं। सिडी प्रस्तुत करने / ई-मेल भेजने से पहले वे उन डेटा ब्लॉक्स की नमूना प्रति (सैम्पल प्रिंटआउट) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय द्वारा सत्यापित करा लें तथा संपादित डेटा सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय को संदर्भ अवधि से **चार माह** के भीतर भेज दें।

VIII. मू.सां.वि.-2 विवरणी भरने के दिशा निर्देश/अनुदेश

1. **संदर्भ दिनांक:** विवरणी जिस दिनांक से संबंधित है, उसे दिए गए स्थान में लिखें।

2. **नाम और पता:** शाखा/कार्यालय का नाम और पूरा पता स्पष्ट रुप से लिखें।

3. **एक समान (यूनिफॉर्म) शाखा कूट:** एक समान शाखा कूट दो हिस्सों का होता है: भाग I और भाग II और इनका उल्लेख आस-पास किया जाना चाहिए। प्रत्येक शाखा कृपया विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ में रबड़ स्टैंप से भाग I और भाग II कूटों को दर्शाये ताकि समान शाखा कूट सूचित करते समय किसी प्रकार की अपठनीयता न रहे।

4. **सुपाठ्यता (स्पष्टता):** विवरणी की मूल प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाए। यदि प्रतिलिपि ही भेजनी पड़े तो यह सुनिश्चित करे कि सभी अंक और अक्षर स्पष्ट हों, आसानी से पढ़े जा सकें और विवरणी का कोई भी हिस्सा नहीं छूटे, कटा-फ़टा न हो और किसी अंक के ऊपर कुछ न लिखा हो, अर्थात् ऊपरिलेखन न हो।

5. **रोजगार विवरण:** शाखा/कार्यालय के रजिस्टर में विवरणी के दिनांक को जितने भी स्थायी या अस्थायी स्टाफ़ हैं और वो भी जो छुट्टी पर हैं, सभी को रिपोर्ट किया जाए। इसमें वास्तविक स्टाफ़ संख्या दर्शाई जाए न कि स्वीकृत (संख्या)। पार्ट टाइम और अनियत (कैजुअल) कर्मचारी नहीं लिए जाएं। संख्या 101 में महिला कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या सूचित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक श्रेणी के सामने एक ही संख्या दर्ज की गई है।

6. **(ए) भाग I: प्रकार के अनुसार जमा राशियों का वर्गीकरण**

(1) अंतर बैंक जमाराशियों को अलग से विवरणी के भाग I के बॉक्स (कूट संख्या 800) में दिखाया जाए।

(2) विवरणी के भाग II से भाग V तक अंतर बैंक जमाराशियां हटा दी गई हैं।

(3) संदर्भित वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार फॉर्म ए विशेष विवरणी, धारा 42 (2) के तहत भारत में सकल (एग्रिगेट) जमा राशियां बैंकों के अलावा कूट 999 में दर्ज की जाएं।

(4) विवरणी के इस भाग में दर्ज की जमा राशियों की व्याप्ति वही होनी चाहिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के तहत जमा की गई पाक्षिक विवरणी में दर्ज की गयी है। यदि जमाकर्ता के खाते में उपचित और देय (अक्रूड एंड पेएबल) ब्याज को क्रेडिट नहीं किया गया है तो इसे अन्य देयताएं माना जाए और मू.सा.वि.-2 में शामिल नहीं किया जाए (जमा राशियों की विस्तृत परिभाषा के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश (मास्टर सर्कुलर) देखेंः- घरेलू, सामान्य अनिवासी (एनआरओ) और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खातों के रुपया जमाराशियों (रूपी डिपॉज़िट्स) की ब्याज दरों पर 2 जुलाई 2007 का मास्टर सर्कुलर डीबीओडी. नं. डी आइ आर. बीसी. 7/13.03.00/2006-07 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के जरिये किए गए संशोधनों को देखें।

(5) बचत जमा माँग जमा का एक स्वरूप है, चाहे उसे बचत खाता बचत, बैंक खाता, बचत जमा खाता या अन्य कोई नाम दिया गया हो जिस पर आहरण (विथड्राअल) की संख्या और राशि पर बैंक द्वारा अपने सेविंग्स

अकाउंट नियमावली के अंतर्गत किसी निर्दिष्ट अवधि में एक सीमा निर्धारित की गई हो। इसमें विशेष बचत जमाराशियां शामिल होंगी।

(6) मीयादी जमा का अर्थ है एक निश्चित मीयाद/अवधि के लिए बैंक के पास रखी गई जमाराशि, जो उस मीयाद/समय सीमा के बाद ही निकाली जा सके। वर्तमान में मीयादी (सावधि) जमाराशियां वैसी डिपॉज़िट्स हैं, जो सात (7) दिनों से कम न हों या जिसमें 15 दिनों का नोटिस जरूरी हो। इनमें ये भी शामिल हैं : (ए) 14 दिनों के बाद देय जमाराशियां (इंटर-बैंक जमाराशियां भी) (बी) नकदी प्रमाण पत्र (कैश सर्टिफ़िकेट) (सी) संचयी, (क्युमुलेटिव) आवर्ती (रिकरिंग) वार्षिकी (एन्युइटि) या पुनर्निवेश (रिइन्वेस्टमेंट) जमा राशियां (डी) कुरी और चिट डिपॉजिट्स (ई) जमा प्रमाणपत्र (सर्टिफ़िकेट्स ऑफ़ डिपॉजिट्स) (एफ़) सावधि जमाराशियों और (जी) सावधि जमाराशियों की प्रकृति वाली कोई अन्य विशेष जमाराशि (स्पेशल डिपॉजिट्स)। इन जमा राशियों पर उपचित और देय ब्याज (इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेएबल) को अन्य देयताएं माना जाए और इसलिए इन्हें विवरणी के इस भाग में शामिल नहीं किया जाए।

(7) चालू खाता (करेंट अकाउंट) का अर्थ होगा एक तरह की मांग जमाराशियां जिसमें यदि पैसा हो तो आहरण किए जाने की संख्या पर कोई रोक न हो अथवा एक तयशुदा राशि तक आहरण किया जा सके तथा इसमें वैसे जमा खाते भी आएंगे जो न बचत जमा हैं और न ही सावधि जमा। वर्तमान में चालू खाते में ये शामिल हैं:- (ए) डिमांड पर निकाली जा सकने वाली जमा राशियां (बचत जमा राशियों को छोडकर) 7 दिनों से कम परिपक्वता की अवधि या 15 दिनों से कम दिनों की नोटिस वाली जमाराशियाँ (बी) कॉल डिपॉजिट्स जिन्हें 15 दिनों में निकालना ही है। (सी) लावारिस या अदावी (अनक्लेम्ड) जमा राशियां, (डी) अतिदेय (ओवरड्यू) फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स (ई) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ़्ट खातों में क्रेडिट बैलेंस और (एफ़) आकस्मिकता असमायोजित (कॉन्टिंजेंसी अनएडजस्टेड अकाउंट्स यदि वे जमाराशियों (डिपॉज़िट्स) की प्रकृति वाली हैं। इसका अवश्य ध्यान रखा जाए कि बैंक, यूटीआई, एल्आइसी इत्यादि में मांग (कॉल) या 14 दिन तक की अल्प सूचना (शॉर्ट नोटिस) जमा राशियों को उधार समझा जाए और उन्हें इस विवरणी (रिटर्न) में शामिल नहीं किया जाए। तथापि, करेंट अकाउंट में अंतर (इंटर) बैंक जमा राशियों को शामिल किया जाए।

(8) स्टाफ जमानत जमा राशियां, मार्जिन जमा राशियां, और स्टाफ़ भविष्य निधि जमा राशियों को इन पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर चालू या सावधि (करेंट या फ़िक्स्ड) जमाराशियों में बांटा जा सकता है।

(9) खातों की संख्या जो हो वही दी जाए जबकि, जमा राशियों को, बिना दशमलव बिंदुओं के निकटतम हज़ार में पूर्णांकित किया जाए।

(10) जहाँ कोई भी अंक रिपोर्ट करने केलिए न हो वहाँ डैश (-) प्रविष्टि की जाए।

(11) भाग I के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी मजदूरी व वेतन पानेवाले, इ. श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस वर्ग में रिपोर्ट किये जाए। संयुक्त व्यक्तियों के अंतर्गत खातों के मामले में प्रथम खाता धारक लिंग के आधार पर उस खाते को 'महिला' श्रेणी में रखने का निर्णय लिया जाए।

(बी) भाग II मूल परिपक्वता के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण

(1) भाग II में सावधि जमाराशियों की बकाया राशियों को परिपक्वता की मूल अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाए, जिसके लिए जमाकर्ता ने शाखा में जमा राशि रखी है तथा सर्वेक्षण के संदर्भ दिनांक पर वह बकाया है।

(2) भाग I के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार आते हैं। इस वर्ग में निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर और स्वरोजगारी, मजदूरी व वेतन पाने वाले इ. श्रेणियों से संबंधित आंकडे दर्ज किये जाएँ।

(3) भाग I और भाग II में दर्ज किये गए आकडों की आपस में सुसंगति: भाग II के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 400 में की गई खातों की संख्या/राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(सी) ब्याज दर की रेंज के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण

(1) भाग III में सावधि जमाराशियों की बकाया राशियां उन ब्याज दरों के अनुसार वर्गीकृत की जाएं जिनके लिए जमाकर्ता ने उस शाखा में जमा राशि रखी है और संदर्भ अवधि पर जो बकाया है, उसके अनुसार इन जमा राशियों को, ब्याज दर की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाए।

(2) भाग III के स्तंभ 2 और 3 के तहत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर और स्वरोजगारी, मजदूरी व वेतन पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस वर्ग में दर्ज किए जाए।

(3) भाग I और भाग III में दर्ज किए गए आंकडे की आपस में सुसंगति: भाग III के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 500 में दर्ज की गई खातों की संख्या/राशि भाग 1 के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(डी) भाग IV जमा राशियों के आकार के अनुसार सावधि जमाराशियों का वर्गीकरण

(1) भाग IV में मीयादी जमाराशियों केबकाये को संदर्भित अवधि को जमाकर्ताओं द्वारा शाखा के पास जमा की गयी राशि और बकाये के आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(2) भाग IV के स्तंभ 2 और 3 के तहत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। इस वर्ग में निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी, मजदूरी और वेतन पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे दर्ज किये जाए।

(3) भाग I और भाग IV में दर्ज किए गए आंकडो की आपस में सुसंगति: भाग IV के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 600 में दर्ज की गई खातों की संख्या /राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों के अंतर्गत बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(ई) भाग V- उर्वरित परिपक्वता (रेज़िड्यूअल मैच्युरिटि) के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण

(1) विवरणी के इस हिस्से से परिपक्वता की शेष/उर्वरित अवधि के अनुसार वर्गीकृत सावधि जमाराशियों की बकाया राशि पर सूचना प्राप्त की जाती है।

(2) भाग V में सावधि जमा राशियों की बकाया राशियों को परिपक्वता की शेष अवधि (रेजिड्युअल पीरियड) के अनुसार बांटा जाना है जिसके लिए जमाकर्ता ने शाखा में जमाराशि रखी है और सर्वेक्षण के संदर्भ दिनांक को बकाया के अनुसार।

(3) भाग V के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल है। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी, वेतन व मजदूरी पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस श्रेणी में दर्ज किए जाएं।

(4) **भाग I और भाग V में दर्ज किए गए आंकडों की आपस में सुसंगतिः** भाग V के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 700 में दर्ज की गई खातों की संख्या/राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में दी गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

IX. मू.सां.वि.-1क और मू.सां.वि.-1ख के लिए निदर्शी उदाहरण

स्टैंडर्ड बैंक, बांद्रा (पूर्व) शाखा, मुंबई : 31 मार्च 2008 को ऋण खातों की सूची

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
1	पार्टी-1:	महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड प्रधान कार्यालय मुंबई में और सोलापूर की मिलें, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी	नऋ(सीसी)1 मांऋ(डीएल)11 नऋ(सीसी)2 (आइबीडी)1 खदेबि(आइबीपी)1	गिरवी पर नकद ऋण मांग ऋण कार्यकर पूंजी का नकद ऋण घटक भुनाए गए देशी दस्तावेजी मांग बिल खरीदे गए तीसरे पक्ष के चेक
2	पार्टी-2:	विजय दुर्ग फ्रीजिंग एण्ड कैनिंग कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, प्रधान कार्यालय मुंबई में और फैक्टरी विजयदुर्ग में निजी क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी; मछली फ्रिजिंग एवं कैनिंग में संलग्न	दीऋ(एलटी)1 पैऋ(पीसी)1 खनिबि (ईबीपी)1 ओड्रा (ओडी)1 (इबीडी)1	फ्रीजिंग संयंत्र खरीदने के लिए दीर्घावधि मीयादी ऋण पैकिंग ऋण खरीदे गये निर्यात बिल निर्बंध ओवर ड्राफ्ट भुनाये गये निर्यात बिल
3	पार्टी-3:	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मुंबई, पंपसेटों को बिजली प्रदान करना	दीऋ(एलटी)2	पंप सेटों को बिजली के लिए मीयादी ऋण (मूलरूप से ऋण किया गया ऋण 50 लाख रुपये, 15 लाख रु. चुकता)
4	पार्टी-4:	हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स लि. जबलपुर में स्थित फैक्टरी, केंद्र सरकार का उपक्रम; ट्रांसफार्मर आदि के निर्माता	नऋ(सीसी)3 नऋ(सीसी)32 आबिअ(आइबी) 1	अंतरिम नकद ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाना है दृष्टिबंधक पर नकद ऋण आयात बिलों पर अग्रिम
5	पार्टी-5:	स्टेट को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबइ कृषि उत्पादों, उर्वरकों आदि के खरीद और	नऋ(सीसी)4 खदेबि(आइबीपी)2	उर्वरकों के वितरण के लिए नकद ऋण उर्वरकों के वितरण के लिए खरीदे गए देशी बिल
6	पार्टी-6:	प्रीमियर प्लास्टिक्स, फैक्टरी मुंबई में । साझेदारी संस्था, संयंत्र और मशीनों में निवेश प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माता	दीऋ(एलटी) 3 नऋ(सीसी)6 खदेबि(आइबीपी)3	मशीनरी प्राप्त करने के लिए मीयादी ऋण नकद ऋण खरीदे गए देशी बिल
7	पार्टी-7:	श्री वी पी पालक, नासिक, गन्ने की खेती और खंडसारी / गुड़ बनाने में संलग्न एक व्यक्ति	मऋ(एमटी)1 मांऋ(डीएल)1 नऋ(सीसी)13	कुएं खोदने और पंपसेट लगाने के लिए मीयादी ऋण गन्ने की खेती के लिए फसल ऋण (अन्तिम 4 तिमाही से भुगतान देय) गन्ने की पेराई और खंडसारी /गुड़ बनाने के लिए नकद ऋण

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
8	पार्टी-8:	मोहक मिल्स लि. मुंबई. निजी क्षेत्र में पब्लिक लि. कंपनी	नत्र(सीसी)9 (आइबीडी)2	देशी कपास पर नकद ऋण भुनाए गए देशी बिल
9	पार्टी-9:	होटल राज लि. मुंबई में फाइव स्टार होटल, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक लि. कंपनी	दीऋ(एलटी) 7 खदेबि(आइबीपी)4	मीयादी ऋण खरीदे गये तीसरे पक्ष के चेक
10	पार्टी-10:	एडवार्ड नेलसन एण्ड कं, मुंबई, साझेदारी फर्म, चाय और मसालों के निर्यात में संलग्न	पैऋ(पीसी)2 निबिअ (ईबीए)1 ओड्रा (ओडी)6	पैकिंग ऋण निर्यात बिलों पर अग्रिम निर्बन्ध ओवर ड्राफ्ट
11	पार्टी-11:	सुकन्या थिएटर, मुंबई साझेदारी संस्था	दीऋ(एलटी) 8 ओड्रा (ओडी) 7	मीयादी ऋण ओवर ड्राफ्ट
12	पार्टी-12:	श्री. एस. श्रावण, मुंबई, चर्मशोधन (लेदर टैनिंग) में संलग्न स्वरोजगारी	मऋ(एमटी) 3	किस्त ऋण (मूल रूप से मंजूर किया गया ऋण 6000 रुपये, 500 रुपये चुकता)
13	पार्टी-13:	कु. जे. एम. भादो, मुंबई एकल फुल विक्रेता	मांऋ(डीएल)2	मांग ऋण
14	पार्टी-14:	कामत एण्ड सन्स, मुंबई, साझेदारी संस्था भवन निर्माण ठेकेदार	ओड्रा (ओडी) 4	अस्थायी ओवर ड्राफ्ट
15	पार्टी-15:	दात्ये सर्विसेस, मुंबई डेटा प्रोसेसिंग सेवा में संलग्न साझेदारी संस्था	दीऋ(एलटी) 4	मीयादी ऋण
16	पार्टी-16:	श्रीमती एम. वी. अधन, मुंबई, कंपनी एक्जिक्यूटीव	मऋ(एमटी)4	मोटर साइकिल खरीदने के लिए ऋण, 30 मासिक किस्तों में चुकौती (मूल रूप से रु. 15,000 मंजूरी, 1,000 रु. चुकता)
17	पार्टी-17:	डॉ. (श्रीमती) सी. आर. फैंटम मुंबई, दंत चिकित्सक	दीऋ(एलटी) 5	उपकरण खरीदने के लिए मीयादी ऋण
18	पार्टी-18:	मलाड बैंक लि. मुंबई निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक	मांऋ(डीएल)4	मांग ऋण

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
19	पार्टी-19:	श्री वी बी मेथी , मुंबई, विद्यार्थी	मऋ(एमटी) 6	विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मीयादी ऋण
20	पार्टी-20:	श्री ए. के. अच्चा मुंबई, स्वरोजगारी व्यक्ति, मिट्टी की गुड़िया बनाने वाला	मऋ(एमटी) 5	मीयादी ऋण
21	पार्टी-21:	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक लि. ठाणे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मांऋ(डीएल)5	मांग ऋण
22	पार्टी-22:	मेसर्स सबट्रॉनिक्स, मुंबई, स्वामित्व प्रतिष्ठान। मशीनों और संयत्र में 10 लाख रु. का निवेश। स्विच आदि बनाने वाले	दीऋ(एलटी)10	मीयादी ऋण
23	पार्टी-23:	अरविंद इलेक्ट्रानिक्स लि. मुंबई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इलेक्ट्रोनिक की चीजें बनाने वाले	ओड्रा (ओडी)9 दीऋ(एलटी)11	ओवरड्राफ्ट मीयादी ऋण
24	पार्टी-24:	भारत फ्लोर मिल्स, मुंबई, साझेदारी प्रतिष्ठान	नऋ(सीसी)15	नकद ऋण
25	पार्टी-25:	जे. के. प्रिंटर, मुंबई,संयंत्र व मशीनों में 20 लाख रुपये के निवेश वाला साझेदारी प्रतिष्ठान	मऋ(एमटी)7	मीयादी ऋण
26	पार्टी-26:	सहारा एण्ड कंपनी, मुंबई, थोक व्यापार से संबंधित स्वामित्व प्रतिष्ठान	नऋ(सीसी)17	नकद ऋण, अनुपयोज्य आस्तियां -18 महीनों से अधिक
27	पार्टी-27:	श्री कृषि डील, मुंबई, कृषि उपकरणों के खुदरा व्यापारी	नऋ(सीसी)18	नकद ऋण
28	पार्टी-28:	श्रीमती ए. के. चिकन, मुंबई, मुर्गी पालक	मांऋ(डीएल)7	अल्पावधि ऋण
29	पार्टी-29:	श्री. आइ. एम. फिशरमैन, वर्सोवा, मुंबई, मछुआरा	मांऋ(डीएल)8	अल्पावधि ऋण

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
30	पार्टी-30:	श्री. आटोमैन, मुंबई, आटो रिक्शा चालक	मांऋ(डीएल)9	मांग ऋण
31	पार्टी-31:	जाइंट नेशनल लिमिटेड, मुंबई, निजी क्षेत्र में पब्लिक लि. कंपनी, उत्पादन के विविध क्षेत्र	नऋ(सीसी)14 दीऋ(एलटी)12 पैऋ(पीसी)4	कोट्टयम, केरल में स्थित इंजीनियरिंग प्रभाग के लिए नकद ऋण, खाद्य व पेय बनाने वाली मशीन मुंबई के पेंट प्रभाग हेतु मशीनें खरीदने के लिए मीयादी ऋण सूती वस्त्र प्रभाग के लिए पैकिंग ऋण, कोयम्बतूर में स्थित फैक्टरी
32	पार्टी-32:	एम एम टी सी, लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम, निर्यात और आयात में संलग्न	नऋ(सीसी)19 पैऋ(पीसी) 5	नकद ऋण पैकिंग ऋण
33	पार्टी-33:	श्री. होम ए. लोन, मुंबई, व्यक्ति	दीऋ(एलटी) 13 पैऋ(पीसी)C 1	गृह निर्माण ऋण क्रेडिट कार्ड
34	पार्टी-34:	अपर्णा को. ऑप. हाउसिंग सोसायटी लि. मुंबई, स्टैण्डर्ड बैंक लि. के कर्मचारियों की को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी	दीऋ(एलटी)18	गृह निर्माण ऋण
35	पार्टी-35:	महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग बोर्ड, मुंबई, राज्य सरकार प्रायोजित संस्था	दीऋ(एलटी)15	एक गृह निर्माण परियोजना के लिए मीयादी ऋण- 5 करोड़ रु.मंजूर, 1 करोड़ रु. संवितरित
36	पार्टी-36:	बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, मुंबई	दीऋ(एलटी)16	सड़क निर्माण हेतु मीयादी ऋण
37	पार्टी-37:	महाराष्ट्र ट्यूबवेल एण्ड माइनर इरिगेशन कार्पोरेशन, मुंबई, राज्य सरकार का उपक्रम	मांऋ(डीएल)10	निगम के कार्यकलापों के लिए कार्यकारी निधियां
38	पार्टी-38:	महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन मुंबई, राज्य सरकार का उपक्रम	दीऋ(एलटी)17	बसों की संख्या बढ़ाने के लिए मीयादी ऋण

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
39	पार्टी-39:	श्री. टी. आर. किसान, रायगढ़ चावल की खेती करने वाला किसान	दीऋ(एलटी)14 क्रेका (केसीसी)1	ट्रॅक्टर खरीदने के लिए मीयादी ऋण किसान क्रेडिट कार्ड
40	पार्टी-40:	टी फार्म्स लि. मुंबई में प्रधान कार्यालय, चाय बागान और अपनी अभिसंस्करण इकाई- दार्जिलिंग में, चाय की खेती व प्रोसेसिंग में लगी हुई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	नऋ(सीसी)21	चाय की खेती व अभिसंस्करण के लिए नकद ऋण
41	पार्टी-41:	कॅन-कॅन टी-लिमिटेड, प्राइवेट लि. कंपनी नीलगिरि में चाय की एस्टेट, केवल कच्ची चाय के उत्पादन में संलग्न	नऋ(सीसी)22 दीऋ(एलटी)19	खेती के लिए नकद ऋण बागानों के विकास के लिए मीयादी ऋण
42	पार्टी-42:	मिस्टर डियागो मैराडोना, अमेरिकी निवासी	याचे (टीसी)1	विदेशी यात्री द्वारा यात्री चेंकों का नकदी करण, एक ऐसे विदेशी बैंक को अग्रिम जिसकी शाखा भारत में नहीं है।
43	पार्टी-43:	स्टील इंडिया लि. फॅक्टरी अकोला में, स्थित प्रधान कार्यालय मुंबई में। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी	नऋ(सीसी)24 ओड्रा (ओडी)8 दीऋ(एलटी)20 नप्रोशुवा(सीआइडीडी)1	नकद ऋण ओवर ड्राफ्ट मीयादी ऋण शुल्क वापसी योजना के आधार पर दिये गये अग्रिम
44	पार्टी-44:	मेसर्स शामजी वेलजी, मुंबई, सामान्य वाणिज्य वस्तुओं के व्यापारी	नऋ(सीसी)25 खदेबि(आइबीपी)5	वस्तुएं गिरवी रख कर नकद ऋण बही ऋणों पर बिल खरीद सुविधा
45	पार्टी-45:	मेसर्स ए. राशन मुंबई, प्राधिकृत राशन दुकान नं.3753	नऋ(सीसी)26	नकदी ऋण
46	पार्टी-46:	जनता कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि. मुंबई, सामान्य वस्तुओं के व्यापारी	नऋ(सीसी)28 दीऋ(एलटी)22 खदेबि(आइबीपी)6	नकदी ऋण-वस्तुओं की दृष्टि-बंधक रखकर डिलीव्हरी वैन (दृष्टिबंधक) की खरीद के लिए मीयादी ऋण बही ऋणों पर बिल खरीद सुविधा
47	पार्टी-47:	रतन को ऑपरेटिव स्टोर्स लि. मुंबई प्राधिकृत राशन नं. 3888	नऋ(सीसी)29	नकदी ऋण

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
48	पार्टी-48:	मेसर्स पी. एस. पैकेजिंग प्रा. लि., मुंबई, कागज के बक्से बनाने वाले	मत्र्र(एमटी)10 ओड्रा (ओडी)12	मीयादी ऋण ओवर ड्राफ्ट
49	पार्टी-49:	रूंदती ब्रिक मेकर्स, कल्याण, स्वरोजगार जो कारीगरी/दस्तगारी के अंतर्गत हों	मांऋ(डीएल)12	मांग ऋण
50	पार्टी-50:	मंडा हस्तकला उद्योग, मुंबई (केवीआइ)	नऋ (डीडी) 31	नकद ऋण
51	पार्टी-51:	दैनिक पब्लिशिंग कं., मुंबई, दैनिक अखबार के प्रकाशक	दीऋ(एलटी)23 ओड्रा (ओडी)13	मीयादी ऋण ओवर ड्राफ्ट
52	पार्टी-52:	श्री सोसल श्याम, मुंबई, सामाजिक समारोह के के लिए ऋण	ओड्रा (ओडी)14	ओवर ड्राफ्ट
53	पार्टी-53:	व्होरा मेकानिकल एण्ड कं. शिरडी-श्री व्होरा, बिजली व डीजल मशीनों की मरम्मत में लगा व्यक्ति	ओड्रा (ओडी)15 मऋ(एमटी)11	ओवर ड्राफ्ट मीयादी ऋण
54	पार्टी-54:	श्री. लोथर एम. के., स्टाफ मुंबई में आवास के लिए ऋण	दीऋ(एलटी)24	मीयादी ऋण
55	पार्टी-55:	शिल्पा ब्यूटी एण्ड हेल्थ सेंटर मलाड, मुंबई सुश्री शिल्पा एक व्यक्ति, ब्यूटी पार्लर शुरू करने वाली	नऋ(सीसी)32	नकद ऋण
56	पार्टी-56:	मेसर्स कुमार ऐड्स, मुंबई, एक विज्ञापन एजेंसी	मांऋ(डीएल)13	मांग ऋण
57	पार्टी-57:	मेसर्स आसना निर्यातक-पीतल, चांदी, एवं धातुओं के अलंकार, बर्तन और मूर्तियों के निर्यातक	नऋ(सीसी)33 खनिबि (ईबीपी)2	स्टॉक को दृष्टीबंधक रखकर नकदी ऋण खरीदे गये निर्यात बिल

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
58	पार्टी-58:	मेसर्स शायनू इंटरप्राइजेस, नासिक वाशिंग मशीनों के निर्माता	दीऋ(एलटी)26 नऋ(सीसी)34 ओड्रा (ओडी)17	मीयादी ऋण नकद ऋण ओवर ड्राफ्ट
59	पार्टी-59:	शादी ज्वेलर्स, मुंबई	पैऋ(पीसी)6	बहुमूल्य पत्थरों से बने आभूषणों के निर्यात के लिए पैकिंग ऋण
60	पार्टी-60:	श्री. एल. टी. लोन, ठाणे	दीऋ(एलटी) 27	राष्ट्रीय आवास बैंक स्कीम के अंतर्गत दिया गया दीर्घावधि ऋण
61	पार्टी-61:	भीम पाइप्स एण्ड सीमेंट प्रोड्यूसेज लि., कोपरगांव, जि. ठाणे	मऋ(एमटी)12	कोपरगांव के पाइपों व सीमेंट चादरों के दृष्टि बंधन पर अग्रिम
62	पार्टी-62:	सह्याद्री कोल्ड स्टोरेज हाउस, भाईंदर, जिला ठाणे	दीऋ(एलटी)29	शीतगृह बनवाने के लिये दीर्घकालीन ऋण
63	पार्टी-63:	श्रीमती जेम्स बॉण्ड, मुंबई कर्मचारी	दीऋ(एलटी)30	टीवी, वाशिंग मशीन, घरेलू चीजों आदि खरीदने के लिए मीयादी ऋण
64	पार्टी-64:	श्रीमती मैण्ड्रेक, मुंबई	मऋ(एमटी)13	एफडीआर पर बेटी की शादी के लिए मीयादी ऋण
65	पार्टी-65:	श्री. एच. राम. नासिक किसान क्रेडिट कार्ड (निवेश) का खाताधारक	क्रेका (केसीसी)2	निवेश के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
66	पार्टी-66:	श्रीमती टी प्रभा, किसान क्रेडिट कार्ड (उत्पादन) का खाताधारक	क्रेका (केसीसी)3	उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
67	पार्टी-67:	श्री ए. शर्मा किसान क्रेडिट कार्ड (उत्पादन) का खाताधारक	क्रेका (केसीसी)4	उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
68	पार्टी-68:	श्री ए. पी चुघ	साक्रेका(जीसीसी)1	सामान्य क्रेडिट कार्ड
69	पार्टी-69:	श्री. पी. सिन्हा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के मरम्मत और अनुरक्षण का काम करने, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	अक्रेका(ओसीसी)2	अन्य क्रेडिट कार्ड

क्रम सं.	पार्टी सं.	पार्टी का नाम और विवरण	खाता सं	खाते का विवरण
1	2	3	4	5
70	पार्टी-70:	मेसर्स तामिल बाइसिकल कार्पोरेशन लि., चैन्नई कार्पोरेट क्रेडिट कार्ड	अक्रेका(ओसीसी)3	अन्य क्रेडिट कार्ड-कार्पोरेट क्रेडिट कार्ड
71	पार्टी-71:	एग्रि एसएचपी, नासिक	नऋ(सीसी)35	सदस्य किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए ऋण देना (ऑनवर्ड लेंडिंग)
		महिला स्वयं सहायता समूह (वूमन सेल्फ हेल्प ग्रूप) - अवाबें (एससीबी) से सीधा लोन	दीऋ(एलटी)31	सदस्य किसानों को सामान्य उद्देश्य के लिए ऋण देना (ऑनवर्ड लेंडिंग)
72	पार्टी-72:	लातूर जेएलजी पोल्ट्रि फार्मिंग का काम करने वाले	दीऋ(एलटी)32	मुर्गी पालन
73	पार्टी-73:	बी एसएचजी, लातुर अन्य स्वयं सहायता समूह	मऋ(एमटी)14	एमएफआइ द्वारा सदस्यों को आगे ऋण देना (ऑनवर्ड लेंडिंग)

स्टैंडर्ड बैंक, बांद्रा ईस्ट ब्रांच, मुंबई: 31 मार्च, 2008 को ऋण खातों के विस्तृत कूट क्रेडिट खातों की सूची

क्रम सं	पार्टी सं.	खाता सं	संगठन	ऋणकर्ता की श्रेणी	जमानती (सिक्योर्ड) (एस) गैर- जमानती अन-सिक्योर्ड (यू)	स्थिर फ़िक्स्ड (एफ़) अस्थिर (फ्लोटिंग) (एल)	ब्याज की दर (%)	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)	मू.सां.वि.-1क/ मू.सां.वि.-1ख में शामिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पार्टी-1:	नकद ऋण (सीसी)1	32	19	एस	एफ़	13.50	8,00,000	4,50,725	1क
		डिमांड लोन (डीएल) 11	32	19	एस	एफ़	14.50	7,00,00,000	1,60,10,000	1क
		नकद ऋण (सीसी) 2	32	19	एस	एफ़	14.50	2,50,00,000	2,00,99,827	1क
		भुदेबि(आइडीबी) 1	32	19	एस	एफ़	-	10,00,000	9,08,422	1क
		खदेबि (आइबीपी) 1	32	19	एस	एफ़	-	30,000	18,676	1ख
2	पार्टी -2:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 1	32	12	एस	एफ़	15.00	1,95,000	1,97,560	1ख
		पैकिंग क्रेडिट (पीसी) 1	32	12	एस	एफ़	15.50	2,00,000	शून्य (निल)	1ख
		खनिबि (ईबीपी) 1	32	12	एस	एफ़	-	6,00,000	4,56,732	1क
		ओवर ड्राफ़्ट (ओडी) 1	32	12	एस	एफ़	16.00	18,000	14,832	1ख
		भुनिबि (ईबीडी) 1	32	12	एस	एफ़	-	4,00,000	852	1क
3	पार्टी -3:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 2	16	99	एस	एफ़	12.00	35,00,000	35,00,000	1क
4	पार्टी -4:	नकद ऋण (सीसी) 3	16	12	एस	एफ़	15.00	25,00,000	16,80,000	1क
		नकद ऋण (सीसी) 32	16	12	एस	एफ़	15.00	5,20,000	शून्य (निल)	1क
		आबिअ (आइबी) 1	16	12	एस	एफ़	-	2,00,000	88,000	1ख
5	पार्टी -5:	नकद ऋण (सीसी) 4	24	33	एस	एफ़	14.50	2,50,000	क्रे 86,946	1क
		खदेबि(आइबीपी) 2	24	33	एस	एफ़	-	10,00,000	शून्य (निल)	1क
6	पार्टी -6:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 3	53	11	एस	एल	14.00	2,50,000	1,48,000	1क
		नकद ऋण (सीसी) 6	53	11	यू	एल	14.50	1,75,000	5,000	1ख
		खदेबि(आइबीपी) 3	53	11	यू	एल	-	2,50,000	50,092	1क
7	पार्टी -7:	मीयादी ऋण (एमटी)1	41	45	एस	एफ़	14.50	17,000	17,000	1ख
		डिमांड लोन (डीएल)1	41	45	एस	एफ़	12.50	38,000	12,800	1ख
		नकद ऋण (सीसी) 13	41	45	एस	एफ़	16.00	45,000	8,000	1ख
8	पार्टी -8:	नकद ऋण (सीसी) 9	32	12	एस	एफ़	15.00	10,00,000	9,86,437	1क
		भुदेबि(आइडीबी)2	32	12	एस	एफ़	-	30,00,000	28,87,736	1क
9	पार्टी -9:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 7	32	99	एस	एफ़	15.00	4,00,000	4,05,000	1क
		खदेबि(आइबीपी) 4	32	99	एस	एफ़	-	58,000	28,000	1ख

क्रम सं	पार्टी सं.	खाता सं	संगठन	ऋणकर्ता की श्रेणी	जमानती (सिक्योर्ड) (एस) गैर- जमानती अन-सिक्योर्ड (यू)	स्थिर फ़िक्स्ड (एफ़) अस्थिर (फ्लोटिंग) (एल)	ब्याज की दर (%)	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)	मू.सां.वि.-1क/ मू.सां.वि.-1ख में शामिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	पार्टी-10:	पैकिंग क्रेडिट (पीसी)2 निबिअ (ईबीए)1 ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)6	53 53 53	33 33 33	एस एस एस	एल एल एल	13.50 - 14.00	2,00,000 20,00,000 35,000	8,000 19,86,664 क्रे 1,840	1ख 1क 1ख
11	पार्टी-11:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 8 ओवर ड्राफ़्ट (ओडी) 7	53 53	99 99	एस एस	एफ़ एफ़	14.00 13.50	5,50,000 19,000	5,50,000 8,999	1क 1ख
12	पार्टी-12:	मीयादी ऋण (एमटी) 3	41	03	यू	एफ़	14.00	5,500	5,500	1ख
13	पार्टी-13:	डिमांड लोन (डीएल) 2	42	99	यू	एफ़	4.00	1,195	1,195	1ख
14	पार्टी-14:	ओवर ड्राफ़्ट (ओडी) 4	53	99	एस	एफ़	16.00	42,000	9,812	1ख
15	पार्टी-15:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 4	53	99	एस	एफ़	15.00	50,000	55,000	1ख
16	पार्टी-16:	मीयादी ऋण (एमटी)4	42	99	एस	एल	14.00	14,000	14,000	1ख
17	पार्टी-17:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 5	42	99	एस	एल	15.00	1,00,000	64,000	1ख
18	पार्टी-18:	डिमांड लोन (डीएल) 4	31	99	एस	एफ़	15.00	3,00,000	64,000	1क
19	पार्टी-19:	मीयादी ऋण (एमटी) 6	42	99	एस	एफ़	14.00	30,000	15,000	1ख
20	पार्टी-20:	मीयादी ऋण (एमटी) 5	41	99	एस	एफ़	13.00	5,000	5,000	1ख
21	पार्टी-21:	डिमांड लोन (डीएल) 5	15	99	एस	एफ़	14.00	50,000	19,000	1ख
22	पार्टी-22:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 10	51	05	यू	एल	14.00	20,000	17,960	1ख
23	पार्टी-23:	ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)9 दीर्घावधि ऋण (एलटी) 11	32 32	19 19	एस एस	एफ़ एफ़	16.00 15.00	80,000 4,00,000	16,550 45,353	1ख 1क
24	पार्टी-24:	नकद ऋण (सीसी)15	53	11	एस	एफ़	16.00	10,000	9,600	1ख
25	पार्टी-25:	मीयादी ऋण (एमटी)7	53	05	एस	एफ़	15.00	17,000	17,000	1ख
26	पार्टी-26:	नकद ऋण (सीसी) 17	51	03	एस	एफ़	16.50	9,000	8,500	1ख

क्रम सं	पार्टी सं.	खाता सं	संगठन	ऋणकर्ता की श्रेणी	जमानती (सिक्योर्ड) (एस) गैर- जमानती अन-सिक्योर्ड (यू)	स्थिर फ़िक्स्ड (एफ़) अस्थिर (फ्लोटिंग)(एल)	ब्याज की दर (%)	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)	मू.सां.वि.-1क/ मू.सां.वि.-1ख में शामिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	पार्टी-27:	नकद ऋण (सीसी)18	41	99	एस	एफ़	14.50	20,000	14,340	1ख
28	पार्टी-28:	डिमांड लोन (डीएल)7	42	42	यू	एफ़	4.00	15,000	1,900	1ख
29	पार्टी-29:	डिमांड लोन (डीएल)8	41	99	एस	एफ़	4.00	10,000	7,000	1ख
30	पार्टी-30:	डिमांड लोन (डीएल)9	41	99	एस	एफ़	4.00	5,000	950	1ख
31	पार्टी-31:	नकद ऋण (सीसी)14	32	19	एस	एल	15.00	1,00,00,000	95,00,007	1क
		दीर्घावधि ऋण (एलटी)12	32	19	एस	एल	14.00	75,00,000	75,00,000	1क
		पैकिंग क्रेडिट (पीसी)4	32	19	एस	एल	11.00	40,00,000	26,55,650	1क
32	पार्टी-32:	नकद ऋण (सीसी)19	16	39	एस	एफ़	14.00	3,50,00,000	26,007	1क
		पैकिंग क्रेडिट (पीसी) 5	16	39	एस	एफ़	13.50	2,00,00,000,	1,77,29,000	1क
33	पार्टी-33:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 13	41	99	एस	एफ़	12.00	1,00,000	67,500	1ख
		क्रेक्रा (पीसीसी) 1	41	99	एस	एफ़	24.00	30,000	25,600	1ख
34	पार्टी-34:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)18	24	99	एस	एल	4.00	6,27,450	5,86,900	1क
35	पार्टी-35:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)15	16	99	यू	एफ़	13.00	5,00,00,000	1,00,00,000	1क
36	पार्टी-36:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)16	14	99	यू	एफ़	12.00	15,00,000	8,00,000	1क
37	पार्टी-37:	डिमांड लोन (डीएल)10	13	99	यू	एफ़	14.00	3,50,000	2,75,343	1क
38	पार्टी-38:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)17	16	39	एस	एफ़	14.50	10,00,000	8,79,243	1क
39	पार्टी-39:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)14	41	42	एस	एफ़	12.00	60,000	78,000	1ख
		किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)1	41	42	एस	एफ़	10.00	50,000	525	1ख
40	पार्टी-40:	नकद ऋण (सीसी)21	32	49	एस	एफ़	15.00	25,00,000	15,90,843	1क
41	पार्टी-41:	नकद ऋण (सीसी)22	32	49	एस	एफ़	14.00	3,00,000	2,90,000	1क
		दीर्घावधि ऋण (एलटी)19	32	12	एस	एफ़	15.00	12,00,000	10,90,000	1क
42	पार्टी-42:	यात्री चेक (टिसी) 1	41	99	एस	एफ़	12.00	3,00,000	3,00,000	1क

क्रम सं	पार्टी सं.	खाता सं	संगठन	ऋणकर्ता की श्रेणी	जमानती (सिक्योर्ड) (एस) गैर- जमानती अन-सिक्योर्ड (यू)	स्थिर फ़िक्स्ड (एफ़) अस्थिर (फ्लोटिंग)(एल)	ब्याज की दर (%)	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)	मू.सां.वि.-1क/ मू.सां.वि.-1ख में शामिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	पार्टी-43:	नकद ऋण (सीसी)24	32	19	एस	एफ़	15.00	2,00,000	2,00,000	1ख
		ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)8	32	19	एस	एफ़	15.00	15,00,000	15,00,000	1क
		दीर्घावधि ऋण (एलटी)20	32	19	एस	एफ़	15.00	25,00,000	25,00,000	1क
		सीआइडीडी 1	32	19	एस	एफ़	15.00	25,00,000	25,00,000	1क
44	पार्टी-44:	नकद ऋण (सीसी)25	53	33	एस	एफ़	15.00	24,000	15,505.00	1ख
		खदेबि(आइबीपी) 5	53	33	एस	एफ़	-	15,000	शून्य (निल)	1ख
45	पार्टी-45:	नकद ऋण (सीसी) 26	53	99	एस	एफ़	15.00	20,000	11,000	1ख
46	पार्टी-46:	नकद ऋण (सीसी)28	24	99	एस	एफ़	15.00	20,000	5,000	1ख
		दीर्घावधि ऋण (एलटी)22	24	99	एस	एफ़	15.00	90,000	86,900	1ख
		खदेबि(आइबीपी) 6	24	99	एस	एफ़	-	10,000	10,000	1ख
47	पार्टी-47:	नकद ऋण (सीसी)29	24	99	एस	एफ़	15.00	15,000	8,000	1ख
48	पार्टी-48:	मीयादी ऋण (एमटी)10	53	11	एस	एफ़	13.50	2,00,000	1,90,050	1ख
		ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)12	53	11	एस	एफ़	14.50	24,000	22,800	1ख
49	पार्टी-49:	डिमांड लोन (डीएल)12	41	03	एस	एफ़	12.50	50,000	45,050	1ख
50	पार्टी-50:	डीडी 31	53	29	एस	एफ़	12.50	15,000	14,500	1ख
51	पार्टी-51:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)23	51	99	एस	एफ़	14.00	1,00,000	1,00,000	1ख
		ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)13	51	99	एस	एफ़	16.00	50,000	25,050	1ख
52	पार्टी-52:	ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)14	41	99	एस	एफ़	14.00	20,000	10,855	1ख
53	पार्टी-53:	ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)15	51	05	एस	एफ़	16.00	14,000	10857	1ख
		मीयादी ऋण (एमटी)11	51	05	यू	एल	15.00	35,000	35,000	1ख
54	पार्टी-54:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)24	41	99	एस	एल	4.00	1,00,000	1,00,000	1ख
55	पार्टी-55:	नकद ऋण (सीसी)32	42	99	एस	एफ़	15.00	20,000	18,500	1ख
56	पार्टी-56:	डिमांड लोन (डीएल)13	51	99	एस	एफ़	15.00	40,000	40,000	1ख

क्रम सं	पार्टी सं.	खाता सं	संगठन	ऋणकर्ता की श्रेणी	जमानती (सिक्योर्ड) (एस) गैर- जमानती अन-सिक्योर्ड (यू)	स्थिर फ़िक्स्ड (एफ़) अस्थिर (फ्लोटिंग)(एल)	ब्याज की दर (%)	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)	मू.सां.वि.-1क/ मू.सां.वि.-1ख में शामिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	पार्टी-57:	नकद ऋण (सीसी)33	53	99	एस	एफ़	15.00	50,000	50,000	1ख
		खनिबि (ईबीपी) 2	53	99	एस	एफ़	16.00	20,000	20,000	1ख
58	पार्टी-58:	दीर्घावधि ऋण (एलटी)26	53	12	एस	एफ़	15.00	10,00,000	10,00,000	1क
		नकद ऋण (सीसी)34	53	12	एस	एफ़	15.00	1,00,000	1,00,000	1ख
		ओवर ड्राफ़्ट (ओडी)17	53	12	एस	एफ़	15.00	10,000	10,000	1ख
59	पार्टी-59:	पैकिंग क्रेडिट (पीसी)6	51	99	एस	एल	11.50	1,50,000	85,515	1ख
60	पार्टी-60:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 27	41	99	एस	एल	12.50	90,000	90,000	1ख
61	पार्टी-61:	मीयादी ऋण (एमटी)12	32	11	एस	एल	14.00	1,40,000	1,25,000	1ख
62	पार्टी-62:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 29	51	12	एस	एल	14.00	75,000	70,000	1ख
63	पार्टी-63:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 30	42	99	यू	एल	10.00	16,000	16,000	1ख
64	पार्टी-64:	मीयादी ऋण (एमटी)13	42	99	एस	एफ़	16.00	60,000	60,000	1ख
65	पार्टी-65:	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)2	41	41	यू	एफ़	10.00	50,000	40,000	1ख
66	पार्टी-66:	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)3	42	42	यू	एफ़	9.00	25,000	22,000	1ख
67	पार्टी-67:	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)4	41	42	यू	एफ़	9.00	25,000	22,000	1ख
68	पार्टी-68:	सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)1	41	99	यू	एफ़	9.00	20,000	20,000	1ख
69	पार्टी-69:	अन्य क्रेडिट कार्ड (ओसीसी)2	41	31	यू	एफ़	9.00	20,000	20,000	1ख
70	पार्टी-70:	अन्य क्रेडिट कार्ड (ओसीसी)3	32	19	यू	एफ़	12.00	500,000	200,000	1क
71	पार्टी-71:	नकद ऋण (सीसी) 35	61	99	एस	एफ़	10.00	300,000	100,000	1क
		दीर्घावधि ऋण (एलटी) 31	61	99	एस	एफ़	11.00	250,000	200,000	1क
72	पार्टी-72:	दीर्घावधि ऋण (एलटी) 32	54	45	यू	एफ़	12.00	400,000	200,000	1क
73	पार्टी-73:	मीयादी ऋण (एमटी) 14	66	99	यू	एफ़	14.00	600,000	500,000	1क

मूसांवि-1 ए और मूसांवि-1 बी के लिए दृष्टांत सहित उदाहरण

मूसांवि 1 भरने से पहले इस पुस्तिका में दिये गये विस्तृत अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और जहां कहीं किसी खाते के किसी विशेष पक्ष को कूट संख्या देने में कोई संदेह हो वहां समय-समय पर अनुदेशों को पुन: देखें। एक कल्पित शाखा के संबंध में कुछ दृष्टांत नीचे दिये जा रहे हैं ताकि विवरणी के विभिन्न स्तंभों को भरने में शाखाओं को मदद मिले। ये दृष्टांत अनुदेशों के अनुसार तैयार किये गये हैं :

बैंक : स्टैंडर्ड बैंक

शाखा : बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

भाग I कूट : 9980122, भाग II कूट : 6000009

इस शाखा के कुछ खातों के ब्यौरे आगे के पृष्ठों पर दिये गये हैं। स्पष्टता की दृष्टि से, खातों की सूची पार्टीवार बनायी गयी है जबकि व्यवहार में, एक ही पार्टी को स्वीकृत विभिन्न प्रकार के ऋण अलग-अलग बहियों (लेजरों) में दर्ज हो सकते हैं।

इन उदाहरणों में, खातों को नंबर यह मानते हुए दिये गये हैं कि प्रत्येक प्रकार के खाते के लिए अलग-अलग बहियां रखी जाती हैं (जैसा कि कई बैंक करते हैं) और प्रत्येक वर्ग के खातों के लिए क्रम संख्या दी जाती है। इस प्रकार, हमारे पास निम्नलिखित खाते हैं :

	खाते का प्रकार	**(कूट)**	
i)	**नकदी ऋण** (**नऋ/सीसी**)	10	- 24 दृष्टांत सहित उदाहरण
ii)	**ओवरड्राफ्ट** (**ओड्रा/ओडी**)	20	- 11 दृष्टांत सहित उदाहरण
iii)	**मांग ऋण** (**मांऋ/डी एल**)	30	- 11 दृष्टांत सहित उदाहरण
iv)	**क्रेडिट कार्ड** (**क्रेका/केसीसी, जीसीसी, ओसीसी, पीसीसी**)	31-34	- 2 दृष्टांत सहित उदाहरण
v)	**मध्यावधि ऋण** (**मऋ/एम टी**)	41	- 10 दृष्टांत सहित उदाहरण
vi)	**दीर्घावधि ऋण** (**दीऋ/एल टी**)	42	- 26 दृष्टांत सहित उदाहरण
vii)	**पैकिंग ऋण** (**पैऋ/पीसी**)	50	- 5 दृष्टांत सहित उदाहरण
ix)	**खरीदे गये निर्यात बिल** (**खनिबि/ईपीबी**)	61	- 2 दृष्टांत सहित उदाहरण
ix)	**भुनाये गये निर्यात बिल** (**भुनिबि/ईबीडी**)	62	- 1 दृष्टांत सहित उदाहरण
x)	**अग्रिम प्राप्त निर्यात बिल** (**अनिबि/ईबीए**)	62	- 1 दृष्टांत सहित उदाहरण
xi)	**निर्यात नकद प्रोत्साहन और शुल्क वापसी दावों पर अग्रिम** (**नप्रोशुवा/सीआइडीडी**)	64	- 1 दृष्टांत सहित उदाहरण

xii)	**खरीदे गये देशी बिल (खदेबि/आइबीपी)**	71	- 6 दृष्टांत सहित उदाहरण
xiii)	**भुनाये गये देशी बिल (भुदेबि/आइबीडी)**	72	- 2 दृष्टांत सहित उदाहरण
xiv)	**आयात बिलों पर अग्रिम (आबिअ/आइबी)**	80	- 1 दृष्टांत सहित उदाहरण
xv)	**खरीदे गये विदेशी मुद्रा चेक (टीसी/डीडी/टीटी (ईबी)/एमटी**	90	- 1 दृष्टांत सहित उदाहरण

यह प्रणाली केवल दृष्टांत के लिए ही बनाई गई है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शाखा यह प्रणाली अपनाए। जैसे कि अनुदेशों में पहले बताया जा चुका है, खातों को नंबर देने के लिए कोई भी सुविधाजनक प्रणाली और क्रम अपनाया जा सकता है।

मू.सां.वि.1क और मू.सां.वि.1ख में खाते को दर्ज करने का तरीका नीचे समझाया गया है :

मू.सां.वि.1क और मू.सां.वि.1ख में खातों के वर्गीकरण का पार्टीवार विवरण (रु. 25,000 तक की ऋण सीमा का खंड-1 और रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक की ऋण-सीमा का खंड-2)

पार्टी 1 - महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लि.

खाता सं नऋ (सीसी) 1, मांऋ (डीएल) 11, नऋ (सीसी) 2 और भुदेबि (आइबीडी) 1 को मू.सां.वि.-1 क में शामिल किया जाना है क्योंकि प्रत्येक खाते की ऋण सीमा रु. 2 लाख से ऊपर है। यह नोट करें कि खाता सं. खदेबि (आइबीपी 1) 1 (खरीदा गया चेक खाता) मू.सां.वि.1ख के खण्ड-2 के अंतर्गत आएगा क्योंकि ऋण-सीमा रु. 30,000 है जो रु. 25,000 अधिक है और रु. 2 लाख से अधिक नहीं है। यह खाता मू.सां.वि.-1ख कूट 211 'सूती वस्त्र' के अंतर्गत समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा।

मू.सां.वि.1क में सूचीबद्ध किए जाने वाले सभी खातों के लिए

- ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट सोलापुर का 610 होगा क्योंकि समस्त ऋण मिल के काम में लाया जाता है और मिल सोलापुर के शहरी क्षेत्र में है। तथा ऋण के उपयोग का जनसंख्या समूह कूट होगा 3 (शहरी)। (भले ही कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा कर्ज मुंबई में लिया गया हो।)
- सही संगठन कूट 32 है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र की गैर-वित्तीय कंपनी है।
- कार्यकलाप / व्यवसाय कूट वस्त्र विनिर्माण के तहत होगा। इसलिए सही कूट होगा 17101-सूती वस्त्र।
- कंपनी बृहत् स्तर का उद्योग है, इसलिए उधारकर्ता की श्रेणी का कूट 19 होगा, 'बड़े विनिर्माण उद्यम'
- जैसा खाता होगा, उसके अनुसार खाते के प्रकार के लिए कूट संख्या बदलेगी। कृपया नोट करें कि यद्यपि इस पार्टी को दो नकदी ऋण खाते मंजूर किए गए हैं (एक गिरवी (प्लेज) और दूसरा दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेशन) पर), दोनों खातों को एक ही कूट (10) दिया गया है, क्योंकि दोनों में अंतर जमानत की प्रकृति में है।
- पार्टी के उधार खाते ठीक हैं, इसलिए सभी खातों के लिए आस्तियोंका वर्गीकरण कूट 1 होगा।

पार्टी 2 - विजय दुर्ग फ्रीजिंग एण्ड कैनिंग कंपनी (प्राइवेट) लि.

इस पार्टी के पाँच खातों में से दो खाते, खनिबि (ईपीबी) 1 और भुनिबि (ईबीडी) 1 मू.सां.वि.-1क में दर्ज किये जाने हैं। अन्य तीन खातों यथा दीऋ (एलटी) 1, पैऋ (पीसी) 1 व ओड्रा (ओडी) 1 की ऋण सीमा रु. 2 लाख या कम की है और इसलिए समान खातों के साथ इन्हें समेकित किया जाएगा तथा मू.सां.वि.-1ख कूट 209 अन्य खाद्य विनिर्माण और संसाधन और 393 'मंझोले विनिर्माण उद्यम' के तहत भी क्रमशः खण्ड 2 और खण्ड 1 में दर्ज किया जायेगा।

मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध किये जाने वाले खातों के लिए

- ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 607 होगा क्योंकि फैक्टरी ऋण का उपयोग सिंधदुर्ग जिले के विजयदुर्ग (ग्रामीण क्षेत्र) में करती है, सिंधदुर्ग का जिला कूट 607 है।
- ऋण के उपयोग के लिए जनसंख्या समूह कूट 1 (ग्रामीण) होगा।
- *संगठन कूट* 32 है गैर-वित्तीय कंपनी।
- *कार्यकलाप /व्यवसाय कूट* : चूँकि यह इकाई मछली की फ्रीजिंग और कैनिंग में लगी हुई है इसलिए उचित व्यवसाय कूट होगा 15102 - मत्स्य संसाधन, डब्बाबंदी, प्रशीतन और परिरक्षण।
- उधारकर्ता की श्रेणी का कूट होगा 12, 'मंझोले विनिर्माण उद्यम'
- खाते की प्रकृति के अनुसार खाते का प्रकार बदलेगा।
- चूँकि पार्टी के उधार खाते सही हैं; सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण कूट 1 होगा।

पार्टी 3 - महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड

- चूँकि पंपसेटों को बिजली प्रदान करने का कार्यक्रम कई जिलों में चल रहा है, इस मामले में जिला कूट सुस्पष्ट नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में यदि उस जिले का पता लगाना मुश्किल है जहाँ कि ऋण का बड़ा हिस्सा उपयोग में लाया जा रहा है, तो उस केंद्र के जिला कूट का उपयोग किया जाय जहाँ खाता प्रचालित होता है। इसलिए ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 600 (मुंबई) है और उचित जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- सार्वजनिक गैर-वित्तीय सरकारी निकाय होने के कारण संगठन के प्रकार का कूट 16 होगा।
- व्यवसाय कूट प्रभाग 40 के तहत है : बिजली, गैस, स्टीम और गर्म जल आपूर्ति। उचित कूट है 40102-पंपसेटों/ कूओं को बिजली प्रदान करना।
- उधारकर्ता की श्रेणी का कूट 99 'अन्य' होगा।

- दीर्घावधि ऋण की मूल सीमा 50 लाख रुपये थी। चूँकि रु. 15 लाख रुपये चुका दिये गये हैं। व्यावहारिक सीमा 35 लाख रुपये की है जो ऋण सीमा के स्तंभ में दर्ज किया जायेगा।
- खाते की संतोषजनक स्थिति के कारण, उचित आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 4 - हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स लि.

इस पार्टी के तीन खातों में से दो खाते, नऋ (सीसी) 3 और नऋ (सीसी) 32 मू.सां.वि.1क में दर्ज किए जाने हैं। आ बि अ (आइबी)1 खाता अन्य समान खाताओं के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मू.सां.वि.-1ख कूट 321 'बिजली चालित मशीनें और वस्तुएं' के तहत और 393 'मँझोले विनिर्माण उद्यम' के तहत भी दर्ज किया जाएगा। मू.सां.वि.1क में दर्ज किए जाने वाले खातों के लिए उचित कार्यकलाप / व्यवसाय कूट होगा 31101 'बिजली की मोटरें जेनरेटरों और ट्रांसफार्मरों का विनिर्माण' जो 'प्रभाग 31 : बिजली चालित मशीनों का विनिर्माण' के अंतर्गत पड़ता है प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य कूट इस प्रकार हैं :

- चूँकि फैक्टरी जबलपुर (शहरी क्षेत्र) में है, ऋण के उपयोग का सही जिला कूट 710 है और ऋण की उपयोगिता के लिए जनसंख्या समूह कूट संख्या 3 है।
- केंद्र सरकार का गैर-वित्तीय वाणिज्यिक उपक्रम होने के कारण, संगठन के प्रकार का कूट 16 है।
- नऋ 3 के लिए खाते का प्रकार कूट : कृपया ध्यान दें कि यद्यपि अंतरिम नकद ऋण की प्रविष्टि नकद ऋण लेजर में होती है (और खाता सं. नऋ 3 प्रदान की जाती है) इसे एक मीयादी ऋण ही माना जाएगा क्योंकि कालक्रम में इसे एक दीर्घावधि ऋण में बदला जाना है। खाते के प्रकार का उचित कूट 42 है। अन्य खाता नऋ 32 के लिए सामान्य कूट नकद ऋण के लिए अर्थात् 10 होगा।
- ऋणकर्ता की श्रेणी का कूट 12 है, 'मंझोले विनिर्माण उद्यम' और सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 5 - स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन

इस पार्टी के नऋ 4 और खदेबि 2 दोनों खाते मू.सां.वि.1क में सूचीबद्ध किए जाने हैं। 'उर्वरक का वितरण' मू.सां.वि.1क व्यवसाय कूट 51403 के तहत आता है। प्रस्तुत किए गए दूसरे कूटों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है।

- इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह ऋण की उपयोगिता के जिले के बारे में पक्का होना संभव नहीं है, क्योंकि उर्वरकों का वितरण (वह उद्देश्य जिसके लिए कर्ज लिया गया) कई जिलों में किया जाएगा, इसलिए ऋण के अनुमोदन के स्थान को ऐसे मामलों में उपयोग का स्थान माना जा सकता है। इसलिए ऋण के उपयोग का जो जिला

कूट यहां काम में लाया जाएगा, वह मुंबई (600) है जहाँ कि खाता परिचालित होता है। ऋण के उपयोग का जनसंख्या समूह कूट 4 होगा।

- गैर-वित्तीय सहकारी क्षेत्र का सही संगठन कूट 24 होगा क्योंकि यह एक सहकारी संस्था है।
- सही व्यवसाय कूट थोक व्यापार के तहत आएगा। उचित कूट है 51403 - उर्वरक (उर्वरक वितरण हेतु अनुमोदित अग्रिमों के साथ) और उधार लेनेवाले की श्रेणी 33 है, 'मंझोले सेवा उद्यम'।
- इस खाता (खदेबि (आइबीपी) 2) में बकाया राशि शून्य है। बकाया राशि शीर्ष के तहत इसे डैश (-) से दर्शाने का ध्यान रखें
- नकद ऋण खाता नऋ 4 रु. 86,946.87 के जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस) में है। बकाया राशि स्तंभ के तहत एक डैश '-' दर्शाया जाय और रु. 86946.87 जमाशेष को नहीं डाला जाय [राशि को - 87 के रूप में बकाया राशि (हजार रुपयों में) के स्तंभ में नहीं डालें] साथ ही टिप्पणियां स्तंभ में जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस) दिखाने के लिए अक्षर 'सी आर' ('CR') की प्रविष्टि करनी होगी।

नोट: सॉफ्ट फॉर्म में भेजे गए डेटा में बकाया राशि स्तंभ में 0 (शून्य) दर्शाया जाय, न कि - 87, इसी प्रकार 'कुछ नहीं' या '-' के बदले 0 का प्रयोग किया जाय।

- खाते के लिए आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 6 - प्रीमीयर प्लास्टिक्स

इस पार्टी के दीऋ (एल टी) 3 व खदेबि (आइबीपी) 3 खाते मू.सां.वि.1क में दर्ज किए जाने हैं। खाता नऋ (सीसी) 6 को समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और मू.सां.वि.1ख खण्ड-2 में मू.सां.वि.1ख कूट 240 'रबर और प्लास्टिक उत्पाद' और 393 'मंझोले विनिर्माण उद्यम' में भी रिपोर्ट किया जाएगा। मू.सां.वि.1क में सूचीबद्ध होने वाले खातों के लिए विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत किए जाने वाले कूट इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:-

- फैक्टरी मुंबई में अवस्थित है, जिला कूट 600 है और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- चूँकि यह साझेदारीयुक्त प्रतिष्ठान (पार्टनरशिप फ़र्म) है, उचित संगठन कूट 53 है।
- व्यवसाय कूट विनिर्माण उद्योग के तहत "प्रभाग 25: रबर व प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण" में मिलेगा। सही कूट है 25201 - प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण। (केवल सूचनार्थ : यदि फैक्टरी का मुख्य कार्यकलाप 'प्राथमिक रूप में प्लास्टिक का विनिर्माण' होता तो सही कोड 24104 होता जो 'प्रभाग 24 : रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण' के अंतर्गत आता है।
- सारे खातों के लिए ऋणकर्ता श्रेणी कूट होगा 11, 'लघु विनिर्माण उद्यम'।
- खाते का आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 7 - श्री. वी. पी. पालक

- इस पार्टी के स.भी खाते यथा मऋ (एमटी)-1 मांऋ (डीएल)-1, नऋ (सीसी) 13 ऐसे ही समान खातों के साथ समेकित किए जाएगें और मू.सां.वि.1ख में दर्ज किए जाएगें।
- इस पार्टी को दिया गया मीयादी ऋण (खाता सं. एमटी 1) 25,000 रुपये से कम है अतः इसे खण्ड-1 के अन्तर्गत मू.सां.वि.1ख में सूचीबद्ध किया जाएगा। शेष दो खाते खण्ड-2 में रिपोर्ट किए जाए।
- मांग ऋण (मांऋ (डीएल)-1) गन्ने की खेती के लिए है और नकद ऋण (नऋ-13) क्रमश: गन्ने की पेराई और खांडसारी/गुड़ बनाने के लिए दिये हैं। खाता मांऋ 1 के लिए मू.सां.वि. मू.सां.वि.1क व्यवसाय कूट कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के अन्तर्गत पाया जाता है और उचित कूट है 01104-गन्ने की खेती। इसी प्रकार खाता नऋ 13 के लिए व्यवसाय कूट खाद्य निर्माण और अन्य अभिसंस्करण उद्योग के अंतर्गत मिलेगा और सही कूट होगा 15403 - देसी चीनी, 'बूरा' 'गुड़' और खांडसारी का निर्माण। खाता मऋ (एमटी) 1 के तहत ऋण कुआं खोदने और पम्पसेट बैठाने के लिए लिया जाता है। सही मू.सां.वि.1क व्यवसाय कूट 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' में है, 01154-फार्म सिंचाई। समतुल्य मू.सां.वि-1ख कूट संपर्क सारणी से प्राप्त किया जा सकता है जैसे 01104 के लिए 103, 01154 के लिए 120 और 15403 के लिए 209।
- सभी खातों के लिए उचित आस्ति वर्गीकरण 2 होगा। मू.सां.वि-1ख कूट 902 और पुरुष खाते मू.सां.वि.1ख कूट 911 के तहत सभी खातों को अवमानक आस्तियों के रूप में भी समुच्चित किया जाना चाहिए।

पार्टी 8 - मोहक मिल्स लि. मुंबई

- इस पार्टी के दोनों खाते नऋ (सीसी) 9 और भुदेबि (आइबीडी) 2 मू.सां.वि.-1क में आएंगे।
- मिल मुंबई में अवस्थित है, ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 600 और ऋण उपयोग का जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- मिल गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र की कंपनी है, सही संगठन कूट 32 है।
- मिल में सूती वस्त्र का काम होता है, इसलिए सही व्यवसाय कूट 17101 होगा।
- ऋणकर्ता की श्रेणी का सही कूट है 12, 'मंझोले विनिर्माण।
- पार्टी बीमार इकाई है, शुश्रूषा चल रही है, इसलिए सभी खातों के लिए सही आस्ति वर्गीकरण कूट 2 होगा।

पार्टी 9 - होटल राज लि., मुंबई

इस पार्टी के दीऋ 7 खाते मू.सां.वि.1क में सूचीबद्ध होंगे। खाता खदेबि (आइपीबी) 4 अन्य सामान्य खातों के साथ समेकित किया जाएगा और मू.सां.वि.-1ख कूट 712 (होटल और रेस्टारेन्ट) के अन्तर्गत खण्ड 2 में दर्ज किया

जाएगा। मू.सा.वि.-1क के तहत दर्ज किए जानेवाले खातों के लिए उचित व्यवसाय कूट 55101 “होटल, मोटल, रिसॉर्ट्स” है जो प्रभाग 55; होटल और रेस्टारेन्ट के अन्तर्गत आएगा। विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत किए गए अन्य कूट इस प्रकार निर्धारित किए गए है :

- होटल मुंबई में अवस्थित है, जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- दीऋ (एलटी) 7 के लिए खाते के प्रकार का कूट 42 ‘दीर्घावधि मीयादी ऋण’ है।
- संगठन कूट 32 है क्योकि यह गैर-वित्तीय सार्वजनिक सीमित कम्पनी है।
- ऋणकर्ता श्रेणी की कूट संख्या 33 है। (मंझोले सेवा उद्यम)
- उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 10 - एडवार्ड नेल्सन एन्ड कम्पनी, मुंबई

- इस पार्टी का खाता अनिबि (ईबीए) 1 मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध होगा। पैऋ (पीसी) 2 और ओड्रा 6 खाते समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और मूसांवि. -1 ख कूट 510 थोक व्यापार और 753, ‘मंझोले सेवा उद्यम’ के तहत भी खण्ड 2 में दर्ज किये जाएंगे क्योंकि पार्टी चाय और मसाले में लगी हुई एक निर्यात प्रतिष्ठान है। आगे यह कि ओड्रा 6 खाता जमा शेष में है और यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि बकाया राशि को मूसांवि-1 ख में अन्य समान खातों के साथ समेकित करते हुए उस राशि को शून्य (0) माना जाए। मू.सा.वि.-1क के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए जाने वाले खातों के लिए सही व्यवसाय कूट है 51204 ‘खाद्य और पेय’ जो ‘प्रभाग 51:’ थोक व्यापार और कमीशन व्यापार (मोटर वाहनों और मोटर साइकलों को छोड़कर) के अन्तर्गत आता है। विभिन्न स्तभों में दिए गए अन्य कूटों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :
- कम्पनी मुंबई में स्थित है, इसलिए ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 600 है और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- साझेदारीयुक्त प्रतिष्ठान है इसलिए संगठन कूट 53 है।
- ऋणकर्ता की श्रेणी कूट 33 है, मंझोले सेवा उद्यम 3 है।
- सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 11 - सुकन्या थियेटर, मुंबई.

इस पार्टी का दीऋ (एलटी) 8 खाता मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध होगा। ओड्रा-7 खातों को अन्य समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और मूसांवि-1ख कूट 713 ‘मनोरंजन सेवाएं’ के तहत खण्ड-1 में दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह पार्टी चलचित्र प्रक्षेपण (मोशनपिक्चर प्रोजेक्शन) से जुड़ी हुई है। मू.सां.वि-1क के तहत सूचीबद्ध किए

जाने वाले खातों के लिए 'प्रभाग 92 : मनोरंजक, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यकलाप' के अन्तर्गत सही व्यवसाय कूट है 92109 - 'अन्य मनोरंजन कार्यकलाप'। विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य कूटों का निर्धारण इस प्रकार है :

- थिएटर मुंबई में है इसलिए ऋण के उपयोग का उचित जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- संगठन कूट 53 (साझेदारी) है।
- ऋणकर्ता की श्रेणी कूट 99 है।
- ऋणकर्ता की ओर से बीच-बीच में अनियमितताएं होती रही है, इसलिए सही आस्ति वर्गीकरण 2 है।

पार्टी 12 - श्री. एस. श्रवण, मुंबई.

इस पार्टी के एकमात्र खाता मऋ (एमटी) 3 को समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और मूसांवि. 1 ख कूट 220 'चमड़ा' और 391 'सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम' के तहत भी खण्ड 1 में दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी चमड़ा शोधन (लेदर टैनिंग) के कार्य में एक स्वरोजगारी व्यक्ति है, पुरुष खाते मू.सां.वि.ख-1ख कूट 911। [यदि खातों को मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाना होता (यदि ऋण सीमा 2 लाख रुपये से ऊपर की होती) उचित व्यवसाय कूट 93001 होता।]

पार्टी 13 - कुमारी जे. एम. भादो, मुंबई

इस पार्टी के एकमात्र खाता मांऋ (डीएल) 2 से यह पता चलता है कि ऋण सीमा 25,000 रु. से कम है, अत: इस खाते को समान खातों के साथ खण्ड एक में मू.सां.वि-1क कूट (कूट) 520 'फूटकर व्यापार' के अन्तर्गत समेकित किया जाएगा क्योकि पार्टी फूल बेचने का काम करती है, महिला खाता मू.सां.वि-1क कूट 912।

पार्टी 14 - कामत एण्ड सन्स, मुंबई

इस पार्टी का एकमात्र खाता ओड्रा 4 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड 2 में मूसांवि. 1ख कूट 400 'निर्माण' के अन्तर्गत दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी एक भवन ठेकेदार है। [यदि खातों को मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाना होता (यदि ऋण सीमा 2 लाख रूपये से ऊपर की होती) तो उचित व्यवसाय कूट 45001 होता]।

यह नोट करें कि इस मामले में बकाया राशि 25,000 से कम की है लेकिन ऋण सीमा 25,000 से अधिक और 2 लाख रुपये से कम है, इसलिए इस खाते को मूसांवि 1ख विवरणियों के खण्ड-2 के समान खातों के तहत समेकित किया जाएगा।

पार्टी 15 - दात्ये सर्विसेस, मुंबई

इस पार्टी का खाता दीऋ (एलटी) 4 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड 2 में मूसांवि-1ख कूट 719 'अन्य सेवाएं' के अन्तर्गत दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी आंकड़ा अभिसंस्करण सेवाओं में लगी हुई है [यदि खातों को भाग क के तहत सूचीबद्ध किया जाना होता, (अगर ऋण सीमा 2 लाख रुपये से अधिक की होती) तो उचित व्यवसाय कूट 72301 होता)

पिछले तीन पखवाड़ों से खाता गैर निष्पादक आस्ति (एन.पी.ए) बन चुका है इसलिए आस्ति वर्गीकरण है अवमानक सब-स्टैंडर्ड - कूट 2 और इस खाते को मूसांवि-1ख कूट 902 'अवमानक आस्तियां' (सब-स्टैंडर्ड एसेट्स) में भी समेकित किया जाए।

पार्टी 16- श्रीमती एम.वी. अघन, मुंबई

इस पार्टी का मऋ (एमटी) 4 खाता समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि -1 ख कूट 872 दुपहिया वाहनों समेत मोटर वाहनों की खरीद और मू.सां.वि-1क के अंतर्गत महिला खाते मू.सां.वि-1ख कूट 912 (कर्मचारियों को जो दिये गये हैं, उनको छोड़कर) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। [यदि खाते भाग मू.सां.वि-1ख में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा दो लाख रु. से अधिक की होती) तो सही व्यवसाय कूट 95012 होता।]

पार्टी 17 डा. (श्रीमती) सी.आर.फैंटम, मुंबई

इस पार्टी का खाता दीऋ (एलटी) 5 समान खाताओं के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 711 'पेशेवर सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी चिकित्सक है और चिकित्सकीय उपकरण आदि खरीदने के लिए कर्ज लिया गया हैं। ध्यान दें : यह अवश्य पता लगाया जाय कि खरीद व्यक्तिगत उपयोग के लिए है या पेशे में इस्तेमाल के लिए। यदि पेशे के लिए है तो इसे 'पेशेवर सेवाएं' के तहत वर्गीकृत किया जाय अन्यथा 'व्यक्तिगत ऋण और उपभोग ऋण-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद' के अन्तर्गत (यदि खाते भाग मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा 2 लाख रू से अधिक की होती) तो इस मामले में सही व्यवसाय कूट 85102 होता।) खाता मानक-आस्ति (स्टैंडर्ड एसेट) है और इसे मूसांवि-1 ख कूट 901 मानक आस्ति और महिला खाते मू.सां.वि-1ख कूट 912 में भी समेकित किया जाए।

पार्टी 18-मलाड बैंक लि., मुंबई

इस पार्टी का एकमात्र खाता दीऋ (डीएल) 4 मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाएगा क्योंकि ऋण सीमा 2 लाख रु. से अधिक की है। चूँकि पार्टी बैंकिंग कारोबार में है और यह एक वाणिज्य बैंक है; उचित व्यवसाय कूट 65101 है-देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 'प्रभाग 65; वित्तीय मध्यस्थता'। विभिन्न कॉलमों में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य

कूट इस प्रकार हैं:-

- बैंक मुंबई में अवस्थित है, इसलिए ऋण उपयोग का सही जिला कूट 600 है और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- यहाँ लागू होने वाला संगठन कूट 31 है क्योंकि यह निजी क्षेत्र में एक वित्तीय सार्वजनिक सीमित कंपनी है।
- उधार लेनेवाले की श्रेणी के लिए कूट 99 है और आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 19- श्री वी. बी., मेथी, मुंबई

इस पार्टी का खाता मत्रऋ (एमटी) 6 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 874 'शैक्षिक' में दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी एक विद्यार्थी है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण ले रहा है। [यदि खाते मू.सां.वि.-1क के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाते (ऋण सीमा यदि 2 लाख रु. से अधिक की होती] तो सही व्यवसाय कूट 95014 होता। खाता एक मानक आस्ति है।

पार्टी 20 - श्री. ए. के. अच्चा, मुंबई

इस पार्टी का खाता एमटी 5 समान खातों के साथ समेकित और खण्ड-1 में मूसांवि 1 ख कूट 340 'अन्य उद्योग' और 391 'सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम' में भी दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी मिट्टी की गुड़िया बनाता है और ऋण सीमा 25,000 रु. से कम है; पुरुष खाता मू.सां.वि.-1ख कूट 911। (यदि खाते भाग मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण-सीमा 2 लाख रु. से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 93001 होता)

पार्टी 21-महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक लि., ठाणे

यह पार्टी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। चूँकि खाता मांत्रऋ (डीएल) 5 की ऋण-सीमा 25,000 रु. से अधिक किंतु 2 लाख रु. से अधिक नहीं है इसे ऐसे ही खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट '800 वित्तिय मध्यस्थता' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। [यदि खाते मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा 2 लाख रु. से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 65104 होता] मानक आस्ति।

पार्टी 22- मेसर्स सबट्रॉनिक्स लि., मुंबई

पार्टी बिजली के स्विच बनाती है। इस पार्टी का खाता दीऋ (एलटी) 10 ऐसे ही खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खंड-1 में मूसांवि-1ख कूट 322 'बिजली की मशीनरी और वस्तुए' और 391 'सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम' के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। खाता एक मानक आस्ति भी है इसलिए इसे मूसांवि-1 ख कूट 901 के अंतर्गत समान खातों के साथ भी जरूर समेकित किया जाय।

पार्टी 23-अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स लि., मुंबई

पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं बनाने का काम करती है। खाता दीत्र (एलटी) 11 मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध किया जाएगा और ओड्रा 9 खाते समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख आइटम कूट 323 'इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं वस्तुएं' में रिपोर्ट किए जाएंगे। खाता दीत्र 11 के मू.सां.वि.-1क में सूचीबद्ध किये जाने के लिए सही व्यवसाय कूट है - 32101 समस्त प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और पुर्जों का निर्माण जो प्रभाग 32 के अंतर्गत है। विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत अन्य कूट इस प्रकार निश्चित किए गए हैः-

- मुंबई स्थित कंपनी, इसलिए ऋण के उपयोग का उचित जिला कूट 600 है और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- संगठन कूट 32 है।
- ऋणकर्ता की श्रेणी 19 है और आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 24 -भारत फ्लोर मिल्स, मुंबई

इस पार्टी का खाता नत्र (सीसी) 15 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि - 1 ख कूट 201 'चावल मिलें, आटा मिलें और दाल मिलें' और 392 'छोटे विनिर्माण उद्यम' के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि पार्टी आटामिल है और ऋण सीमा रु. 25,000 से कम [यदि खातों को मू.सां.वि-1क के तहत सूचीबद्ध किया जाता (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती] तो उचित व्यवसाय कूट 15301 होता) यह एक मानक आस्ति है।

पार्टी 25- जे. के. प्रिंटर्स, मुंबई

इस पार्टी का खाता मत्र (एमटी) 7 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड 1में मूसांवि- 1 ख कूट 280 'छपाई, प्रकाशन व संबद्ध क्रियाकलाप' और 391 'सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम' के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा। [खातों को यदि मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध करना होता (अगर ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक हुई) तो उचित व्यवसाय कूट 22201 होता]

पार्टी 26- सहारा एण्ड कंपनी, मुंबई

इस पार्टी का खाता नत्र (सीसी) 17 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 510 'थोक व्यापार' और 753, 'मंझोले सेवा उद्यम' के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा। चूँकि पिछले 18 महीनों से यह एक संदिग्ध आस्ति है इसलिए इसे मूसांवि-1 ख कूट 903 'संदिग्ध आस्तियां' में भी समेकित किया जाये ।

पार्टी 27- श्री कृषि डील, मुंबई

यह पार्टी कृषि उपकरणों व मशीनरी के खुदरा व्यापार में है और खाते की ऋण-सीमा रु. 20,000 है, इसलिए इस पार्टी का नत्र 18 खाता समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मू.सां.वि-1ख कूट 199 कृषि

को अप्रत्यक्ष वित्त और पुरुष खाते मू.सां.वि-1ख कोड 911 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। [यदि मू.सां.वि-1क के तहत खाते सूची -बद्ध किए जाएं (अगर ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 52303 होगा] मानक आस्ति ।

पार्टी 28 - ए. के. चिकन, मुंबई

इस पार्टी का खाता मांऋ 7 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड -1 में मूसांवि-1ख कूट 139 'कृषि से संबद्ध कार्यकलाप' और पुरुष खाता मू.सां.वि.1-ख कूट 911 के अंतर्गत सूचित किया जाएगा क्योंकि पार्टी मुर्गी पालन में व्यस्त है और ऋण-सीमा रु. 25,000 से कम है। [यदि खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (अगर ऋण-सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 01203 होता] मानक आस्ति।

पार्टी 29- श्री आइ एम फिशरमैन, वर्सोवा, मुंबई

इस पार्टी का मांऋ (डीएल) 8 खाता समान प्रकार के खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खंड 1 में मूसांवि-1ख कूट 139 'कृषि से संबद्ध क्रिया कलाप' और पुरुष खाता मू.सां.वि-1ख कूट 911 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी मछली व्यवसाय कर रहा है और ऋण सीमा रु. 25,000 से कम है। [यदि खातों को मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाना होता (अगर ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 05001 होता] मानक आस्ति।

पार्टी 30 - श्री आटोमैन, मुंबई

इस पार्टी का खाता मांऋ (डीएल) 9 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि -1 ख कूट 600 'परिवहन व अन्य सहायक सेवाएं' और पुरुष खाता मू.सां.वि-1ख कूट 911 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा क्योंकि पार्टी आटो रिक्शा चालक है और ऋण सीमा रु. 25,000 से कम है [यदि खातों को मू.सा.वि.-1क में सूचीबद्ध करना होता (अगर ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 60203 होता] मानक आस्ति।

पार्टी 31-जायंट नेशनल लि., मुंबई

यह एक पब्लिक लि. कंपनी है जिसके उत्पादन व वितरण के विविध क्षेत्र हैं। इस पार्टी के 3 खाते हैं और प्रत्येक खाता एक खास उत्पादन इकाई को दर्शाता है। तीन में से दो इकाइयां उस स्थान के बाहर अवस्थित हैं जहां कर्ज मंजूर किया गया है अर्थात् मुंबई। तीनों खातों में प्रत्येक की ऋण-सीमा रु. 2 लाख से अधिक है इसलिए सभी खातों मू.सां.वि-1क में अलग अलग दर्ज किया जाना है।

- खाता नऋ (सीसी) 14 और पैऋ (पीसी) 4 के लिए ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट क्रमशः 968 (कोट्टयम, केरल) और 920 (कोयम्बतूर, तामिलनाडू) होगा क्योंकि इकाइयां मुंबई के बाहर स्थित हैं और खाता संख्या

दीऋ (एलटी) 12 के लिए ऋण के उपयोग का जिला कूट 600 होगा क्योंकि इस ऋण का उपयोग मुंबई में ही स्थित इकाई के लिए होता है।

- ऋण के उपयोग के लिए खाता नऋ 14, पैऋ 4 और दीऋ 12 के जनसंख्या समूह कूट क्रमशः 2,3 और 4 होंगे।
- कंपनी निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय है। इसलिए तीनों खातों के लिए सही संगठन कूट 32 है।
- खाता नऋ (सीसी) 14 के लिए व्यवसाय कूट होगा 29204 खाद्य (चावल, चीनी, आटा मिल आदि); पेय (चाय,कॉफी मशीनरी आदि) और तंबाकू अभिसंस्करण के लिए मशीनरी का विनिर्माण।
- खाता दीऋ (एलटी) 12 के लिए व्यवसाय कूट 24202 होगा क्योंकि यह इकाई पेन्ट बनाने का काम करती है।
- खाता पैऋ 4 के लिए व्यवसाय कूट 17101 होगा क्योंकि यह इकाई सूती वस्त्र बनाने का काम करती है।
- ऋणकर्ता की श्रेणी कूट 19 है और सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 32 - एम एम टी सी लि.

केंद्र सरकार की कंपनी जो निर्यात व आयात में लगी हुई है। दोनों खाते यानी नऋ 19 और पैऋ 5 की ऋण सीमा 2 लाख रु. से ऊपर है और इसलिए दोनों खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध होंगे।

- उचित संगठन कूट 16 है।
- ऋण के उपयोग के लिए जिला व जनसंख्या समूह कूट क्रमशः 600 और 4 है।
- चूंकि यह फर्म केवल निर्यात और आयात के व्यापार में लगी है, प्रभाग 51: 'थोक व्यापार और दलाली व्यापार (मोटर वाहनों एवं, मोटर साइकिलों को छोड़कर)' के अंतर्गत उचित व्यवसाय / क्रियाकलाप कूट होगा **'51909'**, 'अन्य थोक व्यापार जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है'।
- ऋणकर्ता की श्रेणी का कूट 39 होगा और आस्ति वर्गीकरण कूट दोनों खातों के लिए 1 होगा।

पार्टी 33 - श्री होम ए. लोन, मुंबई

पार्टी एक व्यक्ति है जिसने घर बनाने (खाता दीऋ 13) के लिए रु. 1 लाख कर्ज लिए और उसकेपास इस बैंक का रु. 30,000 की ऋण सीमा का क्रेडिट कार्ड (खाता ओसीसी 1) है। समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा तथा खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 871 **'**आवास ऋण (कर्मचारियों को छोड़कर)**'** और 878 व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड (स्टाफ को छोडकर) व पुरुष खाते मू.सां.वि-1ख कूट 911 में भी दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 34 - अपर्णा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. मुंबई

स्टैण्डर्ड बैंक के कर्मचारियों के लिए एक बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से गठित एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी। खाता दीऋ (एलटी) 18 मू.सां.वि.1क में डाला जाएगा।

- ऋण-उपयोग का जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- इस खाते के लिए उचित संगठन और व्यवसाय कूट क्रमशः 24 **'**सहकारी क्षेत्र**'** और 95001 'कर्मचारी आवास ऋण' होंगे।
- ऋणकर्ता की श्रेणी और आस्ति वर्गीकरण का कूट क्रमशः 99 और 1 है।

पार्टी 35 - महाराष्ट्र स्टेट गृहनिर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड), मुंबई

खाता दीऋ (एलटी) 15 मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाएगा क्योंकि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक है।

- चूंकि ऋण के उपयोग का स्थान इस मामले में पता नहीं लगाया जा सकता इसलिए ऋण के अनुमोदन का स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋण के उपयोग का जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- यह गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है इसलिए उचित संगठन कूट 16 होगा।
- आवास बोर्ड का उद्देश्य है लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना इसलिए इसे आवास क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस खाते के लिए उचित व्यवसाय कूट 65935 होगा।
- ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए सही कूट है 99।
- आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 36 - बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, मुंबई

खाते की ऋण सीमा रु. 2 लाख से ऊपर है अतः खाता दीऋ 16 (मूसांवि-1क) में सूचीबद्ध होगा।

- ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- यह एक स्थानीय प्राधीकरण है और इसलिए उचित संगठन कूट 14 होगा
- मीयादी ऋण सड़क बनाने के लिए प्रदान किया गया है जो आधारभूत निर्माण क्रियाकलाप है, किंतु यह एक स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है जिसका मुख्य कार्य निर्माण न होकर लोकोपयोगी सेवा है, इसलिए उचित व्यवसाय कूट 75001 'लोकोपयोगिताएं' होगा।

- उधार लेनेवाले की श्रेणी के लिए सही कूट 99 है।
- आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 37 - महाराष्ट्र ट्यूब वेल एण्ड माइनर इरिगेसन कार्पोरेशन, मुंबई

खाता मांऋ 10 मूसांवि-1क में सूचीबद्ध होगा क्योंकि खाते की ऋण सीमा 2 लाख रु. से अधिक है

- चूंकि महाराष्ट्र राज्य के कई जिलों में ट्यूब वेल व लघुसिंचाई की व्यवस्था है, इस मामले में ऋण के उपयोग का जिला कूट सुस्पष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अनुमोदन का स्थान उपयोग का स्थान माना जा सकता है। इस प्रकार ऋण के उपयोग का जिला कूट 600 (मुंबई) है और जनसंख्या समूह कूट 4 है।
- यह राज्य सरकार विभागीय उपक्रम है, इसलिए सही संगठन कूट 13 होगा।
- चूंकि कृषि के विकास के लिए सिंचाई योजना लागू करना निगम (कारपोरेशन) का कार्य है, सही व्यवसाय कूट 01182 होगा। यह कृषि को एक प्रकार का अप्रत्यक्ष वित्त होगा, जिसका उधार खाता स्वरूप कूट 99 है।
- आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 38-महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, मुंबई

खाता दीऋ 17 मूसांवि- 1 क में सूचीबद्ध होगा क्योंकि खाते की ऋण-सीमा 2 लाख रु. से अधिक है।

- राज्य परिवहन सेवा पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए है, इसलिए अनुमोदन के स्थान को उपयेाग का स्थान माना जा सकता है। इसलिए ऋण के उपयोग का सही जिला कूट 600 (मुंबई) है और जनसंख्या समूह कोड 4 है।
- यह एक सार्वजनिक गैर-वित्तीय वाणिज्यिक उपक्रम है और इसलिए उचित संगठन कोड 16 होगा।
- चूंकि यात्री परिवहन सेवा प्रदान करना निगम का क्रियाकलाप है जो कि अनुसूचित है, उचित व्यवसाय कूट होगा 60201 'अनुसूचित यात्री थल परिवहन' (शेड्यूल्ड पेसैंजर लैंड ट्रांसपोर्ट)।
- ऋणकर्ता की श्रेणी कूट 99 है।
- आस्ति वर्गीकरण कूट 1 होगा।

पार्टी 39 - श्री. टी. आर. किसान, उरन (रायगढ़ जिला)

दीऋ (एलटी) 14 और क्रेका (केसीसी) 1 इस पार्टी के दोनों खाते समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत खण्ड-2 में दर्ज किए जाएंगे।

खाता दीऋ 14 ट्रॅक्टर खरीदने के लिए एक मीयादी ऋण है जो कि कृषि को एक प्रत्यक्ष वित्त है अतः इसे मूसांवि-1ख कूट 120 'कृषि को अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष वित्त' के तहत समेकित किया जाय। [यदि खाते मू.सा.वि.-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से ऊपर होती) तो उचित व्यवसाय कूट 01151 होता।]

खाता केसीसी 1 एक किसान क्रेडिट कार्ड है इसलिए इसे मूसांवि-1 ख कूट 120 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' और 191 'किसान क्रेडिट कार्डस् उत्पादन' के अंतर्गत भी समेकित किया जाय।

खातों को मू.सां.वि-1ख कूट 903, 'संदिग्ध आस्तियाँ में भी समेकित किया जाए। चूंकि पार्टी व्यक्ति पुरुष है, तो खाते की मूसांवि-1 ख कूट 911 'पुरुष खाते' के साथ भी समेकित किया जाय। ऋणकर्ता की श्रेणी 42 है।

पार्टी 40 - टी फार्म्स लि. मुंबई

खाता दीऋ (एलटी) 17 (मूसांवि - 1 क) में सूचीबद्ध होगा क्योंकि खाते की ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक है।

- चूंकि ऋण का उपयोग दार्जीलिंग (ग्रामीण क्षेत्र) में होना है, जिला कूट 132 और जनसंख्या समूह कूट 1 होगा।
- कंपनी निजी क्षेत्र में और गैर-वित्तीय है इसलिए उचित संगठन कूट 32 होगा।
- चूंकि कंपनी चाय की खेती और संसाधन (प्रोसेसिंग) है, उचित व्यवसाय कूट 01121 होगा 'चाय कोठियों/बागानों, (अपनी संसाधन इकाई हो / न हो), द्वारा चाय या मेट पत्तियां उगाया जाना'।
- उधार लेनेवाले की श्रेणी कूट 49 है।
- आस्ति वर्गीकरण 1 कूट है।

पार्टी 41-कन कन टी लिमिटेड, मुंबई

दोनों खाते नऋ 22 और दीऋ 19 मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाने हैं क्यो ंकि खाते की ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक है।

- चूंकि नीलगिरि (ग्रामीण क्षेत्र) में ऋण का उपयोग होना है, ऋण के उपयोग का जिला कूट 918 है और जनसंख्या समूह कूट 1 है।
- कंपनी निजी क्षेत्र में और गैर-वित्तीय है इसलिए उचित संगठन कूट 32 होगा।
- चूंकि कंपनी चाय की केवल खेती से संबद्ध है और इसकी अपनी संसाधन इकाई नहीं है, सही व्यवसाय कूट होगा 01121 'चाय कोठियों/बागानों, (अपनी संसाधन इकाई हो/न हो), के द्वारा चाय या मेट पत्तियों का उगाया जाना'।
- उधार लेनेवाले की श्रेणी कूट 49 है।
- दोनों खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 42 -मिस्टर डिएगो मैराडोना

पार्टी अमेरिका निवासी है, और पर्यटक (टूरिस्ट) होने के कारण भारत में कई जगहों पर विजिट कर सकता है। चूंकि चेक, मुंबई में भुनाया जाता है इसलिए ऋण उपयोग का उचित जिला कूट 600 और जनसंख्या समूह कूट 4 है।

- सही संगठन कूट 81 होगा, 'अनिवासी' और खाते के प्रकार (टाइप) के लिए उचित कूट 90 'विदेशी मुद्रा यात्री चेक' होगा।
- चूंकि यह विदेशी बैंक, जिसकी भारत में कोई शाखा नहीं है, को दिया गया अस्थायी अग्रिम (टेंपररी एडवांस) है, सही व्यवसाय कूट होगा 65939 अन्य आर्थिक मध्यस्थता जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं।
- उधार लेनेवाले की श्रेणी का कूट 99 है।
- आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 43 - स्टील इंडिया लि.

यह एक निजी क्षेत्र कंपनी है। फैक्टरी अकोला (अर्ध शहरी क्षेत्र) में स्थित है। कंपनी का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। औड्रा 8, दीऋ 20 और नप्रोशुवा (सीआइडीडी) 1 खाते मू.सां.वि. 1क में सूचीबद्ध किए जाने हैं और खाता नऋ 24 समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और खण्ड-2 मूसांवि - 1 बी कूट 310 'धातु व धातु उत्पाद' के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे। मू.सां.वि.1क में सूचीबद्ध होनेवाले खातों के लिए उचित व्यवसाय कोड 27101 होगा 'मूलभूत लोहा और इस्पात का विनिर्माण' जो 'प्रभाग 27ः मूलभूत धातुओं का विनिर्माण' के अंतर्गत है। अन्य कूट इस प्रकार निर्धारित किए गए हैः-

- फैक्ट्री अकोला में स्थित है, ऋण के उपयोग का उचित जिला कूट 646 है और जनसंख्या समूह कूट 2 है।
- संगठन कूट 32 होगा।
- ऋणकर्ता की श्रेणी कूट 19 है।
- खाते का आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 44 - मेसर्स शामजी वेलजी (जेनरल मर्के न्डाइज), मुंबई :

दोनों खाते नऋ (सीसी) 25 और खदेबि (आइपीबी) 5 समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और खण्ड 1 में मूसांवि- 1 ख कूट 520 'खुदरा व्यापार' के तहत दर्ज किए जाएंगे [यदि खाते मू.सां.वि-1क के अंतर्गत दर्ज किए जाने होते (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती] तो उचित व्यवसाय कूट 52101 होता।

पार्टी 45 - मेसर्स ए. राशन (राशन शॉप नं. 3753), मुंबई।

खाता नऋ (सीसी) 26 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा, और खण्ड-1 में मूसांवि- 1 ख कूट 520 'खुदरा व्यापार' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा [यदि खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से ऊपर की होती) तो उचित व्यवसाय कूट 52102 होता।]

पार्टी 46 - जनता कंज्युमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि. (जनरल मर्केन्डाइज़), मुंबई

इस पार्टी के सभी तीन खाते मू.सां.वि-1ख के तहत समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और खंड 1 में नऋ 28 और खदेबि 6 तथा खाता दीऋ 22 वैसे ही समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 520 'खुदरा व्यापार' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 47- रतन को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि. (प्राधिकृत दुकान सं 3888), मुंबई

खाता नऋ 29 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड 1 में मूसांवि -1 ख कोड 520 'खुदरा व्यापार' के तहत दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 48- मेसर्स पी.एस. पैकेजिंग प्राइवेट लि. मुंबई

पार्टी कागज के बॉक्स बनाने में संलग्न है। इस पार्टी के दोनों खाते मू.सां.वि-1क के अंतर्गत समेकित किए जाएंगे खाता मऋ 10 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में दर्ज किया जाएगा। खाता ओड्रा 12 समान खातों के साथ समेकित होगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 270 'कागज व कागज के उत्पाद' और 392, लघु विनिर्माण उद्यम के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा। [यदि खाते को मूसांवि-1 क के अंतर्गत सूची बद्ध किया जाता (अगर ऋण-सीमा 2 लाख से अधिक की होती) तो सही व्यवसाय कूट 21003 होता।]

पार्टी 49 - रुदंती ब्रिक मेकर्स, कल्याण

इस पार्टी का खाता मात्र (डीएल) 12 समान खातों के साथ समेकित होगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 340 'कारीगर व शिल्पी' 'अन्य उद्योग' और 391 'सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम' के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा क्योंकि ईंट बनाने वाले को ऋण दिया गया है जो कारीगर व शिल्पी के तहत आता है; 'पुरुष खाता' 911। [यदि खातों को मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाना होता (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) सही व्यवसाय कूट 93001 होता और ऋणकर्ता की श्रेणी 03 होती]

पार्टी 50 - मांडा हस्तकला उद्योग

पार्टी ग्रामीण कुटीर उद्योग में है इसलिए खाता नऋ 31 समान खातों के साथ समेकित होगा और भाग ख खण्ड 1 में मूसांवि-1 ख कूट 340 'अन्य उद्योग' और 394 'खादी और ग्रामीण उद्योग' के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 51-मेसर्स दैनिक पब्लिशिंग कंपनी, मुंबई

इस पार्टी के दोनों खाते दीऋ 23 और ओड्रा 13 समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 280 'छपाई प्रकाशन व संबद्ध कार्यकलाप' के अंतर्गत दर्ज किये जाएंगे। [यदि खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाते (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 22101 होता]

पार्टी 52 - श्री सोसल श्याम, चिपलुन, जिला-रत्नागिरी

इस पार्टी के ओड्रा खाता 14 को समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड - 1 में मूसांवि-1ख कूट 879 'अन्य व्यक्तिगत ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर)' और 911 'पुरुष खाता' के तहत दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 53 - वोहरा मेकानिकल्स एण्ड कंपनी, शिरडी, जिला अहमदनगर

बिजली और डीजल मशीनरी के मरम्मत में संलग्न पार्टी एक व्यक्ति है। इस पार्टी के दोनों खाते मूसांवि-1ख में दर्ज किए जाएंगे। खाता ओड्रा (ओडी) 15 खण्ड-1 में समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खाता मत्र (एमटी) 11 खण्ड-2 में मूसांवि-1ख कूट 714 'मरम्मत और सर्विसिंग' और 391 'सूक्ष्म सेवा उद्यम' के अंतर्गत भी समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा।

पार्टी 54 - श्री लोथार, एम. के. स्टाफ, मुंबई

दीऋ (एलटी) 24 खाता समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड 2 में मूसांवि-1 ख कूट 861 'स्टाफ आवास ऋण' और 911 'पुरुष खाता' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 55 - शिल्पा ब्यूटी एण्ड हेल्थ सेंटर, मलाड, मुंबई

इस पार्टी का नत्र 32 खाता समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 719 'अन्य सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। खाता सारे महिला खातों में भी मूसांवि-1 ख कूट 912 'महिला खाते' के अंतर्गत समेकित किया जाय। [यदि खातों को मू.सां.वि-1क के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाना होता (यदि ऋण-सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) सही व्यवसाय कूट 93002 होता।]

पार्टी 56 - मेसर्स कुमार ऐड्स, मुंबई

यह एक विज्ञापन एजेंसी है। इस पार्टी का खाता दीऋ 4 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 719 'अन्य सेवाएं' के अंतर्गत समेकित किया जाएगा। [यदि खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाने होते (यदि ऋण-सीमा रु. 2 लाख से ऊपर होती) तो उचित व्यवसाय कूट 74301 होता]

पार्टी 57 - मेसर्स आसना एक्सपोर्टर्स, मुंबई

पार्टी एक साझेदारी प्रतिष्ठान है जो पीतल, चाँदी और अन्य धातु आभूषणों बर्तनों और तैयार वस्त्र आदि के काम में लगी हुई और निर्यात में भी कार्यरत है । यानी मोटे तौर पर हस्तशिल्प का थोक व्यापार/ निर्यात। इस पार्टी के दोनों खाते रु. 2 लाख से नीचे के हैं और इसलिए वे मूसांवि-1 भाग ख में दर्ज किए जाएंगे। नत्र 33 और खनिबि (ईपीबी) 2 खाते क्रमश: खण्ड 2 और खंड 1 में मूसांवि-1 ख कूट 510 'थोक व्यापार' के अंतर्गत समेकित किए जाएंगे।

[यदि खातों को मू.सां.वि-1क (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) के तहत सूचीबद्ध किया जाता तो उचित व्यवसाय कूट 51901 होता]

पार्टी 58 - मेसर्स शायनू इंटरप्राइस, नासिक

नासिक स्थित यह पार्टी एक स्वामित्व प्रतिष्ठान (प्रोप्राइटरी कन्सर्न) है जो वाशिंग मशीनें बनाती है। खाता दीऋ (एलटी) 26 मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किया जाएगा और अन्य खाते नऋ 34 व ओड्रा 17 समान खातों के साथ समेकित किए जाएंगे और क्रमश: खण्ड-2 एवं खण्ड-1 में मूसांवि -1 ख कूट 323, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं और 393, 'मध्यम सेवा उद्यम' के तहत भी दर्ज किए जाएंगे। खाता दीऋ 26 के मू.सां.वि. 1क में सूचीबद्ध होने के लिए उचित व्यवसाय कूट 29301 होगा - घरेलू उपकरणों का विनिर्माण (एन. ई. सी.) जो प्रभाग 29 : मशीनरी और उपस्करो का विनिर्माण जो अन्यत्र शामिल नहीं (एन.ई.सी) में है। विविध स्तंभों में प्रस्तुत अन्य कूट इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

- चूंकि फैक्टरी नासिक (शहरी क्षेत्र) में अवस्थित है ऋण के उपयोग का सही जिला कूट 650 है। और जनसंख्या समूह कूट 3 है।
- संगठन के प्रकार का उचित कूट 53 है।
- ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए कूट 12 है।
- खाते का आस्ति वर्गीकरण कूट 1 है।

पार्टी 59 : शादी ज्वेलर्स, मुंबई

बहुमूल्य पत्थरों के आभूषणों के निर्यात के लिए इस पार्टी ने पैकेजिंग ऋण प्राप्त किया है। खाते पैऋ (पीसी) 6 को समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1ख कूट 510 'थोक व्यापार' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। [यदि खाते मू.सां.वि-1क में सूचीबद्ध किए जाते (यदि ऋण-सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 51301 होता] ।

पार्टी 60 - श्री. एल. टी. लोन, ठाणे

आवास ऋण लेने वाली इस पार्टी का खाता दीऋ 27 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 871 'अन्य' आवास ऋण (कर्मचारियों को छोड़कर) और 911 'पुरुष खाता' के तहत दर्ज किया जाएगा।

पार्टी 61 - भीम पाइप्स और सीमेंट प्रोडक्ट्स लि. कोपरगांव, जिला-अहमदनगर

पाइप और अन्य सीमेंट उत्पादों के निर्माण में लगी यह पार्टी एक लघु विनिर्माण उद्यम है, इसलिए खाता मऋ 12 समान खाताओं के साथ समेकित होगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कोड 300 'सीमेंट और सीमेंट उत्पाद' और 392 'लघु विनिर्माण उद्यम' के अंतर्गत भी दर्ज किए जाएंगे।

पार्टी 62 - सह्याद्री कोल्ड स्टोरेज हाउस, भाईंदर, जिला ठाणे

खाता दीऋ 29 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और यदि खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 600 'परिवहन व अन्य सहायक सेवाएं' में दर्ज किया जाएगा। [यदि खाते मू.सां.वि-1क के अंतर्गत सूची-बद्ध किए जाने होते (यदि ऋण सीमा रु. 2 लाख से अधिक होती) तो उचित व्यवसाय कूट 63001 होता]। मानक आस्ति कूट 901।

पार्टी 63 - श्रीमती जेम्स बॉण्ड, कर्मचारी, मुंबई

खाता दीऋ 30 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 869 'अन्य कर्मचारी ऋण' के तहत दर्ज किया जाएगा।

- महिला खाता कूट 912, मानक आस्ति कोड 90।

पार्टी 64 - श्रीमती मैन्ड्रेक, मुंबई

इस पार्टी का खाता मऋ 13 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और मूसांवि-1 क कूट 879 'अन्य व्यक्तिगत ऋण' के तहत खण्ड-2 में दर्ज किया जाएगा।

- महिला खाता मूसांवि-1 ख कूट 912 मानक आस्ति मूसांवि-1 ख कूट 901।

पार्टी 65 - श्री एच राम नासिक

इस पार्टी का खाता केसीसी 2 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-2 में मूसांवि-1 ख कूट 120 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' और 192 'किसान क्रेडिट कार्ड-निवेश' के तहत भी दर्ज किया जाएगा।

- पुरुष खाता मूसांवि-1 ख कूट 911, मानक आस्ति मूसांवि -1 ख कूट 901

पार्टी 66 - श्रीमती टी प्रभा

इस पार्टी का खाता केसीसी 3 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड -2 में मूसांवि-1 ख कूट 120 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' और 191 'किसान क्रेडिट कार्ड्स-उत्पादन' के तहत दर्ज किया जाएगा।

- महिला खाता मूसांवि -1 ख कूट 912, मानक आस्ति मूसांवि-1 ख कूट 901।

पार्टी 67 - श्री ए शर्मा

इस पार्टी का खाता केसीसी 4 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 120 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' और 191 'किसान क्रेडिट कार्ड्स-उत्पादन' के तहत भी दर्ज किया जाएगा।

- पुरुष खाता मूसांवि-1 ख 911, मानक आस्ति मूसांवि-1 ख कूट 901

पार्टी 68 - श्री चुघ

इस पार्टी का खाता जीसीसी 1 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि -1 ख कूट 877 'सामान्य क्रेडिट कार्ड' के तहत दर्ज किया जाएगा।

- पुरुष खाता मूसांवि-1 ख कूट 911, मानक आस्ति मूसांवि-1 ख कूट 901

पार्टी 69- श्री सिन्हा

चूँकि यह पार्टी मरम्मत और अनुरक्षण सेवा का काम कर रही है और इसने स्वरोजगार योजना कार्ड लिया है, पार्टी का खाता ओसीसी 2 समान खातों के साथ समेकित किया जाएगा और खण्ड-1 में मूसांवि-1 ख कूट 714 'मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं' और 751 'सूक्ष्म सेवा उद्यम' के तहत दर्ज किया जाएगा।

- पुरुष खाता मूसांवि-1 ख कूट 911, मानक आस्ति मूसांवि-1 ख कूट 901

पार्टी 70 - मेसर्स तमिल बाइसिकल्स कॉर्पोरेशन्स लि.,चेन्नई

चूँकि कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कंपनी करती है और साइकल बनाने का काम करती है खाता ओसीसी 2 मू.सां.वि-1क में दर्ज किया जाएगा जहाँ व्यवसाय कूट होगा 35909 'बाइसिकल्स का विनिर्माण'।

- चूँकि ऋण का उपयोग चेन्नई में होना है, ऋण के उपयोग के लिए जिला कूट 900 होगा और जनसंख्या समूह कूट 4 ।
- यह निजी क्षेत्र में गैर वित्तीय कंपनी है इसलिए सही संगठन कूट होगा 32।
- ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए कूट होगा 19। खाते का प्रकार होगा 34।
- आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 71 - कृषि स्वयं सहायता समूह, नासिक, महिला स्वयं सहायता समूह

दोनों खाते नऋ (सीसी) 35 और दीऋ (एलटी) 31 मूसांवि -1क में वर्गीकृत किए जाएंगे विवरण इस प्रकार हैं:

- ऋण के उपयोग का जिला 650 है और जनसंख्या समूह कूट 3 है।
- संगठन कूट होगा 61।
- खाता नऋ (सीसी) 35 के लिए खाते का टाइप होगा 10 और व्यवसाय कूट 01159 'कृषि को अन्य प्रत्यक्ष वित्त' क्योंकि बैंक ने ऋण के उपयोग का समुचित अभिलेख स्पष्टत: रखा है।

- खाता दीऋ (एलटी)31 के लिए खाते का प्रकार होगा 42 चूँकि खाते का उपयोग सदस्य कई उद्देश्यों के लिए करते हैं और वास्तविक उद्देश्य का पता नहीं है, व्यवसाय कूट 67201होना चाहिए स्वयं सहायता समूह के सामान्य कार्यकलाप।

- ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए कूट 99 है। आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 72 - लातुर जेएलजी

खाता दीऋ (एलटी) 32 मूसांवि-1क में वर्गीकृत किया जाएगा। विवरण इस प्रकार हैं:

- ऋण के उपयोग का जिला 662 है और जनसंख्या समूह कूट 1 है।
- संगठन कूट 54 होगा।
- व्यवसाय कूट है 01203 'मुर्गी पालन'।
- ऋणकर्ता की श्रेणी का कूट 45 है। आस्ति वर्गीकरण 1 है।

पार्टी 73 - बी स्वयं सहायता समूह, लातुर, अन्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के जरिये स्वयं सहायता समूह

खाता मऋ (एमटी) 14 मूसांवि-1क में वर्गीकृत किया जाएगा। विवरण इस प्रकार हैं:

- ऋण के उपयोग का जिला 662 है और जनसंख्या समूह कूट 1 है।
- संगठन कूट 66 होगा।
- व्यवसाय कूट है 01209 मधुमक्खी पालन एवं अन्य पशु पालन।
- ऋणकर्ता की श्रेणी का कूट 99 है। आस्ति वर्गीकरण 1 है।

मूसांवि-1क में दर्ज किए जाने वाले खाते नमूने मूसांवि-1क फ़ॉर्म में दिखाए गए हैं। मूसांवि-1ख आइटमों का कुल प्राप्त करने के लिए एक कार्यपत्रक भी दी गई है जिससे मू.सां.वि.-1ख विवरणी निर्माण की जा सकती है।

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग क
BASIC STATISTICAL RETURN 1 - PART A (BSR-1A)
रु. 2 लाख से अधिक ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए
FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF OVER RS. 2 LAKH

(31 मार्च 2008 को) (As on 31st March, 2008)

कृपया पुस्तिका और इस पृष्ठ के पीछे दी गयी जाँच सूची में दिये अनुदेशों को ठीक से पढ़िये।
Please read the instructions in the Handbook and check list provided on the reverse of this page carefully.

बैंक का नाम
Name of the Bank - Standard Bank
शाखा का नाम और पता
Name and Address of the Branch - Bandra (E), Mumbai - 400051

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II
9980122	**6000009**

क्रम संख्या Sr. No.	पार्टी का नाम Name of the Party	खाता संख्या Account Number	ऋण का उपयोग Utilisation of Credit: जिला कूट संख्या District Code	जनसंख्या समूह कूट संख्या Population Group Code	खाते का प्रकार कूट संख्या Type of Account Code	संगठन कूट संख्या Organisation Code	व्यवसाय कूट संख्या Occupation Code	ऋणकर्ता श्रेणी कूट संख्या Category of Borrower Code	ऋण खाते के आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification Code of Borrowal Account	जमानती/ गैर-जमानती ऋण कूट संख्या Secured / Unsecured Loan Code	स्थिर / अस्थिर ब्याज दर फ्लैग Fixed / Floating Rate of Interest Flag	ब्याज दर Rate of Interest	ऋण सीमा (रु. हजारों में) Credit Limit (in thousands of rupees)	बकाया राशि (रु. हजारों में) Amount Outstanding (in thousands of rupees)	टिप्पणियाँ Remarks
एस/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पार्टी -1	सीसी1	610	3	10	32	17101	19	1	1	1	1350	800	451	
2	पार्टी-1	डीएल11	610	3	30	32	17101	19	1	1	1	1450	70000	16010	
3	पार्टी-1	सीसी2	610	3	10	32	17101	19	1	1	1	1450	25000	20100	
4	पार्टी-1	आइबीडी1	610	3	72	32	17101	19	1	1	1	-	1000	908	
5	पार्टी-2	ईबीपी1	607	1	61	32	15102	12	1	1	1	-	600	457	
6	पार्टी-2	ईबीडी1	607	1	62	32	15102	12	1	1	1	-	400	1	
7	पार्टी-3	एलटी2	600	4	42	16	40102	99	1	1	1	1200	3500	3500	
8	पार्टी-4	सीसी3	710	3	42	16	31101	12	1	1	1	1500	2500	1680	
9	पार्टी-4	सीसी32	710	3	12	16	31101	12	1	1	1	1500	520	-	शून्य
10	पार्टी-5	सीसी4	600	4	10	24	51403	33	1	1	1	1450	250	-	क्रेडिट
11	पार्टी-5	आयबीपी2	600	4	71	24	51403	33	1	1	1	-	1000	-	क्रेडिट
12	पार्टी-6	एलटी3	600	4	42	53	25201	11	1	1	2	1400	250	148	
13	पार्टी-6	आयबीपी3	600	4	71	53	25201	11	1	2	2	-	250	50	
14	पार्टी-8	सीसी9	600	4	10	32	17101	12	2	1	1	1500	1000	986	
15	पार्टी-8	आइबीडी2	600	4	72	32	17101	12	2	1	1	-	3000	2888	
16	पार्टी-9	एलटी7	600	4	42	32	55101	99	1	1	1	1500	400	405	
17	पार्टी-10	ईबीए1	600	4	63	53	51204	33	1	2	2	-	2000	1987	
18	पार्टी-11	एलटी8	600	4	42	53	92109	99	2	1	1	1400	550	550	
19	पार्टी-18	डीएल4	600	4	30	31	65101	99	1	1	1	1500	300	64	
20	पार्टी-23	एलटी11	600	4	42	32	32101	19	1	1	1	1500	400	45	
20	कुल/Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	113720	50230	X

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग क
BASIC STATISTICAL RETURN 1 - PART A (BSR-1A)
रु. 2 लाख से अधिक ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए
FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF OVER RS. 2 LAKH

(31 मार्च 2008 को) (As on 31st March, 2008)

कृपया पुस्तिका और इस पृष्ठ के पीछे दी गयी जाँच सूची में दिये अनुदेशों को ठीक से पढ़िये।
Please read the instructions in the Handbook and check list provided on the reverse of this page carefully.

बैंक का नाम
Name of the Bank - Standard Bank
शाखा का नाम और पता
Name and Address of the Branch - Bandra (E), Mumbai - 400051

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II
9980122	**6000009**

क्रम संख्या Sr. No.	पार्टी का नाम Name of the पार्टी	खाता संख्या Account Number	ऋण का उपयोग Utilisation of Credit		खाते का प्रकार कूट संख्या Type of Account Code	संगठन कूट संख्या Organisation Code	व्यवसाय कूट संख्या Occupation Code	ऋणकर्ता श्रेणी कूट संख्या Category of Borrower Code	ऋण खाते के आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification Code of Borrowal Account	जमानती / गैर-जमानती ऋण कूट संख्या Secured / Unsecured Loan Code	स्थिर / अस्थिर ब्याज दर फ्लैग Fixed / Floating Rate of Interest Flag	ब्याज दर Rate of Interest	ऋण सीमा (रु. हजारों में) Credit Limit (in thousands of rupees)	बकाया राशि (रु. हजारों में) Amount Outstanding (in thousands of rupees)	टिप्पणियाँ Remarks
			जिला कूट संख्या District Code	जनसंख्या समूह कूट संख्या Population Group Code											
एस/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पार्टी-31	सीसी14	968	2	10	32	29204	19	1	1	2	1500	10000	9500	
2	पार्टी-31	एलटी12	600	4	42	32	24202	19	1	1	2	1400	7500	7500	
3	पार्टी-31	पीसी4	920	3	50	32	17101	19	1	1	2	1100	4000	2656	
4	पार्टी-32	सीसी19	610	4	10	16	51909	39	1	1	2	1400	35000	26	
5	पार्टी-32	पीसी5	607	4	50	16	51909	39	1	1	2	1350	20000	17729	
6	पार्टी-34	एलटी18	600	4	42	24	95001	99	1	1	2	0400	627	587	
7	पार्टी-35	एलटी15	600	4	42	16	65935	99	1	2	1	1300	50000	10000	
8	पार्टी-36	एलटी16	600	4	42	14	75001	99	1	2	1	1200	1500	800	
9	पार्टी-37	डीएल10	600	4	30	13	01182	99	1	2	1	1400	350	275	
10	पार्टी-38	एलटी17	600	4	42	16	60201	99	1	1	1	1450	1000	879	
11	पार्टी-40	सीसी21	132	1	10	32	01121	49	1	1	1	1500	2500	1591	
12	पार्टी-41	सीसी22	918	1	10	32	01121	49	1	1	1	1400	300	290	
13	पार्टी-41	एलटी19	918	1	42	32	01121	49	1	1	1	1500	1200	1090	
14	पार्टी-42	टीसी1	600	4	90	81	65939	99	1	1	1	1200	300	300	
15	पार्टी-43	ओडी8	646	2	20	32	27101	19	1	1	1	1500	1500	1500	
16	पार्टी-43	एलटी20	646	2	42	32	27101	19	1	1	1	1500	2500	2500	
17	पार्टी-43	सीआईसीडी1	646	2	64	32	27101	19	1	1	1	1500	2500	2500	
18	पार्टी-58	एलटी26	650	3	42	53	29301	12	1	1	1	1500	1000	1000	
19	पार्टी-70	ओसीसी3	900	4	34	32	35909	19	1	1	1	1200	500	200	
20	पार्टी-71	ओडी18	650	3	10	61	01159	99	1	2	1	1000	300	100	
20	कुल/Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	142577	61023	X

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग क
BASIC STATISTICAL RETURN 1 - PART A (BSR-1A)
रु. 2 लाख से अधिक ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए
FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF OVER RS. 2 LAKH

(31 मार्च 2008 को) (As on 31st March, 2008)

कृपया पुस्तिका और इस पृष्ठ के पीछे दी गयी जाँच सूची में दिये अनुदेशों को ठीक से पढ़िये।
Please read the instructions in the Handbook and check list provided on the reverse of this page carefully.

बैंक का नाम
Name of the Bank - Standard Bank
शाखा का नाम और पता
Name and Address of the Branch - Bandra (E), Mumbai - 400051

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II
9980122	**6000009**

क्रम संख्या Sr. No.	पार्टी का नाम Name of the पार्टी	खाता संख्या Account Number	ऋण का उपयोग Utilisation of Credit		खाते का प्रकार कूट संख्या Type of Account Code	संगठन कूट संख्या Organisa-tion Code	व्यवसाय कूट संख्या Occupa-tion Code	ऋणकर्ता श्रेणी कूट संख्या Category of Borrower Code	ऋण खाते के आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classifica-tion Code of Borrowal Account	जमानती / गैर-जमानती ऋण कूट संख्या Secured / Unsecured Loan Code	स्थिर / अस्थिर ब्याज दर फ्लैग Fixed / Floating Rate of Interest Flag	ब्याज दर Rate of Interest	ऋण सीमा (रु. हजारों में) Credit Limit (in thousands of rupees)	बकाया राशि (रु. हजारों में) Amount Outstand-ing (in thousands of rupees)	टिप्पणियाँ Remarks
			जिला कूट संख्या District Code	जनसंख्या समूह कूट संख्या Population Group Code											
एस/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पार्टी-71	एलटी31	650	3	42	61	67201	99	1	1	1	1100	250	200	
2	पार्टी-72	एलटी32	662	1	42	54	01203	45	2	2	1	1200	400	200	
3	पार्टी-73	एमटी14	662	1	41	66	01204	99	2	2	1	1400	600	500	
3	कुल/Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1250	900	X

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

मू.सां.वि.-1ख के खातों के कूटों का निर्धारण

क्रम संख्या	पार्टी	खाता संख्या	मू.सां.वि. -1ख खंड	मू.सां.वि. -1ख आयटम कूट	मू.सां.वि. -1ख केसीसी/ एसएमई कूट	मू.सां.वि. -1ख वित्तीय मध्यस्थता	मू.सां.वि. -1ख आस्तियों का वर्गीकरण	मू.सां.वि. -1ख लिंगवार वर्गीकरण	मू.सां.वि. -1ख जमानती कूट	मू.सां.वि. -1ख ब्याज दर श्रेणी	मू.सां.वि. -1ख ब्याज का प्रकार सूचक	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	पार्टी-1:	खदेबि(आइबीपी)1	II	211	-	-	901	913	921	931	941	30000	18676
2	पार्टी-2:	दीत्र(एलटी)1	II	209	393	-	901	913	921	937	941	195000	197560
3	पार्टी-2:	पैत्र(पीसी)1	II	209	393	-	901	913	921	937	941	200000	0
4	पार्टी-2:	ओड्रा(ओडी)1	I	209	393	-	901	913	921	937	941	18000	14832
5	पार्टी-4:	आबिअ(आइबी) 1	II	321	393	-	901	913	921	931	941	200000	88000
6	पार्टी-6:	नत्र(सीसि)6	II	240	393	-	901	913	922	936	942	175000	5000
7	पार्टी-7:	मत्र(एमटी)1	I	103	-	-	902	911	921	936	941	17000	17000
8	पार्टी-7:	मांत्र(डीएल)1	II	120	-	-	902	911	921	935	941	38000	12800
9	पार्टी-7:	नत्र(सीसि)13	II	209	-	-	902	911	921	937	941	45000	8000
10	पार्टी-9:	खदेबि(आइबीपी)4	II	712	-	-	901	913	921	931	941	58000	28000
11	पार्टी-10:	पैत्र(पीसी)2	II	510	753	-	901	913	921	936	942	200000	8000
12	पार्टी-10:	ओड्रा(ओडी)6	II	510	753	-	901	913	921	936	942	35000	0
13	पार्टी-11:	ओड्रा(ओडी) 7	I	713	-	-	902	913	921	936	941	19000	8999
14	पार्टी-12:	मत्र(एमटी) 3	I	220	391	-	901	911	922	936	941	5500	5500
15	पार्टी-13:	मांत्र(डीएल) 2	I	520	-	-	901	912	922	931	941	1195	1195
16	पार्टी-14:	ओड्रा(ओडी) 4	II	400	-	-	901	913	921	937	941	42000	9812
17	पार्टी-15:	दीत्र(एलटी) 4	II	719	-	-	902	913	921	937	941	50000	55000
18	पार्टी-16:	मत्र(एमटी)4	I	872	-	-	901	912	921	936	942	14000	14000
19	पार्टी-17:	दीत्र(एलटी) 5	II	711	-	-	901	912	921	937	942	100000	64000
20	पार्टी-19:	मत्र(एमटी) 6	II	874	-	-	901	911	921	936	941	30000	15000
21	पार्टी-20:	मत्र(एमटी) 5	I	340	391	-	901	911	921	936	941	5000	5000
22	पार्टी-21:	मांत्र(डीएल) 5	II	800	-	-	901	913	921	936	941	50000	19000
23	पार्टी-22:	दीत्र(एलटी)10	I	322	391	-	901	913	922	936	942	20000	17960
24	पार्टी-23:	ओड्रा(ओडी)9	II	323	-	-	901	913	921	937	941	80000	16550
25	पार्टी-24:	नत्र(सीसि)15	I	201	392	-	901	913	921	937	941	10000	9600
26	पार्टी-25:	मत्र(एमटी)7	I	280	391	-	901	913	921	937	941	17000	17000

क्रम संख्या	पार्टी	खाता संख्या	मू.सां.वि. -1ख खंड	मू.सां.वि. -1ख आयटम कूट	मू.सां.वि. -1ख केसीसी/ एसएमई कूट	मू.सां.वि. -1ख वित्तीय मध्यस्थता	मू.सां.वि. -1ख आस्तियों का वर्गीकरण	मू.सां.वि. -1ख लिंगवार वर्गीकरण	मू.सां.वि. -1ख जमानती कूट	मू.सां.वि. -1ख ब्याज दर श्रेणी	मू.सां.वि. -1ख ब्याज का प्रकार सूचक	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27	पार्टी-26:	नत्र(सीसि) 17	I	510	753	-	901	913	921	937	941	9000	8500
28	पार्टी-27:	नत्र(सीसि)18	I	199	-	-	901	911	921	936	941	20000	14340
29	पार्टी-28:	मांत्र(डीएल)7	I	139	-	-	901	911	922	931	941	15000	1900
30	पार्टी-29:	मांत्र(डीएल)8	I	139	-	-	901	911	921	931	941	10000	7000
31	पार्टी-30:	मांत्र(डीएल)9	I	600	-	-	901	911	921	931	941	5000	950
32	पार्टी-33:	दीत्र(एलटी) 13	II	871	-	-	901	911	921	935	941	100000	67500
33	पार्टी-33:	पैत्र(पीसीसी) 1	II	878	-	-	901	911	921	939	941	30000	25600
34	पार्टी-39:	दीत्र(एलटी)14	II	120	-	-	901	911	921	935	941	60000	78000
35	पार्टी-39:	केसीसी1	II	120	191	-	901	911	921	935	941	50000	525
36	पार्टी-43:	नत्र(सीसि)24	II	310	-	-	901	913	921	937	941	200000	200000
37	पार्टी-44:	नत्र(सीसि)25	I	520	-	-	901	913	921	937	941	24000	15505
38	पार्टी-44:	खदेबि(आइबीपी) 5	I	520	-	-	901	913	921	931	941	15000	0
39	पार्टी-45:	नत्र(सीसि) 26	I	520	-	-	901	913	921	937	941	20000	11000
40	पार्टी-46:	नत्र(सीसि)28	I	520	-	-	901	913	921	937	941	20000	5000
41	पार्टी-46:	दीत्र(एलटी)22	II	520	-	-	901	913	921	937	941	90000	86900
42	पार्टी-46:	खदेबि(आइबीपी)6	I	520	-	-	901	913	921	931	941	10000	10000
43	पार्टी-47:	नत्र(सीसि)29	I	520	-	-	901	913	921	937	941	15000	8000
44	पार्टी-48:	मत्र(एमटी)10	II	270	392	-	901	913	921	936	941	200000	190050
45	पार्टी-48:	ओड्रा(ओडी)12	I	270	392	-	901	913	921	936	941	24000	22800
46	पार्टी-49:	मांत्र(डीएल)12	II	340	391	-	901	911	921	935	941	50000	45050
47	पार्टी-50:	डीडी31	I	340	394	-	901	913	921	935	941	15000	14500
48	पार्टी-51:	दीत्र(एलटी)23	II	280	-	-	901	913	921	936	941	100000	100000
49	पार्टी-51:	ओड्रा(ओडी)13	II	280	-	-	901	913	921	937	941	50000	25050
50	पार्टी-52:	ओड्रा(ओडी)14	I	879	-	-	901	911	921	936	941	20000	10855
51	पार्टी-53:	ओड्रा(ओडी)15	I	714	391	-	901	913	921	937	941	14000	10857
52	पार्टी-53:	मत्र(एमटी)11	II	714	391	-	901	913	922	937	942	35000	35000
53	पार्टी-54:	दीत्र(एलटी)24	II	861	-	-	901	911	921	931	942	100000	100000

क्रम संख्या	पार्टी	खाता संख्या	मू.सां.वि.-1ख खंड	मू.सां.वि.-1ख आयटम कूट	मू.सां.वि.-1ख केसीसी/एसएमई कूट	मू.सां.वि.-1ख वित्तीय मध्यस्थता	मू.सां.वि.-1ख आस्तियों का वर्गीकरण	मू.सां.वि.-1ख लिंगवार वर्गीकरण	मू.सां.वि.-1ख जमानती कूट	मू.सां.वि.-1ख ब्याज दर श्रेणी	मू.सां.वि.-1ख ब्याज का प्रकार सूचक	ऋण सीमा (रु.)	बकाया (लेजर बैलेंस) (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
54	पार्टी-55:	नत्र्र(सीसि)32	I	719	-	-	901	912	921	937	941	20000	18500
55	पार्टी-56:	मांत्र्र(डीएल)13	II	719	-	-	901	913	921	937	941	40000	40000
56	पार्टी-57:	नत्र्र(सीसि)33	II	510	-	-	901	913	921	937	941	50000	50000
57	पार्टी-57:	ख़निबि(इबीपी)2	I	510	-	-	901	913	921	937	941	20000	20000
58	पार्टी-58:	नत्र्र(सीसि)34	II	323	393	-	901	913	921	937	941	100000	100000
59	पार्टी-58:	ओड्रा(ओडी)17	I	323	393	-	901	913	921	937	941	10000	10000
60	पार्टी-59:	पैत्र्र(पीसी)6	II	510	-	-	901	913	921	935	942	150000	85515
61	पार्टी-60:	दीत्र्र(एलटी) 27	II	871	-	-	901	911	921	935	942	90000	90000
62	पार्टी-61:	मत्र्र(एमटी)12	II	300	392	-	901	913	921	936	942	140000	125000
63	पार्टी-62:	दीत्र्र(एलटी)29	II	600	-	-	901	913	921	936	942	75000	70000
64	पार्टी-63:	दीत्र्र(एलटी)30	I	869	-	-	901	912	922	934	942	16000	16000
65	पार्टी-64:	मत्र्र(एमटी)13	II	879	-	-	901	912	921	937	941	60000	60000
66	पार्टी-65:	नत्र्र(सीसि)2	II	120	192	-	901	911	922	934	941	50000	40000
67	पार्टी-66:	केसीसी3	I	120	191	-	901	912	922	934	941	25000	22000
68	पार्टी-67:	केसीसी4	I	120	191	-	901	911	922	934	941	25000	22000
69	पार्टी-68:	जीसीसी1	I	877	-	-	901	911	922	934	941	20000	20000
70	पार्टी-69:	ओसीसी2	I	714	751	-	901	911	922	934	941	20000	20000

मूसांवि-1क आइटमों पर आधारित मूसांवि-1ख कूट
ब्लॉक : ऋण सीमा पर
कूटसंख्या : व्यवसाय पर
केसीसी कोड : खाते का प्रकार
एसएमई कोड : उधार कर्ता की श्रेणी पर
वित्तीय मध्यस्थता : व्यवसाय कोड पर
आस्तियों का वर्गीकरण : वही
स्त्री/पुरुष कोड : संगठन पर
जमानती कूट : वही
ब्याज दर के प्रकार का कोड (स्थिर/अस्थिर : वही)
ब्याज दर श्रेणी : ब्याज दर

संबंधित खंडों में मू.सां.वि.-1ख खाता आइटम वार सार संक्षेपण

मू.सां.वि.-1ख	खंड I - ऋण सीमा - 25 हजार तक			खंड II - ऋण सीमा 25 हजार से 2 लाख		
आयटम कोड	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)
103	1	17	17			
120	2	50	44	4	198	131
139	2	25	9			
199	1	20	14			
201	1	10	10			
209	1	18	15	3	440	206
211				1	30	19
220	1	6	6			
240				1	175	5
270	1	24	23	1	200	190
280	1	17	17	2	150	125
300				1	140	125
310				1	200	200
321				1	200	88
322	1	20	18			
323	1	10	10	2	180	117
340	2	20	20	1	50	45
400				1	42	10
510	2	29	29	4	435	144
520	7	105	51	1	90	87
600	1	5	1	1	75	70
711				1	100	64
712				1	58	28
713	1	19	9			
714	2	34	31	1	35	35
719	1	20	19	2	90	95
800				1	50	19
861				1	100	100
869	1	16	16			
871				2	190	158
872	1	14	14			
874				1	30	15
877	1	20	20			
878				1	30	26
879	1	20	11	1	60	60
मू.सां.वि.-1ख का कुल 900	33	519	401	37	3348	2160

संबंधित खंडों में मू.सां.वि. - 1ख खातों का आईटम वार सार संक्षेपण

मू.सां.वि. - 1ख	खंड I - ऋण सीमा - 25 हजार तक			खंड II - ऋण सीमा 25 हजार से 2 लाख		
आयटम कोड	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)
कृषि को कुल प्रत्यक्ष वित्त (101 से 139) मू.सां.वि.-1ख						
190	5	92	70	4	198	131
191	2	50	44	1	50	1
192				1	50	40
कुल उद्योग (201 से 340) मू.सां.वि.-1ख						
390	9	125	117	14	1765	1119
391	5	62	56	2	85	80
392	2	34	32	2	340	315
393	2	28	25	5	870	391
394	1	15	15			
व्यापार और सेवाओं को कुल ऋण (510 से 719) मू.सां.वि.-1ख						
750	14	212	139	12	933	541
751						
752						
753	1	9	9	2	235	8
आस्ति वर्गीकरण मू.सां.वि.-1ख						
901	31	483	375	34	3215	2084
902	2	36	26	3	133	76
903						
904						
910	33	519	401	37	3348	2160
स्त्री-पुरुष वर्गीकरण मू.सां.वि.-1ख						
911	11	163	125	11	643	482
912	5	76	71	2	160	125
913	17	280	205	24	2545	1553
920	33	519	401	37	3348	2160
जमानती / गैर जमानती मू.सां.वि.-1ख						
921	24	371	274	34	3088	2080
922	9	148	127	3	260	80
930	33	519	401	37	3348	2160
ब्याज दर वर्गीकरण मू.सां.वि.-1ख						
931	6	56	21	4	388	235
932						
933						

मू.सां.वि.-1ख	खंड I - ऋण सीमा - 25 हजार तक			खंड II - ऋण सीमा 25 हजार से 2 लाख		
आयटम कोड	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)	खातों की संख्या	ऋण सीमा ('000)	बकाया राशि ('000)
934	5	106	100	1	50	40
935	1	15	15	7	538	379
936	9	145	116	9	1005	532
937	12	197	149	15	1337	948
938						
939				1	30	26
940	33	519	401	37	3348	2160
ब्याज का प्रकार मू.सां.वि.-1ख						
941	30	469	353	27	2248	1577
942	3	50	48	10	1100	583
950	33	519	401	37	3348	2160
मू.सां.वि.-1क और मू.सां.वि.-1ख का सारांश						
991	43	257547	112153			
992	70	3867	2561			
990	113	261414	114714			

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग ख
BASIC STATISTICAL RETURN 1 - PART B (BSR-1B)
रु. 2 लाख और उससे कम ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए
FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF RS. 2 LAKH AND LESS

(31 मार्च 200 को) (As on 31st March, 200)

कृपया पुस्तिका में दिये अनुदेशों को ठीक से पढ़िये।
Please read the instructions in the Handbook carefully.
बैंक का नाम
Name of the Bank Standard Bank
शाखा का नाम और पता
Name and Address of the Branch Bandra (E), Mumbai 400051

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II
9980122	6000009

(ऋण सीमा और बकाया राशि हजारों में लिखें)
(Credit Limit and Amount Outstanding are to be reported in Rupees Thousand)

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप Agriculture and Allied Activities						
	क) बागान फसलों को छोड़कर खाद्यान्नों और नकदी फसलों की खेती के लिये a) Cultivation of food and cash crops excluding plantation crops	X	X	X	X	X	X
101	अनाज / Cereals	-	-	-	-	-	-
102	दाल / Pulses	-	-	-	-	-	-
103	गन्ना / Sugarcane	1	17	17	-	-	-
104	रुई / Cotton	-	-	-	-	-	-
109	अन्य सभी खाद्यान्न और नकदी फसलें /All other food and cash crops	-	-	-	-	-	-
110	ख) बागान फसलों की खेती b) Cultivation of Plantation Crops	-	-	-	-	-	-
120	ग) कृषि के लिये अन्य प्रत्यक्ष वित्त c) Other direct finance to agriculture	2	50	44	4	198	131
	घ) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप d) Activities allied to agriculture	X	X	X	X	X	X
131	दुग्ध व्यवसाय / Dairying	-	-	-	-	-	-
132	मुर्गी पालन / Poultry farming	-	-	-	-	-	-

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)	खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
133	मत्स्य पालन / Fishing	-	-	-	-	-	-
139	कृषि संबंधित अन्य कार्यकलाप / Other activities allied to agriculture	2	25	9	-	-	-
190	कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप के प्रत्यक्ष वित्त का जोड़ (कूट संख्या 101 से 139 तक शामिल) **Total of Direct Finance to Agriculture & Allied Activities** (included under Item code 101 to 139)	5	92	70	4	198	131
191	जिसमें (कूट संख्या 190) से : किसान क्रेडिट कार्ड - उत्पादन ऋण *Of (Item code 190) Which:* Kisan Credit Cards – Production Loans	2	50	44	1	50	1
192	जिसमें (कूट संख्या 190) से : किसान क्रेडिट कार्ड - निवेश ऋण *Of (Item code 190) Which:* Kisan Credit Cards – Investment Loans	-	-	-	1	50	40
199	ङ) कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त e) Indirect finance to agriculture	1	20	14	-	-	-
	उद्योग / Industry						
	खाद्यान्न निर्माण तथा संस्करण Food Manufacturing and Processing						
201	चावल मिलें, आटा और दाल मिलें / Rice Mills, Flour and Dal Mills	1	10	10	-	-	-
202	खाद्य तेल और वनस्पती / Edible oils and Vanaspati	-	-	-	-	-	-
203	चाय / Tea	-	-	-	-	-	-
209	अन्य खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण Other food manufacturing and processing	1	18	15	3	440	206
	वस्त्र / Textiles						
211	सूती वस्त्र / Cotton textile	-	-	-	1	30	19
212	जूट और प्राकृतिक धागोंके वस्त्र/ Jute and natural fibre textile	-	-	-	-	-	-
213	हथकरघा वस्त्र और खादी / Handloom textile and Khadi	-	-	-	-	-	-
219	अन्य वस्त्र / Other textile	-	-	-	-	-	-
220	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद / Leather & leather products	1	6	6	-	-	-
230	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद / Wood & Wood products	-	-	-	-	-	-

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)	खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
240	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद / Rubber, Plastic & their products	-	-	-	1	175	5
250	कांच और कांच की सामग्री / Glass & Glass Ware	-	-	-	-	-	-
260	रत्न और आभूषण / Gems & Jewellery	-	-	-	-	-	-
270	कागज तथा कागज के उत्पाद / Paper and paper products	1	24	23	1	200	190
280	मुद्रण, प्रकाशन और उससे संबंधित कार्यकलाप Printing, Publishing & allied activities	1	17	17	2	150	125
	रसायन और रासायनिक वस्तुओं के उत्पाद Chemicals & chemical products						
291	उर्वरक / Fertilizers	-	-	-	-	-	-
292	दवाइयाँ और औषधियाँ / Drugs and pharmaceuticals	-	-	-	-	-	-
299	अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद /Other chemicals & chemical products	-	-	-	-	-	-
300	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद / Cément & cément products	-	-	-	1	140	125
310	धातु और धातु के उत्पाद / Metals and metal products	-	-	-	1	200	200
	अभियांत्रिकी / Engineering						
321	सामान्य अभियांत्रिकी मशिनरी और वस्तूएं General Engineering Machinery & Goods	-	-	-	1	200	88
322	बिजली चालित मशीनें और वस्तुएं / Electrical Machinery & Goods	1	20	18	-	-	-
323	इलेक्ट्रानिक मशीनें और वस्तुएं / Electronic Machinery & Goods	1	10	10	2	180	117
330	वाहन, वाहनों के पुर्जे और परिवहन उपकरण / Vehicles, Vehicle parts & Transport equipments	-	-	-	-	-	-
340	अन्य उद्योग *(जो दूसरी जगह शामिल नहीं है)* Other industries (not *included* elsewhere *)*	2	20	20	1	50	45
390	**उद्योगों का जोड़** (कूट संख्या 201 से 340 तक शामिल) **Total of Industries** (Included under Item code 201 to 340)	9	125	117	14	1765	1119
391	जिसमें (कूट संख्या 390) से : सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यमोंको दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Micro (Manufacturing) Enterprises	5	62	56	2	85	80

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
392	जिसमें (कूट संख्या 390) से : लघु (विनिर्माण) उद्यमों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Small (Manufacturing) Enterprises	2	34	32	2	340	315
393	जिसमें (कूट संख्या 390) से : मझोले (विनिर्माण) उद्यमों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Medium (Manufacturing) Enterprises	2	28	25	5	870	391
394	जिसमें (कूट संख्या 390) से : खादी और ग्रामीण उद्योग (KVI) क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Khadi and Village Industries (KVI) Sector	1	15	15	-	-	-
400	**निर्माण / Construction**	**-**	**-**	**-**	**1**	**42**	**10**
	व्यापार / Trade						
510	थोक व्यापार / Wholesale Trade	2	29	29	4	435	144
520	फुटकर व्यापार / Retail Trade	7	105	51	1	90	87
600	**परिवहन और अन्य संबद्ध सेवाएँ / Transport and other support services**	**1**	**5**	**1**	**1**	**75**	**70**
	व्यावसायिक और अन्य सेवाएँ Professional and other services						
711	व्यावसायिक सेवाएं / Professional services	-	-	-	1	100	64
712	पर्यटन, होटल तथा रेस्टारेंट / Tourism, Hotels & Restaurants	-	-	-	1	58	28
713	आमोद-प्रमोद सेवाएं / Recreation services	1	19	9			
714	मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं (पूंजीगत वस्तुओंके अलावा) Repairs & maintenance services (except capital goods)	2	34	31	1	35	35
719	अन्य सेवाएं / Other services	1	20	19	2	90	95
750	**व्यापार तथा सेवाओं का कुल ऋण** (कूट संख्या 510 से 819 तक शामिल) **Total of Credit to Trade and Services** (included under Item codes 510 to 819)	14	212	139	12	933	541
751	जिसमें (कूट संख्या 750) से : सूक्ष्म (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Micro (Service) Enterprises	-	-	-	-	-	-

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप **Activity / Occupation**	**रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less**			**रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh**		
		खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)	खातों की संख्या **No. of Accounts**	ऋण सीमा (हजारों में) **Credit Limit** (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) **Amount Outstanding** (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	जिसमें (कूट संख्या 750) से : लघु (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Small (Service) Enterprises	-	-	-	-	-	-
753	जिसमें (कूट संख्या 750) से : मझोले (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Medium (Service) Enterprises	1	9	9	2	235	8
800	**वित्तीय मध्यस्थता / Financial Intermediation**	**-**	**-**	**-**	**1**	**50**	**19**
810	जिसमें (कूट संख्या 800) से : सूक्ष्म वित्तीय संस्था / SHGs *Of (Item 800) which:* Micro Finance Institutions/ SHGs	-	-	-	-	-	-
820	जिसमें (कूट संख्या 800) से : लघु और सूक्ष्म उद्यमों को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त *Of (Item 800) which:* Indirect Finance to Small & Micro Enterprises	-	-	-	-	-	-
830	जिसमें (कूट संख्या 800) से : आवास क्षेत्र को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त *Of (Item 800) which:* Indirect Finance to Housing Sector	-	-	-	-	-	-
	व्यक्तिगत तथा उपभोग ऋण : स्टाफ Personal loans and consumption loans: Staff						
861	स्टाफ आवास ऋण : व्यक्ति, समिती द्वारा Staff housing loans : Individual, Through Society	-	-	-	1	100	100
862	स्टाफ वाहन ऋण : दुपहिया वाहन सहित मोटर वाहनों की खरीद (स्टाफ को दिए गए) Staff Vehicle Loans: Purchase of motor vehicles including two-wheelers (given to staff)	-	-	-	-	-	-
863	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद (स्टाफ को दिए गए) Purchase of consumer durables (given to staff)	-	-	-	-	-	-
864	स्टाफ शिक्षा ऋण (स्टाफ को दिए गए - स्वयं / बच्चे) Staff Education Loans (given to staff-self / wards)	-	-	-	-	-	-

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
868	स्टाफ क्रेडिट कार्ड (स्टाफ को दिए गए) / Staff Credit Cards (given to staff)	-	-	-	-	-	-
869	अन्य स्टाफ ऋण (स्टाफ को दिए गए) / Other staff loans (given to staff)	1	16	16	-	-	-
	व्यक्तिगत ऋण और उपभोग ऋण : स्टाफ सदस्यों को छोडकर Personal loans and consumption loans: Other than Staff						
871	आवास ऋण (स्टाफ सदस्यों को छोडकर) / Housing loans (other than staff)	-	-	-	2	190	158
872	दुपहिया वाहन सहित मोटर वाहनों की खरीद (स्टाफ सदस्यों को छोडकर) Purchase of motor vehicles including two-wheelers (other than staff)	1	14	14	-	-	-
873	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद (स्टाफ सदस्यों को छोडकर) Purchase of consumer durables (other than staff)	-	-	-	-	-	-
874	शिक्षा ऋण (स्टाफ सदस्यों को छोडकर) / Education Loans (other than staff)	-	-	-	1	30	15
875	निवेश ऋण / Investment Loans	-	-	-	-	-	-
877	सामान्य क्रेडिट कार्ड / General Credit Cards	1	20	20	-	-	-
878	व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड / Personal Credit Cards	-	-	-	1	30	26
879	अन्य व्यक्तिगत ऋण (स्टाफ सदस्यों को छोडकर) Other personal loans (other than staff)	1	20	11	1	60	60
890	**अन्य सभी-अवर्गीकृत ऋण सहित / All others including unclassified loans**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900	**मू.सां.वि.- 1 ख का जोड़ / Total of BSR-1B**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	मू.सां.वि.- 1 ख के अंतर्गत ऋण खातों की आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification of Borrowal Accounts under BSR –1B						
901	मानक परिसंपत्तियां / Standard Assets	31	483	375	34	3215	2084
902	अवमानक परिसंपत्तियां / Sub-standard Assets	2	36	26	3	133	76
903	संदिग्ध परिसंपत्तियां / Doubtful Assets	-	-	-	-	-	-
904	घाटे की परिसंपत्तियां / Loss Assets	-	-	-	-	-	-
910	**जोड़ / Total (901+902+903+904) #**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	# कुट संख्या 910 और 900 के आंकड़े एक समान होने चाहिये / Total against code 910 and 900 should tally						
	मू.सां.वि - 1ख के अंतर्गत ऋण खातों का लिंगात्मक वर्गीकरण Gender Classification of Borrowal Accounts under BSR -1B						
911	पुरूषों के खाते (व्यक्तिगत) Male Accounts (in respect of Individuals)	11	163	125	11	643	482

145

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
912	महिलाओं के खाते (व्यक्तिगत) Female Accounts (in respect of Individuals)	5	76	71	2	160	125
913	अन्य खातें / Other Accounts	17	280	205	24	2545	1553
920	**जोड़ / Total (911+912+913) &**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	& कूट संख्या 920 और 900 के आंकड़े एक समान होने चाहिये / & Total against code 920 and 900 should tally						
	मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत ऋण खातों की जमानती /बेजमानती स्थिती Secured/Un-secured position of Borrowal Accounts under BSR -1B						
921	जमानती ऋण / Secured Loans	24	371	274	34	3088	2080
922	बेजमानती ऋण / Un-Secured Loans	9	148	127	3	260	80
930	**जोड़ (921+922) &**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	& कूट संख्या 930 और 900 के आंकड़े एक समान होने चाहिये / & Total against code 930 and 900 should tally						
	मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत ऋण खातों के ब्याज दर का वर्गीकरण Interest Rate Classification of Borrowal Accounts under BSR -1B						
931	5% से कम / Below 5%	6	56	21	4	388	235
932	5% to 7%	-	-	-	-	-	-
933	7% to 9%	-	-	-	-	-	-
934	9% to 11%	5	106	100	1	50	40
935	11% to 13%	1	15	15	7	538	379
936	13% to 15%	9	145	116	9	1005	532
937	15% to 17%	12	197	149	15	1337	948
938	17% to 19%	-	-	-	-	-	-
939	19% और उससे अधिक / 19% and above	-	-	-	1	30	26
940	**जोड़ / Total (931+.... +939) &**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	& कूट संख्या 940 और 900 के आंकड़े एक समान होने चाहिये / & Total against code 940 and 900 should tally						

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु. 25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Rs. 25 Thousand and Less			रु. 25,000 और अधिक रु. 2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For Accounts with credit limit of Over Rs. 25 Thousand and Upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5	6	7	8
	मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत ऋण खातों का ब्याज के प्रकार का फ्लैग Type of Interest Flag of Borrowal Accounts under BSR -1B						
941	स्थिर ब्याज दर के ऋण / Fixed rate of Interest Loans	30	469	353	27	2248	1577
942	अस्थिर ब्याज दर के ऋण / Floating rate of Interest Loans	3	50	48	10	1100	583
950	**जोड़ / Total (941+942) &**	**33**	**519**	**401**	**37**	**3348**	**2160**
	& कूट संख्या 950 और 900 के आंकड़े एक समान होने चाहिये / & Total against code 950 and 900 should tally						

मू. सां. वि. - 1 सारांश में / SUMMARY OF BSR – 1				
कूट संख्या Item Code	मदें सारांश में Summary Items	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. Thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. Thousand)
1	2	3	4	5
991	कुल मू. सा. वि-क / Total of BSR -1A	43	257547	112153
992	कुल मू. सा. वि-ख / Total of BSR -1B	70	3867	2561
990	**समग्र जोड़ (91+92) / Grand Total (91+92)**	**113**	**261414**	**114714**
999	**कुल ऋण राशि धारा 42(2)** के अनुसार Total credit as per Section 42(2) ****	**X**	**X**	**114655**

** : भारत में बैंको की अग्रिम राशियां, आंतर-बैंक राशियों को छोडकर, धारा 42(2) के अंतर्गत सर्वेक्षण वर्ष के 31 मार्च के फार्म 'क' विशेष विवरणी में दी गयी है
Bank credit in India excluding inter-bank advances as reported under Form A special return, Section 42 (2), as on 31st March of the survey year

भारिबैं के उपयोग के लिए / For the use of RBI

द्वारा कूट बद्ध / Coded by ....

द्वारा छान-बीन की गई / Scrutinised by ....

प्रबंधक के हस्ताक्षर / Signature of Branch Manager: ....

दिनांक / Date : ....

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

परिशिष्ट

1. फॉर्म : मू.सां.वि.-1क
   मू.सां.वि.-1ख
   मू.सां.वि.-2

2. मू.सां.वि. 1 और 2 डेटा को सॉफ्ट फॉर्म में जमा कराना - रिकार्ड ले आउट :
   मू.सां.वि.-1क
   मू.सां.वि.-1ख
   मू.सां.वि.-2

3. पिछले (छठे) संस्करण की तुलना में इस (सातवें) संस्करण में प्रमुख परिवर्तन:
   परिवर्तनों की सूची
   मू.सां.वि.-1क व्यवसाय कूट 2008 और 2002 की सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल)
   मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट 2008 ओर 2002 की सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल)

4. मू.सां.वि. सिस्टम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को जमा की जाने वाली सांख्यिकी विवरणियों की सूची

परिशिष्ट - 2

मू.सां.वि. 1 और 2 डेटा को सॉफ्ट फॉर्म में जमा करना

डेटा भेजते समय बैंक निम्नलिखित का ध्यान रखें :

1. डेटा सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) पर या बेहतर हों सांविक सेवि/सांसूप्रवि (डिसैक्स/डिसिम) के संबंधित कार्यलय को ई-मेल से पृष्ठ 3-4 पर दिए गए टेबल के अनुसार भेजें।
2. डेटा (ए.एस.सी.आइ.आइ.) मोड में कॉपी करें।
3. डेटा जमा करने से पहले मू.सां.वि.-1क, मू.सां.वि.-1ख और मू.सां.वि.-2 विवरणियों का रिकार्ड ले आउट चेक करें।
4. सीडी डॉस (Dos)/विंडोज़ फॉर्मैटेड हो, न कि युनिक्स (UNIX) फॉर्मैटेड/यदि डेटा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में कॉपी किया जाए तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताया जाए।
5. माध्यम नया हो, न कि कई बार इस्तेमाल किया हुआ, ताकि इनपुट/आउटपुट त्रुटि से बचा जा सके।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने से पहले बैंक एक दो सिस्टमों पर कॉपी करके जाँच ले कि माध्यम (मीडिया) पढ़ा जा रहा है या नहीं।
7. यदि कुछ शाखाओं का संशोधित डेटा पुन: प्रस्तुत किया जाना हो तो उसे एक अलग फ़ाइल में दिया जाए और दूसरी शाखाओं के डेटा के साथ उसे मिलाया न जाए। डेटा भेजते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए

बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित विवरण, उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक मीडिया के फ़ीज़िकल लेबल पर उनके फॉरवर्डिंग पत्र में दिया गया हो :

1.	बैंक का नाम	:	
2.	मीडिया की भौतिक पहचान (फ़ीज़िकल आइडेंटिफ़िकेशन)	:	
3.	रिकॉर्डिंग कोड	:	ASCII
4.	डेटा की अवधि	:	
5.	डेटा का प्रकार (मू.सां.वि.-1क/1ख/2)	:	
6.	लॉट नंबर	:	
7.	लॉट में कवर की गई शाखाओं की संख्या	:	

मल्टीपल फ़ाइलों के मामले में, मद 5 से 7, प्रत्येक फ़ाइल के लिए अलग से दिए जाएं।

फ़िर भी, यह वांछनीय है कि, बैंक सॉफ्ट फॉर्म में डेटा प्रस्तुत करें। डेटा भेजते समय, बैंक अपने फ़ॉरवर्डिंग पत्र में निम्नलिखित विवरण दें :

i)	डेटा की अवधि	:
ii)	डेटा का प्रकार (मू.सां.वि.- 1क/1ख/2)	:
iii)	लॉट नंबर	:
iv)	बैंक की शाखाओं की कुल संख्या (प्रशासनिक कार्यालयों के साथ)	:
v)	ऋण डेटा दर्ज करनेवाली शाखाओं की कुल संख्या (मू.सां.वि.-1क या 1ख)	:
vi)	जमाराशि डेटा दर्ज करने वाली शाखाओं की कुल संख्या (मू.सां.वि.-2)	:
vii)	बैंक की कुल जमा राशियां	:
viii)	बैंक का कुल ऋण	:
ix)	लॉट में सम्मिलीत की गई शाखाओं की कुल संख्या	:
x)	लॉट में सम्मिलीत की गई रिपोर्टिंग शाखाओं की कुल जमा राशियां	:
xi)	बैंक के कुल कर्मचारी (मू.सां.वि.-2 विवरणी में)	:
xii)	लॉट में सम्मिलीत की गई रिपोर्टिंग शाखाओं के बैंक के कुल कर्मचारी (मू.सां.वि.-2 विवरणी में)	:

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी प्रोसेसिंग सिस्टम
मू.सां.वि. - 1 क विवरणी

<u>मू.सां.वि.-1 क के लिए इनपुट रिकॉर्ड डिज़ाइन</u>

(मार्च 2008 और उसके बाद के सर्वेक्षणों के लिए)

1. दिए गए किसी यूनिफ़ार्म कूट भाग - 1 के लिए, प्रति रिकार्ड एक खाता
2. रिकार्ड साइज : 72 बाइट्स

क्रम संख्या	*बाइट पोजीशन*	*बाइट्स की संख्या*	*सूचना*	*डेटा का प्रकार*	*टिप्पणी*
1	2	3	4	5	6
1.	1 – 2	2	जॉब कोड (= 60)	एएन	
2.	3 – 4	2	सर्वे का महिना (= 03)	एएन	
3.	5 – 8	4	सर्वे का वर्ष (yyyy)	एएन	
4.	9	1	फ़िलर –1 (= स्पेस)	एएन	
5.	10 – 16	7	यूनिफॉर्म कूट भाग I	एएन	
6.	17	1	फ़िलर–1 (= स्पेस)	एएन	
7.	18 – 21	4	पेज नंबर [2]	एएन	
8.	22 – 25	4	क्रम संख्या (कॉलम एस) [2]	एएन	
9.	26	1	फ़िलर –1 (= स्पेस)	एएन	
10.	27 – 29	3	ऋण की उपयोगिता का स्थान- जिला कूट (कॉलम 3)	एएन	
11.	30	1	ऋण की उपयोगिता का स्थान- जन संख्या समूह कूट (कॉलम 4)	एएन	
12.	31 – 32	2	खाते का प्रकार कूट (कॉलम 5)	एएन	
13.	33 – 34	2	संगठन (आर्गनाइजेशन) कूट (कॉलम 6)	एएन	
14.	35 – 39	5	व्यवसाय (आक्यूपेशन) कूट (कॉलम 7)	एएन	
15.	40 – 41	2	उधारकर्ता की श्रेणी का कूट (कॉलम 8)	एएन	
16.	42	1	उधारखाते का आस्ति वर्गीकरण (कॉलम 9)	एएन	
17.	43	1	जमानती/बेजमानती ऋण कूट (कॉलम 10)	एएन	
18.	44	1	स्थिर/अस्थिर ब्याज दर कूट (कॉलम 11)	एएन	
19.	45 – 48	4	ब्याज दर (कॉलम 12) [3]	एएन	बिल्स् अकाउंट्स के लिए स्पेसेस अन्य अकाउंट्स के लिए '9999'
20.	49 – 58	10	ऋण सीमा (कॉलम 13)	एन	राशि हजार रुपयों में
21.	59 – 68	10	बकाया राशि (कॉलम 14)	एन	
22.	69 – 72	4	लॉट नंबर	एएन	

एन- संख्यात्मक (न्यूमेरिक) एएन-अक्षर व संख्यात्मक (अल्फ़ान्यूमेरिक)

टिप्पणी : -

1) सभी अल्फान्यूमेरिक फ़ील्ड, जहाँ भी जरुरत हो, भरते समय पहले शून्य लगाया जाए (जैसे कूट नं. ''011'' को ''11'' या ''11'' नहीं लिखा जाए। पहले शून्य (ज़ीरो) लगाकर तीनों संख्याएं एंटर की जाएं)
2) पृष्ठ संख्या (पेज़ नंबर) और क्रम संख्या (सीरियल नंबर) अलग-अलग तभी एंटर किए जाएं जब डेटा पेपर रिटर्न से लेकर लिखा गया हो। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से डेटा लेते समय, पेज और सीरियल नंबर मिलाया (कंबाइन किया) जाए और उसे क्रम संख्या (सीरियल नंबर) के रुप में उपयोग में लाया जाए (8-अंक: बाइट पोजीशन: 18-25)
3) ब्याज दर 4 अंक के अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षर व संख्यात्मक) फ़ील्ड के रुप में पहले/अंत में जीरो लगाकर, जैसी जरुरत हो, एंटर किया जाए जैसे 6.0 ⇨ 0600, 16.5 ⇨ 1650, 5.25 ⇨ 0525, 21.0 ⇨ 2100 इत्यादि

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी प्रोसेसिंग सिस्टम

मू.सां.वि. - 1 ख विवरणी

मू.सां.वि.-1 ख के लिए इनपुट रिकॉर्ड डिज़ाइन

(मार्च 2008 और उसके बाद के सर्वेक्षणों के लिए)

1. किसी भी आइटम का डेटा पंक्ति-वार (रो-वाइज़) भरा जाए। प्रत्येक आइटम 85 बाइट्स के अलग रिकॉर्ड के रुप में दर्ज किया जाए। यदि किसी आइटम के लिए, किसी कॉलम विशेष में दर्ज करने को डेटा न हों, तो वह कॉलम खाली (ब्लैंक) छोड़ा जाए (अर्थात् उस कॉलम की बाइट् पोजीशन ब्लैंक होंगी) और अन्य कॉलमों का डेटा उपयुक्त बाइट पोजीशन्स में एंटर किए जाएं। यदि किसी आइटम के सामने डेटा दर्ज न किया जाए तो संबंधित पंक्ति (रो) का उपयोग डेटा एंट्रि के लिए न किया जाए।

2. रिकार्ड साइज : 85 बाइट्स

क्रम संख्या	*बाइट पोजीशन*	*बाइट्स की संख्या*	*सूचना*	*डेटा का प्रकार*	*टिप्पणी*
1	2	3	4	5	6
1.	1 – 2	2	जॉब कोड (= 61)	एएन	
2.	3 – 4	2	सर्वे का महिना (= 03)	एएन	
3.	5 – 8	4	सर्वे का वर्ष (yyyy)	एएन	
4.	9	1	फ़िलर-1 (= स्पेस)	एएन	
5.	10 – 16	7	यूनिफॉर्म कूट भाग I	एएन	
6.	17	1	फ़िलर -1 (= स्पेस)	एएन	
7.	18 – 20	3	कूट संख्या (कॉलम1)	एएन	
8.	21	1	फ़िलर -1 (= स्पेस)	एएन	
25,000 रु. व उससे कम की ऋण-सीमा के खातों के लिए					
9.	22 – 31	10	खातों की संख्या (कॉलम 3)	एन	
10.	32 – 41	10	ऋण सीमा (कॉलम 4)	एन	
11.	42 – 51	10	बकाया राशि (कॉलम 5)	एन	
25,000 रु. से अधिक और रु. 2 लाख तक की ऋण-सीमा वाले खातों के लिए					
12.	52 – 61	10	खातों की संख्या (कॉलम 6)	एन	
13.	62 – 71	10	ऋण सीमा (कॉलम 7)	एन	
14.	72 – 81	10	बकाया राशि (कॉलम 8)	एन	
15.	82 – 85	4	लॉट नंबर	एएन	

एन- संख्यात्मक (न्यूमेरिक)   एएन-अक्षर व संख्यात्मक (अल्फ़ान्यूमेरिक)

टिप्पणी :-

1) सभी अल्फान्यूमेरिक फ़ील्ड, जहाँ भी जरुरत हो, भरते समय पहले शून्य लगाया जाए (जैसे कूट नं. ''011'' को ''11'' या ''11'' नहीं लिखा जाए। पहले शून्य (ज़ीरो) लगाकर तीनों संख्याएं एंटर की जाएं)

2) आस्ति वर्गीकरण, स्त्री/पुरुष (लिंग) वर्गीकरण, सिक्युरिटि पोजिशन, ब्याज दर वर्गीकरण ब्याज दर सूचक और मू.सां.वि.-1 का सारांश भी संबंधित आइटम कोडों के साथ दर्ज किया जाएं।

3) मू.सां.वि.-1 खंड के सारांश में, आइटम कोड 990, 991, और 992 के लिए; डेटा कॉलम 3 से 5 (क्रम सं. 9 से 11) और आइटम कोड 999 के लिए; डेटा कॉलम 5 (क्रम सं. 11) भी संबंधित है।

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी प्रोसेसिंग सिस्टम

मू.सां.वि.- 2 विवरणी

मू.सां.वि.-2 के लिए इनपुट रिकॉर्ड डिज़ाइन

(मार्च 2008 और उसके बाद के सर्वेक्षणों के लिए)

1. किसी भी आइटम का डेटा पंक्ति-वार (रो-वाइज़) भरा जाए। प्रत्येक आइटम 85 बाइट्स के अलग रिकॉर्ड के रुप में दर्ज (एंटर) किया जाए। यदि किसी आइटम के लिए, किसी कॉलम विशेष में रिपोर्ट करने को डेटा न हों, तो वह कॉलम खाली (ब्लैंक) छोड़ा जाए (अर्थात् उस कॉलम की बाइट् पोजीशन ब्लैंक होंगी) और अन्य कॉलमों का डेटा उपयुक्त बाइट पोजीशन्स में एंटर किए जाएं। यदि किसी आइटम के सामने डेटा दर्ज न किया जाए तो संबंधित पंक्ति (रो) का उपयोग डेटा एंट्रि के लिए न किया जाए।

2. रिकार्ड साइज : 85 बाइट्स

क्रम संख्या	*बाइट पोजीशन*	*बाइट्स की संख्या*	*सूचना*	*डेटा का प्रकार*	*टिप्पणी*
1	2	3	4	5	6
1.	1 - 2	2	जॉब कोड (= 62)	एएन	
2.	3 - 4	2	सर्वे का महिना (= 03)	एएन	
3.	5 - 8	4	सर्वे का वर्ष (yyyy)	एएन	
4.	9	1	फ़िलर -1 (= स्पेस)	एएन	
5.	10 – 16	7	यूनिफॉर्म कूट भाग I	एएन	
6.	17	1	फ़िलर -1 (= स्पेस)	एएन	
7.	18 – 20	3	आइटम कोड (कॉलम1)	एएन	
8.	21	1	फ़िलर -1 (= स्पेस)	एएन	
9.	22 – 31	10	कॉलम 2 में डेटा	एन	1)
10.	32 – 41	10	कॉलम 3 में डेटा	एन	
11.	42 – 51	10	कॉलम 4 में डेटा	एन	
12.	52 – 61	10	कॉलम 5 में डेटा	एन	
13.	62 – 71	10	कॉलम 6 में डेटा	एन	
14.	72 – 81	10	कॉलम 7 में डेटा	एन	
15.	82 – 85	4	लॉट नंबर	एएन	

एन- संख्यात्मक (न्यूमेरिक)   एएन-अक्षर व संख्यात्मक (अल्फ़ान्यूमेरिक)

टिप्पणी :-

1. आइटम कोड 100 और 101 के लिए डेटा कॉलम 2 से 5 संबंधित हैं, आइटम कोड 800 और 900 के लिए डेटा कॉलम 6 और 7 संबंधित हैं और आइटम कोड 999 के लिए डेटा कॉलम 7 संबंधित है; और पार्ट 1 और पार्ट II से V के दूसरं आइटमों के लिए डेटा कॉलम 2 से 7 संबंधित है।

परिशिष्ट - 3

मू.सां.वि. 1 और 2 विवरणियों (2008)
पर पिछले (छठे) संस्करण की तुलना में इस संस्करण में प्रमुख परिवर्तन:
मू.सां.वि. 1 और 2 विवरणी का सारांश

परिवर्तनोंकी सूची

1) मू.सां.वि. 1 व 2 वार्षिक सर्वेक्षण है और इन विवरणियों का संदर्भ दिनांक 31 मार्च है। फॉर्म-क, धारा 42(2) विवरणी के अनुसार ऋण व जमाराशियों पर डेटा, जो क्रमश: मू.सां.वि. 1ख और मू.सां.वि. 2 में दर्ज किए जाते हैं, सुसंगति और आयामिक जाँच (कसिस्टेंसी एंड डायमेंशनल चेक्स) के लिए, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज किए जाते हैं ताकि मू.सां.वि. 1 और मू.सां.वि. 2 की बेहतर तुलना की जा सके।

2) व्यक्तिगत खातों को मू.सां.वि. 1क में दर्ज करने की 2 लाख रु. की कट ऑफ ऋण सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है।

3) इस पुस्तिका की तारिख के अनुसार नवीनतम जिला कूट सूची दी गई (सूची ए) है।

4) ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय जन संख्या समूह कूट सूची बी में है। जनसंख्या समूह की परिभाषा /कट ऑफ लिमिट में कोइ बदलाव नहीं हैं।

5) नये प्रकार के खाते यथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) किसान क्रेडिट कार्ड - उत्पादन व किसान क्रेडिट कार्ड निवेश और अन्य क्रेडिट कार्ड वर्तमान व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड (सूची सी) के साथ शामिल किए गए हैं।

6) उधार-कर्ता के स्वामित्व के आधार पर संगठन कूट फिर से बनाए गए हैं (सूची डी)

   ए) वित्तीय और गैर वित्तीय संगठन सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में अलग -अलग परिभाषित किए गए हैं।

   बी) स्वयं सहायक समूहों / सूक्ष्म वित्तीय संस्था के लिए पृथक कूट शामिल किए गए हैं।

   सी) 'निजी कॉरपोरेट-अन्य' का नाम बदलकर 'घर /परिवार क्षेत्र-अन्य' रखा गया है और 'घर/परिवार क्षेत्र' के तहत 'व्यक्ति-पुरुष व स्त्री' के साथ रखा गया है।

   डी) 'घर/परिवार क्षेत्र अन्य' में 'संयुक्त देयता समूह' भी है।

   ई) स्वामित्व (प्रोप्राइटरी), प्रतिष्ठान, साझेदारी (पार्टनरशिप) फर्में और संयुक्त परिवार (हिंदू अविभाज्य परिवार) को अलग से 'घर परिवार क्षेत्र' में रखा गया है।

एफ) 'घर परिवार क्षेत्र' को सेवा देने वाली गैर लाभार्जन संस्थाएं शामिल की गई हैं। चूंकि घर परिवार क्षेत्र (गैर-सरकारी) की सेवा करने वाली गैर लाभार्जन संस्थाओं की प्रकृति सरकार, कंपनी क्षेत्र और घर परिवार क्षेत्र, से अलग है, इन्हें (एनपीआइएसएच को) एक अलग इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी तरफ एनपीआइएसबी/एनपीआइएसई (सेवा व्यवसाय / उद्यम) कंपनी क्षेत्र के आउटपुट/ कार्य को सीधे प्रभावित करता है, इन्हे पहले की तरह निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के हिस्से के रूप में लिया गया है।

(जी) विदेशी सरकार और विदेशी बैंक का नाम बदलकर अनिवासी रखा गया है जिसमें विदेशी सरकार, विदेशी दूतवास, राजदूतावास, व्यापार मिशन, अनिवासी कंपनियां / संस्थाएं / फर्म / सोसायटी / व्यक्ति आदि शामिल हैं।

(एच) संयुक्त क्षेत्र (ज्वाइंट सेक्टर) हटा दिया गया है। इकाइयों को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में वर्गीकृत किया जाए।

7) कार्य कलाप /व्यवसाय कूट फिर से बनाए गए हैं (सूची ई)

ए) 'व्यक्तिगत ऋण' के लिए डिविज़न 95 को दो अलग ग्रूपों में गया है, यथा स्टाफ को दिया गया निजी ऋण और व्यक्तियों (स्टॉफ सदस्यों को छोडकर) को दिया गया।

बी) निर्माता / विक्रेता के अलावा मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं देने वाले इकाइयों को सेक्सन 93: अन्य सेवा कार्य-कलाप में अलग (नये) ग्रूप 'मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं' के साथ रखा गया है।

सी) ग्रामीण आयोजना व ऋण विभाग (आरपीसीडी) के नविनतम परिपत्र के अनुसार 'कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त' में पुनर्रचना की गई है।

डी) कृषि व संबंधित कार्य व अन्य उद्देश्यों हेतू आगे दिए जाने वाले ऋण (ऑन लेंडिंग) के लिए आरआरबी को ऋण को अलग समुह में रखा गया है।

ई) कृषि व संबंधित कार्य, लघु और सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शैक्षणिक कार्य व अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए आन लेंडिंग के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का दिए जाने वाले ऋण वर्गीकृत किए गए हैं।

एफ़) आवास और लघु उद्यम क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष वित्त पर डेटा प्राप्त करने के लिए नये कूट प्रारंभ क्एि गए हैं।

जी) एसएचजी / एमएफआइ के विविध कार्य कलापों के लिए नये व्यवसाय शामिल किए गए हैं।

एच) व्यवसाय कूटों में अन्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:- विवरण में संशोधन, कुछ कोडों का विलय (मर्जर), कोडों का उप-विभाजन, कुछ कोडों का हटाया जाना जोडा जाना आदि। मू.सां.वि. 2002 और मू.सां.वि. 2008 व्यवसाय कूटों की सुसंगति सारणी (कॉन्कॉःडअन्स टेबल) में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

8) उधारकर्ता इकाई के अनुसार उधार खाते का स्वरुप (नेचर ऑफ बारोअल अकाउंट्स) सूची एफ के स्थान पर एक नई 'उधारकर्ता की श्रेणी' (कैटिगरी ऑफ बारोअर) प्रारंभ की गई है। लघु व सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा में हाल में हुए बदलाव के बाद विनिर्माण और व्यवसाय/व्यापार व सेवाओं में भी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम शामिल किए गए हैं। इसके सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एस एमई) पर डेटा प्राप्त हो सकेगा। कृषि व संबंधित कार्यकलापों हेतु उधारकर्ताओं की नई श्रेणियां भी शामिल की गई हैं।

9) आस्ति वर्गीकरण कूट वही है, - मानक (स्टैंडर्ड), अव-मानक (सब-स्टैंडर्ड) संदिग्ध (डाउटफुल) और हानिवाली आस्तियां (लॉस एसेट्स) जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र पर आधारित हैं। (लिस्ट-जी)

10) 'गिरवी रखी सिक्युरिटी (प्लेज्ड)/लोन्स की गाारंटी स्टेट्स' नामक एक नया मानक प्रारंभ किया गया है जिससे जमानती / गैर जमानती ऋणों (सूची-एच) का पता चले। (सूची-एच)

11) 'ब्याज पर स्थिर / अस्थिर दर' पर सूचना एकत्र करने के लिए एक सूचक (फ्लैग) शामिल किया गया है। (सूची-आइ)

12) मू.सां.वि. 1क में प्रस्तावित परिवर्तनों के मद्देनजर मू.सां.वि.- 1ख का आरूप भी संशोधित किया गया है।

13) मू.सां.वि.-1ख के फॉर्मेट में भी उपयुक्त संशोधन किया गया है। 2 लाख रु. या उससे कम की ऋण सीमा के खातो को निर्दिष्ट व्यवसाय वर्गों के लिए 25,000/ रु. और 25,000/- से 2 लाख रु. तक की ऋण सीमा आकार समूहों में अलग-अलग बांटा जाए।

ए) नये 3 अंकीय मू.सां.वि.-1ख कोड दिये गए हैं जो मू.सां.वि.-1क व्यवसाय कूटों से संबंधित नहीं है।

बी) 'व्यक्तिगत ऋण' दो पृथक ग्रूपों में बांटे गए हैं, यथा 'स्टाफ को निजी ऋण' और 'स्टाफ सदस्यों के अलावा व्यक्तियों को निजी ऋण'।

सी) एसएचजी/एमएफआइ को दिए गए वित्त और आवास व लघु उद्यम क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष वित्त पर डेटा प्राप्त करने के लिए नये कूट प्रारंभ किए गए हैं।

डी) विनिर्माण उद्यम और व्यवसाय /व्यापार व सेवा उद्यम पर डेटा प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

ई) समेकन में सुविधा के लिए मू.सां.वि.-1क कूटों के साथ-मू.सां.वि.- 1क कूटों के साथ-मू.सां.वि.-1ख कूटों की संपर्क सारणी भी दी गई है।

एफ़) मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों के आस्ति वर्गीकरण और मू.सां.वि.-1ख के तहत व्यक्ति/एकल खातों का स्त्री/पुरुष (लिंग) वर्गीकरण को यथावत रखा गया हैं।

जी) ब्याज दर श्रेणियों, जमानती / गैर जमानती ऋण तथा ब्याज के स्थिर / अस्थिर दर के खंड शामिल किए गए हैं।

एच) धारा 42(2) के तहत फार्म-ए विवरणी मू.सां.वि. 1 (1क और 1ख) का सारांश मिलान (कन्सिस्टेंसि) के लिए दिया जाए।

14) 2002 और 2008 के क्रमश: मू.सां.वि. 1क व्यवसाय कूट और मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट के बीच संबंधों के लिए / अंर्तसंबंध (कॉन्कॉर्डेंस) टेबल दिए गए हैं।

15) मू.सां.वि.-1 विवरणी में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक क्रेडिट कार्ड के व्यापारका डेटा भी दर्ज करें। क्रेडिट कार्ड डेटा अलग फ़ाइल में यह बताते हुए दिया जाए कि इसे मुख्य मू.सां.वि.-1 विवरणी में शामिल किया गया है या नहीं।

ए) अपने विभागों के जरिये मेंटेन किए गए क्रेडिट कार्डों पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के डेटा का संग्रह, मू.सां.वि.-1 विवरणी में।

बी) अपने अनुषंगी इकाइयों (सब्सिडियरिज़) के जरिये मैनेज़ किए गए क्रेडिट कार्डों पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के डेटा का संग्रह, मू.सां.वि.-1 विवरणी में।

16) मू.सां.वि.-2 विवरणी में कोई परिवर्तन नहीं, सिवाय 31 मार्च की स्थिति के अनुसार फ़ार्म-ए धारा 42(2) विवरणी के अनुसार जमा राशियों पर डेटा एकत्र करने के संदर्भ दिनांक के।

सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) : मू.सां.वि.-1 क व्यवसाय कूट 2008 और 2002

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
01101	01101
01102	01102
01103	01103
01104	01104
01105	01105
01106	01106
01107	01107
01108	01108
01109	01109
01111	01111
01119	01119
01121	01121+01122
01123	01123
01124	01124
01125	01125
01126	01126
01127	01127
01129	01129
01151	01151
01152	01152
01153	01153
01154+01155	01154
01157+01159	01156+01157+01159
01181+01182	01182
01201	01201
01202	01202
01203	01203
01204+01209	01209+01301
01401	01401
01402	01402
01409	01409
02001	02001
05001	05001
10001	10001
11101	11101
11201	11201
12001	12001

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
13101	13101
13201	13201
14101	14101+14201+ 14202+14203
15101	15101
15102	15102
15103	15103
15104	15104
15201	15201
15301	15301
15302+15303	15302
15401	15401
15402	15402
15403	15403
15404	15404
15405	15405
15406	15406
15407	15407
15408	15408
15409	15409
15501	15501
15502	15502
16001	16001+16002
16003	16003
17101	17101
17102	17102
17103	17103
17104	17104
17105	17105
17201	17201
17202	17202
17203	17203
17204	17204
17209	17209+17301
18101	18101
18102	18102
18201	18201

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
19101	19101
19102	19102
19201	19201
19202	19202
20101	20101+20201+20202
21001	21001
21002	21002
21003	21003+21004
22101	22101+22102+ 22103+22201+22301
23101	23101
23201	23201
23301	23301
24101	24101
24102	24102
24103	24103
24104	24104
24201	24201
24202	24202
24203	24203
24204	24204
24211	24211
24212	24212
24213	24213
24214	24214
24219	24219
24301	24301
25101	25101
25102	25102
25201	25201
25202	25202
26101	26101
26901	26901
26902	26902
26903	26903
26904	26904
26905	26905
27101	27101
27201	27201

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
27301	27301
27302	27302
28101	28101
28901	28901
29101	29101
29109	29109
29201	29201
29202	29202
29203	29203
29204	29204
29205	29205
29206	29206
29207	29207
29208	29208
29209	29209
29301	29301
30001	30001
30002	30002
31101	31101
31201	31201+32301
31301	31301
31401	31401
31501	31501
31901	31901
32101	32101
33101	33101
33201	33201
33301	33301
34101	34101
34201	34201
34301	34301
35101	35101
35201	35201
35301	35301
35901	35901
35909	35909
36101	36101
36901	36901
36902	36902

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
36903	36903
36904	36904
36905	36905
36906	36906
36907	36907
36909	36909
37001	37001
40101	40101
40102	40102
40103	40103
40104	40104
40105	40105
40201	40201
40301	40301
41001	41001
45001+45002	45001
45003	45002
45004	45003
45005	45004
45011	45011
45012	45012
45013	45013
45019	45019
50001	50001
50002	50002
50003	50003
50005	50005
51101	51101
51201	51201
51202	51202
51203	51203
51204	51204
51205	51205
51301	51301
51302	51302
51303	51303
51401	51401
51402	51402
51403	51403

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
51404	51404
51405	51405
51406	51406
51409	51409
51501	51501
51502	51502
51901	51901
51902	51902
51909	51909
52101	52101
52102	52102
52201	52201
52301	52301
52302	52302
52303	52303
52311	52311
52312	52312
52313	52313
52319	52319
52401	52401
52501	52501
55101	55101
55201	55201
55301	63014
60101	60101
60201	60201
60202	60202
60203	60203
60204	60204
60301	60301
61101	61101
61201	61201
62001	62001
62101	62101
63001	63001
63011	63011
63012	63012
63013	63013
63019	63019

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
64101	64101
64201	64201
64202	64202
65101+65102	65101
65103+65104	65102
65109	65109
65901	65901
65902	65902
65904+65905+ 65906+65907	65103
65908	65903
65909	65904
65910	65905+65909
65911	65911
65921+65922+ 65923+65924+ 65929	65912+65921+ 65922+65923+ 65924+65925+ 65926+65929
65931	65931
65932	65932
65933	65933
65939+65934	65939
66001	66001
66002	66002
66003	66003
67101	67101
67102	67102
67103	67103
67104	67104
67105	67105
67201+67301	67201
70001	70001
71101	71101
71201	71201
71301	71301
72101	72101
72201	72201
72209	72209
72301	72301

मू.सां.वि.-2008 कूट	मू.सां.वि.-2002 कूट
72901	72901
72909	72909
73001	73001
74101	74101
74201	74201
74301	74301
74401	74401
74901	74901
75001	75001
80001	80001
80002	80002
80003	80003
85101	85101
85102	85102
85201	85201
85301	85301
90001	90001
91101	91101
91901	91901
92101	92101
92109	92109
92201	92201
92301	92301
92401	92401
93001	93001
93002+93003	93002
93101	50003
93102	52601
93103+93104+ 93105+93106+93109	72501
95001+95011	94001+94002
95002+95012	94003
95003+95013	94004
95004+95014	94005
95008+95018	94008
95009+95015+95019	94006+94007+94009
99999	99999

सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) : मू.सां.वि.-1ख आइटम कूट 2008 और 2002

मू.सां.वि.-2008 कूट	**मू.सां.वि.-2002 कूट**
101+102	01
103	02
104	03
109	04
110	05
120	06
131+132+133+139	09
190=101+ …+139	01+02+03+04 +05+06+09
191	नया
192	नया
199	08
201	16
202	17
203+209	18
211	21
212	22
213	23
219	24
220	27
240	29
270	25
280	26
292	31
291+299	32
300	33
310	34
321	35
322	36
323	37
330	38
230+250+260+340	39
390=201+ .. +340	20+11+12
391	नया
392	नया
393	नया
394	नया
400	40
510	41
520	42
600	45
711	51
712	52
713	53

मू.सां.वि.-2008 कूट	**मू.सां.वि.-2002 कूट**
714	54
719	55
750=510+ … +719	41+ … +55
751	नया
752	नया
753	नया
800	50
810	नया
820	नया
830	नया
861+871	61+62
862+872	63
863+873	64
864+874	65
868+878	68
869+875+877+879	66+67+69
890	79
900	80
901	81
902	82
903	82
904	84
910	85
911	86
912	87
913	नया
921	नया
922	नया
931	नया
932	नया
933	नया
934	नया
935	नया
936	नया
937	नया
938	नया
939	नया
941	नया
942	नया
991	91
992	92
990	90
999	99

`

परिशिष्ट - 4

मूल सांख्यिकीय विवरणियां (मूसांवि) प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली सांख्यिकीय विवरणियों की सूची

क्रम संख्या	विवरणी का नाम	विवरणी का दायरा	आवृत्ति	किसके द्वारा तैयार की जाय	भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी भेजने का तरीका
1.	मूसांवि - 1 क	रु. 2 लाख से अधिक की ऋण सीमाओं से उधार उपयोग का जिला व जनसंख्या समूह, खाते का प्रकार, संगठन, व्यवसाय, उधारकर्ता की श्रेणी, आस्ति वर्गीकरण, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के विवरण दिये जाएँ।	वार्षिक 31 मार्च तक का	बैंक की समस्त शाखाओं / कार्यालयों द्वारा	बैंकों की शाखाएं / कार्यालय मूसांवि-1 क और मूसांवि-1ख विवरणियों को एक साथ और मूसांवि-2 भी अपने क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालयों को भेज दें। बैंकों के क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालय इन को प्रारंभिक जाँच व भूलसुधार, यदि हो तो, और डेटा को सॉफ्ट फ़ॉर्म में लाकर निदेशक, क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भ तारीख से **चार महीने** में भेज दें। बैंक चुम्बकीय माध्यम पर या ई-मेल से आंकड़े प्रस्तुत करें। डाटा ब्लॉक्स के नमूना प्रिंटआउट को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित डिसैक्स क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापित करा लें और संपादित आंकड़ों को समुचित फाइल स्ट्रक्चर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय/ केंद्रीय कार्यालय, डिसैक्स को संदर्भ तारीख से **चार महीने** के भीतर दे दें।
	मूसांवि - 1 ख	रु. 2 लाख और उससे कम की ऋण-सीमा वाले सभी उधार खातों को व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया जाय और प्रत्येक शाखा के लिए समेकित रूप में प्रत्येक व्यवसाय के कुल आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।	-वहीं-	-वहीं-	

क्रम संख्या	विवरणी का नाम	विवरणी का दायरा	आवृत्ति	किसके द्वारा तैयार की जाय	भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी भेजने का तरीका
2.	मूसांवि-2	कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या, खातों की संख्या और जमा राशियों के प्रकार के अनुसार, बकाया राशि और मूल परिपक्वता, मोटे तौर पर ब्याज दर सीमाओं,जमा-राशियों के आकार और अवशिष्ट परिपक्तवता (रेजिडौंुअल मैच्युरिटि) अवशिष्ट परिपक्वता अनुसार सभी मीयादी जमा राशियों का वर्गीकरण	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
3.	मूसांवि-3	चुनी हुई संवेदनशील वस्तुओं की जमानत पर बैंक अग्रिम	मासिक महीने के अंतिम शुक्रवार के अनुसार	बैंकों के प्रधान कार्यालय	बैंकों के प्रधान कार्यालय उन शाखाओं से जानकारी इकट्ठी करें, जहाँ से 80-85% अग्रिम होता है और समेकित विवरणी प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400 001 को भेजें।
4.	मूसांवि-4	जमाराशियों का स्वामित्व ढांचा	वार्षिक, नमूना आधार पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	बैंकों की चुनी हुई नमुना शाखाएं / कार्यालय	चुनी हुई शाखाएं / कार्यालय क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय को विवरणियां भेजें । क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालय विवरणियों को क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भ तारीख से **दो महीने** के अंदर भेज दें।

क्रम संख्या	विवरणी का नाम	विवरणी का दायरा	आवृत्ति	किसके द्वारा तैयार की जाय	भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी भेजने का तरीका
5.	मूसांवि-5	केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों, अन्य ट्रस्टी प्रतिभूतियों, शेयरों आदि में बैंक के निवेश का स्वरूप	वार्षिक, 31 मार्च तक का	बैकों का प्रधान कार्यालय	निदेशक बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सांविकंसेवि, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को संदर्भ तारीख से **दो महीने** के भीतर भेजा जाय।
6.	मूसांवि-6	जमा खातों में नामे (डेबिट्स टू डिपॉज़िट्स) का सर्वेक्षण	पंचवार्षिक नमूना आधार पर वर्ष के अप्रैल-मार्च हेतु	बैंको की चुनी हुई नमूना शाखाएं / कार्यालय	चुनी हुई शाखाएं / कार्यालय विवरणियों को क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालयों को प्रेषण कर दें। क्षेत्रीय / प्रधान कार्यालय विवरणियों को क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंम्प्यूटर सेवा विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भ तारीख से **दो महीने** के भीतर भेजा जाए।
7.	मूसांवि-7	कुल जमा और कुल बैंक ऋण-पर त्रैमासिक सर्वेक्षण	त्रैमासिक, 31 मार्च, तथा वर्ष के जून, सितंबर और दिसंबर का अंतिम शुक्रवार।	बैंको के प्रधान कार्यालयों द्वारा शाखा-वार सूचना तैयार की जानी है।	निदेशक बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सांविकंसेवि, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को संदर्भ तारीख से **तीन सप्ताह** के भीतर भेजा जाय।

कृपया पुस्तिका और इस पृष्ठ के पीछे दी गयी जाँच सूची में दिये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Please read the instructions in the Handbook and 'Check List' provided on the reverse of this page carefully.

बैंक का नाम
Name of the Bank ______________________

शाखा का नाम और पता ।
Name and Address of the Branch ______________________

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग क
BASIC STATISTICAL RETURN 1 – PART A (BSR-1A)
रु. 2 लाख से अधिक ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए
FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF OVER RS. 2 LAKH
(31 मार्च 200   को)
(As on 31st March, 200)

पृष्ठ संख्या / Page No. ....

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code

भाग / Part I	भाग / Part II

क्रम संख्या Sr. No.	पार्टी का नाम Name of the Party	खाता संख्या Account Number	ऋण का उपयोग Utilisation of Credit		खाते का प्रकार कूट संख्या Type of Account Code	संगठन कूट संख्या Organisation Code	व्यवसाय कूट संख्या Occupation Code	ऋणकर्ता श्रेणी कूट संख्या Category of Borrower Code	ऋण खाते के आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification Code of Borrowal Account	जमानती / बेजमानती ऋण कूट संख्या Secured / Unsecured Loan Code	स्थिर / अस्थिर ब्याज दर फ्लैग Fixed / Floating Rate of Interest Flag	ब्याज दर Rate of Interest	ऋण सीमा (रु. हजारों में) Credit Limit (in thousands of rupees)	बकाया राशि (रु. हजारों में) Amount Outstanding (in thousands of rupees)	टिप्पणियां Remarks
			जिला कूट संख्या District Code	जनसंख्या समूह कूट संख्या Population Group Code											
एस्/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
	कुल / Total @	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

@ स्तंभ एस, 13 और 14 के अंतर्गत पृष्ठवार जोड़ जाए। स्तंभ एस के अंतर्गत दिया गया जोड़ उस पृष्ठ पर सूचित किये गये खातोंकी कुल संख्या का द्योतक होगा ।
Page-wise totals should be indicated under columns S, 13 and 14. The total under column S will represent the total Number of accounts reported on the page.
स्तंभ क्रमांक 3 से 11 के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिए उचित कूट संख्या निर्दिष्ट करने के लिए अनुदेश पुस्तिका की सूची (समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार) 'क' और 'ख' से 'छ' देखे ।
Refer to code lists 'A' (as revised from time to time) and 'B' to 'I' in the Handbook of Instructions for giving appropriate code for each entry in the column Nos. 3 to 11 respectively.

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोग के लिए
For the use of RBI

द्वारा कूट बद्ध / Coded by ....
द्वारा छान-बीन की गई / Scrutinised by ....

प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of Branch Manager: ....
दिनांक / Date : ....

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 Survey)

जाँच सूची / CHECK LIST

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि विवरणी में दी गयी जानकारी पूरी है और निम्नलिखित विवरण उचित स्थान पर रिकार्ड किया गया है ।
Please ensure that the information in the return is complete and following particulars are reported at appropriate places.

1. बैंक का नाम तथा शाखा का नाम तथा पता ।
   Name of the bank and name & address of the branch.

2. एक समान शाखा कूट (भाग I तथा II) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित ।
   The Uniform Branch Code (Part-I and Part-II) allotted to the Branch by Reserve Bank of India.

3. विवरणी किस वर्ष से संबंधित है ।
   The year to which the return relates.

4. 'टिप्पणियाँ' स्तंभ के बिना दूसरा कोई स्तंभ कोरा न रखें और जहाँ आवश्यक हो वहाँ टिप्पणी दें ।
   No column should be left blank except 'Remarks'. Suitable remarks may be given wherever necessary.

5. पुस्तिका में दिये गये अनुदेशों के अधीन बताई गयी क्रियाविधि के अनुसार पृष्ठ संख्या ।
   Page number in accordance with the procedure explained under instructions in the Handbook.

6. क्रम संख्या खातेवार दी जाएँ, न कि पार्टीवार (प्रत्येक पृष्ठ के लिये नयी क्रमसंख्या देने के बारे में सावधानी बरतें)।
   Serial numbers should be given account-wise and not party-wise (care may be taken to give fresh serial numbers for each page).

7. प्रत्येक प्रविष्टि के सामने ऋण लेनेवाले यूनिट / पार्टी का नाम ।
   Name of the borrowing unit/party against each entry.

8. कृपया स्तंभ संख्या 3 से 11 के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिये उचित कूट निर्दिष्ट करने हेतु अनुदेश पुस्तिका की क्रमशः सूची 'क' से 'छ' में देखें ।
   Please refer to code lists 'A' to 'I' in the Handbook for giving appropriate code numbers for each entry in column numbers 3 to 11 respectively.

9. जमानती (1) बेजमानती (2) ऋण के फ्लैग, स्तंभ 10 में दर्शाना चाहिए
   The flag for Secured (1) or Un-secured (2) loans may be indicated in column 10.

10. स्थिर (1) या अस्थिर (2) ब्याज दर के फ्लैग, स्तंभ 11 में दर्शाना चाहिए । स्तंभ 12 में, प्रत्येक खाते के लिए जहाँ कहीं लागू हो संगत ब्याज दर दशमलव में लिखें, हिस्सों में नहीं ।
    The flag for Fixed (1) or Floating (2) rate of interest may be indicated in column 11. The Relevant interest rate for each account wherever applicable, should be recorded in decimals not in fractions in column 12.

11. प्रत्येक खाते के लिए ऋण सीमा हजार रुपयों में लिखें । कृपया निर्दिष्ट ऋण सीमा वाले खातों या मिश्रित ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में अनुदेश-पुस्तिका में दिये गये अनुदेश देखें ।
    Credit limit for every account in thousands of rupees. Please see instructions in the Handbook regarding accounts with specific credit limit or accounts having composite credit limit.

12. प्रत्येक खाते के लिए बकाया राशि हजार रुपयों में लिखें । कृपया 'कुछ नहीं' शेष को (-) द्वारा बताएं । जिन खातों में जमा शेष हो उन्हें टिप्पणी स्तंभ में 'खाते' लिखकर दिखलायें और स्तंभ 14 में (-) कर दिखलायें (वास्तविक जमा शेष न लिखें)।
    Amount outstanding for every account in thousands of rupees. Please indicate 'Nil' balance by a dash (-). Accounts having credit balance should be in indicated by the letter 'CR' in the remark column and a dash (-) should be indicated in column 14 (the actual credit balance should not be reported).

13. स्तंभ 'एस' के अंत में पृष्ठ की प्रविष्टियों की कुल संख्या हो ।
    Total number of entries on the page at the end under column 'S'.

14. स्तंभ 13 और 14 के अंत पृष्ठ की सभी प्रविष्टियों की ऋण सीमा और बकाया राशि का जोड़ ।
    Totals of credit limit and amount outstanding of all entries on each page at the end under columns 13 and 14.

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 - भाग ख

BASIC STATISTICAL RETURN 1 – PART B (BSR-1B)

रु. 2 लाख और उससे कम ऋण सीमाओं से युक्त खातों के लिए

FOR ACCOUNTS WITH CREDIT LIMITS OF RS. 2 LAKH AND LESS

(31 मार्च 200 को) (As on 31st March, 200)

(कृपया पुस्तिका में दिये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।)

[Please read the instructions in the Handbook carefully.]

बैंक का नाम
Name of the Bank ____________________

शाखा का नाम और पता
Name and Address of the Branch ____________________

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

(ऋण सीमा और बकाया राशि हजारों में लिखें)
(Credit Limit and Amount Outstanding are to be reported in Rupees Thousand)

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु.25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of Rs. 25 thousand and less			रु.25,000 और अधिक रु.2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of over Rs. 25 thousand and upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप Agriculture and Allied Activities						
	क) बागान फसलों को छोड़कर खाद्यान्नों और नकदी फसलों की खेती के लिये a) Cultivation of food and cash crops excluding plantation crops	X	X	X	X	X	X
101	अनाज / Cereals						
102	दाल / Pulses						
103	गन्ना / Sugarcane						
104	रुई / Cotton						
109	अन्य सभी खाद्यान्न और नकदी फसलें / All other food and cash crops						
110	ख) बागान फसलों की खेती b) Cultivation of Plantation Crops						
120	ग) कृषि के लिये अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष वित्त c) Other direct finance to agriculture						
	घ) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप d) Activities allied to agriculture	X	X	X	X	X	X
131	दुग्धव्यवसाय / Dairying						
132	मुर्गी पालन / Poultry farming						
133	मत्स्य पालन / Fishing						
139	कृषि संबंधित अन्य कार्यकलाप / Other activities allied to agriculture						
190	**कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप के प्रत्यक्ष वित्त का जोड** (कूट संख्या 101 से 139 तक शामिल) **Total of Direct Finance to Agriculture & Allied Activities** (included under Item code 101 to 139)						
191	*जिसमें (कूट संख्या 190) से :* किसान क्रेडिट कार्ड - उत्पादन ऋण *Of (Item code 190) Which:* Kisan Credit Cards – Production Loans						
192	*जिसमें (कूट संख्या 190) से :* किसान क्रेडिट कार्ड - निवेश ऋण *Of (Item code 190) Which:* Kisan Credit Cards – Investment Loans						
199	ङ) कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त e) Indirect finance to agriculture						
	उद्योग / Industry						
	खाद्यान्न निर्माण तथा संस्करण Food Manufacturing and Processing						
201	चावल मिलें, आटा और दाल मिलें / Rice Mills, Flour and Dal Mills						
202	खाद्य तेल और वनस्पती / Edible oils and Vanaspati						
203	चाय / Tea						
209	अन्य खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण / Other food manufacturing and processing						
	वस्त्र / Textiles						
211	सूती वस्त्र / Cotton textile						
212	जूट और प्राकृतिक धागों के वस्त्र / Jute and natural fibre textile						
213	हथकरघा वस्त्र और खादी / Handloom textile and Khadi						
219	अन्य वस्त्र / Other textile						
220	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद / Leather & leather products						
230	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद / Wood & Wood products						
240	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद / Rubber, Plastic & their products						
250	कांच और कांच की सामग्री / Glass & Glass Ware						

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु.25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of Rs. 25 thousand and less			रु.25,000 और अधिक रु.2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of over Rs. 25 thousand and upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
260	रत्न और आभूषण / Gems & Jewellery						
270	कागज़ तथा कागज़ के उत्पाद / Paper and paper products						
280	मुद्रण, प्रकाशन और उससे संबंधित कार्यकलाप / Printing, Publishing & allied activities						
	रसायन और रासायनिक वस्तुओं के उत्पाद Chemicals & chemical products						
291	उर्वरक / Fertilizers						
292	दवाइयाँ और औषधियाँ / Drugs and pharmaceuticals						
299	अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद /Other chemicals & chemical products						
300	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद / Cément & cément products						
310	धातु और धातु के उत्पाद / Metals and metal products						
	अभियांत्रिकी / Engineering						
321	सामान्य अभियांत्रिकी मशिनरी और वस्तुएं / General Engineering Machinery & Goods						
322	बिजली चालित मशीनें और वस्तुएं / Electrical Machinery & Goods						
323	इलेक्ट्रानिक मशीनें और वस्तुएं / Electronic Machinery & Goods						
330	वाहन, वाहनों के पुर्जे और परिवहन उपकरण / Vehicles, Vehicle parts & Transport equipments						
340	अन्य उद्योग *(जो दूसरी जगह शामिल नहीं है) /* Other industries (not *included* elsewhere *)*						
390	**उद्योगों का जोड़** (कूट संख्या 201 से 340 तक शामिल) **Total of Industries** (Included under Item code 201 to 340)						
391	*जिसमें (कूट संख्या 390) से :* सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यमों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Micro (Manufacturing) Enterprises						
392	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* लघु (विनिर्माण) उद्यमों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Small (Manufacturing) Enterprises						
393	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* मझोले (विनिर्माण) उद्यमों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Medium (Manufacturing) Enterprises						
394	*जिसमें (कूट संख्या 390) से:* खादी और ग्रामीण उद्योग (KVI) क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त *Of (Item code 390) Which:* Direct Finance to Khadi and Village Industries (KVI) Sector						
400	**निर्माण / Construction**						
	व्यापार / Trade						
510	थोक व्यापार / Wholesale Trade						
520	फुटकर व्यापार / Retail Trade						
600	**परिवहन और अन्य संबद्ध सेवाएं / Transport and other support services**						
	व्यावसायिक और अन्य सेवाएं Professional and other services						
711	व्यावसायिक सेवाएं / Professional services						
712	पर्यटन, होटल, रेस्टारेंट / Tourism, Hotels & Restaurants						
713	आमोद-प्रमोद सेवाएं / Recreation services						
714	मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं (पूंजीगत वस्तुओंके अलावा) Repairs & maintenance services (except capital goods)						
719	अन्य सेवाएं / Other services						
750	**व्यापार तथा सेवाएं का कुल ऋण** (कूट संख्या 510 से 719 तक शामिल) **Total of Credit to Trade and Services** (included under Item codes 510 to 719)						
751	*जिसमें (कूट संख्या 750) से:* सूक्ष्म (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Micro (Service) Enterprises						
752	*जिसमें (कूट संख्या 750) से:* लघु (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Small (Service) Enterprises						
753	*जिसमें (कूट संख्या 750) से:* मझोले (सेवा) उद्यम *Of (Item code 750) Which:* Medium (Service) Enterprises						

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु.25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of Rs. 25 thousand and less			रु.25,000 और अधिक रु.2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of over Rs. 25 thousand and upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
800	**वित्तीय मध्यस्थता / Financial Intermediation**						
810	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* सूक्ष्म वित्तीय संस्था / SHGs *Of (Item 800) which:* Micro Finance Institutions/ SHGs						
820	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* लघु और सूक्ष्म उद्यमों को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त *Of (Item 800) which:* Indirect Finance to Small & Micro Enterprises						
830	*जिसमें (कूट संख्या 800) से:* आवास क्षेत्र को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त *Of (Item 800) which:* Indirect Finance to Housing Sector						
	व्यक्तिगत तथा उपभोग ऋण : स्टाफ Personal loans and consumption loans: Staff						
861	स्टाफ आवास ऋण : व्यक्ति, समिती द्वारा Staff housing loans : Individual, Through Society						
862	स्टाफ वाहन ऋण : दुपहिया वाहन सहित मोटर वाहनोंकी खरीद (स्टाफ को दिए गए) Staff Vehicle Loans: Purchase of motor vehicles including two-wheelers (given to staff)						
863	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओंकी खरीद (स्टाफ को दिये गये) Purchase of consumer durables (given to staff)						
864	स्टाफ शिक्षा ऋण (स्टाफ को दिए गए-स्वयं/बच्चे) Staff Education Loans (given to staff-self / wards)						
868	स्टाफ क्रेडिट कार्ड (स्टाफ को दिए गए) / Staff Credit Cards (given to staff)						
869	अन्य स्टाफ ऋण (स्टाफ को दिए गए) / Other staff loans (given to staff)						
	व्यक्तिगत तथा उपभोग ऋण : स्टाफ सदस्योंको छोड़कर Personal loans and consumption loans: Other than Staff						
871	आवास ऋण (स्टाफ सदस्योंको छोड़कर) / Housing loans (other than staff)						
872	दुपहिया वाहनसहित मोटर वाहनोंकी खरीद (स्टाफ सदस्योंको छोड़कर) Purchase of motor vehicles including two-wheelers (other than staff)						
873	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओंकी खरीद (स्टाफ सदस्योंको छोडकर) Purchase of consumer durables (other than staff)						
874	शिक्षा ऋण (स्टाफ सदस्यों को छोड़कर) / Education Loans (other than staff)						
875	निवेश ऋण / Investment Loans						
877	सामान्य क्रेडिट कार्ड / General Credit Cards						
878	व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड / Personal Credit Cards						
879	अन्य व्यक्तिगत ऋण (स्टाफ सदस्योंको छोड़कर) / Other personal loans (other than staff)						
890	**अन्य सभी-अवर्गीकृत ऋण सहित / All others including unclassified loans**						
900	**मू.सां.वि. 1-ख का जोड़ / Total of BSR-1B**						
	मू.सां.वि.-1-ख के अंतर्गत ऋण खातों की आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification of Borrowal Accounts under BSR –1B						
901	मानक परिसंपत्तियां / Standard Assets						
902	अवमानक परिसंपत्तियां / Sub-standard Assets						
903	संदिग्ध परिसंपत्तियां / Doubtful Assets						
904	घाटे की परिसंपत्तियां / Loss Assets						
910	**जोड़ / Total (901+902+903+904) #**						
	# कूट संख्या 910 और 900 के आंकडे एक समान होने चाहिए / Total against code 910 and 900 should tally						
	मू.सां.वि.-1ख के अंतर्गत ऋण खातों का लिंगात्मक वर्गीकरण Gender Classification of Borrowal Accounts under BSR -1B						
911	पुरुषों के खाते (व्यक्तिगत) / Male Accounts (in respect of Individuals)						
912	महिलाओं के खाते (व्यक्तिगत) / Female Accounts (in respect of Individuals)						
913	अन्य खाते / Other Accounts						
920	**जोड़ / Total (911+912+913) &**						
	कूट संख्या 920 और 900 के आंकडे एक समान होने चाहिए / & Total against code 920 and 900 should tally						
	मू.सां.वि.-1ख के अंतर्गत ऋण खातों की जमानती/बेजमानती स्थिती Secured/Un-secured position of Borrowal Accounts under BSR -1B						
921	जमानती ऋण / Secured Loans						
922	बेजमानती / Un-Secured Loans						
930	**जोड़ /Total (921+922) &**						
	कूट संख्या 930 और 900 के आंकडे एक समान होने चाहिए / & Total against code 930 and 900 should tally						

कूट संख्या Item Code	व्यवसाय / कार्यकलाप Activity / Occupation	रु.25,000 और उससे कम ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of Rs. 25 thousand and less			रु.25,000 और अधिक रु.2 लाख तक ऋण सीमावाले खातों के लिए For accounts with credit limit of over Rs. 25 thousand and upto Rs. 2 Lakh		
		खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	मू.सां.वि.-1ख के अंतर्गत ऋण खातों का ब्याज दर का वर्गीकरण Interest Rate Classification of Borrowal Accounts under BSR -1B						
931	5% से कम / Below 5%						
932	5% और उससे अधिक किंतु 7% से कम / 5% and above but less than 7%						
933	7% और उससे अधिक किंतु 9% से कम / 7% and above but less than 9%						
934	9% और उससे अधिक किंतु 11% से कम / 9% and above but less than 11%						
935	11% और उससे अधिक किंतु 13% से कम / 11% and above but less than 13%						
936	13% और उससे अधिक किंतु 15% से कम / 13% and above but less than 15%						
937	15% और उससे अधिक किंतु 17% से कम / 15% and above but less than 17%						
938	17% और उससे अधिक किंतु 19% से कम / 17% and above but less than 19%						
939	19% और उससे अधिक / 19% and above						
940	**जोड़ / Total (931+…. +939) &**						
	कूट संख्या 940 और 900 के आंकडे एक समान होने चाहिए / & Total against code 940 and 900 should tally						
	मू.सां.वि.-1ख के अंतर्गत ऋण खातों का ब्याज के प्रकार का फ्लैग Type of Interest Flag of Borrowal Accounts under BSR -1B						
941	स्थिर ब्याज दर के ऋण / Fixed rate of Interest Loans						
942	अस्थिर ब्याज दर के ऋण / Floating rate of Interest Loans						
950	**जोड़ / Total (941+942) &**						
	कूट संख्या 950 और 900 के आंकडे एक समान होने चाहिए / & Total against code 950 and 900 should tally						

मू.सा.वि.- 1 सारांश में / SUMMARY OF BSR – 1

कूट संख्या Item Code	मदें सारांश में Summary Items	खातों की संख्या No. of Accounts	ऋण सीमा (हजारों में) Credit Limit (Rs. thousand)	बकाया राशि (हजारों में) Amount Outstanding (Rs. thousand)
1	2	3	4	5
991	कुल मू. सा. वि-क / Total of BSR - 1A			
992	कुल मू. सा. वि-ख / Total of BSR - 1B			
990	**समग्र जोड़ (991+992) / Grand Total (991+992)**			
999	**कुल ऋण राशि धारा 42(2)** के अनुसार Total credit as per Section 42(2)****	**X**	**X**	

** : भारत में बैंकों की अग्रिम राशियां, आंतर बैंक राशियों को छोड़कर, धारा 42(2) के अंतर्गत सर्वेक्षण वर्ष के 31 मार्च के फार्म 'क' विशेष विवरणी में रिपोर्ट की है।

Bank credit in India excluding inter-bank advances as reported under Form A special return, Section 42 (2), as on 31st March of the survey year

भारिबैं के उपयोग के लिए / For the use of RBI

द्वारा कूट बद्ध / Coded by ....

प्रबंधक के हस्ताक्षर / Signature of Branch Manager: ....

द्वारा छान-बीन की गई / Scrutinised by ....

दिनांक / Date : ....

(प्रपत्र मार्च 2008 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 2

BASIC STATISTICAL RETURN 2 (BSR-2)

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियां

DEPOSITS WITH SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(31 मार्च 200 को)

(As on 31st March, 200)

कृपया पुस्तिका और इस विवरणी के अंत में दी गयी 'जाँच सूची' में दिये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Please read the instructions in the Handbook and `Check List' provided at the end of this return carefully.

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

बैंक का नाम / Name of the bank..

शाखा का नाम और पता / Name & Address of the branch.......................

रोजगार विवरण / EMPLOYMENT DETAILS

कर्मचारी की श्रेणी Category of Staff	कूट संख्या Code No.	अधिकारी Officers	लिपिक Clerical	कर्मचारी Subordinate	कुल Total
	1	2	3	4	5
कुल / Total	100				
जिनमें महिलायें *of which* **Female**	101				

भाग I : प्रकार के अनुसार जमा राशियों का वर्गीकरण

(सभी प्रकार की अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा जमा राशियों सहित)

PART I: CLASSIFICATION OF DEPOSITS ACCORDING TO TYPE

(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Accounts in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	जमा खाते का प्रकार Type of Deposit Account	कूट सं. Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य /OTHERS (बैंकों की जमा राशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ / TOTAL बैंकों की जमा राशियों को छोडकर (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	चालू / Current	201						
	जिनमें से महिलाओं के खाते *of which* Female accounts	301			x	x		
2	बचत / Savings	202						
	जिनमें से महिलाओं के खाते *of which* Female accounts	302			x	x		
3	मीयादी / Term	203						
	जिनमें से महिलाओं के खाते *of which* Female accounts	303			x	x		
4	**जोड़ / Total**	**200**						
	जिनमें से महिलाओं के खाते *of which* Female accounts	**300**			**x**	**x**		

कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें / Please furnish the following information :

आंतर-बैंक जमाराशियां / Total Inter-Bank Deposits	800	x	x	x	x		
समग्र जोड़ / Grand Total (कूट संख्या 200 और 800 की जोड़ राशि) *(Sum of code 200 and 800)*	900	x	x	x	x		
कुल जमाराशियां (धारा 42(2) के अनुसार) Aggregate deposits**{As per Section 42(2)}*	999	x	x	x	x	x	

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोग के लिए / For the use of Reserve Bank of India
द्वारा कूट बध्द / Coded by ....
द्वारा छान-बीन की गई / Scrutinised by.........................

प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager...
दिनांक / Date...

* भारत में कुल जमाराशियां (बैंकों को छोड़कर) धारा 42(2) के अंतर्गत सर्वेक्षण वर्ष के 31 मार्च को फार्म 'क' विशेष विवरणी में रिपोर्ट की हैं।
Aggregate deposits (other than from banks) in India as reported under Form 'A' special return, Section 42(2), as on 31st March of the survey year.

(प्रपत्र मार्च 2002 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2008 survey)

भाग II : मूल परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण

(अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा के सभी प्रकार की जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

PART II: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO ORIGINAL MATURITY

(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)

(Excluding Deposits from Banks)

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Accounts in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	परिपक्वता की अवधि Period of Maturity (संविदागत / मूल) (Contractual / original)	कूट सं. Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	7 दिनों से 14 दिनों तक 7 days to 14 days	401						
2	15 दिनों से 29 दिनों तक 15 days to 29 days	402						
3	30 दिनों से 45 दिनों तक 30 days to 45 days	403						
4	46 दिनों से 90 दिनों तक 46 days to 90 days	404						
5	91 दिनों तथा उससे अधिक किन्तु 6 महीनों से कम 91 days & above but less than 6 months	405						
6	6 महीने और उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम 6 months & above but less than 1 year	406						
7	1 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्षों से कम 1 year & above but less than 2 years	407						
8	2 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्षों से कम 2 years & above but less than 3 years	408						
9	3 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 5 वर्षों से कम 3 years & above but less than 5 years	409						
10	5 वर्ष और उससे अधिक 5 years & above	410						
11	**जोड़ TOTAL**	**400**						

भाग III : ब्याज दरों की सीमा के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण

(अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा के सभी प्रकार की जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

PART III: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO INTEREST RATE RANGE

(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)

(Excluding Deposits from Banks)

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Accounts in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	ब्याज दर की सीमा Interest Rate Range	कूट सं. Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	5% से कम Less than 5%	501						
2	5% और उससे अधिक किन्तु 6% से कम 5% and above but less than 6%	502						
3	6% और उससे अधिक किन्तु 7% से कम 6% and above but less than 7%	503						
4	7% और उससे अधिक किन्तु 8% से कम 7% and above but less than 8%	504						
5	8% और उससे अधिक किन्तु 9% से कम 8% and above but less than 9%	505						
6	9% और उससे अधिक किन्तु 10% से कम 9% and above but less than 10%	506						
7	10% और उससे अधिक किन्तु 11% से कम 10% and above but less than 11%	507						
8	11% और उससे अधिक किन्तु 12% से कम 11% and above but less than 12%	508						
9	12% और उससे अधिक किन्तु 13% से कम 12% and above but less than 13%	509						
10	13% और उससे अधिक किन्तु 15% से कम 13% and above but less than 15%	510						
11	15% और उससे अधिक 15% and above	511						
12	**जोड़ TOTAL**	**500**						

भाग IV : मीयादी जमाराशियों का आकार के अनुसार वर्गीकरण

(अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा के सभी प्रकार की जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

PART IV: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO SIZE OF DEPOSITS

(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)

(Excluding Deposits from Banks)

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Accounts in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	जमाराशियों का आकार Size of Deposits	कूट सं. Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	रु. 25,000 से कम Less than Rs. 25,000	601						
2	रु. 25,000 और अधिक परंतु 1 लाख से कम Rs. 25,000 & above but less than Rs.1 lakh	602						
3	रु. 1 लाख और अधिक परंतु 15 लाख से कम Rs.1 lakh & above but less than Rs.15 lakh	603						
4	रु. 15 लाख और अधिक परंतु 1 करोड़ से कम Rs.15 lakh & above but less than Rs.1 crore	604						
5	रु. 1 करोड़ और अधिक Rs.1 crore & above	605						
6	**जोड़ TOTAL**	**600**						

[कम्प्युटरीकृत शाखाओं के लिए]
[To be filled by computerised branches]

भाग V : मीयादी जमाराशियों का उर्वरित परिपक्वता के अनुसार वर्गीकरण
(अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा के सभी प्रकार की जमाराशियों सहित)
(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

PART V: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO RESIDUAL MATURITY
(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)
(Excluding Deposits from Banks)

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)
(No. of Accounts in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	परिपक्वता की अवधि Period of Maturity (उर्वरित) (Residual)	कूट सं. Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	1 दिन से 14 दिनों तक 1 day to 14 days	701						
2	15 दिनों से 28 दिनों तक 15 days to 28 days	702						
3	29 दिनों से 90 दिनों तक 29 days to 90 days	703						
4	91 दिनों तथा उससे अधिक किन्तु 6 महीनों से कम 91 days & above but less than 6 months	704						
5	6 महीने और उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम 6 months & above but less than 1 year	705						
6	1 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्षों से कम 1 year & above but less than 3 years	706						
7	3 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 5 वर्षों से कम 3 years & above but less than 5 years	707						
8	5 वर्ष और उससे अधिक 5 years & above	708						
9	**जोड़ TOTAL**	**700**						

जाँच सूची / CHECK LIST

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि विवरणी भाग-I, भाग-II, भाग-III, भाग-IV और भाग V में दी गयी जानकारी पूरी है और निम्नलिखित विवरण उचित स्थानों पर दिया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकोंकी कम्प्युटरीकृत शाखाओंने इस विवरणी भाग V की जानकारी देनी चाहिए।

Please ensure that the information in Part-I, Part-II, Part-III, Part-IV and Part-V of the return is complete and following particulars are reported at appropriate places. The Part-V of the return should be filled-in by the Computerised branches of Scheduled Commercial Banks.

1. बैंक का नाम और शाखा का नाम तथा पता।
   Name of the bank and Name & address of the Branch.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शाखा को आबंटित किया गया एक समान शाखा कूट (भाग-I एवं भाग-II)।
   The Uniform Branch Code (Part-I and Part-II) allotted to the Branch by Reserve Bank of India.

3. वर्ष, जिससें विवरणी संबंधित है।
   The year to which the return relates.

4. सभी प्रकार की अनिवासी और विदेशी मुद्रा जमाराशियां विवरणी में शामिल की जाये।
   All types of Non-Resident and Foreign Currency deposits are to be included in the return.

5. कुल आंतर बैंक जमाराशियाँ विवरणी के भाग-I में केवल कूट संख्या 800 में दर्ज की जाये।
   Total Inter-bank deposits are to be reported only in Item 800 of Part-I of the return.

6. विवरणी के भाग-II से भाग-IV में आंतर-बैंक जमाराशियां शामिल नहीं होनी चाहिए।
   Inter-bank deposits are to be excluded in Part-II to Part-IV of the return.

7. भारत में कुल जमाराशियां (बैंको के जमाराशियों को छोडकर) जो धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म क विशेष विवरणी में संदर्भ वर्ष के 31 मार्च को कूट संख्या 999 के अंतर्गत रिपोर्ट की जायें।
   Aggregate deposits (other than from banks) in India as reported under Form A special return, Section 42(2), as on 31st of March of the reference year should be reported in Item 999.

8. महिला कर्मचारीयों की संख्या, कूट संख्या 101 में रिपोर्ट की जाये और उनके खाते कूट संख्या 201, 202 और 203 में रिपोर्ट किये जाये।
   The female staff should be reported in Item 101. The accounts of women should be reported in Items 201, 202 and 203.

9. रोजगार विवरण-स्टाफ की वास्तविक स्थिति (स्थायी और अस्थायी स्टाफ सहित) उपलब्ध किये गये खंड में दर्ज की जाये। अंशकालिक और अनियमित कामगार इसमें शामिल नहीं हैं।

   Employment details - The actual staff position (permanent and temporary staff together) is to be reported in the block provided. Part-time and casual workers are excluded.

10. भाग-II के कूट संख्या 400 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट संख्या 203 में दिये गये जोड़ से मेल खानी चाहिए।
    The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 400 in Part II under different columns should agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.

11. भाग-III के कूट संख्या 500 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट संख्या 203 में दिये गये जोड़ से मेल खानी चाहिए।
    The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 500 in Part III under different columns should agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.

12. भाग-IV के कूट संख्या 600 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट संख्या 203 में दिये गये जोड़ से मेल खानी चाहिए।
    The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 600 in Part IV under different columns should agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.

13. भाग IV में, मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण मूल जमाराशियों के अनुसार होना चाहिये लेकिन बकाया राशि स्तंभ 3, 5 और 7 में रिपोर्ट की जाये।
    In Part IV, the term deposits are to be classified as per original deposit amount, however, the amount outstanding should be reported in columns 3, 5 and 7.

14. भाग V के कूट संख्या 700 के सामने अलग अलग स्तंभों में दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया राशि, भाग I में कूट संख्या 203 में दिये गये जोड़ से मेल खानी चाहिए।
    The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 700 in Part V under different columns should agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.